खण्ड-364, अंक-4
शुक्रवार, 28 माघ, शक संवत् 1905
(17 फरवरी, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 364 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	315–318
प्रश्नोत्तर	319–381
प्रश्नो के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	331–382
संस्कृत विद्यालयों की कठिनाइयों के प्रति सरकार की उपेक्षा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	382–383
सहकारी चीनी मिल शेखूपुर, बस्तियूं के लिए अधिग्रहीत की गयी भूमि के काश्तकारों के आश्रितों को नौकरी न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	883
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टोंस नदी पर बाँध बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	383
माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ अध्यापकों के विनियमितीकरण की माँग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	333–334
गणेश चीनी मिल, आनन्द नगर, गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध श्री हर्षवर्द्धन सिंह के आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..,	334
फैजाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्तियों में रिश्वत लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	384
आई0टी0आई0 बेरोजगारों की माँगों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	385
रविदास जयन्ती के अवसर पर राजकीय अवकाश घोषित न किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	385–336
इटावा रेलवे स्टेशन पर सांसद श्री राजीव गांधी द्वारा किए गये सम्बोधन का इटावा के सूचना अधिकारी द्वारा प्रेस नोट जारी किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	336–390
उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन तृतीय अध्यादेश, 1983 को बिना मन्त्रि परिषद् की राय के जारी किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	390
विधान सभा के वर्ष 1983 के द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ..	390–391
सदन के पटल पर रखी गयी नियम 301 की सूचनाओं के उत्तर समय से न प्राप्त होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	391–393
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	393–400
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 (प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया) ..	400–431
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	431
बजट साहित्य के वितरण के सम्बन्ध में सूचना	432
1984–85 का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	432–442
वित्तीय वर्ष 1984–85 के एक भाग के लिए लेखानुदान (प्रस्तुत किया गया) ..	442
नत्थियाँ	443–450

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 17 फरवरी, 1984 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वर्मा सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–342

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)	हरदोई
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा	कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
अजहर ईमाम, श्री	मिर्जापुर	कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	कृष्ण दत्त श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद	कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
अब्दुल कलाम, श्री	आजमगढ़	कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर	केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
अमर नाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर	केदार नाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर	केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	केशोराम, श्री	बदायूं
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री	एटा
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर	कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
अलमेलू अम्माल, कुमारी	बस्ती	खरपत, श्री	वाराणसी
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह श्री (लल्लू)	बहराइच	खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद	खुर्शैद अहमद, श्री	बहराइच
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	खुशहाल सिंह रांगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा	खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा	गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
ऊदल, श्री	वाराणसी	गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय	गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा	गया सिंह, श्री	उन्नाव
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर	गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा	गुलाम नबी, श्री	आगरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ	गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर	गोपीनाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई	गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर	गोवर्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती	गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री	बरेली	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर	गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0	बाँदा
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर	चन्द्र भान सिंह, श्री	बाँदा
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर	चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली	चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ

...रु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
...राम गंगवार, श्री	बरेली
...कर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
...दा लाल चौधरी, श्री	खीरी
...ी लाल, श्री	गोंडा
...ा बहादुर, श्री	जौनपुर
...दीश नरायन, श्री	फतेहपुर
...दीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
...दीश सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
...दीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
...ा शंकर सिंह, श्री	बहराइच
...र्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
...फर अली नकवी, श्री	खीरी
...यदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
...वन्त सिंह बिष्ट, श्री	अल्मोड़ा
...वेद अली, श्री	मथुरा
...न्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
...तेन्द्र शाह, श्री	जालौन
...याराम शुक्ल 'विकल' साकेती, श्री	फैजाबाद
...राज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
...श्वर, श्री	आजमगढ़
...बहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
...मन सिंह गहलोत, श्री	बिजनौर
...याल कृष्ण, श्री	मथुरा
...जीत सिंह, श्री	रामपुर
...सिंगार, श्री	आजमगढ़
...मोदर शर्मा, श्री	मेरठ
...वाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
...नाथ, श्री	बस्ती
...पक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
...नरायन वन महन्त, श्री	गोंडा
...र्ग प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
...नाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
...ी प्रसाद, श्री	बहराइच
...न्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
...न्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री	कानपुर
...रिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
...री राम वर्मा, श्री	इटावा
...श्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
...पाल सिंह, डाक्टर	अलीगढ़
...वीर सिंह, श्री	मेरठ
...वीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
...सिंह, श्री	बुलन्दशहर
...प्रसाद राय, श्री	देवरिया
...धू लाल, श्री	हरदोई
...र किशोर सिंह, श्री	देवरिया

नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहाँपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्मल खत्री, श्री	फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुष्पा चौहान, श्रीमती	अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री	इटावा
बलवीर सिंह श्री	फर्रुखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबूलाल श्री	हमीरपर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्धराज सिंह खुजेंवाला, श्री	बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर	देवरिया
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्मदत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवान दीन कुशवाहा, श्री	कानपुर

भागीरथ, श्री	झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भूपसिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डे, श्री	बलिया
मण्लेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ सबरोज)	गोंडा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश उपाध्याय श्री	आगरा
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल; श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह; श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद अमीन; श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद उमर; डा0	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रतीराम, श्री	बिजनौर

रमाकान्त मिश्र, श्री	इलाहाबाद
रामेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राजमंगल पाँडेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राघेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
राम जी राम, श्री	फैजाबाद
रामधनी, श्री	गाजीपुर
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सिंह रावल, श्री	एटा
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरुप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री	बाराबंकी

रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)	इलाहाबाद
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विद्याभूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्यासागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी डा0	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विलायती राम कत्याल,	कानपुर
बिशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वृद्धि नारायण सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भू नाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली,
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिव नाथ सिंह कुशवाहा, श्री	कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिव पाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव मंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्यामलाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्री कृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	बलरामपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जा सवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री	शाहजहांपुर
सुखदा मिश्रा, श्रीमती श्री	इटावा
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता, श्रीमती	कानपुर
सुरेन्द्र प्रताप नारायण श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
हसरत सिंह वर्मा, श्री	एटा
हरगोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरी शंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट—वित्त एवं संस्थागत वित्त राज्य मंत्री श्रीमती इन्द्र मोहिनी तथा पंचायती राज तथा ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्री राम सजीवन सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार दिनांक 17 फरवरी, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कुतुलपुर मझगवां मार्ग, जिला बाराबंकी में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ट्रक से हुई दुर्घटना में मृतकों के परिवार को दी गयी सहायता

**1—श्री रामसागर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में कुतुलपुर मझगवां मार्ग निर्माण में कार्यरत पी0डब्लू0डी0 ट्रक यू0पी0 जे0 1612 के पलट जाने से दिनांक 21–12–83 को 14 मजदूरों की मृत्यु हो गयी है? यदि हां, तो उन्हें क्या क्षतिपूर्ति दी गयी तथा सम्पूर्ण मामले की जांच भी करायी गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री विद्याभूषण)—

जी हां।

दिनांक 21–12–83 को 9 व्यक्तियों की मृत्यु दुर्घटना स्थल पर ही हो गयी एवं 5 घायल व्यक्तियों को अस्पताल बाराबंकी लाने पर मृत घोषित किया गया। एक अन्य व्यक्ति जिसका इलाज बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में हो रहा था, की दिनांक 27–12–83 को मृत्यु हो गयी। इस प्रकार मृतकों की कुल संख्या 15 है।

जी हां।

प्रति मृत व्यक्ति के आश्रितों को 5000 रुपये की दर से एवं प्रति घायल व्यक्ति को 2000 रुपये की दर से क्षतिपूर्ति दी गयी है तथा मामले की मैजिस्ट्रीरियल जांच करायी जा रही है। जांच अभी चल रही है।

श्री राम सागर—

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे जिले में 15 गरीब और हरिजन मजदूरों को इस दुर्घटना में मरने की हृदय विदारक घटना हुई है, उसमें मंत्री जी के विभाग ने जो जवाब दिया है, वह उनकी हृदय-हीनता का एक अजीब नमूना है। मान्यवर, जिस ट्रक से दुर्घटना हुई है, वह इन के विभाग की ट्रक है और उसे इनका ड्राइवर नहीं चला रहा था....

श्री अध्यक्ष—

आप सूचना न दें, प्रश्न करें।

श्री राम सागर—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो ड्राइवर इस ट्रक को चला रहा था, वह इनके विभाग का था या नहीं? दूसरे जो ये 15 मजदूर मरे हैं, ये कितने दिनों से आपके विभाग में काम कर रहे थे?

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, ट्रक पी0डब्लू0डी0 का था, और जो ये मजदूर थे वे टेम्पोरेरी लेबर में थे। मैं इस समय यह नहीं बता सकता कि वे कितने दिनों से काम कर रहे थे।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो दुर्घटना हुई है, वह किसकी असावधानी से हुई थी? सहायक अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता अथवा अवर अभियन्ता की असावधानी से हुई है? दूसरी बात यह है कि विभागीय जांच में क्या पाया गया कि किसकी असावधानी से हुई है? क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस हृदय विदारक घटना से बाराबंकी जनपद में कितना रोष व्याप्त है? इसके अतिरिक्त, जो यह 5 हजार रुपये प्रत्येक मृतक को दिया गया, वह अभी तक उनको नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है? तीसरे जो मैजिस्ट्रीरियल इंक्वायरी चल रही है, विभागीय इन्क्वायरी नहीं चल रही है, इसका उत्तर मंत्री जी दें।

श्री विद्याभूषण---

मान्यवर, 21-12-83 को यह घटना हुई। 22-12-83 को ही मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये गये थे। 27-12-83 को जब अधीक्षण अभियन्ता ने जांच के आदेश, दिये, तो उसे स्थगित कर दिया गया। मान्यवर, मैजिस्ट्रीरियल जांच के आदेश दिये गये हैं और उस की रिपोर्ट आने पर चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जायेगा।

श्री मुख्तार अनीस---

मंत्री जी यह बतायें कि ट्रक कौन चला रहा था ? क्या उसके पास ड्राइविंग लाइसेन्स था ?

श्री विद्याभूषण---

इसकी जांच हो रही है।

(श्री मुख्तार अनीस के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष---

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, कृपया बैठें।

श्री ऊदल---

क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जो यह 5 हजार और 2 हजार रुपये की धनराशि दी गई है, यह कम है ये गरीब मजदूर थे, इनके बच्चों और गरीब विधवाओं के लिये इस धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री विद्याभूषण---

मान्यवर, इस बात पर विचार किया जा सकता है और आगे भी बता दूं कि इस पर भी विचार चल रहा है कि उन मृतकों के आश्रितों में से एक-एक को सर्विस दिलाई जाय।

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, मैं दो सवाल स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं पहला यह कि ट्रक चलाने वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं दूसरा जो जांच चल रही है, वह कब तक पूरी हो जायेगी क्योंकि इससे सारा मामला स्पष्ट हो जायेगा ?

श्री विद्याभूषण---

जांच चल रही है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच चल रही है वह चलती रहेगी उसका परिणाम जो होगा वह आयेगा लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घटना के बारे में थाने में कोई प्रथम रिपोर्ट दर्ज हुई थी नहीं हुई और उसके आधार पर कोई यह आरोप लगाया गया है कि जो आदमी गाड़ी चला रहा था उसके पास ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं था ?

श्री विद्याभूषण---

मान्यवर, इसमें स्पष्ट है कि 21 तारीख को दुर्घटना हुई और 22 तारीख को मैजिस्टीरियल जांच शुरू हो गयी। मेरी जानकारी में यह नहीं है कि उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं हुई।

श्री जयदीप सिंह बरार---

क्या यह माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि केन्द्र सरकार ने मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में अमेंडमेंट करके यह कम्पलसरी कर दिया है कि इस प्रकार दुर्घटना में मरने वालों के लिए गाड़ी के मालिक अथवा इंश्योरेन्स कम्पनी को 15 हजार रु0 प्रत्येक मृतक के लिए देने पड़ेंगे, तो क्या मंत्री जी मोटर वेहिकिल्स के अनुसार 15-15 हजार रुपया दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री विद्या भूषण---

मान्यवर, जो नियमानुसार है वह पूरा किया जायेगा।

श्री श्याम लाल वाजपेयी---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने नया चार्ज लिया है, वह अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मरने वालों में से कितने हरिजन थे और उनमें से कितने बाराबंकी के थे और कितने बाहर के थे ?

श्री विद्याभूषण---

यह जानकारी करके दी जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष---

आप नोटिस मांग लें कि मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी---

मान्यवर, वह सहायक अभियन्ता आग उगल रहा है ।

श्री यमुना प्राद---

मैं माननीय मंत्री जी को स्पष्ट जानकारी देना चाहता हूं कि जो विभाग की गाड़ी चला रहा था यू0पी0 जे0 1612 उसके पास लाइसेंस नहीं था वह ड्राइवर का लड़का था, इसलिये विभागीय अधिकारियों की गलती थी, तो क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और जो गाड़ी चला रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया या नहीं ?

श्री विद्याभूषण---

मान्यवर, इस सब की जांच चल रही है, मैजिस्ट्रीरियल जांच चल रही है । जब रिपोर्ट मिलेगी दोषी अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा ।

प्रदेश के लेखपालों की हड़ताल

**2---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री सरदार सिंह तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश के करीब 28000 लेखपाल 17 जनवरी, 1984 से हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो इनकी मांगे क्या हैं एवं इनको पूरा न किये जाने का क्या कारण है और ये मांगे कब तक पूरी कर दी जायेंगी ?

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)---

दिनांक 8 फरवरी, 1984 से हड़ताल वापस ले ली गयी है ।

श्री अध्यक्ष---

(माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रश्न सं0 3 का उत्तर पढ़ना आरम्भ करने पर)

क्या कोई संशोधित उत्तर दे रहे हैं आपने तो बताया है कि दिनांक 8 फरवरी, 1984 से हड़ताल वापस ले ली गयी है ।

श्री सरदार सिंह---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हड़ताल किसी शर्त पर वापस लिया है या बिना शर्त वापस ली गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

मान्यवर, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, जो हड़ताल कर रहा था, उसने अपनी दूसरी मांग में यह मांग पेश की थी कि तत्कालीन राजस्व मंत्री को हटाया जाय, इस पर सचिवालय में राजस्व परिषद् के सचिव और लेखपाल संघ के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, उसमें यह कहा गया कि जो दूसरी मांग पेश की गयी है, उस दूसरी मांग पर विचार नहीं हो सकता जब तक कि अपनी मांग को वापस नहीं लेते, तो उन्होंने इस मांग पर खेद प्रकट किया और कहा कि बिना शर्त अपनी हड़ताल को वापस लेते हैं ।

श्री खैरुल बशर---

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मानकर कि हड़ताल हो रही है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वेतन आयोग की जो पुस्तक हैं, उसके भाग 2 खंड-2, में इसकी योग्यता लिखी है---

हाई स्कूल और एक साल की ट्रेनिंग, तो सारे कर्मचारी हाई स्कूल पास हैं और ट्रेन्ड हैं तथा काम कर रहे हैं, तो वेतन आयोग की संस्तुति जो है रु0 400–615 उसको देने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, दूसरी मांग पर हड़ताल वापस ले ली गई है, उनकी दूसरी मांगों पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, इसमें ऐसा है कि ग्राम सेवक पद का वेतन क्रम 185 रुपये से और योग्यता जूनियर हाई स्कूल की थी लेकिन अब ग्राम सेवक का वेतनमान 400–615 रुपये है। इसी प्रकार पहले लेखपालों का वेतन रुपये 185 से था और योग्यता हाई स्कूल पास की थी, लेकिन इस समय 330–495 रुपये वेतनक्रम है और ग्राम सेवक का अधिक है, तो जैसा मा0 सदस्य ने कहा कि वेतन आयोग की रिपोर्ट पर भाग–2, खंड–2 में यह विसंगतियां पैदा होने के पीछे क्या कारण है ? क्या यह माना जाय कि ग्राम सेवकों को कोई सुविधा बढ़ा दी गयी, यदि नहीं, तो उनका जो वेतनमान है, उसको लेखपालों को देने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैंने जैसा दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि शासन इस पर विचार कर रहा है और हम यह भी मौका उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ को देंगे कि वह आकर बातचीत करें और उसमें जो निर्णय होता है, उसको हम मा0 सदस्य को बता देंगे।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि लेखपालों की यह हड़ताल सरकार के आश्वासन पर वापस हुई है, किन्तु रामपुर में 6 लेखपालों को जिनमें 4 को सस्पेंड किया गया है और 2 को टरमिनेट किया गया है जबकि प्रदेश में रामपुर के अलावा ऐसा कहीं नहीं हुआ है, अब इनको वापस लेने का क्या तारीका अपनाया जायेगा, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां के एस0डी0एम0 ने लिखकर दिया है, जिसकी कापी मैंने सचिव को दिया है कि सरकारी आदेशों के खिलाफ, जो लेखपाल नसबंदी के 7 केसेज नहीं देंगे उनको फरदर सस्पेंड किया जायेगा ? क्या सरकार के ऐसे आदेश हैं ? यदि हैं, तो सरकार बताये ? यदि नहीं हैं, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

तीसरी बात वहां (रामपुर) के डी0एम0 से लेखपालों का डेलीगेशन मिलने गया। मैं जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी ने, जब उनसे उनका डेलीगेशन मिलने गया, तो उनके लीडरों पर उन्होंने यह इल्जाम लगाया और इस पर प्रेसीडेन्ट को मुअत्तल कर दिया कि आप हमारी आंखों में आंख डालकर बात कर रहे हैं। वह महिला हैं और हो सकता है कि खूबसूरत भी हों, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह का इल्जाम लगाकर इसी पर उनको सस्पेंड कर दिया जाए कि आप हमारी आंखों में आंख डालकर बातें कर रहे हैं ? क्या किसी खूबसूरत महिला अधिकारी को यह कहने का अधिकार है ?

(व्यवधान)

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मैं यह कागज आपके पास भिजवा दूंगा, आप इसे दिखवा लीजिएगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी —

मैं राजस्व मंत्री से एक मौलिक और नीतिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं उसमें आपका संरक्षण चाहता हूं, प्रदेश के 28,000 लेखपालों की हड़ताल को देखते हुए अब भी आप शासन की पुरानी परम्पराओं की तरह से और माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो निर्णय लिया था, इन लेखपालों को समाप्त करके इस पद का नाम 'भूमिपाल' करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में दो बातों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं, पहला, जब हड़ताल वापस ली गई तो क्या उन्होंने यह शर्त रखी थी कि हड़ताल तो वापस लेंगे, लेकिन कोई विक्टीमाईजेशन नहीं होगा? दूसरे, क्या उनके मांग पत्र में कोई यह भी मांग है कि उनके पदनाम को बदलकर भूमिलेखा अभिलेख अधिकारी कर दिया जाय?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मैंने कहा है कि हड़ताल बिना शर्त वापस हुई थी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

वेतन आयोग की रिपोर्ट खण्ड 2 भाग 1 में ग्रामीण स्तर पर 3 कर्मचारियों को माना गया है—लेखपाल, ग्राम सेवक, और पंचायत सेक्रेटरी। और जब वेतनमान निर्धारित हुआ था, जो प्रथम पर ग्रामसेवक रखा गया था, उसे तृतीय स्थान पर कर दिया गया, तो क्या मंत्री जी इसमें संशोधन करके उनको 400–615 का वेतनमान देने के लिए तैयार हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने 5 मांग पेश की थीं, जिन मांगों को लेकर उसने हड़ताल की। उसमें दूसरे नं0 की मांग निकल गयी और अब केवल चार मांगे हैं। उन पर शासन सहानुभूति के साथ विचार कर रहा है, उसमें वेतनमान और दूसरी सुविधाएं भी शामिल हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

प्रश्न यह है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट खण्ड 2, भाग 1 में 3 ग्राम्य स्तर कर्मचारी माने गये हैं—पहला लेखपाल, दूसरा ग्राम सेवक और तीसरा पंचायत सेक्रेटरी। लेकिन वेतनमान जब निर्धारित होने लगा, तो प्रथम स्थान पर ग्रामसेवक आ गया। और जो प्रथम पर था वेतन आयोग की रिपोर्ट में, वह तृतीय श्रेणी में आ गया, तो क्या आप इन लेखपालों को रु0 400–615 का वेतन क्रम देने का आश्वासन देंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसको वेतन आयोग के पास भेज दिया जायेगा और उनका जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मंत्रि परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

प्रदेश में ओला वृष्टि, तूफान से रबी की फसल को क्षति तथा देयों को माफ करने की मांग

*2—श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 12 से लेकर 18 अप्रैल, 83 तक पूरे प्रदेश में पानी ओला और तूफान से रबी की फसल को कितनी हानि उठानी पड़ी, सरकार ने संकट ग्रस्त किसानों को क्या सहायता दी है? क्या सरकार लगान, खाद, पानी बिजली तथा अन्य देयों को माफ करने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

दिनांक 12 से लेकर 18 अप्रैल, 1983 तक की अवधि में प्रदेश म कुल 43 जनपद असामयिक वर्षा, ओला वृष्टि और तूफान से प्रभावित हुए जिनमें कुल 11,83,286 हेक्टेयर कृषिगत क्षेत्र को रु0 9580.71 लाख की अनुमानित हानि हुई। इनमें से 11 जनपदों में 3,57,948 हेक्टेयर कृषिगत भूमि में फसल को 2015.24 लाख रुपये की अनुमानित हानि हुई। शासकीय टेलेक्स रेडियोग्राम संख्या 2151/1–10–83, दिनांक 22–4–83 द्वारा भू-राजस्व तथा लगान

वसूली के स्थगन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली की धारा 292 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्देशित किया गया कि जहां आवश्यक हो वे तदनुसार तुरन्त कार्यवाही करें। तदनुसार उक्त 11 जनपदों में जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक हानि हुई थी, भू राजस्व तथा लगान की वसूली स्थगित की गयी।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर जो मेरा प्रश्न था, उसका उत्तर नहीं मिला। मैंने यह प्रश्न किया था कि ओला, अतिवृष्टि, पानी और तूफान आदि से जिन किसानों की फसल नष्ट हो गयी है, क्या उनका लगान आदि तथा अन्य देयों को माफ किया जायेगा? इसका उत्तर नहीं मिला है वह उत्तर दिलवाने की कृपा करें।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जिन जनपदों में 50 प्रतिशत से अधिक हानि हुई है, वहां पर लगान की वसूली स्थगित कर दी गयी है। शेष के बारे में जो आख्या आयी है, उससे ऐसा नहीं लगता कि वहां पर नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक हुआ है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

जिन 11 जनपदों का नाम लिया है, मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में अलग-अलग कितने प्रतिशत क्षति हुई है? क्या माननीय मंत्री जी इस राय के हैं कि जिन जिलों में क्षति हुई है, वहां फसल बीमा योजना लागू की जाये?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जिन 11 जिलों में क्षति हुई है, वहां लगान में छूट का प्रश्न शासन के विचाराधीन है, उस पर विचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

11 जिलों की कोई लिस्ट क्षति की आपके पास है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, जनपदों के नाम मेरे पास हैं।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि लगान वगैरह स्थगित किया गया है, माफ करने की बात नहीं की गयी है, जबकि माननीय मंत्री जी को पूर्ण रुपेण जानकारी है कितने हेक्टेयर फसल और कितने का नुकसान हुआ है। खाद, पानी, बिजली और दूसरे देयों के बारे में मंत्री जी ने चर्चा नहीं की है। लगान, खाद, पानी बिजली के देय माफ करने के बारे में सरकार को क्या दिक्कत हो रही है। मान्यवर, इसका जवाब दिलवा दें, नहीं माफ कर सकते हैं, तो बता देंकि क्यों नहीं माफ कर सकते हैं।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मैंने निवेदन किया कि 11 जनपद जहाँ पर 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुयी है, वहाँ लगान माफ करने की प्रक्रिया चल रही है, विचार हो रहा है। विचार के उपरान्त यह तय होगा, इसमें कुछ समय लगता है।

जिला पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कांडाखाल में लोक सभा चुनाव के अवसर पर हुई घटना एवं पटवारी तथा कानूनगो का निलम्बन

*3--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या राजस्व मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि दिनाँक 19-3-82 को गढ़वाल लोक सभा उप चुनाव के दिन काँडाखाल, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल में कोई घटना घटित हुई थी, जिसके सम्बन्ध में राजस्व विभाग के एक पटवारी और कानूनगो को निलम्बित किया गया था? क्या यह सही है कि तब से अब तक न तो उनको चार्जशीट दी गयी है और न ही नौकरी पर लिया गया? यदि हाँ, तो उसका क्या कारण है और कब तक उन्हें बहाल कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–14 का दिनाँक 9–9–83 को दियें गये उत्तर के क्रम में यह कहना है कि घटना के संबंध में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना की तिथि 19–5–82 है।

यह सही है कि उक्त घटना से संबंधित सर्वश्री आनन्द प्रकाश बलोदी पटवारी तथा मोहन सिंह भंडारी सुपरवाईजर कानूनगो को निलंबित किया गया था और उन्हें अभी तक नौकरी पर बहाल नहीं किया गया है। श्री मोहन सिंह भंडारी, सुपरवाईजर कानूनगो को दिनाँक 17–11–83 को आरोप पत्र दिया जा चुका है श्री आनन्द प्रकाश बलोदी को दिनाँक 6–12–83 को आरोप पत्र दिया जा चुका है। श्री बलोदी कथित घटना में भारतीय दंड विधान की धारा 147/148/149/395/397 के अन्तर्गत नामजद मुल्जिम हैं और इस मामले में खंड अधिकारी अपराध अनुसंधान विभाग मेरठ द्वारा विवेचना की जा रही है।

श्री मोहन सिंह भंडारी को दिये गये आरोप पत्र पर अंतिम निर्णय हो जाने पर उन्हें बहाल करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा परन्तु श्री आनन्द प्रकाश बलोदी (निलंबित पटवारी) के संबंध में अपराध अनुसंधान विभाग की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आरोप पत्र पर तथा उनकी बहाली के संबंध में कोई निर्णय लिया जाना संभव होगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है और इस बात को स्वीकार किया है कि यह घटना 19–5–82 की जिस दिन गढ़वाल में उप संसदीय चुनाव हो रहा था। मंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया है कि 17–11–83 को कानूनगो को आरोप पत्र दिया गया तथा 6–12–83 को पटवारी को आरोप पत्र दिया गया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब शासन के आदेश है कि 6 महीने के भीतर यदि किसी को आरोप पत्र नहीं दिया जाता है, तो 6 महीने के बाद वह वैसे बहाल कर दिया जाता है, तो यहाँ पर 19 महीने और 22 महीने बाद आरोप पत्र दिया गया है और कहा जा रहा है कि बहाली नहीं हो रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसका आश्वासन देंगे कि तत्काल इस पर निर्णय करके उनको बहाल कर देंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है और यह कोशिश की जा रही है कि यह मसला जल्दी से जल्दी तय हो जाय, किन्तु अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा श्री बलोदी के बारे में जाँच-पड़ताल हो रही है। हमने उनसे कहा है कि वह जल्दी ही अपनी आख्या भेंजे, ताकि उस पर कोई अन्तिम निर्णय लिया जा सके। यही हमने उत्तर में भी पढ़ कर सुनाया, तो जैसा माननीय सदस्य का कहना है, हम तो स्वयं प्रयास कर रहे है कि जल्द से जल्द इस मसले का निपटारा किया जाय।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आरोप पत्र समय से क्यों नहीं दिया गया और जब 6 महीन से अधिक समय लग गया, तो 6 महीन से के बाद किस नियम के अन्तर्गत यह आरोप पत्र दिया गया, बजाय उसको सर्विस में वापस लेने के ? बलोदी और भंडारी के खिलाफ शिकायत किसने की है ? क्या वह समाज विरोधी तत्व थे, जिन्होंन यह शिकायत किया था, उस समय दूसरे लोग चुनाव में बहुत ज्यादा रुचि दिखा रहे थे, उसकी वजह से यह बलोदी को और भंडारी को जलाधिकारी की मर्जी के खिलाफ 6 महीने के बाद तक निलंबित रखा गया। 6 महीने से ज्यादा अवधि क्यों लगी ? यह अपराध अनुसंधान शाखा को कब भेजा गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, आरोप की जाँच करने में कुछ समय लगा, जब वह चीज मालूम हुई, तभी आरोप पत्र दिया गया ? मान्यवर, अनुसंधान शाखा को यह मामला 21 मार्च, 1982 को दिया गया है जाँच के लिए।

[शुक्रवार 17 फरवरी, 1984 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पंजाब शुगर मिल, धुघली, गोरखपुर में कर्मचारियों की नियुक्ति

*1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)—

क्या चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत बजट सत्र में प्रश्नकर्त्ता ने शासकीय आदाता पंजाब शुगर मिल, धुघली (गोरखपुर) के विरुद्ध बिना रिक्त पद के विज्ञापित किये करीब 80 लोगों की नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह आरोप लगाया था कि उक्त नियुक्तियों में करीब आधे लोग एक ही बिरादरी के हैं? क्या यह सच है कि उक्त आरोपों की जाँच अभी तक नहीं कराई गयी जबकि प्रश्नकर्त्ता ने सन्दर्भित लोगों की सूची दे दी है? यदि हाँ, तो क्यों?

गन्ना विकास मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)—

वर्तमान शासकीय आदाता पंजाब शुगर मिल धुघली (गोरखपुर) के कार्यालय में कुल 78 व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा किया गया है।

रुद्र विलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर की मरम्मत

*2—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुद्र विलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर के मौलिक सुधार एवं मरम्मत के लिये विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय टीम ने अपनी रिपोर्ट में कुछ माह पूर्व कुछ संस्तुति की है? क्या इस रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित कार्य के लिए लगभग 25 लाख रुपए खर्च करने से प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ रुपये घाटे से बचा जा सकेगा? यदि हाँ, तो सरकार मिल की चिन्ताजनक स्थिति को देखते हुए इस धनराशि की तुरन्त व्यवस्था करने की कृपा करगी? यदि नहीं, तो क्यों?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

जी हाँ।

जहाँ तक 25 लाख रुपये व्यय करके प्रति वर्ष एक करोड़ की हानि से बचने की बात है, यह हानि से बचने की बात है, यह हानि चीनी के बाजार भाव पर काफी सीमा तक निर्भर करती है। मिल में आन्तरिक तकनीकी सुधार तथा मरम्मत पर लगभग रु0 25 लाख व्यय किये जा चुके हैं जिसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं आया यह प्रश्न मैंने पिछले सत्र में भी उठाया था कि इसमें जो घाटा हुआ है, वह मशीनरी व तकनीकी खराबी के कारण हुआ है, जबकि शासन का उत्तर यह आया था कि गन्ना की खराबी की वजह से घाटा हुआ है। लेकिन जब टेकनिकल कमेटी बैठी और तकनीकी खराबी दूर हो गयी, तो वह मिल अब अपने आसपास की मिलों से अच्छा काम कर रही है। मान्यवर, उस मिल की चिन्ताजनक स्थिति है, सबसे अधिक घाटे में वह है, इसके बावजूद भी उसने 25 लाख रु0 अपने आन्तरिक संसाधनों से जुटाये हैं। मान्यवर, हमने राज्य सरकार से यह अश्वासन चाहा था कि 25 लाख रु0 की सहायता सरकार उस मिल को कर दे। मान्यवर, सरकार ने जो 25 लाख रु0 उस मिल पर खर्च किया है, उसके अतिरिक्त सरकार कुछ और सहायता देने की कृपा करेगी?

श्री यशमसूरत उपाध्याय—

मान्यवर, उस मिल पर 25 लाख रु0 तो खर्च किया जा चुका है। दिसम्बर, 1983 व जनवरी, 1984 में एन0 सी0 डी0 सी0 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एण्ड एन0 ए0 बी0 ए0 आर0 डी0 (नेवार्ड) कोआपरेटिव बैंक के प्रतिनिधि इन सबों की हाई लेविल कमेटी बैठी, जिसमें इस मिल

के तकनीकी सुधार, क्षमता विस्तार एवं वित्तीय स्थिति में सुधार के लिये पुनर्वासन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा चुके हैं।

इस पर जो समिति का निर्णय है, जो सुझाव सुधार के लिये है, कार्यवाही की जायेगी।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मेरा आग्रह था मंत्री जी से कि 25 लाख रुपया हमने अनेकों संसाधन से इकट्ठा किया और मिल के दूसरे विकास कार्यों में कटौती किया। मेरा इतना आग्रह है क्या इस मिल को सरकार 25 लाख रुपये की और सहायता देगी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

1 करोड़ 35 लाख रुपया की स्वीकृति शासन कर चुका है। एक करोड़ अड़तीस लाख आई0 एफ 0 सी0 आई0 आदि से ऋण लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है।

श्री रियासत हुसैन—

इस फैक्ट्री को चले 2–3 साल हुआ है। टेक्निकल कमेटी बैठी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर 25 लाख रुपया मरम्मत में खर्च किया गया इतनी नई फैक्ट्री में कौन-सी ऐसी चीज खराब थी, जिसकी वजह से 25 लाख रुपया मरम्मत में लगा ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

टेक्निकल कमेटी ने कई सुझाव दिये थे। अन्डरफीड रोलर को निकालकर उसके स्थान पर ग्रूव्ड अन्डर फीड रोलर लगाना, इन्टर कैरियरों का डिजाइन नये रोलरों के हिसाब से नये सिरे से लगाना आदि कई सुझाव दिये हैं। इस पर 4–5 करोड़ रुपया खर्च होगा। उसकी व्यवस्था की जा रही है।

गोरखपुर जिले में कुआनू नदी से ग्राम ढखवा बाजार, तप्पा भदार का कटाव

*3—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में कुआनू नदी के किनारे बसे ग्राम ढखवा बाजार, तप्पा भदार, तहसील बाँसगाँव की हरिजन बस्ती इस वर्ष भी बाढ़ में कट जाने एवं प्रभावित हरिजनों को अन्यत्र पुनर्वासित किए जाने हेतु जिला अधिकारी, गोरखपुर ने कोई पत्र दिनाँक 30–4–83 को राजस्व सचिव को भेजा है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ।

जनपद गोरखपुर के प्रश्नगत बाढ़ से प्रभावित हरिजन व्यक्तियों को पुर्नवासन हेतु कुल 1.57 एकड़ भूमि अध्याप्त करने के संबंध में जिलाधिकारी गोरखपुर को आवश्यक निर्देश शासनादेश संख्या 462/83 (93) राजस्व–11 दिनाँक 23–1–84 द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं।

श्री केदार नाथ सिंह—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्न और उत्तर का अवलोकन करें। सन 82 में बाढ़ से हरिजनों की बस्ती का कटाव हुआ। हम लोगों की प्रार्थना पर जिलाधिकारी ने 3–4–83 को राजस्व सचिव को पुर्नवास के लिये पत्र लिखा। कार्यवाही कब हुई 23–1–84 को जब यह प्रश्न यहाँ लगा। यह जो शिथिलता बरती गयी 82 में हरिजनों की बस्ती का कटान हुआ, अगर जिलाधिकारी की संस्तुति पर तुरन्त निर्णय ले लिया गया होता, तो 83 की बाढ़ में वे लोग बे घरबार होकर मारे-मारे न फिरते। 83 में निर्णय नहीं लिया गया। जब हमारा प्रश्न यहाँ लगा तो 23–1–84 को शासन ने पत्र भेजा। दो साल हरिजन लोगों ने सड़कों और बाँधों पर गुजारा किया। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस शिथिलता के कारण जो हरिजनों का उत्पीड़न हुआ, उस शिथिलता बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ? नम्बर 2 उन हरिजनों को मकान बनाने हेतु जमीन, तो दे दिया लेकिन उनको भवन बनाने हेतु क्या सरकारी अनुदान देने पर विचार करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

भूमि अध्याप्ति करने की कानूनी प्रक्रिया है। उसमें समय लगना स्वाभाविक है। उसमें जिन लोगों की भूमि अध्याप्त की जा रही है, उनकी बात भी सुनना आवश्यक होता है। इस लिए इसमें कुछ समय लग गया। दूसरी बात यह है कि हमें तो भूमि की व्यवस्था करनी है। भवन निर्माण के लिए विभाग अनुदान देते हैं। भवन निर्माण के लिए उनसे माननीय सदस्य कहें तो वहाँ से मिल सकता है। लेकिन अब तो कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है और शीघ्रातिशीघ्र वह भूमि अध्याप्त हो जाएगी और उनको भवन निर्माण के लिए दे दी जायगी।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, ऐसी प्रक्रिया है कि एक मंत्री का उत्तर शासन से प्रभावित रहता है और यह माना जाता है कि शासन द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। माननीय मंत्री जी शासन का एक अंग हैं, इसलिए उनसे हर उत्तर की अपेक्षा की गई है। वह मान्यवर, कम से कम यह बता दें कि शासन में भी सरकार विचार करेगी। इसका उत्तर दिलवा दें।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, अब विलम्ब नहीं होगा। मैं आश्वासन देता हूं। नोटिफिकेशन पिंटिंग प्रेस को भेज दिया जाएगा। वह जल्दी ही प्रकाशित हो जाएगा।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि भूमि अध्याप्त की लम्बी प्रक्रिया है। मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वी जिले में जो बाढ़ से गांव विलीन हो जाते हैं, उनको तत्काल बसाने की जरूरत होती है, तो आप बाढ़ में गाँव विलीन होने पर उसे जल्दी से जल्दी बसाने का नियमों में संशोधन करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार यह प्रक्रिया चलती है। इसलिए इसमें विलम्ब का होना स्वाभाविक भी है।

श्री कैलाश प्रसाद—

मान्यवर, कुआनो नदी के किनारे ढकवा गाँव है, जो नदी की तलहटी पर हरिजन बस्ती बसी हुई है, यह मान्यवर, हरिजन बस्ती का बाढ़ से पूरा कटान हो गया है क्या हरिजन बस्ती के लिए कोई अनुदान दिया गया है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

कानपुर जिले के ग्राम मतलबपुर जुलाहा एवं उन्नाव जिले के ग्राम नेकपुर का सीमा विवाद

4—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या गाँव मतलबपुर जुलाहा, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर (देहात) को गंगा नदी कटरी भूमि गांव नेकपुर, तहसील सफीपुर, जनपद उन्नाव में शामिल किए जाने से रोकने विषयक प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनाँकित 22 फरवरी, 1973 व दिनाँक 18 मार्च, 1983 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो सम्बन्धित मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

ग्राम मतलबपुर जुलाहा, जनपद कानपुर देहात का बन्दोबस्ती ग्राम है। इस ग्राम के कटरी क्षेत्र को, तहसील सफीपुर जनपद उन्नाव के ग्राम नेकपुर में मिलाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

गंगा की धारा में परिवर्तन के फलस्वरूप जो क्षेत्र जनपद कानपुर देहात में अभिलेख कट मतलबपुर जुलाहा के नाम से बनाये गये। इसी ग्राम के सम्मुख गंगा नदी की धारा के प वर्तन के फलस्वरूप जो क्षेत्र जनपद उन्नाव में निकला, उसके भी अभिलेख ग्राम कटरी मत

जुलाहा के नाम से ही बनाये गये। इस समस्या के समाधान हेतु इस क्षेत्र के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें कराये जाने का प्रस्ताव है जिससे सीमा विवाद, भौमिक अधिकार आदि के मामले तय हो जायेंगे।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो दो पत्र इस सम्बन्ध में हमने लिखे, क्या उन पर जाँच करायी गयी? यदि हाँ, तो कब और किससे करायी गयी? दूसरी बात यह कि यह कानपुर में जो दो बार धारा में परिवर्तन हुआ गंगा की, तो वह यह पहली बार कब हुआ और दूसरी बार कब हुआ और यह जो अभिलेख है, तहसील बिल्हौर में ये किस समय के हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो पत्र लिखे थे। वे जब मेरे सामने आए, तो मैंने यह आदेश दे दिये कि इस पर अब तक जो कार्यवाही हुई है, उसका पूरा विवरण माननीय सदस्य को भेज दिया जाय। जहाँ तक इस गाँव के 11 अन्य गाँवों का प्रश्न है, ये गंगा के दोनों तरफ आमने सामने हैं। चूंकि गंगा की धारा बदलती रहती है, कभी कानपुर की तरफ और कभी उन्नाव की तरफ धारा बदलती रहती है। अतः नदी के दोनों तरफ एक ही नाम के गाँव हैं। इसके लिये लखनऊ के कमिश्नर और इलाहाबाद के कमिश्नर को यह काम सौंपा गया है। उन्होंने राजस्व परिषद को जो रिपोर्ट लिख कर भेजी है, उस पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। सर्वे की आवश्यकता है और उसके साथ-साथ भूमि सम्बन्धी रिकार्ड तैयार कराने की आवश्यकता है।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मंत्री जी पर मुझे तरस आता है। हमने जो प्रश्न किया, मान्यवर, उसका तो उत्तर ही नहीं दिया। हमने मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि इस गंगा की धारा में कितनी बार परिवर्तन हुआ, कब-कब हुआ और किस सन में हुआ और यह जो तहसील बिल्हौर के रिकार्ड हैं इस भूमि के सम्बन्ध में, वह कब के हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, इसके लिये सर्वे की आवश्यकता है कि कितनी बार गंगा की धारा में परिवर्तन हुआ इसकी जानकारी मिल जायगी तो माननीय सदस्य को बता दिया जायगा।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि उत्तर तैयार नहीं था बाद में दे देते। पहले ठीक से जबाव तो बनवा लिया होता। मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये दूसरे जो गाँव हैं जनपद उन्नाव के, वहाँ के प्रधान के पास रिवाल्वर, और पिस्तौलें हैं। वह वहाँ के दादा हैं। क्या उन्होंने इस भूमि के क्लेम के लिये कोई दरख्वास्त कहीं पर दी है? यह जो गाँव नेकपुर है, इसके प्रधान इस भूमि के क्लेम के लिये दरख्वास्त दे रखे है, तो क्या उनकी कोई दरख्वास्त प्राप्त हुई है, उन्होंने यह दरख्वास्त कब दी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

नहीं दी।

श्री मोती लाल देहलवी—

यह जो दादागीरी है, नेकपुर गाँव के प्रधान की, वे सर्वे के पूर्व बिना किसी निर्णय की जमीन हे बगाहे शस्त्र के बल पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, क्या आप ऐसा कोई आदेश देंग पके सर्वेक्षण होने तक उक्त जमीन पर काई दखल न हों?

हुअ
हरि
अनुद

व सिंह आर्य—

न्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा इस संबंध में मैंने निवेदन किया है कि इसका हम सर्वेक्षण करा रहे हैं।

जबरदस्ती का सवाल नहीं है, यहाँ पर दो जनपदों के बीच सीमा-विवाद का सवाल है। सर्वेक्षण के बाद यह देखना है कि यह जमीन किसके अधिकार में जायेगी और कितनी। गंगा की धारा बदलते रहने से यह विवाद बढ़ता जा रहा है, इसलिये हम चाहते हैं कि इस मामले को एक बार निपट लिया जाय। इसके लिये हमने कमिश्नर, राजस्व परिषद और शासन को सतर्क किया है। भूमि सुधार के अन्दर जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हमें यह देखना है कि कितनी जमीन किसके अधिकार में जायेगी और कितनी किसके अधिकार में जायेगी। इसका हमें निर्णय करना है।

श्री भीखा लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बंगाल लैण्ड रेगुलेशन के मुताबिक जब दो जिलों या जनपदों के बीच कोई नदी आ जाती है, तो जमीन का बंटवारा नदी की धार होती है। यदि नदी की धार से एक जिले की जमीन जब दूसरे जिले में चली जाती है तो उस हिसाब से वह जमीन उसी जिले की हो जाती है, जिसमें वह बह कर चली गई है। मतलबपुर की जमीन भी इसी प्रकार धार से कटकर उन्नाव में आ गई है, परन्तु कानपुर वाले जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी को इस रेगुलेशन के बारे में मालूम है कि नहीं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह अपनी जगह पर सही है। परन्तु इस मसले पर निर्णय होना है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी यह तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो चुका है।

*5--श्री प्रियदर्शी जेतली--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बस्ती जिले में बूढ़ी राप्ती नदी से बाढ़ग्रस्त कतिपय ग्राम

*6--श्रीमती कमला साहनी--

क्या सरकार को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ जनपद बस्ती में बूढ़ी राप्ती नदी में दिनाँक 20-9-83 को भयंकर बाढ़ आई थी जिसमें नाव की व्यवस्था नहीं की गयी ? क्या यह सही है कि बाहर की नावों को बाढ़ में प्रयोग न करने के बावजूद नाव को बाढ़ में लगाने की मद की धनराशि शासन के व्यय में सम्मिलित की गयी है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के कुल 136 ग्राम दिनाँक 28-9-83 तक बूढ़ी राप्ती की बाढ़ से प्रभावित हुए थे। इनमें से 101 ग्राम चारों तरफ से पानी से घिर गये थे जिनमें 36 स्थानीय नावें बाढ़ राहत कार्य हेतु लगायी गयी थी तथा 24 नावें बखिरा, तहसील खलीलाबाद में प्राप्त हुई थीं जो इसी क्षेत्र के ग्रामों में लगायी गयी थीं। यह सही नहीं है कि बाहर की नावों को बाढ़ में प्रयोग न करने के बावजूद नाव को बाढ़ में लगाने की मद की धनराशि शासन के व्यय में सम्मिलित की गयी है। वास्तव में बखिरा से प्राप्त 24 नावों पर किये गये व्यय को इस मद में सम्मिलित किया गया है।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

*7--श्री सीताराम निषाद--

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

गन्ने के मूल्य में वृद्धि किए जाने की मांग

*8--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में गन्ने का दाम तय करते समय मंहगाई को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष से इस वर्ष किसान की सवाया कीमत दिलायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

भारत सरकार द्वारा न्यूनतम गन्ना मूल्य प्रति वर्ष ईख (नियंत्रण) आदेश 1966 के प्राविधानों के अन्तर्गत गन्ने के उत्पादन लागत,किसानों को दूसरी फसलों पर मिलने वाला मूल्य, कृषि उत्पादों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति, उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धि, गन्ने से चीनी परता आदि तत्वों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा 8.5 प्रतिशत या उससे कम परते से सम्बद्ध न्यूनतम गन्ना मूल्य 13.50 रु0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस आधार पर प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों के लिए चीनी परते के अनुसार निर्धारित गन्ने का मूल्य 13.50 रु0 तथा 18.90 रु0 प्रति क्विंटल के बीच आता है। फिर भी प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें गत वर्ष की भांति गन्ने का अधिक लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने पश्चिमी तथा मध्य चीनी क्षेत्रों के लिए 21.50 रु0 तथा पूर्वी चीनी क्षेत्र के लिए 20.50 रु0 प्रति क्विंटल परामर्श के रूप में उच्चतर गन्ना मूल्य इंगित किये हैं।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यद्यपि यह सरकार सही बात नहीं बतायेगी कि एक क्विंटल गन्ने पर किसान की क्या लागत आती है। दूसरा, क्या सरकार ने इस वर्ष कोई रियायत किसानों को दी है जिससे उत्पादन दाम तो न बढ़े किन्तु चीनी के दाम बढ़ गये ? तीसरा, केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष गन्ने का न्यूनतम मूल्य 13 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था और उसके बाद 13.50 रुपए कर दिये। परन्तु इस उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आधार पर पिछले साल के दाम को ही निश्चित किया है ? इन सभी बिन्दुओं पर माननीय मंत्री जी जानकारी दे दें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पर क्विंटल जो कास्ट आती है, वह 1983-84 के लिये 11 रुपया 74 पैसा है।

11 रुपया 74 पैसा पर क्विंटल गन्ने की कास्ट आफ प्रोडक्शन है। और, मान्यवर गन्ने के मूल्य के निर्धारण का जहाँ तक सवाल है, जब भारत सरकार ने 1981-82 में 13 रुपया दाम निश्चित किया था न्यूनतम मूल्य, तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने साढ़े बीस रुपया और साढ़े इक्कीस रुपया निश्चित किया था। 1982-83 में जब 13 रुपया न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया था, तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने साढ़े बीस रुपया और साढ़े इक्कीस रुपया मूल्य रखा था। मान्यवर, इस साल साढ़े तेरह रुपया न्यूनतम मूल्य तय हुआ है, तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने साढ़े बीस रुपया और साढ़े इक्कीस रुपया किया है। मान्यवर, इस तरह से आप देखें कि जब न्यूनतम मूल्य 13 रुपया रखा गया, तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिकतम मूल्य दिलाने की कोशिश की।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 11 रुपया 64 पैसा उत्पादन लागत आती है। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट आयी है, जो हमने जाँच करायी है, उसके अनुसार गन्ने की उत्पादन कीमत 20 रुपए के इर्द-गिर्द आती है। लेकिन मंत्री जी उसको, अपनी सरकार के आँकड़ों को घटाकर 11 रुपया 74 पैसा कहते हैं। इस तथ्य से उन्होंने सदन को गुमराह किया है।

श्री मोहन सिंह--

यह पूर्व के आंकड़े बता रहे ह, ऐसा लगता है।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, फिर इसके बाद देखें कि मंत्री जी ने पिछले साल से पानी का दाम कितना बढ़ा दिया है, बिजली का दाम कितना बढ़ा दिया है, और चीजों के दाम कितने बढ़े हैं, इस साल चीनी की कीमत कितनी बढ़ी है, उसके बाद भी गन्ने का दाम न बढ़ने का क्या कारण है? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

मान्यवर, गन्ने का मूल्य तय करने में कई चीजें देखी जाती हैं, केवल एक फैक्टर में गन्ने का मूल्य तय नहीं होता है। यह सही है चीनी का दाम बढ़ा है, बिजली का दाम बढ़ा है, लेकिन मान्यवर, इस वर्ष 15 प्रतिशत उर्वरक के दाम में कमी आयी है और इसके साथ ही मान्यवर, जहाँ तक चीनी के मूल्य का प्रश्न है, 1981-82 में चीनी का जो थोक भाव था, आबकारी को छोड़कर, वह 512 रुपये 88 पैसे था, तब भी चीनी मिलों से उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को साढ़े बीस रुपया और साढ़े इक्कीस रुपये के दाम दिलाती रही। इस वर्ष मान्यवर, फरवरी के महीने में चीनी का थोक भाव, आबकारी को छोड़कर केवल 415 रुपया है, तब भी, किसानों के व्यापक हित को देखते हुए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वही गन्ने का मूल्य रखा है, जो 1981-82 में था।

श्री भीखा लाल---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में मापदंड बताये हैं, जिनको कि ध्यान में रखकर के गन्ने की कीमत तय की जाती है। उन मापदंडों में से एक यह भी है चीनी की कीमत। मान्यवर, जिस समय गन्ने का मूल्य तय किया गया था, तो जो चीनी का रेट था, उसको ध्यान में रखते हुए, गन्ने की कीमत साढ़े बीस रुपया और साढ़े इक्कीस रुपया रखी गयी। लेकिन, मध्य सीजन में सरकार ने 25 रुपए क्विंटल चीनी के दाम बढ़ा दिये हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसी बढ़े हुए अनुपात में क्या सरकार गन्ने का मूल्य दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

इस पर कोई विचार नहीं है।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से मान लिया कि 3 साल से गन्ने का एक ही दाम है---21.50 रु0 और 20.50 रु0। यह मान्यवर, तीन साल से है। लेकिन केन्द्र सरकार ने इस बात को मानते हुए कि गन्ने की उत्पादन लागत बढ़ी है, गन्ने का मूल्य 13.50 रु0 रखा है, चाहे पहले से 50 पैसा ही बढ़ाया है केन्द्र सरकार ने मान लिया कि गन्ने की लागत बढ़ी है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उसी आधार पर सूबे की सरकार ने गन्ने की कीमत क्यों नहीं बढ़ायी और इसका क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

हमने बताया कि भारत सरकार ने जब गन्ने का मूल्य 13 रु0 रखा था तब भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिक मूल्य दिलाया। इस बीच भी प्रयास किया गया कि वही मूल्य बराबर किसानों को दिलाते रहे।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह नहीं है।

श्री कुबर भण्डारी---

शुगरकेन ऐक्ट में है कि गन्ना किसान जबना गन्ना मिल को दे दे तो 15 दिन में सूद मिलना चाहिये। किसानों को गन्ने की कीमत नहीं देते ह तो सूद मिलना चाहिये। किसान दो-दो साल से गन्ना गिराकर बैठे हुए हैं। क्या गन्ना किसानों को सूद दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

मान्यवर, वैसे यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने जब इसे स्वीकार कर लिया है, तो आपको यह कहने का अधिकार नहीं है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ठीक है, मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी।

प्रदेश के अप्रशिक्षित लेखपालों को प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने सम्बन्धी आदेश

*9--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाफ-ए-मिलियन जाब कार्यक्रम 73-74 के अधीन प्रशिक्षित किये गये लेखपालों को जो राजस्व विभाग में तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय से कार्यरत हैं उन्हें बोर्ड आफ रेवेन्यू के सचिव ने मई, जून, 84 में लेखपाल प्रशिक्षण स्कूल में जाने हेतु आदेश दिया है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सरकार प्रशिक्षित लेखपालों को जो कार्य कर रहे हैं, उनको लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल में पुनः प्रशिक्षण में भेजने के आदेश को वापस लेने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हाँ। क्योंकि हाफ--ए-मिलियन जाब में नियुक्त एवं आठ माह तक कार्य किये व्यक्तियों को प्रशिक्षित लेखपाल नहीं माना जाता है। प्रशिक्षित लेखपाल उन्हें ही माना जाता है जो अभ्यर्थी स्कूल में पूरे सत्र में सभी विषयों मे उत्तीर्ण घोषित होते हैं।

उक्त से स्पष्ट है कि प्रशिक्षित लेखपालों को पुनः प्रशिक्षण पर नहीं भेजा जा रहा है, अप्रशिक्षित को भेजा जा रहा है, अतः उक्त आदेश के वापस लिये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता।

श्री ऊदल--

प्रश्न हमारा यह है कि "हाफ-ए-मिलियन जाब" कार्यक्रम सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने चालू किया था। इसी के अन्तर्गत 110 रु0 स्कालरशिप देकर लेखपालों का प्रशिक्षण कराया है। आपका कहना यह है कि 'जाब में नियुक्त', तो 'नियुक्त' नहीं बल्कि 3 महीने की ट्रेनिंग हुई है और 110 रु0 स्कालरशिप दी गयी है। 73-74 से ट्रेनिंग देने के बाद से लेकर आज तक रेगुलर जगह पर काम लिया जा रहा है। ऐसे लोगों को ट्रेनिंग में भेजने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

चकबन्दी के लेखपालों की सहायता के लिये इनकी भर्ती की गयी थी और इस उद्देश्य से कि वे अनइम्प्लायड हैं और उनको रोजगार दिया जाय। इन्होंने 8 महीने तक उनके साथ काम किया, लेकिन जैसा उत्तर में बताया गया है, इनको लेखपाल नहीं कहा जा सकता, जब तक लेखपाल बनने की जो प्रक्रिया है, उसको यह पूरा न कर लें। लेखपाल स्कूल से बाकायदा पास होकर तभी इनको लेखपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

श्री ऊदल--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसी योजना के अन्तर्गत बिलारी में भी ट्रेनिंग दी गयी थी और उनको एक महीने की ट्रेनिंग दी गयी थी तथा किसी को लेखपाल स्कूल नहीं भेजा गया था? यदि हाँ, तो क्या एक महीने की ट्रेनिंग देकर इनको भी लेखपाल ट्रेनिंग में नहीं भेजेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

मान्यवर, इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल यह सूचना है कि 8 महीने तक इनको चकबन्दी लेखपालों के साथ काम करने का मौका दिया गया था और जब वहां उनकी आवश्यकता नहीं रही, तो उन्हें प्रशिक्षण के लिये भेजा गया क्योंकि इन लोगों ने केवल एक माह की ही ट्रेनिंग की थी। इसलिये यह निर्णय हुआ कि यह लेखपाल प्रशिक्षण स्कूल जायं और वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करें।

सिसवा बाजार चीनी मिल, गोरखपुर की चीनी की कथित जांच

*10—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर स्थित सिसवा बाजार चीनी मिल्स ने जून, 82 में उ0 प्र0 सहकारी संघ को जो चीनी आपूर्ति की थी, वह जाँचोपरान्त खाने योग्य नहीं पाई गयी ? यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि 40 मैट्रिक टन चीनी बाजार में बेचने पर रोक लगा दी गयी थी और गोरखपुर के जिला अधिकारी को जाँच के आदेश दिये गये थे ? यदि हाँ, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा उपरोक्त चीनी किस कार्य में प्रयुक्त की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जून, 1982 में सिसवा बाजर चीनी मिल (गोरखपुर) द्वारा आपूर्ति की गई चीनी में से ऐसी कोई चीनी नहीं पायी गयी जो खाने योग्य न रही हो। मिल द्वारा आपूर्ति की गयी कुछ चीनी के पीले होने के कारण खराब होने का संदेह हुआ था किन्तु प्रयोगशाला में जाँच करने पर यह चीनी ठीक पायी गयी और इसका वितरण यथ विधि हो गया ?

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि चीनी की किस प्रयोगशाला में जाँच करवायी गयी तथा जाँच के दौरान उस चीनी का वितरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यह जानकारी नहीं है कि किस प्रयोगशाला से जाँच करवायी गयी, लेकिन जब यह संदेह हुआ, तो उसकी जाँच करायी गयी और जाँच आने के बाद ही चीनी का वितरण कराया गया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी जब आपके पास यह सूचना नहीं है कि प्रयोगशाला से जाँच कराई गयी, तो आपको कहना चाहिये था कि सूचना की आवश्यकता है।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी का वितरण, चीनी मिलों की चीनी की जाँच प्रयोगशाला द्वारा कराने के बाद ही करायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, जहाँ कोई शिकायत चीनी की आती है तो वहाँ पर अवश्य जाँच करा ली जाती है।

चीनी मिल गौरी बाजार, देवरिया एवं चीनी मिल सरदार नगर, गोरखपुर पर बकाया गन्ना मूल्य

*11—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल गौरी बाजार, जनपद देवरिया तथा चीनी मिल सरदार नगर, जनपद गोरखपुर पर किसानों का गन्ना मूल्य का डेढ़ करोड़ रुपया से ऊपर 20 अक्तूबर, 1983 तक बकाया रहा है ? यदि हाँ, तो उका भुगतान के लिए क्या कार्यवाही हो रही है ? क्या यह भी सही है कि किसान संगठन गौरी बाजार भुगतान के लिए जनरल मैनेजर चीनी मिल, गौरी बाजार तथा चीनी मिल सरदार नगर का घेराव 1 नवम्बर, 83 से करने जा रहे हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय —

दिनाँक 20 अक्टूबर, 1983 को चीनी मिल गौरी बाजार जनपद देवरिया तथा चीनी मिल सरदार नगर, जनपद गोरखपुर पर पेराई सत्र 82–83 का क्रमशः 77.33 तथा 2.38 लाख रु0 किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया था जो दिनाँक 31–1–84 को घटकर क्रमशः 10.10 लाख रु0 तथा 4.68 लाख रु0 रह गया है। भगतान के लिए प्रभावी कार्रवाई की गयी है।

अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु गन्ना किसानों द्वारा दिनाँक 5–11–83 को गौरी बाजार चीनी मिल के प्रबन्धक का घेराव किया गया जो मिल के प्रबन्धक द्वारा भुगतान का आश्वासन देने के उपरान्त समाप्त कर दिया गया। जनरल मैनेजर चीनी मिल सरदार नगर का घेराव नहीं किया गया।

श्री नन्द किशोर सिंह––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी जो 15 लाख रु0 बाकी है किसानों का, क्या उसको शीघ्र ही दिलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत करा दूं कि 15 फरवरी को गौरी बाजार चीनी मिल द्वारा गन्ने का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है और सरदार नगर में आशा की जाती है कि वहाँ भी भुगतान हो गया होगा।

केन्द्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की किश्त

*12––श्री भूधर नारायण मिश्र तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 20–9–83 तक राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों से मंहगाई भत्ते की कितनी किस्तें कम मिल रही हैं और क्यों ? क्या राज्य सरकार किसी नए वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

वित्त एवं संस्थागत राज्य मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)––

तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर केन्द्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की जितनी किश्तें दिनाँक 20–9–83 तक स्वीकृत की गई है, वह सब किस्तें राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत की जा चुकी हैं। राज्य सरकार द्वारा किसी नये वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है, जैसा कि उल्लेख किया गया है कि केन्द्र सरकार ने यह घोषणा की है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 3 किश्तें मंहगाई भत्ता देने का मामला विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के सम्बन्ध में किसी किश्त का मामला विचाराधीन है, यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त (वित्त एवं ऊर्जा मंत्री)––

जब केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को कोई मंहगाई भत्ता स्वीकार करती है, तो उसके तुरन्त बाद ही हम भी दे देते हैं। जितनी किश्तें उन्होंने स्वीकार की है, वह हम पूरी दे चुके हैं, अब कोई किश्त बकाया नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, इसी प्रश्न के दूसरे हिस्से में यह है कि क्या राज्य सरकार किसी नये वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है। मैं जानना चाहूंगा कि क्योंकि जब माननीय राजस्व मंत्री जी उत्तर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यह मामला वेतन आयोग को सन्दर्भित किया जायगा, तो क्या सरकार कोई नया वेतन आयोग बनाने जा रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त––

अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

बस्ती जिले के बाढ़ग्रस्त ग्रामों में गेहूं का वितरण

*13--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विभिन्न तहसीलों में बाढ़ से घिरे गांवों के प्रत्येक पात्र परिवार को 20 किलो गेहूं दिया जा रहा है, जबकि डुमरियागंज तहसील के बाढ़ से घिरे गांव के प्रत्यक पात्र परिवारों को केवल 10 किलो गेहूं दिया जा रहा है? यदि हां, तो इस मापदण्ड का क्या आधार है? क्या सरकार डुमरियागंज तहसील के निवासियों को हरैया व नौगढ़ तहसीलों के लोगों को बराबर राहत सामग्री दिलवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

वर्ष 1983 की बाढ़ की अवधि में जनपद बस्ती की बाढ़ग्रस्त तहसीलों में सहायता के पात्र परिवारों को 20 किलो प्रति परिवार की दर से गेहूं का वितरण किया गया। डुमरियागंज तहसील में भी दिनांक 25-9-83 तक 20 किलो गेहूं प्रति परिवार के दर से वितरित किया गया परन्तु जिलाधिकारी की आख्या के अनुसार उक्त तहसील में बाढ़ की अल्प अवधि के कारण माननीय प्रश्नकर्त्ता विधायक तथा माननीय विधायक मलिक मोहम्मद कासिम यूसुफ के परामर्श से दिनांक 26-9-83 से 10 किलो गेहूं प्रति परिवार की दर से वितरित किया गया।

जिले के सभी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता के पात्र परिवारों को आवश्यकतानुसार निःशुल्क गेहूं का वितरण किया जा चुका है और अब आपदा समाप्त हो जाने पर अतिरिक्त वितरण का औचित्य नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिला अधिकारी की आख्या को मंगा कर पढ़ दिया। मैं इस सन्दर्भ में बताना चाहता हूं कि शासन के जो निर्देश हैं, उनके अनुसार डुमरियागंज तहसील में गेहूं नहीं बांटा गया। जिस क्षेत्र में शासक दल के विधायक हैं वहां पर 20 किलो गेहूं बांटा गया है और जहां पर विपक्षी दल के विधायक हैं वहां पर 10 किलो गेहूं बांटा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 25-9-83 के पहले कितना गेहूं डुमरियागंज तहसील में बांटा गया है? 20 किलो गेहूं कितने परिवारों को दिया गया है और कितने परिवारों को 10 किलो गेहूं दिया गया है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए सूचना की आवश्यकता है। अगर आप नोटिस देंगे, तो यह भी सूचना एकत्र कर ली जायेगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कहीं पर अधिक और कहीं पर कम गेहूं क्यों बांटा गया है? विधायकों से परामर्श करके राहत नियम बनाये गये हैं। जब उनमें संशोधन कर दिया जायें तभी कोई परिवर्तन करना चाहिये। 513 गांव सेन्ड हो गये। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन से सहायता कम मिली है, जितनी सहायता मिली है उसी को पूरे जिले को दे दिया जाये। जिलाधिकारी ने हमारी तहसील में तो आधा कर दिया लेकिन जो सत्ता दल के विधायक थे, उनके क्षेत्रों में कोई कमी नहीं की गयी। केवल 300 पात्र व्यक्तियों को सहायता दी गयी। और 211 या 212 गांवों को कोई राहत सामग्री नहीं दी गई है। मैंने डी0 एम0 से इसके बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिये जो गांव अभी भी राहत सामग्री पाने से वंचित रह गये हैं, उन्हें आप शीघ्र यह दिलाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह तो माननीय सदस्य के सुझाव पर ही सब कुछ हुआ है। यह तो बताना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ है, वह सही नहीं है और मैं कहो यह रहा हूं। मान्यवर, सही यह है जो मैं यहां पर सदन में बता रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जहां-जहां बाढ़ की स्थिति घटती

गयी, उसी तरह से वहां पर लोगों को गल्ला दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि बाढ़ न हो तब भी वह उन्हें मिलता रहे। जहां बाढ़ में कमी हुई उसी तरह से गल्ले में भी कमी की गई।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, ऐसा नहीं है। हम मंत्री जी के इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो लिखकर दे दें नियम 49 के अन्तर्गत।

श्री शिव नारायण कटियार, सहायक चीनी आयुक्त, चीनी मिल काशीपुर के विरुद्ध चोरी का आरोप

*14--श्री मोहन सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16-2-82 को मेसर्स राम स्वरूप सिंह ऐन्ड सन्स, ग्राम हासूपुरा, तहसील ठाकुरद्वारा की इकाई के गन्ना खरीद के दोहरे अभिलेख पकड़कर उसी दिन श्री शिव नारायण कटियार, सहायक चीनी आयुक्त, हल्द्वानी द्वारा चीनी मिल गेस्ट हाउस, काशीपुर में इकार्यादार को अभिलेख लौटाकर की गयी राजकीय राजस्व की खुली चोरी की जांच में दोषी पाए जाने पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय --

श्री शिव नारायण कटियार सहायक चीनी आयुक्त, के विरुद्ध प्रश्नगत शिकायत पर प्राप्त प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही करने तथा कुछ बिन्दुओं पर सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराने का निर्णय लिया गया है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रश्नगत मामले की शिकायत कब इनको प्राप्त हुई और उसके तहत आपने जांच कब प्रारम्भ की ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, अगस्त 22 को यह शिकायत प्राप्त हुई और जो जांच करायी गयी थी, उसकी रिपोर्ट 25-11-82 को प्राप्त हुई।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में बिलम्ब करने के क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय --

मान्यवर, जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया गया उसमें चार्जशीट बनानी पड़ती है, उसके आदेश हुए हैं, वह बनायी जा रही है। मान्यवर, उसमें कुछ बिन्दु ऐसे भी थे, जिसमें सतर्कता विभाग की राय लेना आवश्यक था। सतर्कता विभाग को भी कहा गया कि इस बिन्दु पर विचार कर लें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सम्बन्धित अधिकारी को शासन निलंबित करने पर भी विचार कर रहा है।

*श्री नन्द किशोर सिंह--

(3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, बदायूं के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*16--श्री मोहम्मद अबरार अहमद (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, बदायूं के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर जांच दल एवं क्षेत्रीय गन्ना आयुक्त ने जांच की है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--
जी हां।
जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष--
जो माननीय सदस्य यहां पर मौजूद हैं और किसी वजह से उनकी अपने प्रश्न पर दिलचस्पी नहीं है, तो उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे मेरे चेम्बर में आकर या मेरे सचिव को यह लिख कर दे दें कि वे उस प्रश्न को वापस लेना चाहते हैं। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाय।

*17--श्री गौरी शंकर भैय्या तथा श्री मुख्तार अनीस--
(दिनांक 18-3-83 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित।)

ग्राम मोहम्मद कुलीपुर उर्फ नगला, जिला मुरादाबाद के ग्राम समाज की भूमि का कथित आवंटन

*18--श्री रियासत हुसैन--
क्या राजस्व मंत्री को यह विदित है कि प्लाट नं0 307 ग्राम मोहम्मद कुलीपुर उर्फ नगला, तहसील व जिला मुरादाबाद को श्री करन सिंह प्रधान ने दिनांक 20-2-76 को 500-500 रुपए लेकर श्री सोमपाल सिंह तथा श्री लाखन सिंह को आबादी के लिए दिया था? यदि हां, तो वह रुपया ग्राम समाज के फण्ड में जमा किया गया है? यदि वह रुपया जमा नहीं किया गया है, तो प्रधान के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य--
जी नहीं।
शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन--
श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया कि 'जी नहीं'। क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे जो कि अभी तक उनके जांच अधिकारी ने नहीं की है कि दिनांक 20-2-76 को वहां के प्रधान करण सिंह ने सोमपाल सिंह से 500 रुपया लेकर एक रसीद जारी की जिसका इन्द्राज उसने रजिस्टर में नहीं किया और वह 500 रुपया प्रधान खा गया? इसकी जांच कराकर, जो वसूली की गयी, उसको ग्राम समाज के खाते में अब तक क्यों नहीं जमा किया गया? क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य--
मान्यवर, ग्राम प्रधान ने एक एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि रसीद उन्होंने नहीं दी। लेकिन माननीय सदस्य को अगर शिकायत है, तो उसकी जांच करा ली जायेगी।

*19--श्री सरदार सिंह--
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*20--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

सीतापुर जिले के हरगांव मुद्रासन-महादेव अटरा मार्ग के टूटे हुए पुल के फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु

1--श्री हरगोविन्द वर्मा--
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सीतापुर ब्लाक हरगाँव मुद्रासन से महादेव कटरा जाने वाली सड़क पर (जो कच्ची है) सन् 1980 की बारिश में बना हुआ पुल टूट गया? यदि हाँ, तो क्या उस पुल के बनाने की योजना सरकार ने बनाई? यदि हां, तो पुल कब तक बनेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

जी हाँ, प्रश्न में उल्लिखित पुल वर्ष 1980 में टूट गया था ? यह पुल गन्ना विकास परिषद हरगाँव द्वारा बनवाया गया था। अब इसके पुनः निर्माण में रुपया 2,50,000 का व्यय निहित है। धनाभाव के कारण गन्ना विकास परिषद् हरगाँव के समक्ष इस पुल के पुनः निर्माण हेतु कोई योजना नहीं है।

2—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि पुल टूटने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई (कितने व्यक्ति और कितने जानवर मरे) और उनके परिवार और संरक्षक को क्या मुआवजा भी दिया गया है ? यदि हाँ, तो कितना-कितना ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

वर्षा में पुल से निकलते समय एक व्यक्ति की डूबकर मृत्यु हो गयी जिसे कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

3—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

ग्राम कठियाँव, जिला वाराणसी में मुसहर बस्ती के लिए भूमि का आवंटन

4—श्री ऊदल—

प्रथम सत्र 83 के 3रे शुक्र के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 6 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव कठियाँव पर पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी की आराजी नं0 4202 में बीस नहीं 36 घर मुसहर आबाद है, जो पुरानी आबादी 98 डि0 है और आबादी प्रसार हेतु गाटा सं0 4202 में 1.74 एकड़ भूमि आरक्षित की गयी बताया गया है तो क्या यह सत्य है कि उक्त 1.74 एकड़ को चकबन्दी क्रिया में मुसहरों के लिए आबादी आरक्षित नहीं लिखा गया है, क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी और जमीन मुसहर आबादी के लिए नाम दर्ज कर आरक्षित करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम कठियाँव, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी की आराजी नं0 4202 में 20 मुसहर आबाद है, परन्तु मुसहरों के वालिग पुत्रों की संख्या के आधार पर कुल 37 घर होते हैं। गाटा संख्या 4202 में 1.74 एकड़ भूमि चकवन्दी क्रिया में हरिजन मुसहर आबादी के लिये आरक्षित लिखा गया है।

5–6—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मन्त्रि परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

सगड़ी तहसील आजमगढ़ के कतिपय ग्रामों का सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्य

7—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 56 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत 39 ग्रामों के रिकार्ड आपरेशन का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? जिला अधिकारी, आजमगढ़ को पुनरीक्षित प्रस्ताव पुनः भेजने का प्रस्ताव कब भेजा गया है ? सरकार द्वारा रिकार्ड आपरेशन शीघ्र पूरा किए जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद आजमगढ़, तहसील सगड़ी के प्रश्नगत 39 ग्रामों में से 11 ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं हेतु प्रख्यापित हैं। सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया कराने के संबंध में प्रस्ताव भेजने के लिये जिलाधिकारी तथा राजस्व परिषद् को निर्देश दिये गये है। राजस्व परिषद् ने जिलाधिकारी को दिनांक 14 फरवरी, 1983 द्वारा प्रस्ताव भेजने हेतु पत्र तथा अनुस्मारक भी भेजे हैं।

8—श्री यदुनाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

राजस्व विभाग, देवरिया में छटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति

9—श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आद्या शंकर उप सचिव, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ ने अपने पत्र सं0 5671/1/9/75, तद्दिनांक 20 अक्तूबर, 75 के अनुसार सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ को आदेश दिया था कि जनपदों में रिक्तियों की भर्ती छटनी शुदा कर्मचारियों में से की जायेगी ? यदि हाँ, तो क्या इसका पालन जनपद देवरिया में किया गया ? यदि नहीं, तो छटनी शुदा कर्मचारियों को तत्काल भर्ती करने का आदेश दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री आद्या शंकर, उप सचिव, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 20 अक्तूबर, 1975 में वित्तीय वर्ष 1975-76 की वित्तीय स्थिति को देखते हुए रिक्त पदों पर छटनी किये गये स्टाफ से भर्ती के आदेश जारी किये गये थे। उपरोक्त वर्ष 1975-76 में जनपद देवरिया के रिक्त पदों पर भर्ती उपरोक्त शासनादेश के अनुसार की गयी।

गोरखपुर जिले के ग्राम बिशुनपुर मटियरा में ग्राम समाज की भूमि का अनियमित आवंटन

10—श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ग्राम बिशुनपुरा मटियरा के भू0 पू0 प्रधान द्वारा अपने पुत्रों, पौत्रों, भाइयों में सार्वजनिक आबादी की भूमि के बाँटने से संबंधित प्रश्न कर्त्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांक 21-1-83 प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति स्वीकृति आपने अपने पत्रांक जाँच 373/रा0 म0/83 विधान भवन, लखनऊ दिनांक 2-2-83 द्वारा किया है ? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ। शिकायती पत्र दिनांक 21-1-83 प्राप्त हुआ था।

प्रार्थना पत्र की जाँच नायब तहसीलदार द्वारा करायी गयी। जाँचोपरान्त उक्त ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों तथा अनियमित रूप से दिये गये पट्टे के निरस्तीकरण हेतु वाद न्यायालय में दायर कर दिये गये हैं।

श्री नरेन्द्र नाथ सिंह, भूतपूर्व सरकारी वकील, जिला आजमगढ़ के फीस के बिलों का भुगतान

11—श्री राज कुमार राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 150 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि 106 मामले के अलावा अन्य मामलों के पारिश्रमिक का भुगतान क्यों नहीं किया गया ? अब उसे कब तक करा दिया जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री नरेन्द्र नाथ सिंह भूतपूर्व जिला सरकारी वकील (माल) आजमगढ़ के फीस के बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में 106 विवादित मामलों को छोड़कर शेष मामलों में फीस के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है तथा शीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

12—श्री भीखा लाल—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

दि किसान सहकारी मिल, महमूदाबाद अवध, सीतापुर के उद्घाटन पर व्यय की गयी धनराशि

13—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 9 अप्रैल, 1983 को राजीव गाँधी सांसद, मुख्य मंत्री तथा गन्ना विकास मन्त्री के साथ सार्वजनिक निर्माण मन्त्री श्री अम्मार रिजवी के क्षेत्र मुरादाबाद में "दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद अवध सीतापुर का उद्घाटन करने

गये ? यदि हाँ, तो उस दिन कितना गन्ना खरीदा गया और मशीन कितने समय तक चली तथा उद्घाटन से सम्बन्धित चीनी मिल का कुल कितना खर्चा आया ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

जी हाँ ।

दिनाँक 9 अप्रैल, 1983 को 71.81 क्विन्टल गन्ने की व्यवस्था की गयी थी, किन्तु कतिपय तकनीकी कमियों के कारण मिल उस तारीख में नहीं चल सकी । केवल मशीनों को चलाकर (ट्रायल टेस्ट) परीक्षण किया गया । मिल के उद्घाटन से संबंधित चीनी मिल का कुल रुपया 19,524.00 मात्र व्यय हुआ ।

जिला गन्ना अधिकारी, पीलीभीत के कार्यालय में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारियों का कोटा

14--श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला गन्ना अधिकारी, पीलीभीत (श्री बाई0 डी0 शर्मा) के कार्यालय में कुल कितने लिपिक हैं व जिले में किन-किन गन्ना विकास परिषदों में कितने-कितने हरिजन जाति, पिछड़ी जाति के लिपिकों का कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गन्ना समितियों के कार्यालयों में शासनादेशों के मुताबिक रिजर्व कोटा पूरा करके सीजन लिपिकों की भर्ती की गयी है ? यदि नहीं, तो कोटा पूरा न करने का क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

जिला गन्ना अधिकारी, पीलीभीत के कार्यालय में कुल 8 लिपिक हैं, जिनमें एक अनुसूचित जाति का है ।

प्रश्नगत जिले की गन्ना परिषदों में कार्यरत लिपिकों का विवरण इस प्रकार है:--

नाम-परिषद	कुल पद	सामान्य जाति	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति
1	2	3	4	5
पीलीभीत	2	—	—	2
मझोला	2	—	—	1
बीसलपुर	1	—	—	1

उक्त से स्पष्ट है कि पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों का कोटा तो पूरा है किन्तु अनुसूचित जाति का पूरा नहीं है ।

जहां तक इस जनपद की चार गन्ना समितियों में सीजनल लिपिकों में आरक्षण कोटा पूरा कराने का प्रश्न है, वर्तमान समय में 9 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 60 प्रतिशत पिछड़ी जाति एवं 31 प्रतिशत सामान्य सीजनल लिपिक कार्यरत हैं । वर्तमान जिला गन्ना अधिकारी पीलीभीत के कार्यालय में हुई समस्त 10 सीधी भर्ती की रिक्तियों की पूर्ति केवल अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से ही की गयी है ।

सहकारी शुगर मिल, सुल्तानपुर में कथित गबन

15--श्री ऊदल--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि सहकारी शुगर मिल, सुल्तानपुर में सन् 82 तक 11 लाख रुपया का गबन उक्त मिल के मैनेजर (श्री परमानन्द श्रीवास्तव) ने किया था? जिसकी जांच शुगर कारपोरेशन के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने की थी और अपनी रिपोर्ट भी सरकार को भेजी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने उक्त मैनेजर के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

*श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

जी नहीं। इस प्रकार की कोई सूचना उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ तथा उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम, लखनऊ में उपलब्ध नहीं है। अस्तु इस संबंध में कोई जांच न तो सहकारी चीनी मिल संघ के स्तर से की गई है तथा न ही कोई जांच राज्य चीनी निगम द्वारा की गयी प्रतीत होती हैं। अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता हैं।

16—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मंत्रि परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

सी०डी०आई० श्री मोहर सिंह, जिला मुरादाबाद द्वाराफर्जी हस्ताक्षर बनाने की कथित शिकायत

17—श्री अकबर हुसैन—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को विदित है कि प्रश्नकर्त्ता ने माह अप्रैल, 83 में एक शिकायती पत्र इस सम्बन्ध में भेजा था कि मेरे फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सी0 आई0 डी0 (मोहर सिंह) बिलारन, जनपद मुरादाबाद ने उसके विरुद्ध किसी जांच के सम्बन्ध में केन कमिश्नर को पत्र भेजा था? यदि हां, तो प्रश्नकर्त्ता की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्त्ता का पत्र अप्रैल, 83 को प्राप्त नहीं हुआ है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद कमिश्नरी में कार्यालयों की स्थापना

18—श्री मोहम्मद आजम खां—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मुरादाबाद को कमिश्नरी बनाने के बाद कितने और कार्यालय खोले जा चुके हैं और जो कार्यालय अभी तक नहीं खोले गये हैं उसका क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

आयुक्त, मुरादाबाद मंडल से प्राप्त सूचना के अनुसार मुरादाबाद में 16 कार्यालय खोले जा चुके हैं तथा 7 कार्यालय अभी नहीं खोले गये हैं।

इन सात कार्यालयों की स्थिति संलग्न है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 443 पर)

बस्ती जिले की तहसील डुमरियागंज के तहसीलदार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

19—श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद की डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत तहसीलदार के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तथा गृह अनुदान एवं अन्य मामले की जांच राजस्व परिषद के अधिकारी श्री शुकदेव प्रसाद कर रहे हैं? यदि हां, तो डुमरियागंज में वह किस तारीख को जांच करने गये और जांच के दौरान कौन से तथ्य प्रकाश में आये और क्या उन्होंने जितने मामले उनको सौंपे गये थे, उनकी जांच पूरी कर ली है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। जनपद बस्ती की तहसील डुमरियागंज में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये गृह अनुदान वितरण में अनियमितताओं के सम्बन्ध में माननीय विधायकगण सर्वश्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ व माता प्रसाद पाण्डेय के शिकायती पत्र दिनांक 8—4—1983 की जांच राजस्व परिषद के तत्कालीन संयुक्त सचिव, श्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी को सौंपी गयी थी।

श्री त्रिपाठी प्रश्नगत जांच हेतु दिनांक 24 से 26 नवम्बर, 1983 की अवधि में तहसील डुमरियागंज गये थे किन्तु उपरोक्त शिकायतकर्त्ताओं से सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका। इसी बीच श्री त्रिपाठी का राजस्व परिषद से स्थानान्तरण हो गया। श्री त्रिपाठी ने जांच पूर्ण न होने के कारण जांच आख्या प्रस्तुत नहीं की है।

अब यह जांच राजस्व परिषद के एक अन्य अधिकारी को सौंपी गयी है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम देवडीह एवं गोपाल पट्टी की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

20--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 13 व 15 जून, 1983 जिसमें ग्राम सभा देवडीह, परगना अतरौलिया, जिला आजमगढ़ के निवासियों का ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा तथा ग्राम गोपाली पट्टी, तहसील फूलपुर जिला आजमगढ़ में डा0 राम सिंह एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर श्री शमशेर तथा अन्य द्वारा अनधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

ग्राम देवडीह, परगना अतरौलिया तहसील फूलपुर की कुछ भूमि पर चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 के प्रकाशन के बाद रकबा बढ़ा दिया गया। इनमें धारा 33/39 ल0 रे0 ए0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। ग्राम गोपाल पट्टी की भूमि पर अनधिकृत काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध उ0 प्र0 जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम धारा 122-बी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराने की कार्यवाही की गयी है।

फैजाबाद जिले के ग्राम घटौली में ग्राम समाज की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

21--श्री राम जी राम--

विधान सभा में प्रथम सत्र 1982 के 1ले शुक्र के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 18 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि नं0 2 रकबा 1 बीघा, 14 बिस्वा, 10 धुर पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले काश्तकार के विरुद्ध जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 (बी) के अन्तर्गत कौन-कौन सी प्रभावी कार्यवाही की गयी और उक्त भूमि को उसी गांव के निर्धन भूमिहीन हरिजनों को आवंटित करके कब्जा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ग्राम घटौली, परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद की भूमि नम्बर 2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा 14 धुर पर अवैध काबिज श्री राम सजीवन पुत्र सत्य नरायन निवासी घटौली को धारा 122-बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 13-4-82 को मुबलिग 401 रुपये क्षति पूर्ति तथा 3 रु0 निष्पादन व्यय के साथ वाद संख्या 47, गांव सभा बनाम राम सजीवन में तहसीलदार सहायक कलेक्टर, बीकापुर द्वारा बेदखल किया गया। इस बेदखली आदेश के विरुद्ध अतिक्रमण कर्त्ता ने अपर जिला अधिकारी, फैजाबाद के न्यायालय में धारा 333 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी के वाद संख्या 1 राम सजीवन बनाम ग्राम सभा दिनांक 11-5-82 को दायर करके अवर न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन रोकवा दिया। प्रवर न्यायालय द्वारा दिनांक 5-3-83 को उक्त निगरानी खारिज कर दी गयी तथा अवैध कब्जेदार को बेदखल कर दिया गया। इस भूमि में आम व शीशम के पेड़ लगे है, जिसके कारण इस भूमि को कृषि हेतु आवंटित नहीं किया जा सकता।

बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण को धनराशि आवंटित किए जाने की मांग

22--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्दलखंड विकास प्राधिकरण को अधिक धन दिलाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई मांग पत्र दिनांक 23 अक्तूबर, 83 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है। यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

जी हां ।

मांग पत्र अभी शासन के विचाराधीन है। इस पर शीघ्र निर्णय लिया जायगा।

23—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

[1ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सराय तरीन, जिला मुरादाबाद में जमींदारों द्वारा भूमि के किराए की कथित वसूली

24—श्री रमाकान्त मिश्र—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले शुक्रवार के लिए पूछे गये ता0 प्र0 सं0 13 के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरायतरीन, जिला मुरादाबाद में शासन गैर कृषि क्षेत्र में जमींदारी प्रथा बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि उक्त क्षेत्र में जमींदारी द्वारा शोषण किया जा रहा है एवं मनमाने ढंग से किराए वसूल किए जा रहे हैं तथा किराएदारों को बेदखल किया जा रहा है? सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के पहले शुक्रवार के लिये पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर में यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1856 के अधीन यथा परिभाषित कृषि क्षेत्रों में ही मध्यवर्तियों के अधिकार अर्जित किय जाने का प्रावधान होने के कारण शहरी क्षेत्रों ग गैर कृषि भूमि की जमींदारी समाप्त किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है। जहां तक सरायतरीन, तहसील सम्भल जिला मुरादाबाद में जमींदारों द्वारा कथित शोषण तथा मनमाने ढंग से किराया वसूल किये जाने का प्रश्न है, नगर विकास विभाग द्वारा करायी गयी जांच के अनुसार सरायतरीन में ऐसा कोई मकान नहीं है जिसकी भूमि का मालिक मकान मालिक न हो और उस मकान के नीचे की भूमि का सालाना किराया जमींदार लेते हों।

बन्दोबस्त अधिकारी, हाटा, जिला देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

25—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के बन्दोबस्त अधिकारी, हाटा के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता तथा अध्यक्ष चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघ, देवरिया का कोई शिकायती पत्र अगस्त, 83 में उन्हें मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं। देवरिया जिले के बन्दोवस्त अधिकारी हाटा के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 16-9-83 तथा उसके साथ अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ देवरिया का पत्र दिनांक 10-9-83 प्राप्त हुआ। उस संचालक चकबन्दी, देवरिया, द्वारा जांच की जा रही है।

देवरिया जिले के हेतिमपुर में चीनी मिल की स्थापना की मांग

26—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत हेतिमपुर में सहकारी चीनी मिल बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

जिला देवरिया के हेतिमपुर में चीनी मिल की स्थापना के संबंध में सर्वेक्षण कराया गया परन्तु इस संबंध में भार सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग दर्शक के अन्तर्गत चीनी मिल स्थापना का औचित्य नहीं पाया गया।

गन्ना समिति के कर्मचारियों पर वेतन आयोग की सिफारिश लागू किए जाने की मांग

27—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन आयोग की सिफारिश 1-8-79 से जो लागू है उसका पालन गन्ना समितियों में आज तक नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह---

वेतन आयोग की सिफारिश गन्ना समितियों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाते हुए वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप गन्ना समितियों के कर्मचारियों के वेतनमान दिनांक 1-1-84 से पुनरीक्षित करने का निर्णय ले लिया गया है।

गाजीपुर जिले मे सूखे का प्रभाव एवं राहत कार्य

28---श्री राम नारायण सिंह---(एडवोकेट)

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद आज से 3 विगत मासों में भीषण सूखा से बुरी तरह प्रभावित हो गया है ? क्या जिला प्रशासन ने सरकार को इस सम्बन्ध में राहत देने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या राहत प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

जी हां।

जनपद में सूखे की विभीषिका को देखते हुए तथा ग्रामीण अंचलों में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 22 योजनाएं कार्यान्वित हैं, जिनमें सड़कों का कार्य मुख्य है। इस योजना पर दिनांक 31-12-83 तक 57860 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है।

जनपद के निराश्रितों को 10 किलोग्राम प्रति निराश्रित प्रति माह निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गयी।

जनपद के जिन क्षेत्रों में सूखे से फसल को 50 पैसे से अधिक की क्षति है, वहां 3 मास के लिए सभी कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी तथा जिन क्षेत्रों में फसल को 50 पैसे से कम क्षति हुई, वहां वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। ग्रामीण अंचलों में पेयजल की व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प भी लगाये जा रहे हैं। शासन द्वारा जनपद गाजीपुर को आपदा राहत कार्य हेतु विभिन्न मदों में कुल 26.70 लाख रु0 आवंटित किया गया है तथा आपदा तकावी मद के अन्तर्गत भी 50,000 रुपये का वितरण हो चुका है।

प्रदेश में भूमि की विभिन्न माप प्रणाली को एक किए जाने की मांग

29---श्री राम नारायण सिंह---(एडवेकेट)

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कितने नाप एवं लेखन के विभिन्न पैमाने प्रदेश में भू-अभिलेखों एवं पैमाइश में प्रयोग में लाए जाते हैं तथा क्या सरकार एक नाप एवं लेखन की सुदृढ़ व्यवस्था लागू करने हेतु मैट्रिक प्रणाली की व्यवस्था लागू करने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

वर्तमान समय में प्रदेश में भू-अभिलेखों की पैमाइश निम्नलिखित पैमानों में जनपदों में प्रचलित माप प्रणाली में लिखी जाती है---

(1) एकड़---क्षेत्रफल 4840·00 वर्गगज
(2) बीघा---क्षेत्रफल 1936·00 वर्गगज
(3) बीघा---क्षेत्रफल 2450.00 वर्गगज
(4) बीघा---क्षेत्रफल 2093.0625 वर्गगज
(5) बीघा---क्षेत्रफल 2730.0625 वर्गगज
(6) बीघा---क्षेत्रफल 2756.25 वर्गगज
(7) बीघा---क्षेत्रफल 3025.00 वर्गगज
(8) नाली (16 बुट्ठो पहाड़ी क्षेत्र) 240.00 वर्गगज

शासन द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों की माप मीट्रिक प्रणाली में अंकित कराये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। किन्तु मान चित्र में इसे अंकित किये जाने संबंधी कुछ कठिनाईयों के कारण अभी तक भूमि की माप अभिलेखों में पुराने पैमानों में ही लिखी जा रही है।

गाजीपुर जिले में सूखे का प्रभाव एवं गल्ले का आवंटन

30—श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण गाजीपुर जनपद माह जून, 1983 से अब तक की भीषण सूखा एवं भुखमरी से बुरी तरह से प्रभावित है? यदि हां, तो सरकार द्वारा सस्ते गल्ले का आवंटन अब तक कितनी मात्रा में हुआ? क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि उक्त अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी गल्ले का वितरण नहीं किया है? यदि हां, तो वितरण न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जिलाधिकारी गाजीपुर से प्राप्त सूचनानुसार जून 1983 से माह अगस्त, 1983 तक की अवधि में जनपद गाजीपुर में सूखे की विभीषिका थी, परन्तु भुखमरी की स्थिति नहीं थी। जून 1983 से अगस्त 1983 तक जनपद गाजीपुर को निम्नलिखित सस्ते गल्ले का आवंटन शासन द्वारा किया गया है—

माह का नाम	आवंटित मात्रा मी0 टन में	
	गेहूं	चावल
जून, 83	700	400
जुलाई, 83	450	300
अगस्त, 83	400	300
सितम्बर, 83	1500	500
अक्टूबर, 83	1100	500
नवम्बर, 83	1100	500
दिसम्बर, 83	1100	500
योग ..	6,350	3,000

जिलाधिकारी गाजीपुर की सूचनानुसार सूखे की अवधि (जून, 1983 से अगस्त, 1983) तक देहाती क्षेत्रों में गेहूं तथा चावल का वितरण सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से किया गया।

दि किसान सहकारी मिल, शाहजहांपुर के तौल लिपिक के विरुद्ध शिकायत

31—श्रीमती प्रेमवती बदायूं—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दि गन्ना किसान सहकारी चीनी मिल, तिलहर के कितने तौल लिपिक व सेंटरइंचार्ज कम गन्ना तोलते 82–83 पेराई में पकड़े गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर (शाहजहांपुर) के मिल क्षेत्र में, पेराई सत्र, 1982–83 में, कम गन्ना तौलने के लिये, एक तौल लिपिक पकड़ा गया था। उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

देवरिया जिले के ग्राम धनौती तप्पा हवेली में सीलिंग की भूमि

32––श्री रुद्र प्रताप सिंह––

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि तहसील सलेमपुर, जनपद देवरिया के ग्राम धनौती की भूमि सीलिंग पर श्री कामेश्वर उपाध्याय एवं उनके परिवार का कब्जा कब से है ? और उसका लगान उन लोगों से मात्र 80.27 पैसा ही वार्षिक किस नियम के अन्तर्गत वसूल किया जाता है जबकि नियमानुसार निर्धारित लगान की धनराशि 66 गुना बनती है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

तहसील सलेमपुर, जनपद देवरिया के ग्राम धनौती तप्पा हवेली में कोई सीलिंग भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हुई है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

विधान सभा क्षेत्र उतरौला में बाढ़ से हुई क्षति

33––श्री मसरूर जाफरी––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980–81 में सैलाब से विधान सभा क्षेत्र उतरौला में कितनी क्षति पहुंची और कितना उस क्षेत्र में किसानों को छूट दी गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

वर्ष 1980–81 में विधान सभा क्षेत्र उतरौला में बाढ़ से 297 ग्रामों में 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हानि पहुंची, जिसके कारण कृषकों को लगान मे रु0 1,07,040.30 की छूट प्रदान की गई।

फैजाबाद में चकबन्दी विभाग के चपरासियों का स्थानान्तरण

34––श्री राजपाल सिंह––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद चकबन्दी विभाग में वर्ष 1981 (दिनांक 25–6–81) के आदेशों द्वारा जिन 19 चपरासियों का स्थानान्तरण किया गया उनमें अभी तक कितने व्यक्तियों को कार्यमुक्त नहीं किया गया ? उन्हें रोकने का क्या आधार था तथा अब उन्हें कार्यमुक्त करने में क्या आपत्ति है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

स्थानान्तरित सभी 19 चपरासियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

इलाहाबाद जिले के ग्राम ठटा के श्री रामखेलावन को भूमि का कथित पट्टा

35––श्री राधेश्याम पटेल––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ठटा, परगना केवाई, तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद में गाटा संख्या 541 रामखेलावन पुत्र रंगई सादेह को आबादी हेतु ग्राम समाज से पट्टा में मिला है ? यदि हां, तो क्या आवंटी के नाम कब्जा व दखल करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

36––श्री सन्त बख्श रावत––

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

पिथौरागढ़ जिले के ग्राम देवल, ग्वालगंज एवं हाट में भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

37––श्री जसवन्त सिंह बिष्ट––

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के देवल, ग्वालगांव और हाट ग्रामों की जो उपजाऊ भूमि पुलिस तथा फौज की बैरकों के लिये अर्जित की गयी है, उन गांवों के लोगों को बसाने के लिये कहां पर क्रमशः कितनी भूमि दी गयी तथा उनको किस दर से क्रमशः कितना-कितना मुआविजा किस-किस तिथि को दिया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जिला पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के ग्राम देवल, ग्वालगांव और हाट ग्रामों की कुल 136.047 एकड़ भूमि सुरक्षा विभाग के लिये अध्याप्त की गई थी। इन गांवों के कुल 250 लोग प्रभावित हुये थे। इनमें से 125 व्यक्तियों के पास उन्हीं ग्रामों में अथवा समीपस्थ अन्य गांवों में भूमि उपलब्ध है। शेष 125 व्यक्तियों को बसाने के लिये उन्हें सर्वप्रथम नैनीताल जिले के सितारगंज तहसील में सम्पूर्णानन्द जेल की भूमि और दोबारा पिथौरागढ़ के ही तहसील चम्पावत में मुड़ियानी वन पंचायत की वन विच्छेद कराकर उपलब्ध कराई गई भूमि पर बसने को कहा गया था परन्तु वे वहां बसने को तैयार नहीं हैं। अभी तक इन 125 व्यक्तियों को कहीं भी पुनर्वासित नहीं किया गया है।

अध्याप्त की गयी भूमि में तलाऊ, अव्वल, दोयम तथा इजरान किस्म की भूमि शामिल हैं जिनके मुआबिजे की दरें क्रमश 600 रु0 300 रु0, 200 रु0 तथा 100 रु0 हैं। मुआविजे की कुल धनराशि 8,98,550 रु0 है। जिसका भुगतान वर्ष 1975 तथा 1976 में किया जा चुका है।

38–42—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

(मंत्रि परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।)

पर्वतीय क्षेत्र के राज्य कर्मचारियों के भवन निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन

43—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजाज्ञा संख्या वि0 3–4601/ दस–81–1 (2)/भवन–प0 क्षे0 दिनांक 13–11–1982 के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम देने की व्यवस्था की गयी थी? यदि हां, तो वर्ष 1981–82, 1982–83 में शासन द्वारा इस हेतु प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गयी? क्या वर्ष 1983–84 के लिए इस योजना हेतु कोई धनराशि आवंटित की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त—

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या वी–3–4601/दस–81–1 (2) 81–भवन–प0 क्षे0 दिनांक 13–11–81 के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के राज्य कर्मचारियों को उसी क्षेत्र में भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत हेतु अग्रिम की सुविधा प्रदान की गयी थी। इस हेतु वर्ष 1981–82 तथा 1982–83 में पांच-पांच लाख रुपये का आवंटन किया गया था।

वर्ष 1983–84 के लिए इस योजना हेतु दस लाख रुपये का आवंटन किया गया है।

44—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[2रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

हरिशंकर राय, सहायक चकबन्दी अधिकारी, देवरिया का निलम्बन

45—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री हरिशंकर राय, सहायक चकबन्दी अधिकारी हाटा, देवरिया सितम्बर, 1982 से निलम्बित हैं किन्तु उन्हें अब तक निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। श्री राय निलम्बन आदेश की तामील के दिनांक 8–9–1982 से बिना किसी प्रार्थना पत्र या सूचना के अनुपस्थित हैं। इसलिये उन्हें निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाना संभव नहीं है, जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी हैं।

46—श्री पंचानन राय—

(3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 117 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

गोंडा जिले के तुलसीपुर में तहसील की स्थापना की मांग

47—श्री अकबाल हुसैन—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए शासन के समक्ष तुलसीपुर में नई तहसील स्थापित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो नई तहसील कब तक खोली जायगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

अन्य प्रस्तावों के साथ इस प्रस्ताव पर भी यथास्थिति विचार अष्टम वित्त आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर किया जायगा ।

मैनपुरी जिले की ग्राम सभा बसंत की भूमि का अनियमित पट्टा

48—श्री रघुवीर सिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में तहसील नौगाँव में बसैत ग्राम सभा के भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध अप्रैल/मई, 1983 में जनता सरकार ने इस आशय के प्रार्थना-पत्र दिए थे कि भूतपूर्व प्रधान श्री सूबेदार मिश्र ने रिश्वत लेकर काश्तकारों को गलत पट्टे दिए हैं और जनता की शिकायत जाँच से सही पाई गयी तथा हाकिम परगना ने भी पट्टे खारिज कर दिए हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रधान के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ ।

भूतपूर्व प्रधान द्वारा दिए गये गलत पट्टे जाँचोपरान्त निरस्त कर दिए गये हैं। सम्बन्धित ग्राम प्रधान चुनाव हार गए हैं और सम्बन्धित लेखपाल को निलम्बित किया जा चुका है। अतएव इस मामले में भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

49—श्री राधेश्याम पटेल—

[दूसरे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चमोली जिले में अतिवृष्टि से क्षति एवं दी गयी सहायता

50—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में वर्ष 1983 की बरसात में अतिवृष्टि से जानमाल की भारी क्षति हुई है ? यदि हाँ, तो क्षति का ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु क्या राहत कार्य किए गये हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद चमोली में वर्ष 1983 की वरसात में अतिवृष्टि से 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 46 पशुओं की जानें गयीं और 263 आवासीय मकानों को क्षति पहुंची है। इसके अतिरिक्त जनपद में छुटपुट रूप से 47.4 हेक्टेयर कृषिगत भूमि मय फसल के क्षतिग्रस्त हुई ।

मृतक व्यक्तियों के परिवारों को तात्कालिक रु0 4,500 की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया। आवासीय मकानों को क्षति के लिए रु0 60,000 गृह निर्माण अनुदान स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त रु0 50,000 अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया । 164 असहाय निराश्रित व्यक्तियों को 32.80 कुन्टल खाद्यान्न वितरित किया गया ।

मैनपुरी जिले के ग्राम कुसियारी की चकबन्दी

51—श्री विष्णु दयाल वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम कुसियारी, तहसील जसराना, जिला मैनपुरी में चकवन्दी की प्रक्रिया सन् 1962 से प्रारम्भ हुई थी, जो नवम्बर, 1981 में पूरी हो चुकी है ? किन्तु अभी तक गजट न होने के क्या कारण हैं तथा यह गजट कब तक कर दिया जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम कुसियारी, तहसील जसराना, जिला मैनपुरी का चकबन्दी प्रक्रियायों के अन्तर्गत प्रख्यापन वर्ष 1962 में किया गया था। ग्राम कुसयारी चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रख्यापन कराने हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, मैनपुरी ने पत्र दिनाँक 9–2-1982 द्वारा निदेशालय भेजा। प्रस्ताव में कमियाँ होने के कारण जिलाधिकारी को कमियाँ दूर करने के बाद पुनरीक्षित प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गये हैं। पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी ।

लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायतों के अनुसूचित जाति के लेखा परीक्षा अधिकारी और लेखा परीक्षा अधिकारियों के पद पर पदोन्नति

52—श्री ऊदल—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखा-परीक्षा सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के 56 पद हैं, उनमें सिर्फ तीन ही अनुसूचित जाति के हैं? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हाँ ।

अन्य पदों पर प्रोन्नति हेतु अनुसूचित जाति के पात्र स्थायी ज्येष्ठ लेखा परीक्षक विभाग के पात्र स्थायी ज्येष्ठ लेखा परीक्षक विभाग में सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैं ।

53—श्री ऊदल—

क्या यह सही है कि उक्त विभाग में इस समय विभाग में 64 ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर तीन वर्ष से ऊपर के लोग कार्यरत हैं, ? यदि हाँ, तो इनमें से किसी को प्रोमोशन इसलिए नहीं दिया गया कि इनका कन्फरमेशन नहीं हुआ है ? इनका कन्फरमेशन न करने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि शासनादेश संख्या 15/5/1973–रा0ए की0 20 मार्च, 1974 के अनुसार सीनियर आडीटर की पदोन्नति जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर कर देनी चाहिए थी ? क्या इसकी जाँच की जायगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सम्प्रति कुल 215 ज्येष्ठ परीक्षक तदर्थ आधार पर तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ।

जी हाँ ।

ज्येष्ठ लेखा परीक्षा के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति कार्यरत ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों को नियमानुसार बिना नियमित चयन के स्थायी नहीं किया जा सकता हैं । ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पदों पर अब नियमित चयन की कार्यवाही की जा रही हैं ।

जी नहीं

शासनादेश संख्या 15/5/1973–रा0एकी0, दिनाँक 20 मार्च, 1974 में स्पष्ट निर्देश हैं कि पदोन्नति के लिए सर्वथा पात्र एवं अर्ह अभ्यर्थी को ही आरक्षण की सीमा तक चुना जा सकता हैं । चूंकि तदर्थ आधार पर कार्यरत ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ज्येष्ठ लेखा परीक्षा पद पर स्थायी नहीं थे अत : जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अपेक्षित अर्हता न रखने के कारण इन्हें पदोन्नति प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता हैं । उक्त स्थिति में किसी प्रकार की जाँच कराने का औचित्य नहीं हैं ।

वाराणसी जिले के ग्राम करवंदिया की चकबन्दी का भूचित्र

54—श्री ऊदल—

द्वितीय सत्र 83 दिनाँक 2 सितम्बर, 83 के अतारांकित प्रश्न संख्या 43–44 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि धारा 23 के मुताबिक जो चक किसानों को गाँव करवंदिया परगना केरामंगरौर, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में दिया गया है और अभिलेख की प्रति भी किसानों को दी गयी हैं उसके मुताबिक धारा 45 व धारा 52

का नक्शा नहीं है और वह बदल दिया गया है ? क्या यह सही है कि इसकी जाँच मौके पर ज्वाइंट डाइरेक्टर चकबन्दी (श्री सिंघल) ने की थी ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने मा0 माल मन्त्री को 2 सितम्बर, 83 को पत्र भी लिखा है ? क्या सरकार उक्त गाँव की चकबन्दी धारा 23 के अभिलेख के मुताबिक भूचित्र बनवायेगी और धारा 52 के भूचित्र को रद्द करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जिला वाराणसी की तहसील चकिया, परगना कैरामगंरौर के ग्राम करवंदिया का जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 के मुताबिक ही आकार-पत्र 45 बना है और उन्हीं अभिलेखों के आधार पर अन्तिम अभिलेख बने हैं और धारा 52 की कार्यवाही की गयी है। पृष्टिकृत भूचित्र वर्ष 1975 में गायब हुआ था जिसे आकार-पत्र 23 के आधार पर पुनः तैयार करा लिया गया तथा उसी के आधार पर आगामी चकबन्दी क्रियाएं पूर्ण की गयीं और ग्राम में धारा 52(1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनाँक 27-11-82 को हो चुकी है।

जी हाँ।

जी हाँ।

चूंकि ग्राम का पुष्टिकृत भूचित्र आकार पत्र 23 के आधार पर बना है तथा ग्राम में चकबन्दी अधिनियम की धारा 52(1) के अन्तर्गत वर्ष 1982 में विज्ञप्ति हो चुकी है जिसके कारण चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत बने भूचित्र को रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

55—श्री ऊदल—

[3रे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—149 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लेखा परीक्षा सहकारिता एवं पंचायतों के अनुसूचित जाति के लेखा परीक्षक.

56—श्री ऊदल—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखा परीक्षा सहकारिता एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश में 1-4-72, 1-4-73, 1-4-74, 1-1-75 में क्रमशः 26, 38, 65, 38, 36, 47 लेखा परीक्षकों को स्थायी किया गया है इसमें अनुसूचित जातियों के 18 प्रतिशत का आरक्षण न करने का क्या कारण है।

श्री ब्रह्मदत्त—

लेखा परीक्षा सहकारिता एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश संगठन में 1-4-72, 1-4-73, 1-4-74, 1-1-75 में क्रमशः 26, 38, 65, 38, 36, 47 लेखा परीक्षकों को स्थायी नहीं किया गया है। दिनाँक 1-4-72, 1-4-73, 1-1-74 एवं 1-1-75 से क्रमशः 103, 70, 137 तथा 216 लेखा परीक्षक स्थायी घोषित किए गये हैं। लेखा परीक्षकों की भर्ती लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की परिधि में है। उक्त वर्षों में लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों में जितने अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी स्थायीकरण हेतु उपलब्ध थे उन सभी को नियमानुसार स्थायी कर दिया गया था।

लेखा परीक्षा सहकारिता एवं पंचायतों के जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों का लोक सेवा आयोग द्वारा चयन

57—श्री ऊदल—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या 115/66/पी0/एन0-5 81-82 दिनांक अक्तूबर, 1981, के द्वारा नियमित चयन की पात्रता सूची तैयार करने हेतु लेखा परीक्षा सहकारिता एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के लिए भेजा है ? यदि हां, तो क्या इसका पालन करके लिस्ट बनाई जा रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

प्रश्न में उल्लिखित लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का पत्र संख्या 115/66/पी0/एन0-5/81-82 दिनांक 20 अक्तूबर, 1981 मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आयोग के उक्त पत्र के अनुसार उनके द्वारा कोई लिस्ट बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या 515/66/पी0एस0-5/81-82, दिनांक 30 अक्तूबर, 1981 के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के 51 स्थायी एवं 5 अस्थायी पदों पर प्रोन्नति द्वारा नियमित चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करने हेतु कतिपय निर्देश दिये थे जिसके अनुपालन में पात्रता सूचियां तैयार की गयीं। उक्त पात्रता सूचियों के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयन एवं नियुक्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

58-59--श्री सीताराम निषाद--

(मंत्रि परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।)

नायब तहसीलदार क्षेत्र भगवत एवं मुझली द्वारा मत्स्याखेट हेतु दिए गये तालाबों का पट्टा

60--श्री राम चरण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नायब तहसीलदार क्षेत्र भगवत, मुझली किरियात, तहसील चुनार जनपद मिर्जापुर ने वर्ष 1983 के लिए व आगे के वर्षों हेतु कुल कितने ग्रामों के जलाशयों की मछली मारने हेतु पट्टे पर देने की कार्यवाही की? क्या पट्टे पर देने के पूर्व संबंधित ग्राम सभाओं ने उसे पट्टे पर उठाने हेतु कोई प्रस्ताव किया था? यदि हां, तो वे कैसे आवंटित किए गये?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

नायब तहसीलदार तहसील, चुनार, क्षेत्र भगवत द्वारा चार तथा नायब तहसीलदार क्षेत्र मुझली द्वारा एक मत्स्याखेट हेतु तालाब का पट्टा वर्ष 1983 तथा आगे के वर्षों के लिये देने की कार्यवाही की गयी थी। नायब तहसीलदार किरियात द्वारा पट्टे की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उपर्युक्त पांचों पट्टों में से तीन पट्टे भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर स्वीकृत किए गये थे तथा दो पट्टे भूमि प्रबन्धक समिति नियम संग्रह 60/2 (ख) के अनुसार मल्लाह जाति के लोगों को दिये गये हैं।

61--श्री राम चरण सिंह--

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

वि किसान सहकारी चीनी मिल, औराई, वाराणसी पर बकाया गन्ना मूल्य

62--श्री राम चरण सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद में वर्ष 81-82 व वर्ष 82-83 में कितने कृषकों का गन्ना मूल्य का भुगतान अभी तक नही हुआ? और उनका भुगतान कब तक करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

मिर्जापुर जनपद के कृषकों द्वारा वि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, औराई जनपद वाराणसी को आपूर्ति किये गये गन्ने का वर्ष 1981-82 का कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है। वर्ष 1982-83 में 7 कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु बकाया है जिसमें से 2 कृषकों ने पर्ची खो जाने के कारण स्वयं भुगतान रुकवाया है तथा 5 कृषकों ने अभी तक भुगतान नहीं लिया है।

मिर्जापुर जिले के पसियाही, प्राइमरी पाठशाला की भूमि की पैमाइश

63--श्री राम चरण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3 अप्रैल, 1983 जो पसियाही बेसिक प्राइमरी पाठशाला विकास खण्ड सीखड़, जिला मिर्जापुर की भूमि की पैमाइश करने के सम्बन्ध में था, उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 3-4-1983 शासन को प्राप्त हुआ था। पसियाही बेसिक प्राइमरी पाठशाला, विकास खण्ड सीखड़, जिला मिर्जापुर की भूमि की पैमाइश करा दी गयी है तथा उसके चारों कोनों पर पत्थर भी गड़वा दिये गये हैं।

देवरिया जिले के ग्राम श्रीपति खण्ड, ग्राम सभा श्रीपति अमवा की भूमि पर वृक्षारोपण

64--श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा श्री श्याम नारायण तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला देवरिया अन्तर्गत न्याय पंचायत बसडीला, ब्लाक तमकुही, तहसील पडरौना के ग्राम श्रीपति खंड ग्राम सभा श्रीपतिअमवा की बंजर भूमि 0.90 डिसमिल पर भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा वृक्षारोपण प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु प्रश्नकर्त्ता एवं अन्य एक विधायक का पत्र दिनांक 18-4-83 एवं 28-4-83 शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या प्रस्ताव के पालन हेतु आदेश जारी कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां। केवल दिनांक 18-4-83 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है। ग्राम सभा श्रीपति अमवा के ग्राम श्रीपति खण्ड में 0.90 डिसमिल भूमि वृक्षारोपण हेतु आरक्षित कर दी गयी है।

जिला मिर्जापुर के ग्राम बियाहुर में भूमि का अनियमित पट्टा

*65--श्री राम चरण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 22-3-83 को एक पत्र ग्राम सभा ग्राम बियाहुर, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर के पुराने पट्टों का जांच कर फर्जी पट्टों को खारिज करने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां। जांच के उपरान्त शिकायतकर्त्ता श्री फकीर चन्द्र प्रधान के पत्र में उल्लिखित पांचों पट्टे अनियमित पाये गये। इन पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री राम चन्द्र यादव, सब रजिस्ट्रार, महाराजगंज, गोरखपुर का स्थानान्तरण

66--श्रीमती गौरी देवी--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम चन्द्र यादव, सब रजिस्ट्रार, महाराजगंज, गोरखपुर के सम्बन्ध में जुलाई, 82 में स्व0 श्री यादवेन्द्र सिंह तत्कालीन उपाध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0 ने एक पत्र लिखकर वित्त मन्त्री से श्री राम चन्द्र यादव, सब रजिस्ट्रार की महाराजगंज में नियुक्ति को अनुचित बताया था ? यदि हां, तो वर्तमान समय में श्री रामचन्द्र यादव सब रजिस्ट्रार को महाराजगंज, गोरखपुर में नियुक्त करने का कारण क्या है और विगत 1982-83 में उन्हें गोरखपुर जनपद में ही नियुक्त करने के लिए कितनी बार कहां-कहां स्थानान्तरित किया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त---

जी हां ।

श्री राम चन्द्र यादव सब रजिस्ट्रार की नियुक्ति महाराजगंज में वहां तैनात सब रजिस्ट्रार की सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप हुई रिक्ति में की गयी है ।

नौगढ़ जिला बस्ती में तैनाती के तीन वर्ष बाद वर्ष 1982 के वार्षिक स्थानान्तरण के समय श्री राम चन्द्र यादव को महानिरीक्षक, निबंधन के आदेश दिनांक 11 जून, 1982 द्वारा महाराजगंज स्थानान्तरित किया गया था परन्तु वहां के उप निबंधक श्री नरसिंह प्रसाद मिश्र के सेवा निवृत्ति काल निकट होने के कारण उन्हें वहां रोक दिया गया और श्री यादव का स्थानान्तरण दिनांक 24 जुलाई, 1982 को मोहम्मदाबाद युसूफपुर, जिला गाजीपुर कर दिया गया। उप निबंधक फरेन्दा गोरखपुर के आकस्मिक निधन पर श्री यादव को फरेंदा गोरखपुर में नियुक्ति किया गया और श्री नरसिंह प्रसाद मिश्र, सब रजिस्ट्रार की सेवा निवृत्ति पर उन्हें महाराजगंज गोरखपुर में तैनात किया गया ।

67---श्री जयदीप सिंह बरार---

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

68---श्री जयदीप सिंह बरार---

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

प्रदेश में किसानों का बकाया गन्ना मूल्य

69---श्री जयदीप सिंह बरार---

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के ता0 प्र0 सं0 12 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय बकाया की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने से जो 10 प्रतिशत रिकवरी चार्ज बकायादार पर पड़ जाता है उसे भी सम्बन्धित बकायादार से नहीं लिया जायगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह---

गन्ना मूल्य की जिस अवशेष धनराशि की सीमा तक सरकारी देयों की वसूली के विषय में उत्पीड़क कार्यवाही न करने के आदेश हैं उस पर रिकवरी चार्ज बकायेदार से वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले की ग्राम सभा पाण्डेपुर उर्फ धगरा बसन्तपुर की भूमि का अनियमित पट्टा

70---श्री ध्रुव प्रसाद राय---

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि ग्राम सभा पाण्डेपुर उर्फ धगराबसन्तपुर विकास खण्ड तमुकीराज, जनपद देवरिया के प्रधान श्री कैलाश भगत ने आराजी संख्या 102, 104, 107 कुल भूमि 48 एकड़ 20 डिसमिल अपने पिता और सम्बन्धियों के नाम करा लिया है जिसकी सूचना जिलाधिकारी देवरिया, गोरखपुर को दे दी गयी है, इसको निरस्त करने के लिए कौन सी कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

आराजी नं0 102 व 104 की कुल 27-90 एकड़ भूमि ही कैलाश प्रधान के पिता भरथ पुत्र नेउर के नाम है जिसे उनकी ही भूमि मानते हुए जिला जज सप्तम ने अपील संख्या 7/1980 के अन्तर्गत सीलिंग से बरी करने का आदेश दिया था । आराजी नं0 107 की भूमि पर प्रधान श्री कैलाश के पिता का नाम दर्ज नहीं है ।

न्यायिक प्रक्रिया में पारित आदेश को निरस्त करने की कार्यवाही शासन द्वारा किया जाना सम्भव नहीं ।

गन्ना समिति तरया सुजान और गन्ना समिति दुदही में बिहार राज्य की चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद एवं बकाया गन्ना मूल्य

71—श्री ध्रुव प्रसाद राय—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना समिति तरया सुजान और गन्ना समिति दुदही, जनपद देवरिया में वर्ष 1982–83 में कितना गन्ना प्रति समिति द्वारा बिहार के चीनी मिलों को सप्लाई किया गया ? उसमें से कितने क्विंटल गन्ने का आज तक भुगतान हुआ तथा कितना बाकी है ? अब तक भुगतान न होने का कारण है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

पेराई सत्र 1982–83 में बिहार राज्य की चीनी मिलों द्वारा उत्तर प्रदेश की तरया सुजान तथा दुदही गन्ना समितियों से गन्ने की खरीद, देय गन्ना मूल्य तथा भुगतान एवं अवशेष का विवरण दिसम्बर माह 1983 की स्थिति इस प्रकार है—

गन्ना समिति तरया सुजान

क्रम सं0	चीनी मिल का नाम	गन्ना खरीद (लाख क्विं0)	देय गन्ना मूल्य (लाख रुपया)	गन्ना मूल्य भुगतान (लाख रुपया)	अवशेष (लाख रुपया)
1	2	3	4	5	6
1	—हथुआ	1.48	29.87	13.34	16.53
2	—सासामूसा	0.16	3.23	3.23	—
3	—गोपालगंज	0.01	0.20	0.18	0.02
4	—न्यू सिवान	0.19	3.83	0.41	3.42
	योग	1.84	37.13	17.16	19.97

गन्ना समिति दुदही

1	—सासामूसा	0.29	5.51	5.51	—
2	—मढ़ौरा	0.69	13.11	7.50	5.61
3	—गोपालगंज	0.18	3.42	3.42	—
	योग	1.16	22.04	16.43	5.61

अवशेष धनराशि का भुगतान बिहार राज्य की सम्बन्धित चीनी मिलों से कराने हेतु ईखा आयुक्त बिहार से अनुरोध किया गया है।

कोषागार निदेशक में आशुलिपिक पद की परीक्षा एवं साक्षात्कार

72—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोषागार एवं लेखा निदेशालय में रिक्त आशुलिपिक पद वेतनमान 515–860 में दिनांक 23–4–82 को हुई प्रतियोगिता परीक्षा में लिखित परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया था ? क्या यह लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं थे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

कोषागार निदेशालय में वेतनमान रु0 515–860 के आशुलिपिक के एक पद तथा वेतनमान रु0 470–735 के आशुलिपिक के एक पद पर नियुक्ति हेतु दिनाँक 23–4–82 को आयोजित हिन्दी निबन्ध और आशुलिपिक एवं टंकण की प्रतियोगितात्मक परीक्षा में अधिकतम अंक पाने वाले तीन अभ्यर्थियों सर्वश्री गंगा प्रसाद, भुवनेश्वर प्रसाद त्रिपाठी तथा अतीक अहमद को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। उक्त तीनों अभ्यर्थी हिन्दी निबन्ध में उत्तीर्ण थे और आशुलिपिक टंकण की परीक्षा में इनमें से केवल एक अभ्यर्थी श्री गंगा प्रसाद उत्तीर्ण थे तथा शेष दो उत्तीर्ण नहीं थे।

73—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या यह भी सही है कि उक्त निदेशालय में दिनाँक 20–11–82 को हुई आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा में लिखित परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार में बुलाये गये अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण माना गया है? यदि हाँ, तो दिनाँक 23–4–82 को लिखित परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार में बुलाये गये अभ्यर्थी श्री अतीक अहमद को अनुत्तीर्ण क्यों माना गया है?

श्री ब्रह्म दत्त—

कोषागार निदेशालय में वेतनमान रु0 515–860 के आशुलिपिक के एक पद पर नियुक्ति दिनाँक 20–11–82 को आयोजित हिन्दी निबन्ध और आशुलिपिक एवं टंकण की प्रतियोगितात्मक परीक्षा में अधिकतम अंक पाने वाले तीन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था। जिन तीन अभ्यर्थियों को दिनाँक 20–11–82 की प्रतियोगितात्मक परीक्षा के साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था, वे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण थे और अर्ह थे तथा उन्होंने ही अधिकतम अंक पाये थे, अतः उनका साक्षात्कार किया गया। श्री अतीक अहमद 20–11–82 की परीक्षा में अर्ह नहीं पाये गये थे फलतः उनको साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया। दिनाँक 23–4–82 की परीक्षा के आधार पर श्री अतीक अहमद को दिनाँक 20–11–82 की लिखित परीक्षा से सम्बन्धित साक्षात्कार में नहीं बुलाया जा सकता था।

श्री बाबू राम संग्रह अमीन, जिला सीतापुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

74—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले शुक्र के लिए प्रश्नकर्त्ता के अता0 प्र0 सं0 189 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिकायतें क्या थीं? जाँच किस अधिकारी ने की तथा शिकायतकर्त्ता से भी बयान लिये गये? यदि हाँ, तो उनका बयान क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री बाबू राम संग्रह अमीन तहसील मिश्रिख के विरुद्ध यह शिकायत थी कि उसने बिना रसीद दिये हुये धन की वसूली की है अमीन उसी क्षेत्र का निवासी है जिस क्षेत्र में वह कार्यरत है। अमीन के विरुद्ध धारा 107/116 जा0 फौजदारी का मुकदमा चल रहा है अतएव उसका स्थानान्तरण किसी दूसरी तहसील को कर दिया जाय।

पहले इस मामले की जाँच नायब तहसीलदार द्वारा की गई थी जिसमें शिकायतकर्त्ता के बयान नहीं लिये गये थे।

अब पुनः इस मामले की जाँच परगनाधिकारी, मिश्रिख द्वारा कराई गई जिन्होंने प्रश्नकर्ता एवं शिकायतकर्त्ता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का बयान भी दर्ज किया है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त जाँच में भी शिकायतें सिद्ध नहीं पायी गयी और प्रार्थना पत्र निक्षेप कर दिया गया है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 444 पर)

बदायूं जिले के बिक्रीकर कार्यालय के लिपिक, श्री महेन्द्र पाल सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

75—श्री मो0 अबरार अहमद—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिक्री कर कार्यालय में कार्यरत लिपिक श्री महेन्द्र पाल सिंह द्वारा मेसर्स गेंदन लाल ऐंड कं0, आढ़ती बबराला को वर्ष 75–76

को पत्रावली में रुप पत्र –4 में इंक रिमूवर डालकर एवं कटिंग कर व्यापारी को टर्नओवर में रु0 2104852.08 पैसे के स्थान पर रु0 1622852.28 पैसे अंकित करके रु0 481999.80 पैसे की कमी की है ? यदि हाँ, तो इससे सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई ? क्या इस संबंध में सदस्य लोक सभा श्री मोहम्मद असरार अहमद का माह सितम्बर, 1983 में कोई शिकायती पत्र उ0 प्र0 सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो शिकायती पत्र में दिये गये तथ्यों की जाँच करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त––

जी हाँ। कथित आशय की शिकायत से संबंधित श्री रमेश चन्द्र पाराशरी, महा मन्त्री नगर काँग्रेस कमेटी (ई) बदायूं का शिकायती पत्र दिनाँक 4–9–83 श्री मो0 असरार अहमद, सदस्य, लोक सभा के पत्र दिनाँक 4–9–83 के साथ प्राप्त हुआ है। तथ्यों की जाँच उपायुक्त (कार्यपालक) बिक्रीकर, बरेली द्वारा करायी जा रही है।

बदायूं जिले के बिक्री कर कार्यालय द्वारा व्यापारियों को जारी किए गये फार्म––32

76––श्री मोहम्मद अबरार अहमद––

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिक्री कर कार्यालय में वर्ष 1980–81 एवं 1982 में किन किन व्यापारियों/व्यक्तियों को प्रदेश के बाहर से माल आयात करने के लिए फार्म 32 जारी किये गये ? क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन व्यापारियों/व्यक्तियों को फार्म 32 जारी किये गये उनके द्वारा आयात किये गये माल की चेकिंग बदायूं जनपद के बिक्री कर अधिकारियों ने कर ली है ? यदि नहीं, तो क्यों और चेकिंग न करने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त––

जनपद बदायूं जनपद के बिक्री कर कार्यालय द्वारा वर्ष 1980 में 61, 1981 में 98 एवं 1982 में 141 व्यापारियों/व्यक्तियों को फार्म 32 जारी किये गये। उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 में फार्म–32 के आधार पर माल के आयात किये जाने के पश्चात जाँच करने का प्राविधान नहीं है। अतः जाँच करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयप्रकाश गुप्ता, प्रोफेशन टैक्स लिपिक के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

77––श्री मोहम्मद अबरार अहमद––

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिक्रीकर कार्यालय में कार्यरत श्री जय प्रकाश गुप्ता, प्रोफेशन टैक्स लिपिक के संबंध में बरेली परिक्षेत्र के उपायुक्त (प्रशा0) ने कोई जाँच किया है और अपनी जाँच रिपोर्ट सं0 3336 दिनाँक 14–12–82 में जय प्रकाश गुप्ता को दोषी ठहराया है ? यदि हाँ, तो जाँच किस संबंध में थी तथा दोषी पाये जाने पर श्री गुप्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त––

श्री जय प्रकाश गुप्ता, प्रोफेशन टैक्स लिपिक बिक्रीकर कार्यालय, बदायूं के विरुद्ध साम्प्रदायिक भावना भड़काने की शिकायत के सम्बन्ध में उपायुक्त (कार्यपालक) बिक्रीकर, बरेली द्वारा जाँच की गयी थी। जाँच के फलस्वरूप यह पाया गया कि श्री गुप्ता ने शिकायत में उल्लिखित ऐसा कोई भाषण कार्यालय में नहीं दिया था, जिससे साम्प्रदायिक भावना भड़कती है। बल्कि शहर में किन्हीं सार्वजनिक नेता द्वारा दिये गये भाषणों के संदर्भ में, जिनकी उन दिनों नगर में आम चर्चा थी, आपसी बातचीत ही की थी। उपायुक्त ने श्री गुप्ता को साम्प्रदायिक भावना भड़काने का दोषी नहीं पाया। तथापि इस प्रकार की बातचीत करना अनुचित मानते हुए प्रश्न में उल्लिखित पत्र द्वार श्री गुप्ता को भविष्य में में सचेत रहने के निदेश दिए गए। उपरोक्त स्थिति में चूंकि श्री गुप्ता दोषी नहीं पाए गए, उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले के कतिपय ग्रामों के गायब किए गये बन्दोबस्ती नक्शे

78—श्री राजकुमार राय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में गाँव ऐसे हैं जिनके बन्दोबस्ती नक्शे 1280एफ, 1349एफ, 1354एफ0 के पूरे पूरे फट चुके हैं और कितने गाँव के नक्शे गायब है? उनके (नक्शे) ठीक कराने या नकल जारी कराने की कौन-सी व्यवस्था शासन ने कर रखी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जिलाधिकारी, आजमगढ़ ने सूचित किया है कि जनपद आजमगढ़ के 1280 फ0 के 1004 1349 फ 0 के 120 तथा 1354 फ0 के 159, ग्रामों के बन्दोबस्ती नक्शे फटे पाये गये। 1280 फ0 के 833, 1349 फ0 के 74 तथा 1354 फ0 के 13, ग्रामों के नक्शे गायब पाये गये।

नक्शों को प्रति राजस्व परिषद् के मैप अनुभाग में रहती है और वहाँ से आवश्यकतानुसार नकल जारी की जा सकती है।

माधो महेश चीनी मिल, जिला बस्ती के प्रशासक के विरुद्ध शिकायतों की जांच

79—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या 144 के उत्तर के संबंध में क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मुन्डेरवा चीनी मिल, बस्ती के तत्कालीन रिसीवर के विरुद्ध जो शिकायतें अन्य श्रोतों से हैं, वे क्या हैं? उन पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

माधो महेश चीनी मिल, मुन्डेरवा के तत्कालीन रिसीवर के विरुद्ध अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतें मिल में अनियमित नियुक्तियाँ, कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न करना, लकड़ी की खरीद तथा चीनी व शीरे की बिक्री में गड़बड़ी तथा खर्चों में अनियमितता आदि विषयक है। इन शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी, बस्ती तथा उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के माध्यम से जाँच करायी गयी। जाँच रिपोर्ट के अनुसार अभी कुछ बिन्दुओं पर जाँच पूरी नहीं हो पायी है। इन बिन्दुओं पर जाँच की जा रही है।

श्रीपति राय, सहायक लेखाकार, केन यूनियन, पिपराइच, गोरखपुर की ग्रेच्युटी, भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि का भुगतान

80—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रीपति राय, भू0 पू0 एकाउन्टेन्ट केन यूनियन, पिपराइच, गोरखपुर ने दिनाँक 3-8-82 को गन्ना विकास मंत्री व प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ को अपने ग्रेच्युटी, निर्वाह निधि फंड, जमाशुदा धनराशि एवं वेतन बढ़ोत्तरी मय मंहगाई आदि सम्पूर्ण धनराशि के भुगतान के लिए लिखे के संबंध में लिखा था? यदि हाँ, तो उनकी बकाया धनराशि कब तक भुगतान करा दी जायेगी?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित श्रीपति राय, सहायक लेखाकार का कोई पत्र दिनाँक 3-8-82 गन्ना विकास मंत्री अथवा प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लखनऊ को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री श्रीपति राय, सहायक लेखाकार, केन यूनियन, पिपराइच को उनको देय समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है। केवल गन्ना समिति बैतालपुर में श्री राय के भविष्य निधि मद में अंकन रु0 59.00 अवशेष है जिसे उनके पते पर मनीआर्डर द्वारा भेजने के लिये निर्देशित कर दिया गया है।

गोण्डा जिले की ग्राम सभा चौधरी डीह में हुई चकबन्दी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

81—श्री भीखा लाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम सभा चौधरी डीह, तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा के किसानों का एक प्रार्थना पत्र, क्षेत्रीय विधायक श्री मंगल देव सिंह के पत्र के साथ दिनाँक 11-8-83 को चकबन्दी आयुक्त, को ग्राम में चकबन्दी में की गयी अनियमितताओं के बारे में प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो पत्र में अंकित तथ्य क्या है एवं उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

परिवाद पत्र में चकबंदी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से फर्जी ट्रांसफर किये जाने, गरीब हरिजनों को नाले व तालाब पर चक आवंटित दिये जाने, हरिजनों एवं भूमिहीनों को पट्टे दिये जाने के उपरान्त भी भूमि न दिये जाने, बचत, खलिहान भूमि एवं चक निर्माण में अनियमितता, अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने तथा भ्रष्टाचार आदि की मुख्य शिकायतें हैं।

शिकायती पत्र की जाँच पूर्ण होने तक ग्राम में चकबंदी प्रक्रियायें स्थगित कर दी गयी हैं तथा स्क्वायड द्वारा जाँच करायी जा रही है।

बस्ती जिले में फसलों की बाढ़ से हुई क्षति

82—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में बाढ़ से घिरे गाँवों की अथवा 80 प्रतिशत से अधिक नष्ट हुई फसलों के गाँवों को सरकारी देयों से माफ करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद बस्ती के जिन गावों की फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, वहाँ के प्रभावितों की मालगुजारी में निम्नानुसार छूट दिये जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा तैयार कराया जा रहा है, जिसके प्राप्त होने पर निम्नानुसार मालगुजारी में छूट की कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

बाराबंकी जिले में बाढ़ से क्षति तथा तहसीलों में वितरित सहायता

83—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर-अक्टूबर, 83 में बाढ़ और वर्षा से बाराबंकी जनपद की चारों तहसीलों में हुए रबी प्रकार की हानि कितनी हुई तथा नकद वस्त्र एवं अन्न के रूप में कितनी राशि सहायता स्वरूप प्राप्त हुई ? क्या शासन निकट भविष्य में कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले बीजों को तैयार हेतु जाने वाले खेत के अनुपात में हुए खेत वितरित करने का सम्पूर्ण प्रदेश में आदेश जारी करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

माह सितम्बर-अक्टूबर, 1983 में बाढ़ एवं वर्षा से जनपद बाराबंकी की चार तहसीलों में से दो तहसीलों फतेहपुर तथा रामसनेहीघाट में हुई रबी प्रकार की कुल अनुमानित हानि

24,71,73,700 रु0 की हुई है। उक्त तहसीलों में वितरित की गयी सहायता का तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है--

	तहसील फतेहपुर	तहसील रामसनेहीघाट	योग
पूड़ी पैकेट ..	5400	1123	6523
भुना चना (कुन्तल में) ..	34	—	34
कच्चा चना ..	33	—	33
लाई ..	7.80	5.00	12.80
गेहूं	4388.79	2182.42	6571.21
चावल ..	103.80	106.86	210.66
नमक ..	322.52	64.82	387.34
माचिस (दर्जन में) ..	2208.8	998	3206.8
मिट्टी का तेल (लीटर में)	34,212	12143	46355
नकद रु0 ..	—	5,900	5,900

तहसील नवाबगंज तथा हैदरगढ़ में सितम्बर-अक्टूबर, 83 में बाढ़ से कोई हानि नहीं हुई। आवश्यकतानुसार कच्चा तथा भुना हुआ दोनों प्रकार का चना वितरित किया जाता है। इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। सहायता सामग्री में वितरण में कोई अनियमितता प्रकाश में आने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

छितौनी चीनी मिल, देवरिया के प्रशासक के विरुद्ध शिकायतों की जांच

84--श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 30 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिकायतों की जाँच पूरी हो गई? यदि हाँ, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह--

जी हाँ, प्रश्नगत शिकायतों के सम्बन्ध में जाँच कर ली गयी है। जाँच में शिकायतें सही नहीं पायी गयीं। अतः किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई।

बाराबंकी चीनी मिल द्वारा दिया गया गन्ने की ढुलाई रेट और ठेकेदारों को देय धनराशि का भुगतान

85—श्री भीखा लाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82–83 के सीजन में शुगर मिल कारपोरेशन इकाई बाराबंकी द्वारा विभिन्न सेन्टरों से गन्ना ढुलाई के ठेके किस रेट पर दिये गये थे ? क्या यह सही है कि सीजन के मध्य में कुछ ठेकेदारों के रेट चुपके से बढ़ा दिये गये थे ? यदि हाँ, तो क्यों, और बढ़ाये गये रेट क्या थे ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

पेराई सत्र, 1982–83 के बाराबंकी चीनी मिल के विभिन्न सेन्टरों से गन्ना ढुलाई के ठेके के रेट निम्न प्रकार थे—

नाम सेन्टर	दर/प्रति कुन्तल रु0
1—नया गाँव	1.48
2—प्यारेपुर	2.30
3—हेतमपुर	3.00
4—करसड़ा	2.05
5—तिन्दोला	2.09
6—दुन्दपुरवा	1.78
7—अटवा	2.10
8—बसार	2.10
9—कोला	1.75
10—सेवली	1.45
11—विशनपुर	1.80
12—दशरथपुर	2.62
13—बड़डोपुर	3.15
14—जोफरनगर	1.90
15—चिनहट	2.00
16—उंघवापुर	2.20
17—सतरिख	1.95
18—महमूदाबाद	3.85
19—गोयला	2.50

उपर्युक्त सूची में से क्रम संख्या 11 पर अंकित बिशनपुर सेंटर पर ढुलाई दर मूल रूप से रु0 1.43 प्रति कुन्टल थी जो सत्र के मध्य में बढ़ाकर रु0 1.80 प्रति कुन्तल की गयी। रेट बढ़ाने का कारण यह था कि ठेके के अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार को प्रति दिन ढाई चक्कर लगाने के लिये गन्ना मिलना चाहिये था किन्तु उसे औसत 2.14 चक्कर लगाने का अवसर मिल रहा था। अतः ठेकेदार के प्रतिवेदन पर यह दर रु0 1.43 से बढ़ाकर रु0 1.80 प्रति कुन्तल करने का निर्णय क्रय समिति द्वारा लिया गया था।

86—श्री भीखालाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82–83 के सीजन में शुगर मिल कारपोरेशन इकाई, बाराबंकी की ढुलाई का भुगतान कुछ ठेकेदारों को अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? प्रत्येक ठेकेदार का कितना किराया देय था, कितना दिया गया और कितना अभी बाकी है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

किसी भी ठेकेदार को देय धनराशि का पूरा भुगतान वित्त की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण नहीं किया जा सका। ठेकेदारों को देय धनराशि, किये गये भुगतान तथा अवशेष धनराशि का, दिनाँक 8–12–83 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नवत् है—

नाम	कुल दायित्व देय धनराशि	भुगतान	अवशेष
	रु0	रु0	रु0
1—श्री कुबोद प्रसाद जायसवाल	249862.35	219000.00	30862.25
2—श्री ओंकार बक्श सिंह	318245.95	304000.00	14245.95
3—श्री अजीत सिंह	160868.32	148000.00	12868.32
4—श्री हरवंश सिंह	156635.12	155500.00	1135.12
5—श्री अहमद मिर्जा	50570.05	44200.00	6370.05
6—श्री राज नारायण	116698.64	107000.00	9698.64
कुल योग	1052880.43	977700.00	75180.43

ग्राम कोलवा के कतिपय खसरों के सम्बन्ध में परगना मजिस्ट्रेट, रामसनेही घाट, बाराबंकी द्वारा दिया गया आदेश

87—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि परगना मजिस्ट्रेट रामसनेही घाट, बाराबंकी ने ग्राम कोलवा स्थित खसरा नम्बरान 158 1–5–10, 158 अ/1–6–7, 155 ब/0–10–0, 82–0–12–2, 158 ब/0–17–14 के विषय में धारा 145/146 की कार्यवाही हेतु दिनाँक 14–4–83 को कोई आदेश जारी किया था? यदि हाँ, तो उक्त आदेश क्या है और इस मामले में अन्तिम निर्णय क्या किया गया?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ। 14–4–83 दिनाँकित आदेश द्वारा प्रश्न में उल्लिखित खसरा नम्बरों से संबंधित विवादित भूमि को मय फसल कुर्क करके प्रधान कोलवा को सुपुर्दगी में देने के आदेश दिये गये हैं। अंतिम निर्णय हेतु मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

बस्ती जिले की तहसील डुमरियागंज में बाढ़

88—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद की डुमरियागंज तहसील में सितम्बर, 1983 में आई भीषण बाढ़ में कुल कितने गाँव प्रभावित हुए तथा उनमें कितने मैरुण्ड हुए जो गाँव मैरुण्ड हुए उनके क्या नाम हैं? क्या यह सत्य है कि कुल मैरुण्ड गाँवों में से केवल 50–60 गाँवों को ही राहत सामग्री दी गई? यदि हाँ, तो क्या तथा जिन गाँवों को राहत सामग्री नहीं दी गयी उसका क्या कारण है? क्या सरकार इनको तुरन्त राहत सामग्री दिलाने की व्यवस्था करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद बस्ती की तहसील डुमरियागंज में विगत सितम्बर, 1983 में आई बाढ़ से कुल 653 ग्राम प्रभावित हुए जिसमें से 501 ग्राम मैरुण्ड हुए। मैरुण्ड ग्रामों की सूची विस्तृत होने के कारण मेरे कार्यालय कक्ष में पूर्व सूचना पर देखी जा सकती है। यह सत्य नहीं है कि मैरुण्ड गाँवों से केवल 50–60 ग्रामों को ही राहत सामग्री दी गई। जिला विकास बस्ती से प्राप्त सूचनानुसार 413 मैरुण्ड ग्रामों में नमक, दियासलाई व मिट्टी का तेल सहायता के रूप में वितरित

किया गया था। 25–9–83 तक 12 ग्रामों में 20 किलो प्रति परिवार तथा दिनाँक 26–9–83 से 316 ग्रामों में 10 किलो प्रति परिवार की दर से गेहूं सहायता के रुप में वितरित किया गया। तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 20 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए। उक्त स्थिति में प्रश्न के शेष भाग के उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

89—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

(3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 141 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

सुल्तानपुर जिले के ग्राम कमालपुर के श्री शिवनन्दन को कथित भूदान की भूमि का आवंटन

90—श्री मोहन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कमालपुर परगना गौरा जामों तहसील मुसाफिरखाना, सुलतानपुर में भूदान की जमीन नहीं है किन्तु गाटा नं0 420 (एक बीघा) का पट्टा श्री शिव नन्दन सुत दुर्गा के नाम दर्ज किया गया है? क्या इस अवैध आवंटन को निरस्त कराने की कृपा करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम कमालपुर, परगना गौरा जामो, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में भूदान की कोई जमीन नहीं है। गाटा नं 0 420 (एक वीघा) पर श्री शिव नन्दन सुत दुर्गा का नाम ग्राम अभिलेखों में भूदान पट्टे के आधार पर ही दर्ज है। इस गलत प्रविष्टि को खारिज करने हेतु वन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी मुसाफिरखाना के न्यायालय में वाद विचाराधीन है।

सुल्तानपुर जिले के ग्राम हरगांव निवासी श्री शीतला बख्श सिंह व श्रीमती ऊषा देवी के नाम दर्ज की गयी भूमि

91—श्री मोहन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिकारी जामों 2 मुसाफिरखाना सुलतानपुर ने गाटा नं0 604 (चार बीघा) 42 (एक बीघा) जमीन श्री शीतला बख्स सिंह पुत्र श्री राम अभिलाष व ऊषा देवी पुत्री श्री विश्वनाथ प्रसाद के नाम दर्ज कर दिया है जबकि उक्त लोग कमालपुर ग्राम सभा के निवासी हैं? यह जमीन कैसे उन लोगों के नाम दर्ज हुई और यह आवंटन गलत है तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम कमालपुर परगना जामों जिला सुल्तानपुर में स्थित गाटा संख्या 604 (4 बीघा) तथा गाटा संख्या 421 (एक बीघा) पर चकवन्दी अधिकारी जामों 2 मुसाफिरखाना सुल्तानपुर ने आदेश दिनाँक 10–10–1981 के अन्तर्गत श्री शीतला बख्श सिंह पुत्र श्री राम अभिलाष तथा श्रीमती ऊषा देवी पुत्री श्री विश्वनाथ प्रसाद का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जो आकार पत्र 11 पर अंकित है। यह लोग ग्राम सभा कमालपुर के निवासी नहीं है वरन ग्राम हरगाँव के निवासी हैं?

चकवन्दी अधिकारी जामों के उक्त आदेश के विरुद्ध बन्दोवस्त अधिकारी चकवन्दी के न्यायालय में अपील दायर की गयी है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही अग्रिम कार्यवाही संभव होगी।

गोरखपुर जिले की तहसील सदर के ग्रामों में पुनः चकबन्दी किए जाने की मांग

92—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के गाँवों की खेती की चकबन्दी आज से लगभग 25 या 30 साल पूर्व कराई गई थी जो प्रदेश में प्रथम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत हुई थी? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि उस समय चकबन्दी में काफी कमियाँ रहीं और अब तक काफी खेत पुनः छोटे छोटे हो गये हैं? यदि हाँ, तो क्या पुनः चकबन्दी प्रक्रिया चालू करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के गाँवों की चकबन्दी चार लाटों में सर्वप्रथम 1956, तत्पश्चात् 1966, 1967 तथा 1978 में प्रारम्भ हुई थी। अभी इस तहसील में प्रथम चक्र की चकबन्दी की प्रक्रिया में समस्त ग्रामों में पूर्ण नहीं हुई है। प्रथम चक्र की चकबन्दी नियमानुसार की गयी थी एवं शेष भाग में भी नियमानुसार ही की जा रही है। इस तहसील में पुनः चकबन्दी का दूसरा चक्र अभी प्रस्तावित नहीं है।

बस्ती जिले की ग्राम सभा भगौसा की भूमि का आवंटन

93—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती तहसील बाँसी, ग्राम भगौसा तथा गोसियारी में ग्राम प्रधान भगौसा द्वारा वर्ष 82–83 में ग्राम सभा की भूमि का पट्टा किन किन व्यक्तियों के नाम किया गया है? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1982–83 में ग्राम सभा भगौसा द्वारा कुल 25 व्यक्तियों को ग्राम सभा भूमि देने का प्रस्ताव दिनाँक 24–10–82 को पारित किया गया जिसकी स्वीकृति परगनाधिकारी द्वारा 11–7–83 को दी गयी। किन्तु दिनाँक 29–7–83 को एक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र देने के फलस्वरूप आयुक्त गोरखपुर मण्डल द्वारा आवंटन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है। ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित पात्र व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 445 पर)

भूतपूर्व काशी नरेश, डा० विभूति नारायण सिंह जिला वाराणसी की भूमि की सीलिंग

94—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू0 पू0 काशीनरेश डा0 विभूतिनारायण सिंह के पास वाराणसी जनपद में रामनगर चकिया ज्ञानपुर में जो भूमि है उस पर सीलिंग ऐक्ट नहीं लागू किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? उनके नाम से कितनी जमीन उक्त स्थानों पर है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

भूतपूर्व काशी नरेश डा0 विभूति नारायण सिंह के नाम से वाराणसी जनपद में रामनगर, चकिया तथा ज्ञानपुर में क्रमशः 176.84 एकड़, 30.51 एकड़ तथा 16.52 एकड़ भूमि है जिन पर उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम लागू किया गया है।

चीनी मिल भटनी देवरिया के सामान्य प्रबन्धक, श्री पी०के० दास की सेवा समाप्ति

95—श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 21 मार्च, 83 के आस पास प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र गन्ना सचिव को सामान्य प्रबन्धक, भटनी, मिल देवरिया के विरुद्ध उन्हें मिला है? यदि हाँ, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की भटनी इकाई के तत्कालीन सामान्य प्रबन्धक श्री पी0 के0 दास के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करायी गयी जिसके फलस्वरूप उन्हें दोषी पाकर उनकी सेवायें दिनाँक 18–7–83 से समाप्त कर दी गयी हैं।

श्री नरेन्द्र नाथ मण्डल, निवासी टाण्डा विजेसी, जिला पीलीभीत को भूमि का आवंटन

96—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक रजिस्टर्ड पत्र संख्या अन्य/23/83 दिनाँक 7–7–83 जिसके साथ शरणार्थी भू-आवंटी नरेन्द्र नाथ मंडल, टाँडा कालोनी जिला पीलीभीत का मूल प्रार्थना पत्र संलग्न था, जिला अधिकारी पीलीभीत को भेजा था?

यदि हाँ, तो उस पत्र एवं संलग्न प्रार्थना पत्र में दी गई सूचना के आधार पर आवंटी को आवंटित की गई कृषि भूमि से अब तक अनाधिकृत अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ।

मामले में जाँच करायी गयी। श्री नरेन्द्र नाथ मंडल, निवासी टाँडा विजेसी कालोनी, जिला पीलीभीत को खेती के लिए 3–00 एकड़ भूमि तथा आवास हेतु 0–12 एकड़ भूमि वर्ष 1975 में आवंटित की थी जिस पर कोई अतिक्रमण नहीं है वह मौके पर श्री नरेन्द्र नाथ मंडल के कब्जे में है।

97—श्री रेवती रमण सिंह—

(2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

प्रदेश में मनोरंजन कर से मुक्त की गयी फिल्में

98—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में 1 अक्टूबर, 1983 तक कितनी फिल्मों को प्रदेश में मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है ? प्रदेश सरकार को इससे कितनी धनराशि की हानि हुई है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

वर्ष 1982–83 में 6 फिल्में तथा 1983–84 में 1 अक्टूबर, 1983 तक 7 फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान की गई। कर मुक्ति से वर्ष 1982–83 में रुपये 249.96 लाख तथा वर्ष 1983–84 में दिसम्बर, 1983 के अन्त तक रुपये 330.00 लाख की मनोरंजन कर की हानि हुई है।

प्रदेश की सहकारी चीनी मिल एवं निगम की चीनी मिलों को बाकी टाकी वायरलेस सेट खरीदने की अनुमति दिए जाने की मांग

99—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित सहकारी एवं चीनी निगम की चीनी मिलों को गन्ना विपणन कार्य को सुगम बनाने हेतु उन्हें बाकी टाकी वायरलेस सेट खरीदने की अनुमति देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

ऐसा कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

सीतापुर जिले की महोली, हरगांव एवं विसवां चीनी मिल द्वारा चीनी का उत्पादन एवं उन पर बकाया गन्ना मूल्य

100—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982–83 में जनपद सीतापुर में महोली, हरगांव और विसवां शुगर मिल में कितने गन्ने की पेराई हुई कितनी शकर बनी ? किसानों को कितना पेमेन्ट कर दिया गया और कितना बकाया रह गया ? जो रुपया बकाया रह गया है वह किसान को कब तक अदा कर दिया जायगा ? क्या बकाया पैसा पर सरकार किसान को ब्याज भी दिलायेगी ? यदि हां तो कितने प्रतिशत ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

वर्ष 1982–83 में जनपद सीतापुर की महोली, हरगांव तथा बिसवां चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई, उत्पादित चीनी, देय गन्ना मूल्य तथा भुगतान एवं अवशेष का विवरण इस प्रकार है:—

क्रम सं0	चीनी मिल	पेरे गये गन्ने की मात्रा (लाख क्विंटल)	उत्पादित चीनी की मात्रा (लाख क्विंटल)
1—महोली	..	18.94	1.83
2—हरगांव	..	50.72	5.11
3—बिसवां	..	20.20	2.03

गन्ना मूल्य (लाख रु0) दिनांक 31–1–84

	देय	भुगतान	अवशेष
1—महोली ..	404.57	404.57	00
2—हरगांव ..	1029.93	1028.90	1.03
3—बिसवां ..	417.25	417.25	00

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

मिर्जापुर जिले के ग्राम लोहराजपुर में चकबन्दी

101—श्री राम चरण सिंह—

क्या द्वितीय सत्र 83 से 2रे शुक्र के अता0प्र0सं0 30 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ग्राम लोहराजपुर का नये मानक के अनुसार पुनः सर्वेक्षण की क्या प्रगति है? कब तक और चकबन्दी करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम लोहराजपुर परगना मुहली तहसील चुनार जिला मिर्जापुर में नये मानक के अनुसार सर्वेक्षण करा लिया गया है तथा उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियाओं के प्रसार हेतु जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्रख्यापन की विज्ञप्ति दिनांक 18–1–84 को जारी की जा चुकी है।

मिर्जापुर जिले के ग्राम मद्दूपुर की चकबन्दी

102—श्री राम चरण सिंह—

द्वितीय सत्र 83 के 1ले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 125 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मद्दूपुर का अभिलेख किस तिथि तक तैयार हो जायगा और धारा 52 के अन्तर्गत विज्ञप्ति किस तिथि तक जारी करा दी जायगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत ग्राम में सभी त्रुटियों को छांटने के पश्चात उनकी दुरुस्ती हेतु जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 48 (3) के अन्तर्गत संदर्भ तैयार कराये जा रहे हैं। इनमें कुछ मामले माननीय उच्च न्यायालय से रिमान्ड भी किये गये हैं। न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर वित्तीय वर्ष 1983–84 के अन्त तक अन्तिम अभिलेख की तैयारी का कार्य पूरा कराने का लक्ष्य है। इसके बाद ही धारा 52 के अन्तर्गत कार्यवाही संभव होगी।

गोरखपुर जिले में जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत कायम किए गये मुकदमें

103—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर महाराजगंज बांसगांव व फरेंदा में जनवरी, 81 से माह अक्टूबर 15, 1983 तक कुल कितने मुकदमे दफा 122 बी, 115सी, 115डी एवं 198 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत कायम किये गये हैं? इनमें से कितने का निर्णय हो गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद गोरखपुर के तहसील सदर महाराजगंज बांसगांव व फरेन्दा में जनवरी, 1981 से माह अक्टूबर 15, 1983 तक कुल 3968 मुकदमे दफा 122 बी, 115 सी 115 डी एवं 198 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत कायम किए गए और इनमें से 2898 मुकदमों का निर्णय हो गया है।

फैजाबाद जिले में माझा क्षेत्र के ग्रामों का घाघरा नदी से कटाव

104—श्री निर्मल खत्री—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में घाघरा नदी की बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होने वाले माझा क्षेत्र के निवासियों को संबंधित ग्रामसभा के ऊंचे हिस्से (नुपरहार) में आबादी के लिए भूमि आवंटित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है? क्या माझा क्षेत्र की भूमि की पैमाइश सरकार करायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

घाघरा नदी के बाढ़ प्रभावित माझा क्षेत्रों के निवासियों को संबंधित ग्रामसभा के नुपरहार भूमि में आबादी के लिये भूमि आवंटित करने की योजना विचाराधीन नहीं है। घाघरा नदी के दक्षिणी किनारे स्थान नये घाट अयोध्या से सरकार द्वारा एक बांध बिलहर घाट तक निर्माणाधीन है, जिसके पूर्ण हो जाने पर माझा क्षेत्र में स्थित ग्राम माझा आशिकबाग पाठकपुर माझा शाहनेवाजपुर व माझा तिहूरा माझा कुढ़ा के शवपुर व माझा मोहतरिम नगर, माझा सराय रासो, माझा राजेपुर व रामपुर इलवारा व माझा मूड़ाडीहा तथा माझा जलालुद्दीन नगर आदि ग्रामों में कृषि भूमि का बचाव हो जायगा।

जिलाधिकारी, फैजाबाद से प्राप्त सूचनानुसार माझा क्षेत्र की पैमाइश हेतु अभिलेख शुद्धीकरण के लिये भेजी गयी संस्तुति राजस्व परिषद् के विचाराधीन है।

सुल्तानपुर जिले के ग्राम बाहरपुर के कतिपय बागों के पेड़ों की संख्या एवं उन पर कब्जा

105—श्री राम गोविन्द —

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुलतानपुर में स्थित गाटा संख्या 824, 1514, 1515/1, 1925, 1926, 1947, 1924, 1515/2, 1923 पर किस किस प्रकार के कितने पेड़ लगे है तथा अनुमानित वह कितने वर्ष पुरान है इन पड़ों की सुरक्षा हेतु कोई कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

गाटा संख्या–824, 1514, 1515 तथा 1947 जैगम अली खां के नाम अंकित है, जिसमें, गाटा संख्या–824, तथा 1514 पर कोई पेड़ नहीं है। गाटा संख्या–1515 में बाग दर्ज है जिसमें 18 पेड़ आम तकरीबन सौ साल, 2 पेड़ महुआ तकरीबन सौ साल, एक महुआ तकरीबन 5 साल, एक पेड़ जामुन तकरीबन सौ साल, 6 पेड़ आम तकरीबन 25 साल पुराने इस प्रकार कुल तीन तरह के 28 पेड़ है। गाटा संख्या–1947 में बाग मजरूआ दर्ज है, जिसमें एक पेड़ नीम तकरीबन 15 साल एक पेड़ बेर तकरीबन 4 साल, एक पेड़ बबूर तकरीबन 10 साल, एक पेड़ आम तकरीबन 12 साल 6 पेड़ आम तकरीबन 15 साल तथा आम 24 लगभग 100 साल पुराने हैं। गाटा संख्या

1924, 1925, गाटा संख्या–1923 में शामिल है और बाग दर्ज है। गाटा संख्या 1923, 1924, 1925 तथा 1926 भजन आदि के नाम दर्ज हैं। गाटा संख्या–1923/0–5–0 भजन आदि के नाम दर्ज हैं जिसमें 11 पेड़ आम तकरीबन 80 साल के हैं तथा गाटा संख्या–1923/0–4–5 फजल मोहम्मद के नाम दर्ज है जिसमें 4 पेड़ कटहल तकरीबन 50 साल के हैं। गाटा संख्या–1923/0–1–0 रकबे में रास्ता है जिसमें 2 पेड़ जामुन तकरीबन 80 साल के हैं। गाटा संख्या–1926 में दो पेड़ आम तकरीबन 70 साल के हैं। पेड़ों की सुरक्षा अंकित खातेदार स्वयं कर रहे हैं।

नगरपालिका, रायबरेली के स्व० श्री मकबूल हसन की शत्रु सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा

106––श्री राम गोविन्द––

विधानसभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे शुक्रवार के अता0प्र0स0–116 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शत्रु सम्पत्ति किस दिनाँक को घोषित की गयी है, नगरपालिका, रायबरेली में किस-किस के नाम अंकित है तथा मकान की बेदखली आदि की कार्यवाही कब किसके द्वारा की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

प्रश्नगत सम्पत्ति के मालिक स्वर्गीय श्री मकबूल हसन पुत्र श्री इकरामउल्ला थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी बेवा श्रीमती अहमदी बेगम अपने पुत्रों तथा पुत्री के साथ सन् 1961 में पाकिस्तान चली गयी थीं और इस बात की जानकारी होने पर उनके द्वारा भारत में छोड़ी गयी सम्पत्तियाँ केन्द्रीय सरकार की विज्ञप्ति संख्या 12/2/65–ई0पी0टी0वाई0, दिनाँक 10 सितम्बर, 1965 द्वारा अभिरक्षक, शत्रु सम्पत्ति में निहित मानी गयीं। नगरपालिका रायबरेली के अभिलेखों में एक खंडहर तथा दो मकान स्व0 श्री मकबूल हसन के नाम 1979 तक अंकित था और सन् 1979 में उक्त मकान नम्बर 363 (पुराना 517) बदरुल हसन तथा मकान नम्बर 375 (पुराना 334) कबीर अहमद के नाम अंकित है। मकान नम्बर 348 (पुराना 514) अब खंडहर है और 1979 के बाद किसी के नाम अंकित नहीं है। उपरोक्त सम्पत्ति की बेदखली तथा श्रीमती अहमदी बेगम के पाकिस्तान जाने के वर्ष 1961 से क्षतिपूर्ति की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा 21–8–1982 को आरम्भ की गयी जो अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित है।

107––श्री जयदीप सिंह बरार––

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

शाहजहांपुर के ग्राम गुर्रा की सीमा निर्धारण सम्बन्धी पत्र

108––श्री सत्यपाल सिंह––

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गुर्रा तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर के प्रधान ने अपने गाँव की सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दिनाँक 2–9–83 को जिला अधिकारी को दिया था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम गुर्रा के प्रधान ने अपने ग्राम की सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में एक दिनाँक रहित प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को 5–9–83 को दिया था। आवेदन-पत्र प्राप्त होने से पूर्व इस ग्राम की सीमा निर्धारण हेतु दो बार पैमाइश की गयी।

प्रश्नगत ग्राम गुर्रा तथा जनपद हरदोई के ग्राम झाथुपुर के मध्य सीमा अतिछादन (ओवर-लैपिंग) एवं अन्तराल (गैप) से प्रभावित पाई गयी, जिसके निस्तारण हेतु सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाएं प्रस्तावित है।

सुल्तानपुर जिले के ग्राम कमालपुर में कथित भूदान की भूमि का पट्टा

109––श्री मोहन सिंह––

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम कमालपुर परगना गौराजामों, तहसील मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर में भूदान की जमीन उपलब्ध न होने के बावजूद लोगों को पट्टा दिया गया है जिसकी शिकायत वहाँ के ग्राम प्रधान ने किया है ? यदि हाँ, तो पट्टा देने वाले अधिकारी,

लेखपाल, संयोजक तथा नायब तहसीलदार के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त जाली पट्टे करवाने में चकबन्दी अधिकारी जामों भी सम्मिलित हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

ग्राम कमालपुर, परगना गौरा, जामो तहसील मुसाफिरखाना में स्थित गाटा संख्या 420 मि0 (1 बीघा) का गलत पट्टा बिना भूदान समिति के माध्यम से दिए जाने की जानकारी होने पर, जिलाधिकारी द्वारा जाँच कराई जा रही है। लेखपाल, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो तथा सम्बन्धित नायब तहसीलदार का स्पष्टीकरण लेकर विभागीय कार्यवाही करने का आदेश परगनाधिकारी मुसाफिरखाना को दे दिए गये हैं।

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, मुसाफिरखाना ने जाँचोपरान्त सूचित किया कि इस मामले में चकबन्दी अधिकारी, जामों का हाथ नहीं है।

110---श्री नन्द किशोर सिंह---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

फैजाबाद जिले के ग्राम घोड़वल की ग्राम समाज की भूमि के आवंटन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

111---श्री राम स्वरूप वर्मा---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम घोड़वल, तह0 बीकापुर, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत कितनी ग्राम समाज एवं अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि है और उक्त भूमि के आवंटन हेतु अगस्त/सितम्बर, 1983 में उक्त ग्राम के निर्धन एवं भूमिहीन हरिजनों के विधायकों के पत्र एवं सबल संस्तुति के साथ अग्रसारित कितने प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी, फैजाबाद राजस्व सचिव तथा राजस्व मन्त्री को मिले हैं ? यदि हाँ, तो सम्पूर्ण ग्राम समाज एवं अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि को प्रत्येक हरिजन आवेदनकर्त्ता को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गयी तथा कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

ग्राम घोड़वल, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत ग्राम समाज की कृषि योग्य कुल 25111/भूमि उपलब्ध है। उक्त भूमि के आवंटन हेतु उक्त ग्राम के निर्धन एवं भूमिहीन हरिजनों श्री भवानी प्रसाद आदि 15 व्यक्तियों का सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित एक प्रार्थना-पत्र दिनाँक 15-9-83 प्राप्त हुआ था। इस क्षेत्र का लेखपाल बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में राहत कार्य में माह सितम्बर, अक्तूबर में व्यस्त रहा जिससे आवंटन की कार्यवाही नहीं हो सकी। उपलब्ध भूमि के आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार कर ली गयी है। भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

शेष का अभी प्रश्न नहीं उठता।

112---श्री राम स्वरूप वर्मा---

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सुल्तानपुर जिले के ग्राम मझौवा स्थित तालाबों का पट्टा

113---श्री मित्रसेन---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मझौवा, परगना बरौसा तहसील सदर व जिला सुल्तानपुर में स्थित भूमि के खाता नं0 119 के खसरा नं0 108 व 117 के रकबे को ग्राम के किसी बड़े भू0पू0 जमींदार के नाम मछली पालन हेतु पट्टा कर दिया गया है ? उक्त सार्वजनिक भूमि के बहुत बड़े हिस्से में ग्रामवासियों के आरोपित वृक्ष तथा अन्य सरकारी सम्पत्ति खड़ी है ? यदि हाँ, तो पात्र न होते हुए भी इन्हें पट्टा दिए जाने का कारण क्या है ? इसके कौन लोग दोषी हैं ? इस अनियमित पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम मझौला, परगना बगेसा, तहसील सदर, जिला सुल्तानपुर स्थित खाता सं0 119 सन् 1390–93 फ0 के खसरा सं0 108-ब तथा 117 का दस वर्षीय पट्टा श्री रामबीरज मिश्र आत्मज श्री शिव शंकर मिश्र मझौवा के हक में दिनाँक 21–7–83 ई0 को मत्स्य पालन हेतु हुआ है। पट्टेदार एक प्रशिक्षित बेरोजगार नवयुवक है। भूतपूर्व जमींदार नहीं है। भूमि प्रबन्धक समिति मझौवा महम्मदीपुर ने अपनी बैठक दिनाँक 16–1–1983 ई0 को उक्त गाटों के मत्स्य पालन हेतु पट्टे श्री राम धीरज मिश्र के नाम प्रस्ताव पारित किया था क्योंकि इनके अलावा अन्य कोई पात्र व्यक्ति नहीं था।

उक्त दोनों भूखण्ड भू-अभिलेखों में तालाब अंकित हैं तथा मौके पर भी तालाब हैं। तालाब के किनारे ऊंचे भीट स्थित हैं। इनमें से तालाब संख्या–117 के किनारे स्थित भीटें पर पलाश (ढाक) के स्वतः उगे हुए छोटे-छोटे वृक्ष खड़े हैं। तालाब संख्या 108–ब के किनारे भी आम तथा जामुन एवं बाँस कोठी के वृक्ष स्थित हैं।

पट्टेदार मत्स्य व्यवसाय में वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त है तथा भूमि प्रबन्धक समिति नियम संग्रह 60(2) (ख), (3) के अन्तर्गत निर्धारित वरीयता क्रम में आता है।

पट्टा नियम अनुकूल होने के कारण पट्टे निरस्तीकरण की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले में गंगा एवं राम गंगा नदी की बाढ़ से क्षति

114—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद की सदर तहसील के परगना अमृतपुर, परगना खाखटमऊ एवं परगना परमनगर में इस वर्ष गंगा एवं रामगंगा नदी में आई भीषण बाढ़ के फलस्वरूप शतप्रतिशत फसल नष्ट हो गयी है? यदि हाँ, तो क्या शासन की नीति के अनुरूप लगान माफी की घोषणा कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1983 की गंगा एवं रामगंगा नदियों की बाढ़ से तहसील सदर फर्रुखाबाद के परगना अमृतपुर खाखटमऊ व परमनगर के समस्त ग्राम प्रभावित हुए थे। इन ग्रामों में बाढ़ के कारण खरीफ की सभी फसलों को 60 प्रतिशत से लेकर 74 प्रतिशत तक की क्षति हुई। फलस्वरूप जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रभावित ग्रामों की मालगुजारी में छूट के प्रस्ताव को तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। जनपद से छूट के प्रस्ताव शासन को प्राप्त होने पर नियमानुसार छूट की कार्यवाही की जायगी।

बाराबंकी जिले में संग्रह अमीन श्री कृष्ण प्रसाद के बकाए वेतन का भुगतान

115—श्री भगवान दीन कुशवाहा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 2रे शुक्र के लिए निर्धारित अता0प्र0पं0–102 के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण प्रसाद को दिनांक 23–1–54 से दिनांक 20–3–65 तक के देय वेतन वृद्धियों की धनराशि रु0 5040–00 में से धनराशि रु0 4320-00 का भुगतान किन-किन तिथियों में तथा कितना-कितना किया गया है? उक्त भुगतान का पूर्ण विवरण क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री कृष्ण प्रसाद को संग्रह अमीन के अल्पकालिक पदों पर दिनांक 23–1–54 से लगाया गया था। इन्हें वेतन रु0 60 मासिक की दर से दिनांक 23–1–54 से 20–3–65 तक

रु0 4,320 का भुगतान निम्न विवरण के अनुसार कराया गया था--

श्री कृष्णा प्रसाद भूतपूर्व संग्रह अमीन का कार्यकाल		भुगतान की गयी धनराशि जो इन्हें मासिक बिलों द्वारा की गयी
23-1-54 से 30-3-54	3-8-55 से 17-9-55	
11-2-56 से 30-3-56	11-6-56 से 10-8-56	12 माह का वेतन दर रु0 60
1-8-58 से 27-8-58	28-2-59 से 13-4-59	प्रतिमाह
28-4-59 से 24-5-59	7-6-59 से 15-7-59	-720/-
16-7-59 से 22-9-59	31-8-59 से 5-10-59	
	5-10-60 से 4-11-60	तदैव
11-11-59 से 1-3-60	17-11-60 से 11-12-60	
	20-12-60 से 20-3-61	
21-3-61 से 20-3-62		तदैव
21-3-62 से 20-3-63		तदैव
21-3-63 से 20-3-64		तदैव
21-3-64 से 20-3-65		तदैव
	योग	4,320

श्री कृष्ण प्रसादको देय वेतन वृद्धियों की धनराशि रु0 720 का भुगतान दिनांक 7-7-82 को कर दिया गया है ।

गोरखपुर जिले के ग्राम कैथवलियां की पोखरी (तालाब) का पट्टा

116--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कैथवलिया तप्पा पतरा परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर में मत्स्य पालन एवं शिकार माही हेतु पोखरी (तालाब) का पट्टा मार्च, 80 में उक्त गांव के ही निवासी श्री मुकुरधुन हरिजन पुत्र श्री खदेरू के पक्ष में हुआ और और मुकुरधुन पट्टेदार ने चार वर्षों तक नियमित रूप से किस्त जमा कर मछली पालन किया परन्तु इस वर्ष कुछ लोगों द्वारा उक्त पट्टेदार हरिजन को मछली मारने से रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार हरिजन उक्त पट्टेदार को उचित कानूनी संरक्षण देने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम कैथवलिया ने गाटा संख्या-175 रकबा 2-06 एकड़ (पोखरी) का दस वर्षीय पट्टा मत्स्य पालन हेतु 250-00 वार्षिक नजराना पर श्री मुकुरधुन पुत्र खदेरू (हरिजन) निवासी ग्राम कैथवलिया को देने का प्रस्ताव दिनांक 5-3-80 को किया था जिसका अनुमोदन दिनांक 13-3-80 को परगनाधिकारी सदर ने किया। श्री मुकुरधुन प्रतिवर्ष नियमित रूप से नजराने की धनराशि का भुगतान ग्राम सभा को करते रहे। दिनांक 17-6-83 को श्री मुकुरधुन ने परगनाधिकारी सदर को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया कि प्रधान अन्य असामाजिक तत्वों के साथ उसको मछली मारने से रोक रहे हैं। इस पर परगनाधिकारी ने 17-6-83 को थानाध्यक्ष पिपराइच को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिया तदुपरान्त दिनांक 23-7-83 को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा मामले में यथा स्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया गया। यह आदेश अब भी लागू है ।

बिजनौर जिले में दिए गए खाण्डसारी इकाइयों को लाइसेन्स

117—श्री थम्मन सिंह गहलौत—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 72–73 में तथा वर्ष 82–83 में जनपद बिजनौर में कितनी खांडसारी इकाइयों के लाइसेन्स दिए गये और कितनी इकाइयां कार्यरत रहीं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

जनपद बिजनौर में वर्ष 1972–73 में 636 पुरानी इकाइयों के लाइसेन्स नवीनीकृत किए गये तथा 105 नए लाइसेन्स दिए गये जिनमें कुल 639 इकाइयों ने कार्य किया तथा 1982–83 में 484 पुरानी इकाइयों में लाइसेन्स नवीनीकृत किए गये और 10 नए लाइसेन्स दिए गये जिनमें 402 इकाइयों ने कार्य किया ।

चीनी मिलों के क्रय केन्द्रों पर लगाये गए तौल कांटे सम्बन्धी नियम बनाने की मांग

118—श्री थम्मन सिंह गहलौत—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी द्वारा गन्ना क्रय केन्द्रों पर लगाए जाने वाले तौल कांटे (वेब्रिज) एक निश्चित अवधि के बाद तौल करने के योग्य नहीं रहते और गलत तौल दिखाने लगते हैं ? यदि हां, तो एक निश्चित अवधि के बाद तौल कांटे को हटाकर नया तौल कांटा लगाने के लिए कानून बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

चीनी मिलों के क्रय केन्द्रों पर प्रयोग लाए जाने वाले तौल कांटे (वेब्रिज) का प्रत्येक वर्ष उ0प्र0 बांट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 के अधीन बनी नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सामयिक परीक्षण एवं मुद्रांकन अनिवार्य है। यह निश्चित अवधि एक वर्ष रखी गयी है क्योंकि बराबर प्रयोग में रहने पर यह सम्भावना रहती है कि नियमावली के अनुसार विशुद्धता कायम न रहे। यह आवश्यक नहीं है कि वे निर्धारित अवधि के बाद ही गलत तौल दिखाने लगें क्योंकि यह स्थिति एक दिन में भी उत्पन्न हो सकती है। इस सम्बन्ध में कोई अवधि तौल कांटों को निष्प्रयोज्य घोषित करने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित नहीं की गयी है।

तौल कांटे पुराने हों या नए उन्हें नियमावली के अनुसार होना अनिवार्य है ? यदि उनमें कमी/बेशी पाई जाती है तो उसे लाइसेन्सधारी द्वारा नियमावली के प्रादिधानों के अनुसार उनमें सुधार करने की व्यवस्था है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें हटाकर नया कांटा लगाने का कानून बनाया जाय ।

119–120—श्री पंचानन राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

121—श्री पंचानन राय—

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आजमगढ़ जिले में बाढ़ से क्षति

122—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82 तथा वर्ष 83 में आजमगढ़ जनपद में बाढ़ से अलग-अलग कितनी हानि हुई है तथा राहत के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

आजमगढ़ जनपद में बाढ़ से वर्ष 1982 तथा वर्ष 1983 में क्रमशः 2.32 करोड़ रुपए तथा 11.20 करोड़ रुपए की अनुमानित हानि हुई है तथा राहत कार्यों के लिए उक्त जनपद को शासन द्वारा वर्ष 1982 तथा वर्ष 1983 में क्रमशः 30.20 लाख रुपए व 34.80 लाख रुपए का आवंटन किया गया ।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के ग्रामों की चकबन्दी

123—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में घोसी तहसील के कौन-कौन से गांव ऐसे हैं जिनकी चकबन्दी प्रारम्भ हुए पांच वर्ष से अधिक हो गया किन्तु अभी तक चकबन्दी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है ? इन गांवों की चकबन्दी में अनावश्यक विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इनकी चकबन्दी कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद आजमगढ़ के घोसी तहसील में 5 वर्ष से अधिक पुराने संलग्न सूची में अंकित 130 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है इन ग्रामों की चकबन्दी के विलम्ब का कारण अन्तिम अभिलेखों की तैयारी के लिए बचे बड़े गांव हैं। इन ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 446–447 पर)

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के ग्रामों की चकबन्दी

124—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील के कौन-कौन से गांव ऐसे हैं जिनकी चकबन्दी प्रारम्भ हुए 5 वर्ष से अधिक हो गया किन्तु अभी तक चकबन्दी की प्रक्रिय पूरी नहीं हुई है ? इन गांवों की चकबन्दी में अनावश्यक विलम्ब के क्या कारण हैं ? तथा इनकी चकबन्दी कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील के 104 ग्राम ऐसे हैं जिनमें चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हुए 5 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। सूची संलग्न है। अन्तिम अभिलेखों की तैयारी के लिए बचे गांव बड़े हैं इसलिए सन्दर्भों के निस्तारण व पैमाइश सम्बन्धी समस्याओं में समय लगने के कारण विलम्ब हुआ है। उपरोक्त 104 ग्रामों में से 20 ग्रामों में चकबदी प्रक्रिया इस वित्तीय वर्ष में तथा शेष 84 ग्रामों में अगले वर्ष में पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 448–449 पर)

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में सूखा

125—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 83 में सूख से कितनी हानि हुई है तथा इसके लिए क्या-क्या राहत कार्य किए गये हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1983 में आजमगढ़ जनपद की तहसील सगड़ी में सूखे के कारण खरीफ की फसलों को अनुमानित रु0 5,08,72,000 की क्षति पहुंची। कृषकों को राहत देने हेतु सरकारी देयों की वसूली तीन माह तक स्थगित कर दी गयी। सिचाई साधनों को प्राथमिकता के आधार पर सुचारु रूप से चलाने हेतु सिचाई विभाग को आदेश दिए गये तथा राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराया गया। निराश्रितों असहायों को 10 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति मास की दर से निःशुल्क गेहूं वितरित किया गया।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 450–451 पर)

आजमगढ़ जिले के ग्राम रौनापार की पैमाइश

126—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रौनापार तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ की पैमाइश किए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 9–9–83 उप संचालक चकबन्दी सगड़ी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

चकबन्दी अधिकारी सगड़ी को ग्राम रौनापार की पैमाइश कराए जाने का आदेश दे दिया गया है जो रबी की फसल कटने के बाद सम्पन्न कराई जायगी।

जौनपुर जिले के ग्राम कुसिया में भूमि का कथित आवंटन

127—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के ग्राम कुसिया में दिनांक 13-3-83 को उस भूमि का भी कुछ लोगों को आवंटन कर दिया गया जिसमें गत बीसों वर्षों से परिगणित जाति के मुसहरों के कई परिवार आबाद थे? क्या सरकार इस अवैध आवंटन को निरस्त कर उक्त भूमि में आबाद परिगणित जाति के भूमिहीन मुसहरों को आवंटित करेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम कुसिया तहसील केराकत जनपद जौनपुर में दिनांक 13-3-83 को आवास हेतु कोई आवंटन नहीं हुआ है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर जिले के लेखपाल श्री कृष्ण कुमार यादव, ग्राम रसूलपुर इजरी, मनहन के अभिलेख के साथ फरार

128—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के रसूलपुर इजरी मनहन आदि के सारे अभिलेख लेकर वहां का लेखपाल कृष्ण कुमार यादव फरार है? यदि हां तो इसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

श्री कृष्ण कुमार यादव अभिलेख लेकर फरार थे। इस सम्बन्ध में श्री यादव के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट लिखायी गयी जिसके फलस्वरूप श्री यादव द्वारा जुलाई 1983 में समस्त अभिलेख श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त प्रशिक्षित लेखपाल को उपलब्ध करा दिये गये हैं।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, जौनपुर की बैठक की अध्यक्षता

129—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति जौनपुर को दिनांक 6-10-83 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता आठ विधायकों के उपस्थित रहते हुए भी जिलाधिकारी ने की? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी बैठकों की अध्यक्षता भविष्य में जन-प्रतिनिधि ही किया करें?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां।

श्री बी०एन० मिश्र, बन्दोबस्त अधिकारी, सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

130—श्री मि त्रसेन—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ चकबन्दी विभाग शाखा सुल्तानपुर द्वारा शासन एवं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु दिनांक 16-9-83 को संघर्ष करने हेतु कोई संकल्प पत्र सरकार को प्रेषित किया गया है? यदि हां, तो संकल्प-पत्र के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं? तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ चकबन्दी विभाग शाखा सुल्तानपुर द्वारा शासन एवं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए श्री बी0एन0 मिश्र बन्दोबस्त अधिकारी कादीपुर जनपद सुल्तानपुर

के विरुद्ध एक पर्चा छपवा कर वितरित किया गया था। संकल्प-पत्र के मुख्य-मुख्य बिन्दु निम्न-लिखित हैं--

1--सरकारी जीप संख्या यू0आर0ई0 172 की स्टेपनी की चोरी का उत्तरदायित्व श्री मिश्र पर है।

2--उक्त सरकारी जीप का श्री मिश्र द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिए दुरुपयोग।

3--सरकारी जीप संख्या यू0आर0ए0 1158 का श्री मिश्र द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिए दुरुपयोग।

4--श्री मिश्र के दीर्घकाल से जनपद सुल्तानपुर में नियुक्त होने, सुल्तानपुर में ही उनके पुत्र का विवाह होने तथा उनके पुत्र सुल्तानपुर में ही वकालत करते हैं।

5--श्री मिश्र इसी जनपद में दिनांक 7-8-79 से सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी रहे और प्रोन्नति होकर इसी जनपद में दिनांक 4-3-83 से बन्दोबस्त अधिकारी चक-बन्दी नियुक्त हैं।

इसकी जांच अतिरिक्त निदेशक चकबन्दी से करायी गयी। उनकी जांच आख्या का शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

फैजाबाद जिले की बीकापुर तहसील के संग्रह अमीनों की कोटिक्रम सूची

131--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत तहसील बीकापुर के संग्रह अमीनों की कोटिक्रम सूची दिनांक 9 मार्च 1983 को निरस्त करने सम्बन्धी कोई आदेश पारित किया गया है? यदि हां, तो उक्त आदेश के तहत कितने जोन प्रभावित हुए हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के संग्रह अमीनों की कोटिक्रम सूची को निरस्त करने के सम्बन्ध में दिनांक 9 मार्च 1983 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

शेष प्रश्न का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

आजमगढ़ जिले के ग्राम पिहार के भूअभिलेखों से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

132--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पिहार तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के प्रधान तथा सदस्यों का ग्राम भूलेख को तहसील में उपलब्ध कराए जाने से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 13-7-83 के साथ जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां।

ग्राम पिहार के अन्य अभिलेख तैयार हो चुके हैं। अन्तिम भू-चित्र की तैयारी का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इस ग्राम के समस्त अभिलेख तहसील सगड़ी तथा माल अभिलेखागार आजमगढ़ में कार्य पूर्ण होने पर शीघ्रतिशीघ्र दाखिल कर दिए जायेंगे।

आजमगढ़ जिले के ग्राम सबरूपुर के चक मार्गों पर अनाधिकृत कब्जा

133--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सबरूपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में सार्वजनिक चक मार्गों पर अवैध कब्जे के विरुद्ध श्री पुनमासी का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 28-7-83 के साथ परगनाधिकारी सगड़ी, जनपद आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां। अनधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार नियमावली की धारा-115 सी के अधीन बेदखली की कार्यवाही की गयी है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम महुला के लेखपाल श्री परमेश्वर सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

134--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री परमेश्वर सिंह लेखपाल के विरुद्ध ग्राम महुला तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के निवासियों का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 1-7-83 के साथ जिला अधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां।

प्राप्त शिकायती-पत्र में श्री परमेश्वर सिंह लेखपाल के विरुद्ध जालसाजी करना, फर्जी बटा कायम करके विवाद खड़ा करना, घूस लेकर फर्जी पट्टा और अमल-दरामद में भारी गोल-माल करना, कागजात की प्रतिलिपि देने से इंकार करना, कागजात लेकर फरार रहना और इस सम्बन्ध में पुलिस को घूस देना, आवंटित भूमि पर आवंटियों को कब्जा न दिलाना आदि शिकायतें की गयी हैं।

शिकायती-पत्र के सम्बन्ध में जांच कराई गयी व आरोप सही पाए जाने पर श्री परमेश्वर सिंह लेखपाल को निलम्बित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी तथा उन्हें लेखपाल पद के मूल प्रारम्भिक वेतन पर प्रत्यावर्तित करके उनका स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम महुला की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा

135--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महुला, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के चक संख्या 4890 जो ग्राम समाज की सम्पत्ति है पर अवैध कब्जा किये जाने से संबंधित प्रश्न-कर्त्ता का पत्र दिनांक 15-8-83 जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हाँ।

माननीय सदस्य के पत्र में ग्राम महुला तहसील सगड़ी की ग्राम समाज की सम्पत्ति श्री राजदेव पुत्र द्वारिका के नाम दर्ज कराये जाने के प्रयास की शिकायत की गई है।

जाँच आख्या के अनुसार उपरोक्त ग्राम में सम्बन्धित गाटों पर चकबन्दी अधिकारी के मुकदमा नम्बर 4890 तारीख फैसला 29-7-73 के अनुसार अमलदरामद श्री राजदेव पुत्र द्वारिका के नाम दर्ज हैं। अमलदरामद की वैधता की जाँच से सम्बन्धित वाद चकबन्दी अधिकारी के यहाँ विचाराधीन है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम अतरैठ की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा

136--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान ग्राम अतरैठ, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ का ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से संबंधित पत्र दिनाँक 14-8-83 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 28-8-83 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हाँ।

प्रश्नकर्त्ता महोदय के पत्र दिनाँक 28-8-83 के साथ प्राप्त पत्र दिनाँक 14-8-83 पर जाँच परगनाधिकारी द्वारा कराई गई। यह जाँच कुछ बिन्दुओं पर अपूर्ण पाई गई। अतः जिला अधिकारी, आजमगढ़ को अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा जाँच कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

आजमगढ़ जिले की ग्राम सभा लसूलपुर कठरा की चक रोड पर अवैध कब्जा

137—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम चन्दर सिंह ग्राम प्रधान ग्राम सभा लसूलपुर कठरा विकास खंड अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ का चकरोड की पैमाइश कराने तथा उससे अवैध कब्जा हटाये जाने से संबंधित पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनाँक 27-8-83 के साथ जनपदीय अधिकारियों को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत पत्र का जिलाधिकारी के यहाँ प्राप्त होना नहीं पाया गया। सम्बन्धित चक रोड की पैमाइश उस पर अवैध कब्जा करने वाले 15 व्यक्तियों के विरुद्ध तहसीलदार सगड़ी के न्यायालय में 115-सी का मुकदमा दिनाँक 15-12-83 को कायम कर दिया गया है।

तत्कालीन कानूनगो, श्री परमानन्द, क्षेत्र जीयनपुर, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध कागजात गायब करने की शिकायत

138—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री परमानन्द कुमार, भू0 पू0 क्षेत्रीय कानूनगो जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ ग्राम सभा चकछतरपुर, समुन्दरपुर के कागजात लेकर गायब होने से संबंधित श्री संत प्रसाद यादव, ग्राम प्रधान का शिकायती पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनाँक 21-8-83 के साथ परगनाधिकारी सगड़ी जनपद आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ।

तत्कालीन सुपरवाइजर कानूनगो श्री परमानन्द कुमार क्षेत्र जीयनपुर जिलाधिकारी के आदेश से अपने मूल पद लेखपाल पर प्रत्यावर्तित होने के आदेश की जानकारी होने पर बिना चार्ज दिए और अनुमति लिए तहसील सगड़ी से अपने चार्ज के समस्त कागजात लेकर अनुपस्थित हो गये। इस संबंध में उनके विरुद्ध थाना जीयनपुर में प्राथमिक रिपोर्ट कर दी गयी है। जिस पर पुलिस यथोचित कार्यवाही कर रही है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम बालीपुर की चकरोड पर अवैध कब्जा

139—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम बालीपुर के आराजी संख्या 167 तथा चकरोड पर अवैध कब्जा किये जाने से संबंधित कोई प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनाँक 15-8-83 के साथ तहसीलदार सगड़ी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ।

उक्त प्रार्थना पत्र उपलब्ध न होने के कारण प्रार्थी श्री राम औतार पुत्र श्री रामरूप से दूसरा प्रार्थना पत्र प्राप्त कर जाँच करायी गयी। जाँच के समय आराजी संख्या 167 पर कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया। चकरोड पर 10 व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा पाया गया। इन सभी के विरुद्ध तहसीलदार सगड़ी के न्यायालय में 115-सी की कार्यवाही की गई है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम महुला के हरिजनों को भूमि का पट्टा

140—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील के महुला ग्राम के हरिजनों का भूमि आवंटन से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनाँक 15-8-83 के साथ जिला अधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—
जी हाँ।

ग्राम महुला तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ में कुल 104 व्यक्तियों को कृषि भूमि का आवंटन दिनाँक 18–12–75 को किया गया है। इनमें से 48 हरिजन हैं। उक्त पट्टों में से 4 हरिजनों तथा 15 अन्य पट्टेदारों के पट्टे की अमलदरामद चकबन्दी अभिलेख आकार पत्र 23, भाग–3 में किया जा चुका है। शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

141–145—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—
[मंत्रि परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

सेवरही चीनी मिल, जिला देवरिया के गन्ने की पडरौना चीनी मिल द्वारा पेराई

146—श्री ध्रुव प्रसाद राय—
क्या गन्ना मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेवरही गन्ना समिति जनपद देवरिया से सन 81–82 में कितना गन्ना पडरौना चीनी मिल ने पेराई किया उसकी कीमत कितनी थी तथा कितने धन का भुगतान हुआ ? गन्ने का शेष मूल्य कितना बाकी रहा, उसका मुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—
दिनाँक 29–5–82 को यांत्रिक खराबी के कारण सेवरही चीनी मिल अचानक बन्द हो गयी अतः पेराई सत्र 1981–82 में सेवरही गन्ना समिति जनपद देवरिया का 1.01 लाख क्विंटल गन्ने की आपूर्ति पडरौना चीनी मिल गेट पर करायी गयी जिसके कुल गन्ना मूल्य 20–08 लाख रु0 में से 20.04 लाख रु0 का भुगतान किया जा चुका है शेष चार हजार रु0 के शीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

वाराणसी जिले के ग्राम समहाई भटानी की भूमि का पट्टा

147—श्री ऊदल—
क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा सम्हाई भटानी, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी की भूमि प्रबन्धक समिति ने एक प्रस्ताव 30–6–83 को जमीन आवंटित करने हेतु पास किया और उसकी स्वीकृति परगना हाकिम ने 27–7–83 को बिना जाँच पड़ताल किये ही कर दिया ? ऐसे लोगों को पट्टा कैसे दिया गया ? क्या सरकार इसकी जाँच कराकर पट्टे को निरस्त करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—
ग्राम सम्हाई भटानी, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर के भूमि का आवंटन का प्रस्ताव भू0 प्र0 स0–सम्हाई भटानी ने दिनाँक 30–6–83 को 135 व्यक्तियों के लिए पारित किया था। जिसमें जाँचोपरान्त 11 व्यक्ति अपात्र पाये गये। शेष 124 व्यक्तियों को भूमि के आवंटन का अनुमोदन परगनाधिकारी ज्ञानपुर ने दिनाँक 27–7–83 को किया है। श्री मंहगू आदि निवासी म्हाई भटानी ग्राम सभा द्वारा 122 आवंटियों के विरुद्ध पट्टा निरस्त करने का वाद अपर जिलाधिकारी (प्र0) ज्ञानपुर के न्यायालय में दायर किया गया है। अतः किसी अन्य प्रकार की जाँच नहीं की जा सकती।

आजमगढ़ के ग्राम छत्तरपुर के लिए रास्ते की मांग

148—श्री पंचानन राय—
क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकरोड बनाये जाने से संबंधित ग्राम प्रधान चक छतरपुर समुन्दरपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनाँक 30-6-83 के साथ उप संचालक चकबन्दी सगड़ी, जनपद आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ। संदर्भित प्रार्थना पत्र में ग्राम घेरहरा की पश्चिमी सरहद पर ग्राम छतरपुर की हरिजन आबादी के लिये उत्तर की ओर पक्की सड़क पर जाने के लिये रास्ते की माँग की गई है। 10 कड़ी चौड़े रास्ते के लिये चक में संशोधन संबंधी संदर्भ तैयार किया गया है। जिसका निस्तारण नियमानुसार किया जायेगा।

गोंडा जिले की तहसील उतरौला के भवन का निर्माण

149—श्री मसरूर जाफरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में तहसील उतरौला की जो बिल्डिग बन रही है उसका धन के अभाव में निर्माण कार्य रुक गया है? क्या मंत्री जी इस वर्ष उक्त तहसील का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

तहसील भवन का निर्माण दो खण्डों में किया जा रहा है। प्रथम खण्ड का सम्बन्ध आवासीय भवनों से है तथा द्वितीय खण्ड का सम्बन्ध तहसील कार्यालय भवन से है।

आवासीय भवनों के लिए 20 टाइप--I के, 14 टाइप—II के तथा टाइप—III के एक भवन की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से टाइप—I के 20 भवनों, टाइप—II के 8 भवनों तथा टाइप—III के एक भवन का निर्माण पूर्ण हो जाने से इसे तहसील को हस्तान्तरित किया जा चुका है। टाइप—II के शेष 6 भवनों में कुछ कार्य अवशेष है जिसे पूरा कराया जा रहा है। उपरोक्त भवनों तथा तहसील उतरौला के भवन निर्माण हेतु 24.84 लाख रु0 के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति शासन के विचाराधीन है। पुनरीक्षित आगणन की औपचारिक स्वीकृति के प्राप्त हो जाने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

पर्वतीय जिले में अतिवृष्टि से हुई क्षति

150—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, 1983 से सितम्बर, 1983 तक पर्वतीय अंचल के आठों जनपदों में अतिवृष्टि से जन व धन की कितनी हानि हुई है? सरकार ने जनता को राहत देने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

माह अगस्त व सितम्बर, 1983 में पर्वतीय अंचल के आठों जनपदों में अतिवृष्टि से 32 जनजीवन की हानि हुई है और रु0 9,05,14,295 की व्यक्तिगत सम्पत्ति की क्षति हुई।

सरकार द्वारा जनता को राहत देने के लिये पात्र व्यक्तियों में अहेतुक सहायता, गृह निर्माण अनुदान, निःशुल्क खाद्यान्न, नावों का किराया, निकासी तथा मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के वितरण हेतु कुल रु0 49.82 लाख का आवंटन किया गया तथा तकावी मद में रु0 14.20 लाख का आवंटन किया गया जिसका जिलेवार विवरण अनुलग्नक में दिया जा रहा है।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 450 पर)

सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद, जिला सीतापुर में नियुक्त सीतापुर के कर्मचारी

151—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद, जिला सीतापुर में कितने कर्मचारी हैं? इनमें से टैक्नीकल, सुपरवाइजरी तथा मजदूर वर्ग के कितने-कितने कर्मचारी हैं और इनमें से सीतापुर जनपद के कितने-कितने हैं?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह---

सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद, जिला सीतापुर में 31-12-83 तक की स्थिति के अनुसार 640 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका विवरण इस प्रकार है--

कर्मचारियों के विभिन्न वर्ग का नाम	संख्या	सीतापुर जनपद के निवासी
टेकनिकल	62	7
सुपरवाइजरी .. .. .. (लिपिक वर्ग सहित)	124	87
मजदूर	454	363
योग	640	457

बलरामपुर चीनी मिल, जिला गोण्डा पर बकाया गन्ना मूल्य

152---श्री मसरूर जाफरी---

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में विधान सभा क्षेत्र उतरौला में पिछले वर्ष का चीनी मिल बलरामपुर पर किसानों का कितने रुपया बकाया है? क्या उसका भुगतान नई पेराई सीजन से पूर्व करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह---

जनपद गोंडा के विधान सभा उतरौला क्षेत्र के किसानों का पिछले वर्ष 1982-83 का बलरामपुर चीनी मिल द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य 22.60 लाख रु0 का भुगतान गन्ना समिति बलरामपुर को सत्र आरम्भ होने से पूर्व कर दिया गया है। समिति ने कृषकों को 22.07 लाख रु0 का भुगतान कर दिया है तथा शेष 53 हजार रु0 समिति के पास उपलब्ध हैं जिसका भुगतान चालू है।

दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर, शाहजहांपुर जिला के तौल लिपिक श्री नागेश्वर के विरुद्ध कम तौलने की शिकायत

153---श्री जगदीश सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर (शाहजहांपुर) के गन्ना खरीद केन्द्र, डडिया पर सीजन 82-83 में कितने शीट राइटर तथा तौल लिपिक कम गन्ना तोलने तथा मशीन को गलत करते पकड़े गये? उनको नौकरी से निकाला गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह---

सहकारी चीनी मिल तिलहर (शाहजहांपुर) में वर्ष 82-83 में, वरिष्ठ निरीक्षक बांट व माप तिलहर द्वारा क्रय केन्द्र कटरा न कि डडिया पर कम गन्ना तौल का एक मामला श्री नागेश्वर सिंह, तौल लिपिक के विरुद्ध पकड़ा गया था। श्री सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

गोरखपुर जिले में नई तहसील बनाने का प्रस्ताव

154---श्रीमती गौरी देवी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर में 4 अन्य नयी तहसीलें बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उन नयी तहसीलों का मुख्यालय कहां कहां बनाने का विचार है? तहसील मुख्यालय बनाने के लिये जिला अधिकारी, गोरखपुर को जुलाई, 83 से सितम्बर, 83 तक अनेक ज्ञापन प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य---

जनपद गोरखपुर में 4 नयी तहसील, नौतनवां, गोला, सहजनवां तथा चौरीचौरा में बनाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में अन्य प्रस्तावों के साथ यथास्थिति विचार अष्टम वित्त आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त होने के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा।

सहारनपुर जिले के रायसी रोड व दरगाहपुर रोड का निर्माण

155---श्री मोहन सिंह---

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लक्सर जोन, जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत रायसी रोड, दरगाहपुर रोड पर सन 1971 में 6"(छः इंच) सोलिंग पत्थर व 9" (नौ इंच) रोड़ी पत्थर की कुटाई हुई थी, इसके पश्चात 3" (तीन इंच) रोड़ी पत्थर सप्लाई कराकर उसकी कुटाई कराकर दोनों सड़कों पर प्रिमिक्सिग का कार्य कराया गया था? अब इन सड़कों में 3" (तीन इंच) व 6" (छः इंच) सोलिंग पत्थर व रोड़ी पत्थर बताया जाता है, ऐसा क्यों है? कौन-कौन अधिकारी इनके दोषी हैं और क्या विभाग दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यह भी बताया जाय कि इस प्रकार गन्ना विभाग को कितने रुपयों की हानि हो गई है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह---

जी हां। इसके पश्चात् वर्ष 1979 में उक्त सड़क पर साढ़े चार इंच मोटाई का एक कोट देकर प्रीमिक्सिग कार्य कराने हेतु कार्यादेश दिया गया था जिस पर अन्तिम रूप से प्रीमिक्सिग कार्य वर्ष 1982 में पूर्ण हुआ। क्योंकि उक्त सड़क पर वर्ष 1971 से 1979 तक प्रीमिक्सिंग कार्य नहीं हो पाया था और लगातार ट्रैफिक चलने के कारण जगह-जगह काफी मात्रा में पत्थर अस्त व्यस्त हो गये थे इसलिये 4-1/2 इंच के एक कोट का प्राविधान कर प्रीमिक्सिंग कराया गया था। उक्त सड़कों पर अब 3" (तीन इंच) व 6" (छः इंच) का सोलिंग पत्थर एवं रोड़ी पत्थर बताया जाना सही नहीं है। कार्य नियमानुसार हुआ है, अतः किसी अधिकारी के दोषी होने अथवा हानि होने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

(12 बजकर 20 मिनट)

श्री प्रभू नारायण सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नों के संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अतारांकित प्रश्न संख्या 129 का उत्तर देखें जिसके दो खण्ड थे लेकिन श्रीमन्, एक ही खण्ड का उत्तर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---

इसको आप लिख कर भेज दें और मैं जांच कराकर कार्यवाही करूंगा।

*श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में एक जानकारी देना चाहता हूं। आज सदन के अन्दर एक बिलकुल नयी चीज सामने आयी है जो 1962 से आज तक मेरे सामने नहीं आयी। माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर दिया जो जिले से रिपोर्ट बन कर आती है फलां-फलां इससे संबंधित हैं यह सब जो रिपोर्ट जिले से भेजी जाती है वही रिपोर्ट सदन में पढ़ दी गयी जो इस सदन की परम्परा नहीं है। माननीय सदन की परम्परा यही रही है कि मंत्री जी उस रिपोर्ट के आधार पर अपने जिम्मेदारी से उत्तर देते हैं। वह बहुत पुराने मंत्री हैं लेकिन जो रिपोर्ट जिले से आयी थी अलिफ से लेकर आखिर तक वही पढ़ दी गयी तो यह नयी बात सामने आयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

मेरा निवेदन यह है कि जो प्रश्नों के उत्तर आते हैं जहां तक संभव हो सके माननीय मंत्री और शासन के लोग जो नीचे के अधिकारियों से रिपोर्ट आती है उसको ध्यान में रखते हुए बिलकुल अपने विवेक से अपनी योग्यता से, या जो नियम इत्यादि बने हुए हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिये और उत्तर देना चाहिये।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न 74को देखने की कृपा करें। मैंने पहले भी यह सवाल किया था उसके उत्तर से सन्तुष्ट न हो कर दुबारा मैंने प्रश्न किया था। उसमें मैंने शिकायतकर्ता एक ब्लॉक प्रमुख की एप्लीकेशन को रिकमेंड किया था उसकी जांच होनी चाहिये थी लेकिन मुझसे कोई बयान उस समय नहीं लिया गया। अब बाद में बयान लेने मेरे पास तहसीलदार आये मैंने कहा मेरी रिपोर्ट भी इसके साथ संलग्न है चूंकि ब्लाक प्रमुख की शिकायत है उसके भी बयान लिये जाने चाहिये लेकिन उसके बयान नहीं लिये गये मेरे केवल बयान लिये गये और खानापूरी कर दी गयी। मैंने जो बिन्दु उजागर किये थे और मेरे जो बयान हैं उसमें जो बिन्दु उठाये हैं उनकी जांच नहीं की गयी।

श्री अध्यक्ष--

इसको मैं देख लूंगा लेकिन भविष्य में माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार के प्रश्नों को एक दम यहां पर खड़ा करेंगे तो सिवाय मैं यह कह सकता हूं कि इसकी जांच करा ली जायेगी। यदि पहले से लिखकर मेरी जानकारी में ले आया करें तो मैं उसकी दूसरे या तीसरे दिन रिपोर्ट मंगा कर स्थिति बता सकता हूं लेकिन एक दम उठायेंगे तो न तो मैं और न ही मंत्री उत्तर दे सकते हैं। इसलिये माननीय सदस्य भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे।

श्री केदार नाथ सिंह--

प्रश्नों के संबंध में मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे चैम्बर में आयें। मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा। आप अपनी बात वहां पर बतायें।

संस्कृत विद्यालयों की कठिनाइयों के प्रति सरकार की उपेक्षा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 की मुझे आज 20 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से मैंने श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र, श्री नन्द राम, श्री रेवती रमण सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मोहन सिंह, श्री गोपीनाथ वर्मा एवं श्री राम सागर की सूचनाओं को स्वीकार किया है। शेष सूचनाओं को अस्वीकार किया है। इसलिये भी अस्वीकार किया कि वह 200 शब्दों से अधिक है। माननीय सदस्य भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि दो सौ शब्दों से अधिक न होने पाये, उससे अधिक होने पर सूचना अस्वीकार हो जाती है।

*श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि संस्कृत विद्यालयों की कठिनाइयों के प्रति सरकार की सतत उपेक्षा के कारण उनमें भीषण असन्तोष एवं उत्तेजना है। स्थिति इतनी गहन है कि वह आन्दोलन की राह पर है इस समय विधान सभा के सामने अनेक प्रतिनिधि क्रमिक अनशन कर रहे ह। 28 फरवरी, 1984 से उन्होंने आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। मान्यवर, उनकी मांगें हैं--"वेतन वितरण अधिनियम लागू हो, नवीन मान्यता पाठशालाओं की मान्यता पर रोक, आज तक सृजित अनुमोदित सभी पदों की रिक्ति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संस्कृत विद्यालयों की कठिनाइयों के प्रति सरकार की उपेक्षा के सम्बन्ध में नियम 301 के 383 अन्तर्गत सूचना

की पूर्ति और तदर्थ नियुक्ति के लिये शासन से पूर्ण अनुज्ञा का प्रतिबन्ध तत्काल उठा लिया जाये। अन्य शिक्षा सम्वर्गों की तरह शिक्षा संस्कृत संवर्ग के लिये भी आवास भत्ते, सेलेक्शन ग्रेड, जी0 पी0 एफ0 और राजकीय कर्मचारियों की तरह पेंशन, अनिवार्यतः लागू हो। लिपिक, भृत्य व पुस्तकालयाध्यक्ष के पद सृजित कर उन्हें नवीन वेतनमान दिया जाये। वेतनमान पुनरीक्षित हो और आधुनिक विषय के लिये प्रवक्ता के पद सृजित हों आदि।

आशावान हूं कि शासन माँगें स्वीकार कर स्थिति सामान्य करने की पहल करेगा।

सहकारी चीनी मिल शेखूपुर, बदायूं के लिए अधिग्रहीत की गयी भूमि के काश्तकारों के आश्रितों को नौकरी न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द राम--

मान्यवर, सहकारी किसान चीनी मिल, शेखूपुर, बदायूं में निर्माण होते समय जिन काश्तकारों की भूमि अधिगृहीत की गयी थी उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनके आश्रितों को चीनी मिल में योग्यतानुसार नौकरी दी जायेगी। प्रदेश सरकार की नीति भी यही है। परन्तु खेद है कि निर्माण 6-7 साल के बाद भी शेखूपुर नौशरा के अनेक काश्तकारों के आश्रितों को अभी तक नौकरी में नहीं लिया गया। वह धरना व भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। नौकरी न मिलने से परिवार भुखमरी की दशा में जीवन जी रहे हैं। जिन परिवारों को नौकरी नहीं मिली उनके नाम है---1--हबीब अहमद, 2--जसुरल हसन, 3--साधू, 4--कन्हीलाल, 5--बंशी लाल, 6--सुरेश पाल, 7--वेदराम, 8--राम सहाय तथा रामदयाल, 9--शौकत हुसैन।

मान्यवर, हमारी माँग है कि इन्हें तत्काल नौकरी दी जाये।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टोंस नदी पर बांध बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं आपके द्वारा शासन और सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश सरकार ने बाणसागर सिंचाई योजना बनायी है जिससे टोंस नदी को बाँधकर पानी का बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिये रोक दिया जायेगा।

टोंस नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश के बड़े भूभाग से बहती है जिसमें हजारों ग्रामों की सिंचाई और पीने के पानी दोनों समस्याओं का निवारण हजारों वर्षों से होता आया है।

लेकिन जैसे ही बाणसागर योजना लागू हो जायेगी टोंस नदी या तो सूख जायेगी या इसमें इतना कम पानी हो जायेगा जिससे कि तमाम सिंचाई की लिफ्ट योजनायें जो कि टोंस नदी पर आधारित हैं, और पीने के पानी, की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से माँग करता हूं कि तत्काल हस्तक्षेप करके कार्यवाही करें।

माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ अध्यापकों के विनियमितीकरण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन के संज्ञान में प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त 22,000 तदर्थ अध्यापकों की पीड़ा लाना चाहता हूं। अध्यापकों की नियुक्ति, सरकार द्वारा जारी कठिनाई निवारण अध्यादेश के तहत जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अर्थात् गुणांकों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–]

के आधार पर की गयी थी। इन्हें 2 वर्ष का अनुभव हो गया। 31 जुलाई, 81 से 23 फरवरी, 83 के बीच यह नियुक्त किये गये। अब माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग नियुक्ति कर रहा है। कायदे से तो इन्हें नियमित कर देना चाहिये था परन्तु नियमित करना तो दूर रहा 2 वर्ष की सेवा का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है।

शासन की इस उपेक्षापूर्ण नीति से यह सन्तप्त हैं। पूर्व में नियुक्त वह अध्यापक जिनकी नियुक्ति चयन समिति ने किया था वह सभी शिक्षा अधिनियम की धारा 16 छ–छ बढ़ाकर नियमित कर दिये गये तो इनके साथ भेद क्यों? अध्यापक आन्दोलनरत हैं। अनिश्चितकालीन अनशन चालू है। विनियमितीकरण न होने से वह बेरोजगार हो रहे हैं।

हमारी माँग है कि सभी 22 हजार तदर्थ अध्यापक 16 छ–छ जैसी धारा बढ़ाकर तुरन्त विनिमित किये जायें।

गणेश चीनी मिल आनन्दनगर, गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध श्री हर्षवर्द्धन सिंह के आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह––

अध्यक्ष महोदय, गणेश चीनी मिल, आनन्दनगर, जिला गोरखपुर के किसानों, मजदूरों के शोषण, वेतन में असमानता, गन्ना मूल्य के भुगतान सहित 31 सूत्रीय माँगों के समर्थन में जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन सिंह 5 फरवरी को आमरण अनशन पर हैं। उनकी हालत शोचनीय है। 20 किलो वजन कम हो गया तो जिलाधिकारी अथवा उप श्रम आयुक्त ने मामले के निस्तारण के लिए कोई पहल नहीं की है। मजदूरों की छटनी हो रही है तथा 3 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है। अनशनकारी की गम्भीर हालत के कारण मिल में हड़ताल हो गयी है। शीघ्र हस्तक्षेप कर अनशनकारी की जान बचाने का आग्रह करता हूं।

फैजाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्तियों में रिश्वत लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोपीनाथ वर्मा––

महोदय, जनपद फैजाबाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 15000 के लगभग बेरोजगार बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों में से 103 को प्राथमिक विद्यालय में दिनाँक 15–9–83 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया तथा अपने ही आदेश को 22--11–83 को निरस्त कर दिया जबकि फैजाबाद में प्राथमिक विद्यालयों में मानक के आधार पर 323 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। रिश्वत लेने के लालच में सम्पूर्ण रिक्त पदों पर नियुक्ति आदेश जारी न करके मात्र 103 अध्यापकों की नियुक्ति की थी। यही नहीं जनपद फैजाबाद के बाहर के अधिकाँश बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर नियुक्ति करके 8000 से 10,000 रुपये तक रिश्वत लिया गया है। बी0 एस0 ए0 कार्यालय में कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति के मामले को लेकर इतना मतभेद बढ़ गया है कि बी0 एस0 ए0 कार्यालय में बैठने में दहशत महसूस कर रहे हैं और पागलपन का बहाना बनाकर इधर उधर भटक रहे हैं। जिससे शिक्षा परिषद् का सारा कार्य अस्त व्यस्त हो गया है बेरोजगार अध्यापकों में असंतोष व्याप्त है तथा आन्दोलन कर रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से माँग करता हूं कि बेसिक शिक्षाधिकारी का स्थानान्तरण करके सम्पूर्ण मामले की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आई०टी०आई० बेरोजगारों की मांगों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सागर--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

प्रदेश सरकार जहाँ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रही है। वहीं प्रदेश में लगभग 14,000 आई0टी0आई0 के प्रशिक्षित बेरोजगार नवयुवक हैं, जिनके माता पिता ने अपनी गरीबी में पेट काट कर उन्हें पढ़ाया लिखाया वे आज बेरोजगार दिशाविहीन होकर दिनाँक 3 फरवरी, 84 से विधान सभा के समक्ष अपनी खपत व रोजी रोटी के लिए क्रमिक अनशन कर रहे है। इन आई0 टी0 आई0 बेरोजगारों ने दर्जनों बार अपनी जीविका एवं खपत की समस्या सरकार के सामने रखा। लेकिन सरकार ने इन बेरोजगारों की समस्या को हल करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जिससे कि प्रदेश के इन बेरोजगारों में व्यापक असंतोष व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल सरकार इन आई0 टी0 आई0 बेरोजगारों द्वारा दिये गये 10 सूत्री मांगों के ज्ञापन पर विचार करके सेवा में लगाये जाने की कृपा करें जिससे कि यह बेरोजगार भी समान नागरिक की तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर जीवन यापन कर सकें।

रविदास जयन्ती के अवसर पर राजकीय अवकाश घोषित न किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

औचित्य के प्रश्न की मुझे 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं एक एक करके लेता चलूंगा। पहली सूचना सर्वश्री गोपीनाथ वर्मा, राम सागर व यमुना प्रसाद की है, दूसरी सूचना श्री सन्तबख्श रावत की है। तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है और चौथी सूचना सर्वश्री रियासत हुसैन और अकबर हुसैन की है। सबसे पहले गोपीनाथ वर्मा जी का है....

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मैंने भी नियम 301 में अपनी महत्वपूर्ण सूचना दी थी, किन्तु उसे आपने स्वीकार नहीं किया, जबकि उसमें डेढ़ सौ से अधिक शब्द भी नहीं थे। मैंने आपसे यह भी निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में 26 दिसम्बर के दिन एक रिटायर्ड ....

श्री अध्यक्ष--

आप कल फिर से लिख कर दे दें, मैं कल स्वीकार कर लूंगा।

*श्री गोपीनाथ वर्मा--

मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि रविदास जयन्ती को गजेटेड हालिडे डिक्लेअर करने के लिये यहां पर सरकार की ओर से आश्वासन मिला था? 16 फरवरी को रविदास जयन्ती थी और उस बारे में अभी तक कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया जबकि यह सरकार पूरे प्रदेश में हरिजनों के नाम पर बड़ा ढिंढोरा पीटती है। विधान सभा को तो बन्द कर दिया पर छुट्टी नहीं घोषित की। तो सरकार स्पष्ट यह बताये कि वह इसको गजेटेड हालिडे घोषित करेगी या नहीं?

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है वह विधान सभा के कार्य संचालन से संबंधित नहीं है और न ही किसी प्रकार का इस संबंध में आश्वासन ही दिया गया था। यह बात जरूर थी कि जब आपके यहां मीटिंग हो रही थी तब यह मांग उठी थी कि छुट्टी होनी चाहिये। अभी तक यह निर्बन्धित अवकाश है। आपने निर्देश दिया था कि कार्यवाही की जाये। अब इसको गजेटेड हालिडे करने के लिये जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

यह मैं अस्वीकार करता हूं पर, मैं चाहता हूं कि इस पर आप शीघ्र विचार कर निर्णय लें।

*श्री सन्त बख्श रावत--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा कि इसका यहां के कार्य संचालन से संबंध नहीं है। हमने जो नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी थी उसको आपने स्वीकार कर यह निर्णय दिया था कि उस पर विचार किया जाये और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि विचार करेंगे। तो यह सदन का अंग बन गया। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसके बारे में स्पष्ट कोई आश्वासन दें। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

इस पर व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, इस पर निर्णय हो चुका है।

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। यह चूंकि माननीय विधायकों और संसद सदस्यों से संबंधित है, इस वक्त में इसको स्थगित करता हूं क्योंकि माननीय परिवहन मंत्री इस समय चले गये हैं। जब वे होंगे तब यह लिया जायेगा। यह आगे लिया जायेगा।

श्री अम्मार रिजवी--

जैसी आपकी आज्ञा हो।

इटावा रेलवे स्टेशन पर सांसद श्री राजीव गांधी द्वारा किए गये सम्बोधन का इटावा के सूचना अधिकारी द्वारा प्रेस नोट जारी किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि यह सदन संबिधान के अनुच्छेद 202, 203 व 204 के अन्तर्गत बजट पास करता है। बजट पास करने के बाद विनियोग विधेयक पास होता है और उसमें यह व्यवस्था रहती है कि जिस मद के लिये जो धनराशि स्वीकृति की गयी है उससे अधिक खर्च नहीं होगी। मान्यवर, इस संबंध में सरकार की ओर से बड़ा ही घिनौना उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मान्यवर, मैंने आपको फोटो स्टेट कापी भी दी है जिसमें इटावा के जिला सूचना अधिकारी श्री रवि कुमार तिवारी के हस्ताक्षर हैं। संवाद पत्र, इटावा दिसम्बर 26, 1983 की मैंने फोटो स्टेट कापी आपको दी है जिसमें वहां के सूचना अधिकारी ने श्री राजीव गांधी जो शासन के कोई अधिकारी नहीं है, शासन से उनका कोई मतलब नहीं है, वह कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हो सकते हैं, अपनी जगह पर वह ठीक हैं, लेकिन वह शासन के कोई अधिकारी नहीं है। वह कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे, इटावा में गाड़ी रुकने पर उन्होंने कार्यकर्त्ताओं को संबोधित किया और संबोधन को वहां के जिला सूचना अधिकारी पर दबाव डालकर प्रेस नोट जारी कराया गया। प्रेस नोट में साफ-साफ लिखा है कि निःशुल्क प्रकाशनार्थ। आज प्रातः लगभग 10 बजे इटावा रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नं0 3 पर एक विशेष रेलगाड़ी द्वारा पधार कर सचिव श्री राजीव गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार.....उनका भाषण दिया हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि सरकारी नियमों के साथ ही हमें उनकी सेवा दिल से करनी है तथा उनका उत्थान भी हमें करना जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि हमें ऐसे तत्वों से निपटना है जो महिलाओं पर अत्याचार करते है। श्री राजीव गांधी ने कहा कि इस जनपद का दौरा करने के लिये मैं पुनः आपके पास आऊंगा। तो मान्यवर, यह प्रेस नोट जारी किया गया है। हमने सूचना विभाग का बजट पास किया है। उसको कल मैंने पूरे का पूरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखा। उस पत्र में सूचना शाखा का खर्चा दिया है। उसके तहत जो सरकारी अधिकारी है उनके वक्तव्य प्रकाशित किये जाते है, सरकार के क्या कार्यक्रम है और क्या नीतियां है उसको प्रकाशित किया जाता है। राजीव गांधी सरकार के कोई आदमी हैं नहीं। यह जान बूझ कर सरकारी पद का दुरुपयोग करके सरकार के खर्चे से अपने दलीय प्रचार का साधन इस सरकार में बनाया जा रहा है. सरकारी अधिकारियों को दलीय प्रचार का साधन बनाया जा रहा है। ग्राम्य विकास मंत्री जी भी वहां उपस्थित थे।, उन्होंने सूचना अधिकारी से प्रार्थना की कि उसमें इतना और छाप दें कि मैंने भी माल्यार्पण किया जिससे जनता को पता चल जाय कि उनकी राजीव गांधी तक पहुंच है।

श्री अध्यक्ष---

आप लोग आपस में बात न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

उसमें यह प्रकाशित करा दिया कि प्रदेश के ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज मंत्री माननीय श्री बलराम सिंह यादव तथा अन्य महानुभावों ने श्री राजीव गांधी को माल्यार्पण किया। तो मान्यवर मेरा संवैधानिक आपत्ति है कि क्या सरकारी खर्चे से सरकारी साधनों से, सरकारी व्यक्तियों द्वारा, सत्तारूढ़ दल के व्यक्तियों का प्रचार किया जा सकता है। जो बजट विधान मंडल ने पास किया है और बजट में साफ-साफ प्राविधान कर दिया है उन प्राविधानों के विपरीत यह खर्च किया गया है। मैं इन तीन बिन्दुओं पर अपना औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मान्यवर, मैं इसी पर कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आपका नाम नहीं लिखा है।

*श्री राम स्वरूप वर्मा---

मान्यवर, नाम नहीं है पर विषय आ गया है। मान्यवर, यह गुप्ता जी ने बड़ा सदन के साथ अहसान किया कि एक छिपी हुई गलती को सदन के सामने ला दिया। मान्यवर, स्थिति यह है कि सरकारी कामों के लिए सरकारी जो कार्य होते है, सरकारी नीतियां होती है, उनके प्रचार के लिये सूचना अधिकारी जिले में नियुक्त किये गये हैं, कोई मंत्री जाता, वह भाषण करता, उस भाषण को छाप देता, उसको संवाददाता दें, तो इसमें सरकार को कोई परशानी नहीं थी। अब परेशानी यह है कि राजीव गांधी न तो केन्द्र में सरकार में है और न ही राज्य में ही सरकार में है वह किसी प्रकार से भी सरकारी आदमी नहीं है।

श्री मोहन सिंह---

सरकार के केवल पुत्र हैं, सरकार में नहीं हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

और दबाव डालकर सूचना अधिकारी से यह समाचार पत्र में निकलवाया जा रहा है और जो अधिकारी इसको नहीं करेगा, तो उस पर दबाव डाला जायगा। जिस अधिकारी का जमीर अन्दर से नहीं कहेगा और वह ऐसा नहीं करेंगे, तो उस पर भी यह दबाव डाला जायगा, तो मान्यवर यह बहुत गलत परम्परा पड़ेगी, परम्परा तो इसको नहीं कहा जा सकता है, यह अनुचित बात होगी, इससे सारा प्रशासन इस लपट में आ जायगा और टूट जायगा। सूचना विभाग किसी भी गैर सरकारी आदमी की प्रशस्ति लिखने के लिये नहीं है। इसलिये मान्यवर, जिस अधिकारी ने यह लिखा है, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये और इस पर आपकी सुनिश्चित व्यवस्था हो जानी चाहिये कि किसी भी गैर सरकारी आदमी की कोई प्रशंसा न प्रसारित की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--
अगर सरकारी आदमी के साथ में गैर सरकारी लोग हैं, तो उनको किस कटेगरी में आप शामिल कीजिएग ?

श्री रामस्वरुप वर्मा--
इसमें मान्यवर, मल्यार्पण के लिये तो लिखा है। राजीव गांधी तो संसद सदस्य हैं वह नीति के नियंत्रक नहीं है।

श्री मोहन सिंह--
कुछ ग्राम्य विकास मंत्री झूठ बोलना चाहते हैं, उनको झूठ बोलने की इजाजत दे दी जाय, मान्यवर।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--
मान्यवर, जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है, इसमें बहुत ताकत होती, अगर यह नियमावली जो है, उसकी धारा 300 के हिसाब से होता। इसमें मान्यवर, साफ-साफ लिखा है कि औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। मान्यवर, इससे सदन का कोई कार्य विनियमित नहीं होता और न ही संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ है। जो वहां पर घटना हुई, वह अखबार द्वारा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त को पता हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
मान्यवर, मेरे पास तथ्यों की फोटो स्टेट प्रतियां हैं।

श्री अम्मार रिजवी--
यह ऐसी घटना है जिसमें पब्लिक इन्टरेस्ट में एक बात कही गयी और पब्लिक इन्टरेस्ट में कोई बात है तो उसको रिपोर्टिंग की जा सकती है। सूचना अधिकारी का केवल यही काम नहीं है कि वह सिर्फ वहाँ पर बैठा रहे और केवल अधिकारियों या मंत्रियों के वक्तव्य को छापता रहे। जो बात माननीय राजीव गांधी ने कही, वह महिलाओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उससे संबंधित थी और पब्लिक इन्टेरेस्ट में थी। एक ऐसी समाज की जो समस्या है, उसके बारे में बात मान्य वर कही गयी। माननीय बलराम सिंह यादव वहां पर मौजूद थे। ये हमारे शासन के सदस्य है। अगर वहां पर सूचना अधिकारी मौजूद रहे, तो मान्यवर, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिससे नियमों की अवहेलना हुई।

श्री मुख्तार अनीस--
अगर कोई एम0 एल0 ए0 या एम0 पी0 दूसरी पार्टी का जाय तो भी ऐसी ही बात होगी।

श्री अम्मार रिजवी--
अगर वहां मंत्री मौजूद हैं तो होंगे जहां तक माला डालने का सवाल है, इसमें किसी प्रकार की आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
मान्यवर, आपत्ति हमको इनकी खुशामद में है।

श्री अम्मार रिजवी--
धारा 300 जो है, वह किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। वह वहां पर जाते हैं, वह कोई चीज कहते हैं और वह अखबार में आ जाती है इसलिये इसमें कोई तथ्य नहीं है, आप इसे अस्वीकार करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*पंचायती राज, मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)---

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, यह औचित्य का प्रश्न किसी भी माने में नहीं बनता है। मान्यवर, राजीव गांधी जी इटावा गये, स्टेशन के ऊपर, और आपका यह कहना है कि वहां पर सरकारी साधनों से उनका स्वागत किया गया, यह बिलकुल गलत बात है, सरकारी किसी भी साधन का उपयोग नहीं किया गया। इतना जरूर है कि जिला प्रशासन को यह मालूम हुआ कि इटावा जिले के कोने-कोने से अथाह जनमानस उमड़ रहा है, तो उन्होंने पुलिस का प्रबन्ध जरूर किया। पुलिस का प्रबन्ध इसलिये किया कि चलती हुई गाड़ियों में कोई गिर न जाय कोई एक्सीडेंट न हो जाय। हमारी पार्टी के वह आल इंडिया कांग्रेस के महामंत्री हैं और हम सब लोग राजनीतिक दलों से आते हैं। राजनीतिक दलों का जो नेता होता है, वह सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राजीव गांधी हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है। हमारा वहां जाने का प्रोग्राम था, हमने उनका स्वागत किया और उनको माल्यार्पण किया। हमारे साथ सूचना अधिकारी भी थे .....

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस---

सुखदेव प्रसाद हरिजन हैं, उनके साथ कोई नहीं जाता, मारे-मारे फिरते हैं।

श्री मोहन सिंह---

कमलापति जी रोते रहते हैं, कोई नहीं जाता है।

डा० बृजकिशोर मिश्र---

सुखदेव प्रसाद जी देवरिया गये वहां लाखों लोग थे।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने नियम 300 के साथ संविधान का हवाला दिया है। संविधान के आधार पर इस सदन से बजट पास किया जाता है। संविधान के तहत हमको बजट पास करने का अधिकार है और यह भी अधिकार हमको है कि हम यह देखे कि जो बजट हमने संविधान के तहत पास किया है, उसका मिसयूज हो रहा है या यूज हो रहा है। हमारे यहां राजीव गांधी गये थे, उनके साथ मुख्य मंत्री थे। राजस्व मंत्री हाफिज साहब थे उनको मालूम है जो मंच बनाया गया था, उस पर राजीव गाँधी चले गये, लेकिन मुख्य मंत्री को पुलिस के सिपाहियों ने रोक दिया। इसी तरह से रामपुर में हुआ.....

श्री अध्यक्ष---

यह तो इटावा का ममला है। मुरादाबाद से इसका क्या संबंध है ?

श्री रियासत हुसैन---

मुरादाबाद में यही हुआ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें। मैं कतिपय माननीय सदस्यों संसदीय कार्य मन्त्री एवं नगर विकास मन्त्री को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसमें नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और नहीं जो नियमावली का नियम 300 बनाया गया है, उसका उल्लंघन हुआ है, न ही संविधान का उल्लंघन हुआ है। इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था न पैदा करें। भविष्य में इसका ध्यान रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मेरी बात आप सुन लें। हमारे प्रदेश में कितने ही संसद सदस्य आते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं क्या हमारे मन्त्रि मण्डल के सदस्य उन तमाम संसद सदस्यों की अगुवाई के लिए जाते हैं? नहीं जाते हैं, तो राजीव गाँधी के लिए क्यों जाते हैं, इसका क्या कारण है आप बता दें?

श्री अध्यक्ष—

जिनकी जिससे दोस्ती और मित्रता है वह जाते हैं, आप बैठे।

उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन तृतीय अध्यादेश, 1983 को बिना मन्त्री परिषद् की राय के जारी किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री रियासत हुसैन—

मेरा औचित्य का प्रश्न है। 13 तारीख को जब सदन साढ़े 12 बजे चला तो उस समय कुछ आर्डीनेंसेज टेबुल किए गये। आइटम नम्बर–6 में राज भाषा के सम्बन्ध में आर्डिनेंस टेबुल हुआ। उसके सम्बन्ध में मेरा औचित्य का प्रश्न है। मैंने भी और आपने भी अखबार के माध्यम से पढ़ा है और अगर आप कहेंगे तो इसके बाद भी सबूत दूंगा।

मान्यवर, आर्डिनेंस के बारे में इस माननीय मन्त्रि परिषद् के वरिष्ठ मन्त्री ने बार-बार यह कहा कि इलाहाबाद में बनारस में जगह-जगह कोई भी आर्डिनेंस मन्त्रि मण्डल के सामने नहीं आया और न ही इस तरह का कोई बिल आयेगा। नहीं तो उसका हम विरोध करेंगे। मान्यवर, आर्डिनेंस के बारे में दो बातें हैं। एक तो एडवाइज आफ द मिनिस्टर पर सेटीस्फाई की दरख्वास्त की जाती है। मेरा कहना है कि जब वरिष्ठ मन्त्री यह कह रहे हैं कि कौंसिल आफ मिनिस्टर में यह आर्डिनेंस आया ही नहीं तो इससे यह सन्दर्भ पता हो जाता है कि कौंसिल आफ दि मिनिस्टर की एडवाइज के बगैर महामहिम राज्यपाल ने कैसे साइन कर दिया। यहाँ यह प्रश्न है कि क्या आर्डिनेन्स महमहिम राज्यपाल की दस्तखत पर फर्जी तो नहीं बना लिया गया और फिर महामहिम राज्यपाल ने उस आर्डिनेंस पर दस्तखत करने से पूर्व मन्त्री से डिस्कशन क्यों नहीं किया। एक वरिष्ठ मिनिस्टर ने यह बात कैसे कह दी। इसमें छानबीन के बिना कैसे दस्तखत हो गये।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय रियासत हुसैन जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है इसका आधार समाचार-पत्रों की रिपोर्ट थी। मान्यवर, जो भाषण है, इस बारे में मान्यवर, आपकी पीठ से कई बार यह फैसले हो चुके हैं कि समाचार-पत्रों में जो बात प्रकाशित होगी उसे यहाँ के संज्ञान में नहीं लाया जायगा। मान्यवर, किसी समाचार-पत्र पर आधारित किसी समाचार पर चर्चा नहीं की जा सकती। मान्यवर, क्या अखबार ने कहा। क्या माननीय मन्त्री जी ने कहा, जो रिफरेंस है वह समाचार-पत्र हैं। जहाँ तक आर्डिनेंस को सदन में लाए जाने का प्रश्न है जो सारी व्यवहारिकताएं हैं कांस्टीट्यूशन से पूरा करना चाहते थे। वह सारी पूरी करके माननीय सदन के सामने रखी गयी हैं। इस लिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। इनका प्रश्न जब यह एप्रूवल या डिसएप्रूवल का आर्डिनेंस आए उस समय उनका अधिकार होगा कि उस समय वह बात करें इस बात को उस समय कहने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—मैं इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

विधान सभा के वर्ष 1983 के द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

श्री अध्यक्ष—

मुझे नियम 56 के अन्तर्गत 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आइटम नम्बर–3 रह गया है ।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, आइटम नम्बर–3 छूटा जा रहा है....

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण (षष्ठम संस्करण) के करण 14(3) के अनुसार विधान सभा के वर्ष 1983 के द्वितीय सत्र (दिनाँक 1 सितम्बर, 1983 से 12 सितम्बर, 1983 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (शुद्धिपत्र सहित) सदन के पटल पर रखता हूं ।

सदन के पटल पर रखी गयी नियम 301 की सूचनाओं के उत्तर समय से न प्राप्त होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो यह लेख-पत्र प्रस्तुत किया है, इस सम्बन्ध में अपने करणों की ओर देखने की कृपा करें। करणों में यह व्यवस्था है कि नियम 301 में जो सूचनाएं प्रस्तुत हों, उनके बारे में अन्तरिम जानकारी सात दिन में और अन्तिम जानकारी एक माह में मिल जानी चाहिए, इसमें मान्यवर, इन्होंने जिन सूचनाओं का वर्णन किया है, उनमें एक आध छूट जाती तो क्षम्य हो सकता था, लेकिन इसमें 50 सूचनायें ऐसी हैं, जिनके उत्तर एक महीने के बाद मिले हैं। इस गम्भीरता की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें 50 सूचनाओं के उत्तर 5 माह के विलम्ब से प्राप्त हुए और केवल 15 सूचनाएं समय से मिलीं। आपको आश्चर्य होगा कि 6 सूचनायें ऐसी हैं जिनके उत्तर अभी तक नहीं मिले हैं। जिनके उत्तर नहीं मिले हैं, मान्यवर, उनके विषयों को देखने का कष्ट करें तो ज्ञात होगा कि यह शासन कितना हृदयहीन है और इसने सुनने और देखने की क्षमता खो दी है। इन विषयों को देखने से ज्ञात होगा की इनकी नीतियां कितनी जनहित विरोधी हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं चार बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इसके पीछे जो शुद्धि-पत्र है, उसको आपने देख लिया है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, उसको देख लिया है। यह तो और भी कोढ़ में खाज की तरह है। शुद्धि-पत्र तो और भी भ्रष्ट है। इनमें मैं चार बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी के कारण अध्यापन व्यवस्था चौपट हो गयी है, और इसका उत्तर अब तक इन्होंने नहीं दिया है। यह सरकार हरिजनों की हित चिन्तक बनती है, लेकिन पाँच महीने हो गये और उन हरिजनों को जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं इस बारे में, लेकिन इनकी पाँच महीनों में भी सूचना एकत्र करने की क्षमता नहीं है। इसी तरह गोरखपुर में भूमि आवंटन का मामला है। ये सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। मैंने सारे आँकड़े निकाल लिए हैं। इसके बारे में भी पाँच महीने हो गये, जानकारी नहीं मिली है। इसी प्रकार श्री रेवती रमण जी ने नालों के निर्माण के बारे में सूचना चाही थी, उसका भी उत्तर नहीं दिया है । सिर्फ यह पता लगाना है कि ये नाले कौन सा विभाग बना रहा है। यह जानकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

भी नहीं हुई। यह जानकारी तो शासन, जिलाधिकारी, आजमगढ़ को एक चिट्ठी भेजकर माँग सकता था। इन गम्भीर विषयों की ओर मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। इस विपक्ष में लोगों के पास यही जनतांत्रिक साधन होता है, और प्रश्न इत्यादि पूछकर ही हम यह सूचनायें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके ही आदेशों की अवहेलना होता रहती है। इससे मान्यवर हमारा जो कार्यपालिका पर अंकुश रखने का दायित्व है, जो अधिकार है, वह कण्डम हो गया है। जहाँ तक इस सरकार की नीति की बात है, जिस पार्टी की यह सरकार है उसकी यह नीति साफ रहती है कि जनतन्त्र को समाप्त करो। उन्हें मान्यवर, इन संसदीय दायित्वों की परवाह नहीं है।

अतः मान्यवर, हमारे इन संसदीय अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे हम विपक्ष के लोग अपना दायित्व निभा सकें। आपके पूर्ववर्ती अध्यक्ष महोदय ने भी एक नेताओं की बैठक बुलाई थी और एक नहीं 3—4 बैठकें बुलाकर मन्त्री जी की प्रताड़ना की थी, लेकिन इनमें सुधार नहीं आया। मान्यवर, यह बहुत ही चिन्ता और महत्व की बात है। अतः इन शब्दों के साथ इस विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, 301 की सूचनायें, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जो टेबिल की गयी हैं, निश्चित तौर से उन पर अध्यक्ष महोदय निर्णय लेते हैं कि कौन इसमें लोक महत्व का है और कौन इसमें अविलम्बनीय लोक महत्व का है। और किसे स्वीकार किया जाय और किसे नहीं। मान्यवर, पिछले वर्ष 12 सितम्बर के प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया। मेरा कहना यह है कि माननीय मन्त्री जी को इस बात की निचित रूप से व्यवस्था करनी चाहिए कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर समय के अन्दर सम्बन्धित विभाग से नहीं मिलता है, तो उसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है, उसे निगलीजेंस आफ ड्यूटी के तहत दण्ड दिया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप 301 को प्रभावी नहीं समझते हैं, तो इसे समाप्त कर दीजिये, अन्यथा यदि इसे आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो 301 की सूचनाओं के उत्तर देने में जो अधिकारी लापरवाही करता है तो उसे निगलीजेंस आफ ड्यूटी के तहत दण्ड दिया जाय, जिस प्रकार और मामलों में निगलीजेंस आफ ड्यूटी के तहत दण्ड दिया जाता है। यह एक नीति विषयक प्रश्न है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी कह रहे थे कि उनके पास कुछ भी नहीं है। मुझे एक शेर याद आता है—

इस सादगी पर कौन न मर जाय ए खुदा,
लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं।

कह तो यह सब लेते हैं। 301 की जो सूचनाएं इस समय सदन के पटल पर रखी गयी हैं, इसका सारा ब्योरा शुद्धि-पत्र में दिया गया है। इसे आप देखें। इसमें 71 सूचनायें हैं। मान्यवर, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने 7 सूचनाओं के बारे में कहा है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि 22 सूचनाओं के उत्तर एक महीने के अन्दर दिए गये हैं। 6 सूचनाओं में एक दिन का विलम्ब हुआ है। कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जैसे कोई सड़क की सूचना है, उसमें यह मालूम नहीं पड़ पाता है कि यह सड़क आर0इ0एस0 की है, मण्डी परिषद की है, फारिस्ट की है या फिर पी0डब्लू0डी0 की है, इसे देखना पड़ता है। फलस्वरूप कुछ सूचनाओं के उत्तर देने में विलम्ब हो जाता है। मैं इसे जस्टीफाई नहीं कर रहा हूं। कुछ सूचनाएं इसमें क्षेत्र से सम्बन्धित थीं, जैसे कहीं पर सैलाब आ गया और कहीं पर अन्य प्रकार की कोई दैवी आपदा हो गयी है, उसमें कुछ विलम्ब अवश्य हुआ है। इसमें काफी प्रयास किया और इसमें काफी सुधार भी हुआ है। मान्यवर, जहां तक आपके आदेशों का प्रश्न है, उनका हमने पालन किया हम इस बात की भरसक कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्नों का उत्तर सही समय पर मिल जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह तो एक व्यवहारिक बात है। कोई सूचना यदि आप से ही मांग ली जाय या माननीय श्री राजेन्द्र कुमार जी से ही मांग ली जाय, तो वह भी उसका उत्तर तुरन्त नहीं दे सकते हैं। उसमें कुछ समय अवश्य लगेगा ।

मान्यवर, आपके आदेशों के अनुपालन में हम इस बात का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि प्रश्नों का उत्तर सही समय पर उपलब्ध करा दिया जाय ताकि माननीय सदस्यों को कोई इस प्रकार की आपत्ति न हो।

श्री अध्यक्ष--

मैं, माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की बात से सहमत हूं। मैं नेताओं की बैठक बुलाऊंगा जिसमें आप (संसदीय कार्य मन्त्री) और मुख्य मन्त्री जी भी उपस्थित होंगे। जितनी बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी उतनी बार इसे बुलाया जायगा। ताकि ऐसे मामलों पर वहां निर्णय लिया जा सके।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, एजेंडा के नम्बर-5 पर आप देखें जिसमें विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें हैं? इस सम्बन्ध में मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार के बाबत जो आप प्रश्न उठाना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपने लिखकर के सूचना दी है ?

श्री केदार नाथ सिंह--

लिखकर के नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष--

पहले लिखकर के तो भेजें, फिर उसके बाद उस पर विचार कर लेंगे। पहले उसको देख तो लें, अपने लिहाज से ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

इनमें से पहली श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की, शाहाबाद (हरदोई) में एस0डी0एम0 के विरुद्ध तीव्र उत्तेजना तथा वकीलों की हड़ताल के सम्बन्ध में। दूसरी श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र की, लखनऊ में शान्त प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में। यही सूचना श्री राम गोविन्द की भी है। श्री कुंवर सिंह तेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी की, कानपुर में बैंक लूटने के सम्बन्ध में। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री और श्री मोहन सिंह की भी सूचना है। इसके बाद श्री मुख्तार अनीस की मोदी टेक्सटाइल मिल (मोदीनगर) के मजदूर नेताओं को बन्द किए जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की, जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज से प्रतिदिन खाद्यान्न की तस्करी के सम्बन्ध में है। श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह की देवरिया जनपद की चीनी मिलों के गन्ना क्रय केन्द्रों पर डेढ़ रुपया प्रति क्विंटल की कटौती किए जाने के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री सरदार सिंह की उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा हड़ताल किए जाने के सम्बन्ध में है। श्रीमती गौरी देवी की गणेश चीनी मिल, गोरखपुर के किसानों एवं मजदूरों की मांगों को लेकर अनशन करने के सम्बन्ध में है। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की, अध्यापकों की हड़ताल के सम्बन्ध में है। श्री यदुनाथ सिंह की, मिर्जापुर जिला जेल में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज किए जाने के सम्बन्ध में। श्री

[श्री अध्यक्ष]
किरन पाल सिंह की सुखराम पुत्र श्री लीला (बुलन्दशहर) की पुलिस द्वारा हत्या किए जाने के सम्बन्ध में है। श्री माता प्रसाद पाण्डेय की, कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के अध्यापकों की हड़ताल के सम्बन्ध में है। श्री सन्त बख्श रावत की, राम कुमार रैदास निवासी ग्राम बरकोता, थाना बन्थरा, लखनऊ की हत्या के सम्बन्ध में है।

जहां तक माननीय श्री राम गोविन्द की सूचना का सम्बन्ध है, उसे मैं नियम 51 में स्वीकार किए जाने पर विचार कर रहा हूं। इसके अलावा जहां तक श्री राजेन्द्र कुमार अग्निहोत्री की अध्यापकों की हड़ताल के बाबत सूचना है, उस पर वक्तव्य निर्धारित कर दिया है, उस पर वक्तव्य होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की जो शाहाबाद (हरदोई) में वकीलों की हड़ताल की जो सूचना है, उस पर वे कुछ कहना चाहें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, पिछली 14 तारीख को जनपद हरदोई की शाहाबाद तहसील में जब दो वकील एस0डी0एम0 की कोर्ट में जमानत के मामले में गये थे, तो उनका व्यवहार उन वकीलों के प्रति अत्यन्त ही निन्दनीय और उनके सम्मान के प्रतिकूल था। जिसके कारण उन वकीलों ने कोई आपत्ति की। उस आपत्ति का परिणाम यह हुआ कि वे कुंठित हो गये और दो वकीलों को, जिसमें वार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, श्री दिनेश चन्द्र, उनको 107-116 की धारा के अन्तर्गत जेल भिजवा दिया। मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, अगर इन वकीलों ने कोई गलत काम किया था, कोई कोर्ट की अवमानना की थी, तो उन्हें कन्टेम्प्ट में भेज सकते हैं। मान्यवर, उन्होंने क्या किया कि दो अन्य तहसीलदारों को बुलाया और उनसे एक फर्जी रिपोर्ट लिखाई 107-116 में कराकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। उनको रात में ले गये। यह जो उनके साथ अन्याय किया गया उसके विरोध में वहां जनता में असन्तोष फैल गया है और शाहाबाद के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है, वहां का काम-काज ठप है। इसके अलावा मान्यवर, कल मुख्यालय (हरदोई) में भी वकीलों न इस अन्याय के विरोध में काम-काज ठप रखा।

मान्यवर, आपको स्मरण है कि हमारे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में वकीलों के साथ कई बार अभद्र व्यवहार हो चुका है और उनका उत्पीड़न सरकार द्वारा किया जा चुका है। मान्यवर, यह बात छिपी नहीं है। मान्यवर, यह वकील लोग इस देश में बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। अगर उनका सम्मान सरकार द्वारा सुरक्षित नहीं होगा, तब तक ये ब्यूरोक्रेट्स अधिकारीगण और कर्मचारीगण, केवल अपने अहम के लिए, वकीलों को नहीं छोड़ेंगे और जनतन्त्र यहां पर सुरक्षित नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर आकर्षित कर रहा हूं। मान्यवर, इनका वकीलों का जो प्रान्तीय संघ है, उसमें भी इस बात पर विचार किया गया, उन लोगों का यह कहना है कि अगर इन लोगों को जेल से नहीं छोड़ा गया और इस अन्याय करने वाले उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी, तो यह हड़ताल प्रदेश व्यापी हो सकती है। मान्यवर, उस स्थिति में क्या होगा, सम्पूर्ण प्रदेश में हाहाकार मच जायेगा। मान्यवर, यह घटना अभी तीन दिन पहले की है और एक सार्वजनिक महत्व की है, इसलिए, मैं चाहूंगा कि इस पर विचार होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बल देता हूं।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, जो सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने दी है, इसकी जाँच करवा ली जायगी, जिसका भी दोष है अगर वे इंक्वायरी कराना चाहेंगे तो वह भी करा ली जायगी। जहाँ तक वकीलों का सम्बन्ध है, उनकी मर्यादा और आदर की बात है, जो कुछ माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने कहा है, मैं उससे सहमत हूं। जो भी दोषी है उसके विरुद्ध जो भी कार्यवाही हो सकती है, की जायगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री जी ने जो कहा है कि "यदि वे चाहेंगे तो इंक्वायरी करा दी जायगी", तो मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि वरिष्ठ जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिये और मेरी यह माँग है कि कम से कम तत्काल आदेश देकर 107–116 में जो दो वकील बन्द किए गये हैं, उनको छोड़ने के आदेश कर दिए जायें क्योंकि सारा रोष तो इसी बात पर है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप बैठें, आपकी बात पर आश्वासन हो चुका है।

*श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मोदी नगर की मिल का मामला पिछले 6 महीनों से चल रहा है। सरकार मोदी के दबाव में आ गयी है और इसी कारण वहाँ की समस्या को सुलझाने में असफल है। इसी बात पर सुरेन्द्र मोहन, संसद सदस्य जी ने भूख हड़ताल भी की थी। हम लोग भी मुख्य मन्त्री जी से मिले थे। उन्होंने बुलाया और कहा कि वे साढ़े तीन हजार मजदूर जिनकी मोदीनगर में मोदी ने छटनी कर दी है, उनको 15 दिनों के अन्दर रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मजदूर नेताओं को रासुका में गिरफ्तार किया गया है और विभिन्न जेलों में रखा गया है, तत्काल उनको पैरोल पर रिहा कर दिया जायगा। उन्होंने "तत्काल" शब्द का प्रयोग किया था। आज 15 दिन होने जा रहे हैं, एक भी बात पूरी नहीं हो रही है। इस बीच मोदी ने वहाँ पर गुण्डे इकट्ठे कर लिये हैं, गेट घेरे जा रहे हे। उन मजदूरों के परिवार वालों को, जो जेलों में बन्द हैं, डराया धमकाया जा रहा है। अधिकारियों डिप्टी लेबर कमिश्नर आदि की आज्ञा से यह हो रहा है। मोदी साहब निरन्तर राजीव गाँधी से मिलते हैं, अरुण नेहरू से मिलते हैं, मुख्य मन्त्री से मिलते हैं। मुख्य मन्त्री जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे कह चुके हैं कि मेरी सारी सेवाएं अरुण नेहरू को और राजीव गाँधी को समर्पित हैं।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

ऐसा उन्होंने किससे कहा? क्या आपसे कहा है?

(हंसी)

श्री मुख्तार अनीस—

सारी काँग्रेस पार्टी में हंगामा है। देश प्रदेश में हंगामा है, मोदीनगर में हंगामा है। मुख्य मन्त्री मोदी से मिले हुए हैं। मैं साफ तौर से जानना चाहता हूं कि जो साढ़े तीन हजार मजदूर मोदीनगर में काम पर नहीं जा पा रहे हैं, उनके बारे में मुख्य मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया है, वह कब तक पूरा होगा? और जो मजदूर नेताओं को पैराल पर नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको जेलों में बन्द किये हुए हैं, उनको कब तक छोड़ेंगे? मैं योगेन्द्र नारायण जी से मिला, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उप मुख्य मन्त्री वही हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों पर डकैती और चोरी के मुकदमें हैं। मैंने कहा कि चूंकि यह मुकदमें झूठे हैं, इनको वापस होना चाहिए, उन लोगों ने कोई भी चोरी या डकैती का काम नहीं किया है। उन लोगों का पिछला कोई रिकार्ड भी ऐसा नहीं है। आज वहाँ पर आतंक की स्थिति व्याप्त है। इसी से प्रभावित होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजदूरों का एक बहुत बड़ा आन्दोलन होने जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि तत्काल व्यवस्था करे, वरना सारे मजदूर नेता मोदीनगर में जायेंगे और संयुक्त रूप से मीटिंग चलेगी।

*श्री रियासत हुसैन—

हम तो इस मोदीनगर के विषय को यह समझ रहे थे कि...

श्री अध्यक्ष—

मैंने निर्णय यह ले लिया है कि एक विषय पर एक ही व्यक्ति बोलेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन--- [1 बजकर 20 मिनट]

केवल एक मिनट में एक ही बात कहूंगा। हम लोग 4 तारीख को इस नतीजे पर पहुंचे कि मोदीनगर के इशू को हाउस में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जब माननीय मन्त्री जी से हम लोगों की बातचीत हुई थी, उसमें यह बात आई कि इमीडिएट लीडरों को पैरोल पर छोड़ दिया जायेगा और एक माह के अन्दर सारे मुद्दों पर निर्णय ले लिए जायेंगे, तभी इस आश्वासन के तहत वहाँ पर भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया गया था लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई और दूसरी बात सामने यह आई थी कि 19 फरवरी तक जो साढ़े तीन हजार मजदूर बाहर निकाले गये हैं, उनको दो स्टालमेंट में वापस रख लिया जायेगा, लेकिन इस आश्वासन का भी अभी तक इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ, इसलिए शासन में दुबारा इस बात को सामने लाना पड़ा।

•श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी साहब जो स्वयं स्थायी मजदूर हैं, जिन्होंने आन्दोलन के बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की सूचना दे तो उन्हें निकाल दिया गया, जबकि ऐसा न करके होना यह चाहिए था कि उन्हें भी गेट पास न दिया जाता, जिस तरह से 12 हजार मजदूर बिना गेट पास के बाहर घूम रहे हैं, कायदे से होना तो यह चाहिए था परन्तु इसे हम इस समय अवैधानिक कहने की स्थिति में नहीं हैं बल्कि इसे सरासर मिल मालिक की खुली हुई गुण्डई की संज्ञा दी जा सकती है। इस पर एक संसद सदस्य ने फिर अनशन किया जिसके अनशन को, एक सज्जन के आश्वासन पर कि 24 घंटे के अन्दर कार्यवाही हो जायेगी, तोड़ा गया, लेकिन इस आश्वासन के भी 10 रोज हो रहे हैं परन्तु इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और हम समझते हैं कि इस सरकार द्वारा अब कुछ हो भी नहीं सकता है क्योंकि अब एक वैकल्पिक मुख्य मन्त्री का चुनाव होने जा रहा है, इसलिए हम समझते हैं कि इस मसले पर कुछ होने वाला नहीं है फिर भी हम अपने कर्त्तव्य की इतिश्री करते हैं और हम जानते हैं कि यह मानने वाले नहीं हैं। इसलिए श्रीमन्, आप इन्हें निर्देशित करें कि अपने आश्वासनों के तहत इस मामले को अब 24 घंटे के अन्दर समाप्त करने की कार्यवाही करें।

*श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर जो बिन्दु मा0 मुख्तार अनीस, भाई रियासत साहब और श्री मोहन सिंह जी द्वारा उठाए गये हैं, उनमें जहाँ तक मैं समझता हूं कि तीन बातें हैं। एक तो यह कि जो समझौता माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा इस मामले में हुआ और उन्होंने जो आश्वासन दिए हड़ताल समाप्ति के सम्बन्ध में, उस पर शीघ्र कार्यवाही की जाय और दूसरी बात यह कि मजदूरों के साथ जो उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है, उस पर रोक लगाई जाय और तीसरी बात यह कि 12 हजार मजदूरों को जो गेट पास नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वह लोग अन्दर नहीं जा पा रहे हैं, उनके साथ न्याय किया जाय। मैं मुख्य-मुख्य इन्हीं तीन बातों को समझता हूं तो जहाँ तक पहली बात है जो मा0 मुख्य मन्त्री जी की तरफ से आश्वासन दिए जाने की बात है, हालाँकि उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, इत्तिफाक से किसी काम से वहाँ चला गया था।

श्री मुख्तार अनीस---

जी नहीं, जब वहाँ पर मा0 मुख्य मन्त्री जी से बात हो रही थी आप वहाँ पर कमरे में मौजूद थे।

श्री अम्मार रिजवी---

खैर, जो आश्वासन माननीय मन्त्री जी ने दिए थे उनका क्रियान्वयन 24 घंटे के अन्दर तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक हफ्ते के अन्दर इन सारी बातों पर विचार कर सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मोहन सिंह—

अब तक 10 दिन तो हो गये हैं।

*श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैंने मजदूरों को सूचना भेज दी थी, कि मा0 मुख्य मन्त्री जी से बातचीत हो रही है, हो सकता है कि कुछ हल निकल आये इसलिए तुम लोग आ जाओ, तो मान्यवर, सारे मजदूर आ गये हैं और सभी गेट पर खड़े हुए हैं, तो उनको एक हफ्ते तक कैसे रोका जाय और कहाँ रोका जाय और उन्हें क्या खिलाया पिलाया जाय? इसलिए जल्दी ही इस मुद्दे पर कोई निर्णय लिया जाय, वरना अन्देशा है कि कोई बड़ी घटना न हो जाय।

श्री अध्यक्ष —

आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, इसलिए आप अब जो भी बोलेंगे वह लिखा नहीं जायगा।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यकर, पुलिस द्वारा जो उत्पीड़न हो रहा है, उसे किसी तरह से बरदाश्त नहीं किया जायगा और उसके आदेश आज ही प्रसारित कर दिए जायेंगे कि उसको रोका जाय। मजदूरों का कोई भी एक्सप्लायटेशन नहीं होने पायेगा।

श्री मोहन सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या अभी सरकार ने कोई आदेश पारित नहीं किए हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

आदेश जो पारित हुए हैं, अगर उनको कार्यान्वयन में देरी हुई है तो उसे सुनिश्चित किया जायगा। मान्यवर, तीसरी बात जो पासेज के बारे में कही गयी है, गेटपास की बात बताई गयी है, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। इसको दिखवा लिया जायगा और ऐसी स्थिति है तो उसको रोका जायगा।

श्री मुख्तार अनीस—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अपने मजदूरों को यह सूचना भेज दी है कि मुख्य मन्त्री जी से सारी बातचीत हो गयी है 15 दिन के अन्दर सारा मामला हल हो जायगा। मोदी साहब ने जब पास नहीं जारी किया तो गेट पर हंगामा की स्थिति आ गयी। वशिष्ठ साहब जो उनके नेता थे उनको हार्ट अटेक हो गया, वह मर गये। मैं जानना चाहता हूं कि शासन की ओर से मोदीनगर के मामले में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या माननीय मन्त्री जी सूचना देने की कृपा करेंगे जिससे उसको अखबारों में छपवाया जा सके?

श्री अम्मार रिजवी—

सोमवार के लिए आप इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें, तो इसकी सारी स्थिति सामने आ जायेगी।

श्री मुख्तार अनीस—

ठीक है।

*श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, हमारे यहाँ देवरिया में गौरी बाजार में चीनी मिल मालिक डेढ़ रुपया के हिसाब से कटौती कर रहे हैं जबकि दूसरी मिलों में यह 50 पैसे की कटौती की जा रही है। शासन के यह आदेश हैं कि 50 पैसे से अधिक की कटौती नहीं की जायगी। मैं चाहूंगा कि इस पर आप वक्तव्य दिला दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सरदार सिंह---

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षक हड़ताल पर हैं, और हजारों अध्यापक जेल में हैं। माननीय मन्त्री जी भी शिक्षक रहे हैं। शिक्षक आन्दोलन पर हैं। इस कारण विद्यार्थियों के अभिभावक बड़ी चिन्ता में हैं। परीक्षायें सन्निकट हैं और प्रैक्टिकल परीक्षायें हो रही हैं। शिक्षक हड़ताल पर हैं और कालेज बन्द हैं, यह बड़े शर्म की बात है। इससे प्रदेश की पूरी जनता प्रभावित है। यह बड़ा अहम मामला है। मान्यवर, आप इस अहम मसले पर अवश्य चर्चा करा दें। जिससे प्रदेश की जनता को राहत मिल सके।

*श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, आज कल बैंक डकैतियाँ बहुत हो रही हैं। उत्तर प्रदेश का व्यावसायिक और औद्योगिक नगर कानपुर है। कल मैं वहाँ पर गया था और यह पता चला कि किदवई नगर के पास सेंट्रल बैंक में साढ़े 11 बजे 4 डकैत सादी पोशाक में आए और वहाँ पर 25 कर्मचारी थे और इतने ही कस्टमर थे दो तमंचों के आधार पर 70 हजार रुपया लूट ले गये और फरार हो गये। यह 7वीं घटना है। आपको स्मरण होगा कि पिछली बार पंजाब नेशनल बैंक में डकैती पड़ी थी। न कोई इनकाउन्टर हुआ और न कोई डाकू पकड़ा गया। कई लाख रुपए का सामान बरामद हुआ। मान्यवर, यह घटना साढ़े 11 बजे दिन में हुई। बाजार के अन्दर यह घटना हुई जबकि सारे अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर थे, वे स्तब्ध रह गये। तब से आज तक पुलिस ने एक को भी नहीं पकड़ा और न इनकाउन्टर किया। यह हमारी पुलिस की अकर्मण्यता का द्योतक है। पुलिस की इस अकर्मण्यता पर वहाँ के लोगों में क्षोभ व्याप्त हो गया है। इसलिए मान्यवर, इस विषय पर आप चर्चा करा दें, यह गम्भीर विषय है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

सब सूचनाएं नहीं ली जा सकतीं। आपने तय कर रखा है कि केवल 3 सूचनाओं को ही स्वीकार किया जाय और तीन सदस्यों को ही बुलाया जाय। मैंने चार सदस्यों को बुलवा लिया है। कृपया बैठें।

नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन सबको मैंने अस्वीकार किया है। जहाँ तक मुख्तार अनीस साहब की बात है, मैंने उस शासन को वक्तव्य के लिए भेज दिया है। माननीय सरदार सिंह की सूचना भी वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी है। जहाँ तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना का प्रश्न है, उस पर मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है, वे उन्हें छोड़ने पर विचार कर लें। माननीय मोहन सिंह जी ने जो सूचना दी है उसके बारे में मैं शासन से कहूंगा कि वह किसी अच्छे दल से उसकी जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही करे। जहाँ तक माननीय मातादीन प्रसाद की सूचना का सवाल है मैं सरकार को इसके बारे में खासतौर से निर्देश देता हूं कि वह इस पर जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही करे। बाकी सब सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री खान गुफरान जाहिदी---

श्रीमन, रामस्वरूप वर्मा ने जो विधेयक रखा है उसके पीछे जो भावना है उससे मैं इत्तफाक करता हूं. . . .

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह---

मुझे दो मिनट सुन लिया जाय।

(व्यवधान)

(श्री यदुनाथ सिंह हाथ में कुछ कपड़े लिए हुए सदन के मध्य आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—
आप अपने स्थान पर जायें ।

श्री यदुनाथ सिंह—
दो मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—
यह कोई तरीका नहीं है। आप अपने स्थान पर जायें। मैं इस पर पुनः विचार कर लूंगा। हम आगे बढ़ गए हैं। आप इसको लिखकर दे दें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ् सिंह—
हमारा कार्य-स्थगन का सवाल है, आप मौका नहीं देते।

श्री अध्यक्ष—
आपके मामले पर पुनः विचार कर लूंगा ।
(श्री यदुनाथ सिंह ने कपड़ा डायस की तरफ फेंका।)

श्री यदुनाथ सिंह—
आप हमें नहीं सुन रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—
यदुनाथ सिंह जी, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। यह आप का अधिकार नहीं है। कोई तरीका नहीं है। मैंने आपको आश्वासन दे दिया है कि मैं आपके बारे में पुनः विचार कर लूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह—
आप गिने-चुने दुकानदारों से ही बुलवाते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—
कृपया बैठें। मैंने आपको आश्वासन दे दिया है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—
बोलने के लिए हमें बुलाया गया है ।

श्री यदुनाथ सिंह—
दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष—
मैं आपको समय नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

मैं आपकी बात सोमवार को सुनूंगा। यह पद्धति हमको न बतायें। एक-एक को आज्ञा दी जाती है। फिर भी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा कहता है तो फिर इस तरह कैसे काम चलेगा। मैं नहीं सुन सकता। एक तो आप एक साथ 17-17, 18–18–सूचनायें देते हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर देते हैं। सारा समय इसी में चला जाता है।

श्री अध्यक्ष—
जो नियम 56 है उसी प्रकार चलें। मैं हर एक को नहीं सुन सकता हूं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—
आप कुछ को ही बार-बार बुलाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं कौन होता हूं आप अपने दल वालों से कहें ।

(व्यवधान)

मैंने मद संख्या 9 ले ली है, अब मैं कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं । श्री मोहन सिंह जी से कहें ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

मैंने कार्य-स्थगन दिया है सारी कार्यवाही को रोक कर मुझे सुनें ।

श्री सन्त बख्श रावत---

मान्यवर, हमारी बात सुन लें ।

श्री यदुनाथ सिंह---

दो मिनट सुन लें । मैं कोई ऐसा मामला नहीं उठाता हूं जो अस्वीकार हो, कोई बेवकूफी की बात नहीं उठाता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने मद संख्या 9 ले ली है, अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया, इसलिए मैं दो मिनट के लिए सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद सदन त्याग कर चले गए ।)

श्री यदुनाथ सिंह---

दो मिनट मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कह दिया है कि आपकी बात को सोमवार को लूंगा । आप लीडर हैं, आपको प्रदेश में बहुत काम करना है इसलिए थोड़ा संयम रखें । रावत जी आप भी बैठें ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों को उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 (क्रमागत)†

*श्री खान गुफरान जाहिदी---

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सेशन में जब यह नान-आफिशियल बिल श्री राम स्वरूप वर्मा जी का आया था जो उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 के जिसकी बहस करते हुए माननीय वर्मा जी ने बहुत सी बातें कही थीं और कहा था कि विधायकों में से कुछ ने कूपन्स का सही इस्तेमाल नहीं किया और भी बहुत सी बातें उन्होंने कहीं । मान्यवर, इस एसेम्बली के बहुत से मुअज्जि मेम्बर हैं, यह स्थान ऐसा है जहां पर बैठ कर सोसायटी को हम रिप्रजेंट करते हैं और बताते हैं कि बाहर क्या हो रहा है । अगर कहीं पर कोई खराबी है तो उसका पता लगाकर उसे कैसे दूर किया जाय इस पर ध्यान देने की बात है । कुछ लोग सोसायटी में ऐसे भी अगर हैं उनका तो पता लगाने का हमारे पास रास्ता है । सत्ता पक्ष के पास ऐसी एजेंसीज हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोका जाय । लेकिन टोटल यह कह दिया जाय तो ठीक नहीं होगा कि मैं इसे मुनासिब नहीं समझता हूं जहां तक पेंशन या दूसरी सुविधाएं देने की बात है यह दूसरे सूबों में भी हैं । जो समाज में काम करने वाले लोग हैं यदि उनको कुछ मिले तो भी वह अपने दायित्व को पूरा करेंगे और अगर नहीं भी मिलता है तो भी वह अपना काम अवश्य करेंगे । लेकिन अगर उसके लिए उनको कुछ मिलता है तो वह अपना काम आसानी से और मेहनत से करेंगे और हर जगह जाकर कर सकेंगे ।

(इस समय 1 बजकर 38 मिनट पर श्री अधिष्ठाता श्री भीखा लाल पीठासीन हुए)

---

†दिनांक 9 सितम्बर, 1983 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम अपने सामाजिक और सियासी जिन्दगी को स्वयं के साधन से पूरा नहीं कर सकते हैं तो पूरे समाज की नुमाइंदगी कैसे करेंगे। आज पेंशन दी जा रही है, बहुत अच्छी चीज है, दूसरे प्रदेशों में भी दी जा रही है। तथा मुलाजिमात को भी यह मिल रही है और रिवाइज हो रही है। जो उनका कहना है कि टोटल खतम कर दिया जाय, ठीक नहीं है। जो सुविधाएं दी गयी हैं वह सही हैं, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोका जाय। तो जब बाधा नहीं है तो 2–4 मेम्बर गड़बड़ी करते हैं तो उसके लिए हमारे पास शासन तन्त्र है जिसके द्वारा उसको ठीक करने की बात करें। लेकिन यदि इसको मान लें तो जो सदस्य हैं उनका पब्लिक और समाज में क्या प्रतिबिम्ब पड़ेगा कि क्या कर दिया गया। इसलिए इससे मैं सहमत नहीं हूं।

मान्यवर, जहां तक पेंशन की बात है। मैं भी चाहूंगा कि पेंशन रिवाइज करने पर विचार किया जाय और बढ़ाई जाय।

मान्यवर, टर्म के सम्बन्ध में मेरी जानकारी में बात आई है कि टर्म को क्या माना जाय। तो मेरी जानकारी के अनुसार यदि कोई मेम्बर आते हैं और साल या दो साल वह रह गये और उसके बाद सदन भंग हो गया तो उस मेम्बर की और वोट डालने वालों को क्या गलती है, इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जैसे बिहार में है कि जब कोई सदस्य एसेम्बली में चुनकर आगया तो फिर उसका टर्म मान लिया जाता है इसी प्रकार हरियाणा में भी है कि एक दिन भी वह मेम्बर हो गया और अन्य मामलों से एसेम्बली भंग हो गयी तो उसमें मेम्बर का दोष नहीं है। इसलिए यदि किसी ने मेहनत किया है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। मेरी राय है कि जैसा दूसरे सूबों में है उसको दृष्टि में रखते हुए इसमें विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन इस बिल से जैसे प्रस्तुत किया है उसमें वह सारी बातें नहीं आई हैं, इसलिए विचार करने का हमको मौका मिल रहा है तो मैं कहूंगा कि जब सरकारी अधिकारियों के, अध्यापकों के, लेखपालों के पे-स्केल रिवाइज हो गए हैं और उनके मामले यहां उठायें और अपनी बात आये तो पीछे हट कर बैठ जायें जिससे मालूम होता है कि समाज से हम हटकर हैं। इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है।

मान्यवर, आप देखें कि विधेयक में सुविधाओं में पेंशन और इमालुमेन्ट्स का जिक्र किया गया है। इसमें पहले समिति बनी थी और श्री मोहन सिंह उसमें गये थे तो कहा था कि आज एलाउन्सेज दिये जाते हैं, क्या वह काफी हैं? जब हम सही तरीके से काम करना चाहते हैं तो क्या आज की स्थिति में वह एलाउन्सेज पूरे हैं जबकि सभी के डी0ए0,टी0ए0 बढ़ा दिए गये और बढ़ रहे हैं तो पेंशन भी सुविधाओं में कवर होती है, जिसको रिवाइज करना चाहिए।

मान्यवर, मा0 सदस्य ने तो कटौती के नाते कहा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2–4 आदमियों ने यदि कुछ गड़बड़ी किया है तो यह नहीं है कि पूरे एसेम्बली के सदस्यों के बारे में जो एक उपलब्धि है उसको विदड्रा किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को सुविधाओं के बारे में डी0ए0, टी0ए0 के बारे में और अन्य सुविधाएं देने के बारे में विचार करना चाहिए जिससे सदस्य अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकें। इसलिए मैं इस विधेयक से जैसा प्रस्तुत किया गया है और उसके अन्दर जैसी मंशा है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर समिति को सौंपने की बात भी रखवा दें।

श्री अधिष्ठाता—

क्या श्री र म प्यारे पाण्डेय जी आप अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं?

(श्री राम प्यारे पाण्डेय द्वारा अपना संशोधन प्रस्तुत करने हेतु खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए। क्योंकि विधेयक विचार के लिए पेश हो चुका है। यह आपका संशोधन शुरू में आना चाहिए था अब बीच में आया है। इसलिए मुझे सम्बन्धित नियमों का निलम्बन करना पड़ रहा है। तो क्या सम्बन्धित नियमों को निलम्बित करने पर यह सदन सहमत है ?

(सदन ने अपनी सहमति प्रकट की।)

श्री राम प्यारे पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो 30 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसके उद्देश्य और कारण में यह दिया हुआ है कि 1966 और 67 में जहां दोनों सदनों के सदस्यों ने साल भर में 5 लाख रुपए की कूपनों का प्रयोग किया, वहीं 81–82 में 62 लाख रुपयों की कूपनों का इस्तेमाल किया गया, और इससे यह निर्णय निकाला गया कि कूपनों का दुरुपयोग किया गया है। जहां तक मान्यवर, कूपनों के प्रयोग का प्रश्न है सन् 1966–67 और 1981–82 के दरम्यान में लगभग 15 वर्ष का अन्तराल होता है, इस अन्तराल, इस अवधि में यह देखा गया है, यह अनुभव किया गया है कि माननीय विधायक चाहे वह स्वयं हों, चाहे उनके परिवार के लोग हों, यह बस की अपेक्षा रेल में चलना अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा सुविधा है और यह स्वाभाविक है। यह स्वाभाविक है कि जब रेल से माननीय सदस्य और उनके परिवार के लोग यात्रा करेंगे तो इन रेल कूपनों का प्रयोग अधिक मात्रा में होगा। लेकिन जैसा कि कहा गया है, इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सम्भव है कि आंशिक रूप से कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग भी किया गया हो। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जो भी अच्छे काम करें या बुरे काम करें, उसकी छाप जनता के बीच पड़ती है। हमारे अपने अच्छे और बुरे कार्यों से जनता हमारा आकलन करती है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि इसकी छानबीन गहराई के साथ की जाय। उसकी छानबीन करने के लिए यह आवश्यक होगा कि यह मसला एक प्रवर समिति के सामने आय, यह मामला प्रवर समिति के सामने रख दिया जाय, जो इस पर गहराई से अध्ययन करे जो इसके कारणों का पता लगावे और उसके बाद ही इस पर विचार किया जाय।

*श्री मोहन सिंह—

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय वर्मा जी को, जिन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत करके हम लोगों को इस बात का अवसर प्रदान किया कि हम लोगों को जो प्रदत्त या प्राप्त सुचनाएं हैं, उनके दुरुपयोग पर पाबन्दी लगाने पर हम भी कुछ सोच सके।

यह सचमुच गम्भीर बात है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि माननीय सदस्यों की सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए, पर प्रश्न यह है कि जो सुविधाएं हमें प्राप्त हों, उनका समुचित ढंग से उपयोग हो, उनका दुरुपयोग न होने पाए क्योंकि जो लोग भी राजनीति में होते हैं उनके चरित्र और उनके व्यक्तित्व की छाप पूरे समाज में पड़ती है। हमारी भी मान्यवर, कुछ मजबूरियां होती हैं और उनके होते हुए माननीय सदस्य उन सुविधाओं का उपयोग करते हैं। जो हम उनका उपयोग करते हैं, या जो सदुपयोग करते हैं या तो दुरुपयोग करते हैं, उसकी टीका टिप्पणी जन मानस में होती है। जैसा अभी माननीय पाण्डेय जी ने कहा, जब बसों में असुविधा होने लगी तो हमने ट्रेन से यात्रा करने की सुविधा की माँग की ? यह सुविधा हमें मिली। पर एक जानकारी जो मुझे इस विधान सभा सचिवालय से मिली है वह यह है कि एक माननीय विधायक ने एक वर्ष में 61 हजार रुपयों के कूपनों का प्रयोग (इन्साइड वाले) (प्रदेश के अन्दर यात्रा वाले) किया।

(व्यवधान)

वे निकट के ही हैं . . . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

हरदोई के हैं ।

श्री मोहन सिंह—

मैं नाम नहीं लेना चाहता। पर मुझे यकीन नहीं होता है कि यह कैसे हो गया। इसके बारे में जब हम कोई आचार संहिता लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो यह एक चिन्ता का विषय है जिस पर विचार करना चाहिए। अब कैसे इस पर पाबन्दी हो, कैसे इस तरह की चीज को रोका जाय इस पर विचार करने के लिए इस सदन के माननीय विधायकों की एक समिति गठित होनी, चाहिये जो विचार करके यह सुझाव दे कि कौन से उपाय किए जायें ताकि सुविधाओं का दुरुपयोग न हो सके ।

हमें अन्य सुविधायें भी प्राप्त हैं, जैसे दवा की सुविधा है। इसके ऊपर कोई चेक नहीं है। मैं और मेरा परिवार बहुत कम दवा का इस्तेमाल करता है। मुझे बुखार भी आता है तो मैं दवा का इस्तेमाल नहीं करता हूं, पर मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, । कभी इलाके के कुछ लोग कभी यहीं के कर्मचारी आ जाते हैं और मैं मजबूर हो जाता हूं, मेरे नाम से भी दवाएं ईशू हुई होंगी। मेरे दस्तखत से हुई होंगी। यह मैं स्वीकार करता हूं, पर हमारी मजबूरियाँ हैं। मैं स्वयं इस्तेमाल नहीं करता हूं, पर लोग जब आते हैं तो मुरव्वत आ जाती है। कानूनी दृष्टि से यह गलत हो सकता है पर व्यावहारिक दृष्टि से यह हो जाता है । तो इन चीजों को कैसे रोका जाय, इस पर बिचार होना चाहिए और कोई सुझाव सामने आने चाहिए ।

माननीय वर्मा जी ने जो विधेयक पेश किया है वह केवल कूपनों तक ही सीमित है, पर मैं चाहता हूं कि इसका दायरा और विस्तृत किया जाना चाहिए और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री की ओर से इन सारी बातों पर विचार करने के लिए किसी समिति के गठन का प्रस्तार आना चाहिए जो यह बिचार करे कहाँ-कहाँ सुविधाएं कम हैं और दी जानी चाहिए, कहाँ उनका दुरुपयोग हो रहा है उसको कैसे रोका जाना चाहिए आदि बातों पर विचार कर अपने सुझाव दें । ऐसा हो तो यह अधिक उपयोगी होगा।

एक सुबिधा हमको टेलीफोन की मिली हुई है। इस टेलीफोन सुविधा के बारे में भी कुछ विसंगतियाँ हैं। मैं जरा कुछ दायरे से बाहर जाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे एक आदरणीय सदस्य, भूतपूर्व मन्त्री श्री नियाज हसन साहब हैं उनका घर कुन्डा में है और कुंडा में पब्लिक काल आफिस से उनका टेलीफोन जुड़ा हुआ है। तो यदि वह कहीं टेलीफोन करते हैं तो उनका काल लोकल काल नहीं मानी जाती है उसको ट्रंककाल में गिना जाता है। 5 लोकल काल की सुविधा से वह वंचित हैं।

मैं एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूं। मेरे यहाँ टेलीफोन लगा है। देवरिया से 30 कि0मी0 पर वह कस्बा है। जब मैं फोन देवरिया को करता हूं तो वह ट्रंककाल ट्रीट किया जाता है और 2 रुपए उसके लगते हैं। तो इस तरह से एक अतिरिक्त खर्च जुड़ गया है। लोग कहते हैं कि कलेक्टर को टेलीफोन करना है तो यदि मैं घर पर हूं तो इस तरह से 25 रुपया ट्रंककाल के हो जाते हैं। तो यह एक अतिरिक्त भार बढ़ गया। तो यह जो ऐसी विसंगतियाँ हैं उन पर विचार करने की जरूरत है। टेलीफोन के बिल के बारे में मैं कहना चाहूंगा। एक बिल मेरा 177 रुपए का बकाया है। पिछले 20 दिनों से लखनऊ स्थित निवास का फोन काट दिया गया है। लोग शिकायत करते हैं कि आप के यहाँ कोई फोन उठाने वाला नहीं है। 177 रुपए का बिल है और 50 रुपए जोड़ने का मेज दिया है। हजारों रुपयों के बिल बाकी हैं लेकिन काटते नहीं हैं लेकिन 177 रुपया बाकी होने पर फोन काट दिया है और 50 रुपया जोड़ने का लगा दिया। इसके बारे में टेलीफोन विभाग से आपको बात करनी पड़ेगी। जहाँ तक रोडवेज की बात है तो वहाँ एक समझौता हो गया है सरकार में और रोडवेज में। दो-तीन सालों का एवरेज निकाल कर, 20 लाख रुपया सालाना के हिसाब से एक समझौता कर लिया गया है लेकिन इस सम्बन्ध में एक जो विसंगति है उसको मैं कहना चाहता हूं ।

[श्री मोहन सिंह]

कुछ माननीय सदस्य पार्लियामेन्ट के भी मेम्बर रह चुके हैं और विधान सभा तथा विधान परिषद् के भी मेम्बर रह चुके हैं। पार्लियामेन्ट के मेम्बर 20 वर्ष रहे हैं तथा विधान सभा या विधान परिषद के 6 साल मेम्बर रहे हैं। पेंशन पार्लियामेन्ट से लेते हैं इसलिए कि वहाँ पर ज्यादा मिलती है। यहाँ से इसलिए नहीं लेते हैं कि कम मिलेगी। लेकिन पार्लियामेन्ट के मेम्बरों को फ्री बस की यात्रा की सुविधा नहीं है हमारे पास बहुत से पुराने जमाने के 1952–62 के पार्लियामेन्ट के मेम्बर आते हैं, देवरिया के रहने वाले वयोवृद्ध स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री रामजी वर्मा हमारे यहाँ आते हैं उनको पेंशन की सुविधा मिलती है लेकिन बस की सुविधा नहीं है। तो जो ऐसे विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य हैं जो 6 वर्ष तक सदस्य रहे हैं वह बस सुविधा के इन्टाइटिल्ड हैं लेकिन यह सचिवालय कहता है कि चूंकि आप पेंशन पार्लियामेन्ट से लेते हैं इसलिए अतिरिक्त सुविधाएं हम नहीं देंगे। तो इस विसंगति को आपको दूर करना चाहिये। ऐसे सदस्य जो पार्लियामेन्ट से पेंशन लेते हैं, जो यहाँ भी सदस्य रहे हैं और पार्लियामेंट के भी मेम्बर रहे हैं और बस सुविधा के इंटाइटिल्ड हैं उनको यह सुविधा क्यों न दी जाय। यह ठीक है कि उनको दो पेंशन न दी जायं लेकिन बस की जो सुविधा है उससे उनको वंचित न रखा जाय इसके बारे में आपको विचार करना है। यह जो प्रवर समिति को भेजने का सुझाव आया है इसका समर्थन करने के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि संसदीय कार्य मन्त्री जी आप विचार करें और विचार करने के बाद एक मुकम्मल तरीके से, सम्पूर्ण सुविधाओं को देखते हुए और इसके दायरे को बढ़ाते हुए जो कमियाँ हैं उनको चेक करने आदि के बारे में सुझाव देने के लिए एक कमेटी के गठन के बारे में प्रस्ताव करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा।

*श्री दयाल कृष्ण––

मान्यवर, यह प्रवर समिति को भेजने का जो सुझाव है उसका मैं समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में सदन को सूचना देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक दफे मैं ट्रेन में जा रहा था। मेरे साथ एक राजस्थान तथा एक मध्य प्रदेश विधान के सदस्य भी जा रहे थे। मैंने देखा उनके पास जो कूपन है, उनके कूपन में एनी क्लास लिखा हुआ है, यानी किसी भी क्लास में उस कूपन से जाया जा सकता है जोकि आउट साइड स्टेट दिया जाता है। उससे कितनी सुविधा होती है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जाना है, तो फर्स्ट क्लास में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भी सेकेन्ड क्लास में जा सकता है और दूसरे को भी ले जा सकता है। तो जो मध्य प्रदेश में सुविधा उपलब्ध है, वह हमें क्यों नहीं उपलब्ध हो सकती है। कूपन से जो भी हमारे साथ जाना चाहे उसको हम ले जाना चाहें, उसको ले जा सकें। जो हमें सुविधा मिली है, अगर उसमें हम सेकेण्ड क्लास और जोड़ लें या एनी क्लास जोड़ दे, तो काफी सुविधा हो सकती है। तो इसलिए तमाम पहलू को देखने की आवश्यकता है। अब हम लोगों को जो किताब दी जाती है, 50 पैसे का इतना मोटा और फिर एक रुपए का और 5 रु0 का थोड़ा सा कूपन होता है। 500 रु0 के कूपन की मोटी सी किताब दो टिकट बनाने में समाप्त हो जाती है। राजस्थान में 1 रु0 का 5 रु0, का, 25 रु0 का, 50 रु0 का 100 रु0 तक का कूपन होता है और हजार रुपए की एक किताब थी, जिसको जेब में लेकर आदमी ट्रेवेल कर सकता है। आजकल 50 पैसे के टिकट का प्रिंटिग में कितना रुपया लगता है उसको छपवाया जाता है। और वह चल रहा है। पिछली दफा भी हमने लिखकर अपना सुझाव दिया था, लेकिन किसी ने उस पर विचार ही नहीं किया। तो जो 50 पैसे की और एक रु0 की किताब प्रिंटिग करके दे रहे हैं, तो इसमें कितना नुकसान होगा। इस प्रकार से मैं अपने सदस्यों के बारे में कहना चाहता हूं।

19 जुलाई, 1982 को मन्त्रि मण्डल का बदलाव हुआ, उसी दिन मैंने लिखकर दिया कि मुझे विधायक निवास आवंटित कर दिया जाय। लेकिन मुझे उस आज तक कोई सूचना नहीं मिली। कल अखबार में मैंने देखा कि मेरे नाम से 17,000 रु0 बकाया है। हमको एक माननीय सदस्य ने बताया कि आपको विधायक निवास आवंटित कर दिया है। मैंने उसी दिन अपना सामान उठाकर रख दिया और उसको अकूपाई कर लिया। जब तक आप हमको विधायक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवास नहीं आवंटित कर देते, तब तक हम जिस आवास में रह रहे हैं, उसे विधायक आवास क्यों नहीं ट्रीट करते। हमने तो 19 जुलाई, 1982 को ही लिखकर दे दिया था कि हमको विधायक आवास दे दिया जाय। इसी प्रकार से और भी माननीय सदस्यों के मामले हैं। तो मैं इसका समर्थन करता हूं कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें और संसदीय कार्य मन्त्री जी से भी निवेदन करूंगा कि तमाम बातों को देखकर तब पूरा बिल हाऊस के सामने रखा जाय, ताकि प्रवर समिति में हर पहलू पर विचार हो सके।

*श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, जो प्रवर समिति के लिए रखा है सशोधन, उसमें थोड़ा सा और संशोधन के साथ अपनी बात शुरू करूंगा और यह आशा करूंगा कि संसदीय कार्य मन्त्री जी जब जवाब दें, तो मेरे संशोधनों पर विचार करके, उसी आधार पर अन्तिम रूप से इसको पास करेंगे। श्रीमन्, एक तो इसमें लिखा हुआ है, पढ़ने में चूक गये थे, दोनों सदनों की प्रवर समिति, 30 दिन का समय लिखा है। इसमें जैसा माननीय मोहन सिंह ने या जैसा माननीय दयाल कृष्ण ने कहा है.....

श्री अधिष्ठाता---

माननीय रियासत साहब, संशोधन उन्होंने पेश किया है, दोनों सदनों का नहीं है, इसी सदन का है।

श्री रियासत हुसैन---

दोनों सदनों की समिति.....

श्री अधिष्ठाता---

संशोधित कर दिया है।

श्री रियासत हुसैन---

संशोधित दिया है तो यह जोड़ना चाहता हूं कि दोनों सदनों की समिति को दिया जाय और 30 दिन की मैक्सिमम सीमा लगा दी जाय, जो इस सत्र में अंतिम रूप देकर उसका इनैक्टमेंट करा दें। इसकी परिधि बढ़ाई जाय। माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने कूपन के बारे में लिखा है। इसकी परिधि बढ़ाई जाय, ताकि जो माननीय मोहन सिंह ने या और माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जा सके। श्रीमन, जैसे-जैसे जरूरत पड़ती है वैसे-वैसे इन्वेन्शन होता है। आपको स्वयं विदित है, पहले 200 रुपया वेतन और 10 रुपया भत्ता मिलता था। महंगाई के कारण इस वक्त हमारी उपलब्धियां यहां तक पहुंच गयीं। इस चीज को देखते हुए, पहले लिखा था कि माननीय सदस्य जिस दर्जे में सफर करेंगे उसी दर्जे का इन्सीडेन्टल मिलेगा। नतीजा यह हुआ कि माननीय सदस्य द्वितीय और तृतीय श्रेणी में चल देते थे और प्रथम श्रेणी का फार्म भर कर देते थे। यह सुविधा पहले निवास स्थान से लखनऊ आने के लिए थी। प्रदेश में जाने के लिए वह सुविधा नहीं थी। फिर यह हुआ कि प्रदेश के विकास कार्यों को देखने और उनको जोड़ने के लिए प्रदेश से बाहर जाने के लिए या सपरिवार के साथ प्रदेश के बाहर जाने के लिए कूपन की व्यवस्था की गयी ताकि माननीय सदस्य की जेब पर भार न पड़े। माननीय सदस्य विकास कार्यों को देखें और यहां आकर सुझाव दें।

मैं आभारी हूं वर्मा जी का, पहले माननीय सदस्यों से सम्बन्धित उपलब्धियों के बारे में सदन में चर्चा नहीं होती थी बल्कि वैसे ही तय हो जाता था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना मिसयूज हो गया कि वर्मा जी ने एक असरकारी विधेयक के जरिए इस सदन को यह मौका दिया कि माननीय सदस्य अपने कार्यों के लिए जो मिसयूज होता है उसमें कर्टेल करें। हमको इस पर विचार करना है। अभी माननीय मोहन सिंह जी कह रहे थे कोई माननीय सदस्य लखनऊ के आस-पास के हैं उनका खर्च 60-65 हजार का पहुंच गया है। अगर हम जो अधिकारी या सरकारी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा किए गये भ्रष्टाचार की चर्चा रात दिन अपने विशेषाधिकार और बोलने की स्वतन्त्रता के कारण करते हैं, सब कुछ कहते हैं, तो जो इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]
सदन के माननीय सदस्य मिसयूज कर रहे हैं, उस पर भी विचार करना होगा। माननीय सदस्य अगर रात दिन ट्रेन में घूमें तब भी 60 हजार का खर्च नहीं आयेगा। इसमें जरूर भ्रष्टाचार हुआ है। इसका मिसयूज किया गया है। हमको यह सोचने की जरूरत है

उसके अन्दर कहीं यह नहीं लिखा है कि इतना क्वालीफाई हो, अगर कोई इलेक्शन लड़ता है और वह अलिफ, बे पे, या ए, बी, सी, डी नहीं जानता है तो भी वह डिसक्वालिफाई में नहीं आता। हम पूरे सूबे का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो सूबे में खर्च होता है उस पर बहस करते हैं टीका टिप्पणी करते हैं तो हमारे पास कौन सी शक्ति ऐसी है कि लेखपाल जिसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है या आई0ए0एस0 आफिसर को ले लीजिए जो काम्पीटीशन के बाद आता है उस वर्ग पर टीका टिप्पणी करें और यदि वह भ्रष्ट है तो उसके भ्रष्टाचार को देखेंगे तो हमारे पास कौन सा अधिकार है, कौन सी काबिलियत है। यह सिर्फ हमारा इखलाख है हमें इखलाख के तौर पर टीका-टिप्पणी करने का अधिकार है। हमारे अन्दर कोई शक्ति है तो वह मौरल ताकत है। अगर हम इखलाखी तौर से यह साबित कर दें कि वह भ्रष्ट है तो हम उन पर टीका-टिप्पणी कर सकते हैं। तो हमको अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। जो हमारी उपलब्धियां हैं उनकी सीमा जब हम क्रास करते हैं तो हम यह कहते हैं कि इखलाखी तौर से हमने यह कर दिया। तो स्वयं हमारा दिल कहता है कि हमारे अन्दर कमजोरियां होंगी तो हमारे इखलाखी अधिकार जाते रहेंगे। तो हमें सोचना होगा कि हमारा इखलाख क्या है? हमारी कमजोरियां क्या हैं? श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने जो कहा है, उस पर बिचार होना है।

मान्यवर, हमने देखा है और यह हमारे लिए लज्जा और बेहद शर्म की बात है कि जो पांच-छः अधिकार कूपन के मिले हुए हैं वह लिखा है कि किस-किस तारीख से इस्तेमाल करेंगे। मैंने स्वयं सफर करते वक्त देखा है कि विधायकों के पुत्रों के साथ कूपनों की किताबें होती हैं और उनके साथ पांच-छः और चल रहे होते हैं, जो रेलवे वाले हमारी इज्जत करते हैं कि वह देखते नहीं हैं कि हमारे पास आइडेण्टिटी कार्ड है या नहीं है। लेकिन उनको अधिकार है कि वह आइडेंटिटी कार्ड देख सकते हैं लेकिन उनकी भलमानसता उनकी शराफत है कि उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगा। लेकिन उनकी शराफत और भलमनसता का यह मतलब नहीं है कि हम चार-पांच आदमी साथ लेकर चलें और उन्हें भयभीत करें जो उनके अधिकार हैं खोजबीन करने के वह भी न करने दें। अगर वह करें तो उनसे हम ये कहें कि मेरे साथ चार-पांच चल रहे हैं अगर कुछ पूछा तो खैरियत नहीं है। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि हम मिसयूज करते हैं जब हम समाचार-पत्रों में इस तरह से पढ़ते हैं तो हमें अपने को इस सदन का माननीय सदस्य समझकर यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर सकता। हमारे पास जो अधिकार हैं, जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, उसकी सीमा के अन्दर रहने चाहिए। जो कार्य हम करें वह सीमा के अन्दर रहकर करें। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई हमारे ऊपर अंकुश न करे तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इखलाखी तौर से करें। यह जो प्रस्ताव प्रवर समिति को भेजने का मामला है। पेंशन वाला भी है, वह लोग भी कहते हैं कि महंगाई बढ़ गयी है रहने के मकान की सुविधा दी जा रही है वह भी देखना होगा कि यह सुविधा ही होगी कहीं मुश्किल तो नहीं हो जायगी। और ऐसी बहुत सी चीजें हो गयी हैं जिसकी वजह से आवश्यक हो गया है कि इस पर एक साथ बैठ करके विस्तार से विचार कर अन्तिम निर्णय लिया जाय।

मैं यह जरूर चाहूंगा कि यह टाइम पासिंग के लिए न हो जाय, कि सेशन खत्म हो जाय, फिर न कोई बिल रहा न कोई समिति। इस सत्र में ही इसका इनैक्टमेंट हो जाय और सचिव, विधान सभा घोषित करें कि यह ऐक्ट बन गया। मैं यह चाहूंगा कि जो समिति बने उसमें ज्वाइंट मेम्बर्स हों, ताकि बाद में दूसरा अपर हाउस अलग से कोई मांग न करे। संयुक्त समिति व एक महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे और उस पर अच्छी तरह डिस्कशन होकर उसका इनैक्टमेन्ट हो जाय और आज की हम लोगों की जो भी जरूरियात है, महंगाई की हो या अन्य किसी सुविधा के बारे में, सब पर साथ ही डिस्कशन हो जाय।

हम लोगों को बस की सुविधा मिलती है। लेकिन बस की जो हालत है, अगर मैं दस घंटे का सफर करके मुरादाबाद से चल कर यहां आऊं, तो मैं फिर इस सदन की सेवा करने लायक नहीं रह सकता। इतने झटके और धक्के लगते हैं कि फिर आदमी कोई और काम नहीं कर सकता। इसीलिए ज्यादातर हम लोग रेल से ही सफर करते हैं इन सारी चीजों को लेकर मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री से आपके माध्यम से उम्मीद करता हू वे इसे दोनों सदनों की प्रवर समिति को 30 दिन या कम से कम जल्दी से जल्दी जितने से में वह इसे कर सकें, इसे सौंप दें। और इसका इनैक्टमेंट सुनिश्चित करा दें। हमारा यह विधान सभा का लास्ट ईयर है। आने वाली विधान सभा के लिए हम उन्हें एक रूप रेखा दे दें तो यह प्रदेश की जनता के हित में होगा।

*श्री लाल प्रताप सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत विस्तार से विचार हुआ इस संशोधन के सम्बन्ध में और इस पर पहले भी विचार हो चुका है वर्मा जी के इस विधेयक पर। माननीय वर्मा जो बधाई के पात्र हैं, इसमें सन्देह नहीं है। हमें मौका मिला है इसके सम्बन्ध में विस्तार से विचार करने का कि हमारी क्या सुविधाएं हों और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेलवे कूपनों का दुरुपयोग होता है।

श्री अधिष्ठाता---

लाल प्रताप सिंह जी, आप इस बिल पर पहले भी बोल चुके हैं।

श्री लाल प्रताप सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रवर समिति का जो संशोधन आया है, उस पर बोल रहा हूं, आपका जैसा आदेश हो।

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है, पांच मिनट बोल लीजिए।

श्री लाल प्रताप सिंह---

मान्यवर, जो प्रवर समिति का सुझाव आया है, इसका मैं समर्थन करता हूं, और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इससे विस्तार से बहुत सारी समस्यायें हमारे सामने आ जायेंगी। बहुत सी समस्याएं, जैसे बहुत से विधायक गांवों में रहते हैं, कहते हैं कि शहर में रहने का मकान होना चाहिए, कोई मकान मिलना चाहिए, प्रायरिटी के आधार पर मिलना चाहिए। कुछ विधायक का यह कहना है कि कूपन सिस्टम खत्म होना चाहिए, कोई और सिस्टम होना चाहिए। अतः यह जो प्रवर समिति का सुझाव रखा गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस पर और बहुत विस्तार से कहा जा चुका है, अब और अधिक कहने की आवश्कता नहीं है। प्रवर समिति का प्रस्ताव दूरदर्शिता का परिचायक है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[2 बजकर 20 मिनट पर]

*श्री लल्लू सिंह चौहान---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम सबको माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा जी का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने एक अवसर हमें दिया, जिसमें हम अपने ऊपर भी सोच सकें। हम माननीय सदस्य, प्रदेश में जितने भ्रष्टाचार होते हैं, जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं—शासन के द्वारा या अन्य व्यक्तियों के द्वारा, इस सदन में उन पर चर्चा करते हैं, लेकिन अपने ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा जी ने आज वह अवसर हमें दिया है। वाकई में यह एक ऐसा विधेयक है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिये और जो हमारी गरिमा को ऊंचा करता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ललजू सिंह चौहान]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज के युग में जो सुविधायें माननीय विधायकों को मिलनी चाहिये, वह मिलना जरूरी भी है और वे मिली भी हैं और न ही उन सुविधाओं की हम आलोचना कर सकते है। लेकिन कानून में कमी की वजह से आल कूपन्स का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। कानून में इसके लिये रोक-टोक होनी चाहिये। मिसाल के तौर पर कूपन्स का मामला है। हालाँकि रोक-टोक के बारे में साफ लिखा हुआ है कि केवल माननीय सदस्य इससे यात्रा करेंगे। परिवार का कोई अन्य सदस्य इससे यात्रा नहीं कर सकता है। यदि माननीय सदस्य के साथ कोई जाता है तो वह कम्पेनियन बनकर जा सकता है, परन्तु यह व्यवहारिक पक्ष में नहीं है। रेलवेज की जो चेकिंग एथोरिटीज होती हैं, वे एम0 एल0 एज0 को सम्मान देती हैं, फलस्वरूप उन पर रोक नहीं लग पाती है। परन्तु इसके साथ ही साथ इस विधेयक में भी मूलभूत कमी है जिस वजह से आज यह खर्चा 60 लाख तक पहुंच गया, अन्यथा मैं सोचता हूं कि यह 40 लाख तक ही होता।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज रेलवे की कई ब्राचेज ऐसी है जहां फर्स्ट क्लास कम्पार्टमेन्ट नहीं लगता है। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं। शिकोहाबाद से मैनपुरी तक कोई फर्स्ट क्लास का डिब्बा नहीं लगता है। 2 विधायकों को छोड़ कर 5 विधायक रेल से जाते हैं जो सेकेण्ड क्लास से यात्रा करते है, किन्तु फर्स्ट क्लास से चार्ज करते है। मेरा कहना यह है कि जिस समय नियम बनाये गये थे, तो यह बात उस समय सोचनी चाहिये थी। जहाँ आपने फर्स्ट क्लास लिखा था, वहाँ पर आज सेकेण्ड क्लास भी लिख देते।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो आउटर कूपन्स हैं, उसमें यह हो सकता है कि आप इस कूपन्स से सेकेण्ड क्लास से ट्रेवेल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे परिवार वालों को भी मुफीद होता, जहाँ हम अपने एक बच्चे को ले जा सकते थे, वहाँ दो-दो बच्चों को ले जा सकते थे ऐसा करने पर हम देश के अन्य भागों में भी भ्रमण कर सकते थे। और विकास के कार्यों को दूर-दूर तक देख सकते थे। परन्तु उसमें भी फर्स्ट क्लास लिख दिये जाने से हम केवल एक निश्चित सीमा तक ही ट्रेवेल कर सकते हैं।

जैसा कि माननीय श्री मोहन सिंह जी ने कहा। मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री सदन की भावना के अनुरूप कार्य करेंगे तथा माननीय सदस्यों ने जो अपेक्षायें की हैं, उन्हें भी पूरा करेंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दवाईयों का मामला है। दवाईयों के मामले में हम इतने दबे हुए नहीं है जितने कूपन्स के मामले में। हम इस बात को मानते है कि हर गरीब को दवाईयाँ लेने का अधिकार है, उसमें कोई नैतिक प्रश्न आगे नहीं आता। हमारे निर्वाचन क्षेत्र का यदि कोई आदमी हमारे पास आता है और वहाँ ठहरता है, तो जब तक वह हमारे यहाँ रहता है, तब तक वह हमारे परिवार का एक सदस्य है। यदि उसे दवाई की जरूरत होती है, तो वह हमारी पर्ची से ले सकता है। इसमें नैतिकता कहीं पर भी आड़े नही आती। कूपन्स के मामले में यह हो सकता है कि आप हमें एक सर्टीफिकेट दे दें जैसा कि पार्लियामेन्ट के सदस्यों को मिला है कि ये सेकेन्डक्लास से ट्रेवेल करेंगे। यदि हमारे परिवार का कोई आदमी फर्स्ट क्लास से ट्रेवेल करता है, तो वह वहाँ पकड़ा जा सकता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस विधेयक के परिव्यू में जितना व्यापक रूप से सुधार आ सकता है, उतना किया जाय। कई विधायकों का कहना है कि जो टेलीफोन्स देहातों में लगे हैं, वे बिलकुल बेकार है उस पर इतना पैसा लगता है, उस पर ध्यान दें। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जितना खर्चा आप करते है अरबो रुपया और करोड़ों रुपया विधायकों पर खर्च करते हैं---क्या यह नहीं कर सकते हैं कि एम0 एल0 ए0 को एक सिंगिल रुम एटेच विथ लेट्रीन बाथरुम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दे दिया जाय। वैसे तो तमाम इन्सपेक्शन हाउस बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि एम0 एल0 ए0 को वहाँ जाने पर रूम मिल ही जाय। इंस्पेक्शन हाउस अक्सर आफिसर्स से भरे रहते है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के, कभी भी जाने पर कोई रूम खाली नहीं मिलता है। इरीगेशन का इंस्पेक्शन हाउस है, तो उसमें इक्जीक्यूटिव इंजीनियर का परिवार रह रहा है। हाईडिल का इंस्पेक्शन हाउस है तो उसमें सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का परिवार रह रहा है कहा यह जाता है कि चीफ इंजीनियर के लिये तो भवन है लेकिन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की नई पोस्ट हुई है, तो वे वहाँ रह रहे हैं।

मान्यवर, पी0 डब्लू0 डी0 इंस्पेक्शन हाउस हर जिले में है—उसके बाबत खाली होने की यदि जानकारी की जाती है, तो सूचना मिलती है कि आज कमिश्नर साहब आ रहे है, या आज सेक्रेटरी साहब आ रहे है या डायरेक्टर साहब आ रहे हैं—मेम्बर्स को वहाँ पर रखने की जगह नहीं है। अगर देहात का रहने वाला एम0 एल0 ए0 है, तो वे डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर रात में नहीं रह सकता है। अगर वहाँ ठहरना चाहे, तो वह वैसे ही ठहर सकता है, जैसे वकील के यहाँ मुवक्किल ठहरता है। मान्यवर, यह अत्यन्त उपयोगी होगा, जिले के विकास के हित में होगा जो हम लोग जिला प्रशासन को राय मशविरा देते रहते हैं, उसके हित में होगा और विधान सभा की भी गरिमा बढ़ेगी, इसका निश्चित रूप से फायदा होगा यदि वहाँ एम0 एल0 ए0 लोगों के लिये अलग से कोई व्यवस्था करा दी जाय। आप चाहे तो एक बार लखनऊ में मकान न दें, लखनऊ में मकान देना उतना उपयोगी नहीं है, जितना उपयोगी सदस्य को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रूम मिल जाय। मैं इसमें भी बता दूं, जब तक वहाँ सम्बन्धित एम0 एल0 ए0 होगा, तब तक तो वह उसके नाम एलाट हो जायेगा, उसके चले जाने के बाद वह सरकार का है, सरकार उसे किसी को भी दे, इससे सरकार का लास भी नहीं होगा। और वह प्रापर्टी भी पी0 डब्लू0 डी0 या इस्टेट डिपार्टमेंट की बनी रहेगी।

इसके अलावा मान्यवर, बहुत सी बातें ऐसी है, जिन पर भी विचार किया जाना चाहिये। इस विधेयक पर माननीय पाण्डेय जी का जो संशोधन है प्रवर समिति का, तो इसे निश्चित रूप से प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिये और इन सब व्यापक प्रश्नों पर विचार होना चाहिये—जैसे दवाओं के बारे में है कि क्या किया जाय। अगर इस पर लोगों का कोई अलग दृष्टिकोण है, तो इस पर कोई नियम बना दिया जाय, ताकि इसमें जो आंशिक रूप से अनैतिकता छिपी हुई है, वह सुलझ सके। रेलवे कूपन के बारे में, आउटर कूपन के बारे में, यह किया जा सकता है कि सेकेण्ड क्लास में भी ट्रेवेल किया जा सकता है यह कर दिया जाय। और दूसरे जो कई आदमी साथ ले जाने की बात कही जाती है—उसमें यह भी किया जा सकता है कि दो आदमी साथ नहीं ले जा सकते हैं—यदि ले जायेंगे तो उसे सेंकेंड क्लास में ले जा सकते हैं। इन सब चीजों से खर्चा भी बचाया जा सकता है और बजट भी सीमित किया जा सकता है और विधायकों की प्रतिष्ठा भी बनी रह सकती है और विधायकों को नैतिकता की ओर भी अग्रसर किया जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस व्यापक प्रश्न को उसी व्यापकता से लें और प्रवर समिति का प्रस्ताव स्वीकार कर लें, जिसमें इन सारी चीजों पर गम्भीरता से विचार हो जाय—ताकि यह प्रश्न हमेशा-हमेशा के लिये तय हो जाय।

*श्री ध्रुव प्रसाद राय—

माननीय अधिष्ठाता जी, यह विधेयक जो माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने पेश किया है, वह एक तरह से हम लोगों को मौका दे रहा है— हम लोग यह समझें—आप समीक्षा करें कि हमारी कितनी सुविधाएं हैं—उसमें कितनों का हम लोग उपयोग कर रहे है और कितनों का दुरुपयोग कर रहे है। समस्या यह पहले देखनी होगी कि विधायक का कार्य क्षेत्र कितना बढ़ा है, कार्य क्षेत्र की समीक्षा करनी पड़ेगी और उससे संबंधित सुविधाओं को फिर जोड़ना पड़ेगा। जैसे विधायक की तनख्वाह आने जाने की सुविधा और विधायक का आवास। मान्यवर, आप आवास में देखे, आवास जो बने हुए हैं, उसमें एक बाथरूम लेट्रीन है, उस आवास में यदि 100 आदमी क्षेत्र के या बाहर के आकर ठहर जाते हैं, तो उनकी वजह से विधायक को सवेरे से शाम तक मौका ही नहीं मिलता होगा कि वे उस बाथरूम—लेट्रीन में जा सके। कई बार इस विषय में ध्यान आकृष्ट किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ध्रुव प्रसाद राय]
गया कि दो बाथरूम–लेट्रीन होनी चाहिये। आवास में एक कमरा और होना चाहिये, लेकिन इस तरफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके अलावा खाने की जो सुविधा है, उसके बाबत मैस जो चल रहे हैं, उनके बाबत स्थिति यह है कि यदि चाय मगाये, तो कहा जायगा कि चाय खत्म हो गयी है। खाना मंगायें, तो कहा जायगा कि खाना खत्म हो चुका है। अगर विधायक के घर में पकानेवाला नहीं है, वह अकेला है तो उसको बार-बार यहां खाने के लिये आना पड़ता है।

कूपन सिस्टम पर वर्मा जी ने जोर दिया है कि 5 लाख का 62 लाख हो गया है। आप देखिये कि प्रथम श्रेणी का भाड़ा भी 66–67 की तुलना में दुगने से ज्यादा बढ़ गया है। विधायक का क्षेत्र प्रान्त और प्रान्त से बाहर भी होता है। 40 लाख रु0 कूपन खर्च पड़ता है तो प्रति व्यक्ति 300-900 रु0 आता है। हमारे क्षेत्र से आने वाले विधायक का 110–115 रु0 भाड़ा एक तरफ का है। अगर 4–5 बार समिति की मीटिंग हो जाती है तो अनुमान लगाइए कितना खर्च हुआ। नियंत्रण रहना आवश्यक है, समीक्षा आवश्यक है, लेकिन इतनी आत्मग्लानि भी नहीं होनी चाहिये कि हमारी सभी अनियमितताओं को अनिमितता की दृष्टि से देखने लगें। हमारी इतनी बड़ी जमात है। बड़ी जमातों में ऐसा होता है कि कुछ लोग अनियमित भी हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी ने कहा कि छोटे कूपन 1 रु0 और 5 रु0 के भी होने चाहिये। 400–600 रु0 कूपन का खर्चा हो रहा है, यह ज्यादा नहीं है। 500 विधायक है, 1200 से गुणा कर दें, तो 62 लाख रु0 होता है। वर्मा जी ने आत्मनिरीक्षण किया और इस विधेयक को पेश किया। इसके लिये हम आभारी तो जरूर हैं लेकिन इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गलत काम हो रहा है या नहीं। प्रवर समिति के सुपुर्द कर रहे हैं, यह भी ठीक है, लेकिन उसमें यहभी देखना होगा कि विधायक को और क्या सुविधायें दी जायं अगर विधायक अपने क्षेत्र में जाय तो 2000–4000 रु0 खर्च करके क्षेत्र के गांवों में घूम सकता है। बार-बार घूमने के बाद भी लोग कहते हैं कि आप क्षेत्र में बहुत कम आते हैं। देखना होगा कि क्या विधायकों के पास गाड़ी की सुविधा है ?

मैंने देखा है कि विधायकों के पास गाड़ी की सुविधा नहीं है और वे पैदल चले जा रहे हैं। मेरे एक भाई ने कहा कि जिले में इन्सपेक्शन हाउस मेरा रहता है, उसमें एक कमरा मिलना चाहिये। सब सुविधायें हैं, आखिर विधायक कितना दौड़ता रहे। नहर नहीं खुदी तो विधायक की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था में फर्क आ गया तो विधायक की जिम्मेदारी है, चोरी हो गयी तो विधायक की जिम्मेदारी है, मारपीट हो गयी तो विधायक की जिम्मेदारी है, बिजली नहीं लगी तो विधायक की जिम्मेदारी है। विधायक वहीं से चुनकर आता है, यदि वह यह सब नहीं करता है, तो जनता कहती है कि अगली बार वोट नहीं देंगे। उसे सब कुछ करना पड़ता है। मैं तो समझता हूं कि विधायक की तनख्वाह और उसकी सुविधायें बढ़नी चाहिये तथा उसे एक जीप मिलनी चाहिये। यहां पर जो आवास मिले हुये हैं, मैंने अन्य प्रदेशों के आवासों को भी देखा है महाराष्ट्र है, बिहार है, वहां भी मैंने देखा है, अम्बार साहब जब पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि डबल बाथ रूम होगा, लेकिन वह नहीं बन पाया। तो इन सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये और इस मामले को प्रवर समिति के सुपुर्द भी किया जाना चाहिये और दूसरी बात विधायक की जो पेंशन है रु0 300 वह बढ़ाकर रु0 500 की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने के पक्ष में हूं।

*श्री फखरे आलम---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 रामस्वरूप वर्मा जी ने यह प्रस्ताव रखकर बड़ी दुखती हुयी रग को छेड़ा है और इस पर दोनों तरफ के मा0 विधायकों ने अपनी अपनी बातें कहीं कुछ ने कहा कि विधायकों की सुविधायें कम हैं, उन्हें बढ़ाया जाना चाहिये हालांकि भाई रामस्वरुप वर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें उन्होंने यही चाहा है कि सुविधाएं कम की जाएं। लेकिन उधर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से ही मैं इल्जाम उनको देता था, कुसूर अपना निकल आया। अब यह देखे कि कहां पहुंच गये हैं लोग। सन 66–67 में तो रु0 पांच लाख आया और वर्ष 81–82 में यह बढ़ कर 62 लाख के करीब हो गया और मेरी सूचना है कि 78 लाख हो गया है। बात तो यहां पर खर्चे के इजाफे की हो रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए मकान दिये जायं, जिला हेड क्वार्टर में मकान दिये जायं। इसलिये जो प्रस्ताव भाई रामस्वरूप जी ने रक्खा है उससे तो मैं सहमत हूं, लेकिन वह बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण है, वह इसलिये कि जब 67–68 में सिर्फ 5 लाख रु0 इस्तेमाल हुए और अब 78 लाख हो रहे हैं आखिर इसकी वजह क्या है, इसको आपको देखना पड़ेगा और जांच करानी पड़ेगी कि इतने कूपन्स आखिर कैसे इस्तेमाल हुए और किन किन के द्वारा हुए और इसमें जो भी दोषी पाया जाये, उसे दण्डित किया जाए।

अब सवाल यह पैदा होता कि किस तरह से दण्डित किया जाए। इसमें भाई रामस्वरूप जी ने एक सुझाव दिया है कि ऐसे व्यक्ति का अब जितना पीरियड बाकी रह गया है उससे उसको वंचित रक्खा जाये, तो यह तो उसके साथ ज्यादती होगी लेकिन यह जरूर देखा जाए कि अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हुए हैं तो उसकी रिकवरी की जाये। साथ ही मैं इन शब्दों के साथ साथ यह कहना चाहूंगा कि इस मामले को कमेटी के सुपुर्द किया जाये और वह यह विचार करे कि एक आदमी के लिए जितनी सुविधायें होनी चाहिये, उसको उस हिसाब से दिया जाये। सुना तो यह गया था कि जो लोग दारुलशफा में रह रहे हैं और जिसका स्टेडर्ण्ड किराया डेढ़ सौ रु0 है और हर विधायक कोई लगभग 300 रु0 एक मकान के लिये दिये होते हैं, इस हिसाब से उन्हें डेढ़ सौ रु0 और मिलेंगे। ऐसा चल रहा है कि तनख्वाह में 250 रु0 बढ़ा दिये जायं और क्षेत्र एलाउन्स में भी बढ़ा दिया जाय। ओवर आल जितनी सुविधायें मिल रही हैं उन सब का हिसाब लगाया जाय तो 7000 या 7500 रुपया प्रतिमाह विधायकों को मिल रहा है। तो यह अपनी जगह पर सही है और मैं इस फेवर में नहीं हूं कुछ बढ़ा दिया जाय।

अब दूसरी बात मकान की आयी। मकान लखनऊ में लेना चाहते हैं तो उसका इन्तजाम है, गोमती नगर में 10,000 रुपये देकर नाम दर्ज करा लें और मकान ले लें। जो विधायक इन्टरेस्टेट हैं उनके लिए इन्तजाम है? हेड क्वार्टर पर मकान होना चाहिये, तो यह बड़ा मुश्किल हो जायगा। 426 विधायक हैं, मैं समझता हूं कि 60–70 विधायक ऐसे हैं जिनके मकान हेड क्वार्टर पर होंगे। 350 के लिए आपको हेड क्वार्टर पर इन्तजाम करना मुश्किल हो जायगा। एक बात अभी राना जी ने कहा है कि जो इन्सपेक्शन हाउस है उनमें विधायकों को प्रियारटी दी जाय। हम लोग यह चाहते हैं कि इन्सपेक्शन हाउस में ठहरने के लिये जगह मिले लेकिन होता यह है कि स्टेट आफिस से टेलीग्राम कर दिया जाता है कि फलां तारीख को फलां एम0एल0ए0 के नाम इन्सपेक्शन हाउस रिजर्व कर दिया जाय लेकिन वहां से लिख कर आ जाता है कि खाली नहीं है। वहां पर जब जाते हैं तो पता चलता है कि किसी इन्जीनियर की बरात टिकी है या उनका कोई रिश्तेदार ठहरा हुआ है। यह ब्रीच आफ प्रिविलेज हो रहा है। इस ओर गौर करने की जरूरत है मैंने भी देखा है कि यहां से टेलीग्राम गया कि फलां दिन विधायक ठहरेंगे और लिख कर आ गया कि इन्सपेक्शन हाउस खाली नहीं है, तो मान्यवर, इसका इन्तजाम होना जरूरी है।

अब ऐसा हो गया कि विधायक 60,67 और 69 तक कास्टीटुयुएन्सी एक लाख से कम की थी लेकिन अब वह डेढ़ लाख की हो गयी है। अगर एक आदमी उसके साथ दिल्ली चला गया तो 175 रुपये जाना और 175 रुपये आना उसका हो गया तथा साढ़े 300 रुपये विधायक के हो गये। इसी कारण यह कूपन रखे गये हैं। अगर कोई ऐसा इन्तजाम हो सके कि कूपन का सिस्टम एबालिश कर दिया जाय और वही तरीका रखा जाय, जो एक एम0पी0 के लिए तो अधिक सुविधा होगी। और जो यह शिकायत है कि दस-दस लोग विधायकों के साथ चले जाते है यह भी बन्द हो जायगी। अगर सरकार इसका इन्तजाम कर सके तो बहुत अच्छा होगा। जिस प्रकार से एम0 पी0 जाता है वही तरीका बना दिया जाय तो कूपन का दुरुपयोग नहीं होगा और न

[श्री फखरे आलम]

किसी को शिकायत का मौका होगा और न 5 लाख से 78 लाख रुपये का व्यय ही होगा। एम0 पी0 ने अपना नम्बर बता दिया और उसका रिजर्वेशन हो जाता है। इसी प्रकार से एम0एल0 ए0 और एम0एल0सी0 के लिए हो जाय कि वह इन्टीमेशन भेज दे और रिजर्वेशन हो जाय। न टिकट खरीदना पड़े और न डी0आर0एम0 को लिखाना पड़े। यह सब स्टेशन पर ही हो जाता है। यदि अर्थ लोअर की या अपर की मिल जाय तो वह इन्तजाम कर दिया जायेगा। इन अल्फाज के साथ मैं इस प्रस्ताव से अपनी सहमति देता हूं और यह भी चाहता हूं कि इसको एक कमेटी को भेज दिया जाय। वह भी इसकी जांच करे ताकि जो जो बातें उठायी गयी हैं उन पर भी वह विचार कर ले। अच्छा तो यह था कि जो प्रस्ताव माननीय रामस्वरूप वर्मा जी लाये है वह सरकार की तरफ से आता और बढ़ाकर उसमें यह बातें आ जातीं।

श्री जयदीप सिंह बरार---

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। माननीय रामस्वरूप वर्मा जी एक ऐसा संशोधन विधेयक लाये है जिस पर उन्होंने हमें एक अच्छा मौका दिया है कि इसमें जो शिकायतें आती है, इसके जरिये हम उसको पुनः नियमित कर सकें और जो आलोचना इसके बारे में आती है उनका निराकरण कर सकें। जो भावना उनकी इस विधेयक के पीछे है उसका सब ने स्वागत किया है। जब इसको सभी ने स्वीकार किया है और स्वागत किया है तो हम यह महसूस करते है कि जो हमारा पेंशन और उपलब्धियों का यह ऐक्ट है, अधिनियम है उसमें कुछ कमियां है, उसे भी हम स्वीकार कर चुके हैं। इस बात पर विचार करने के लिये वे कौन-कौन सी कमियां है उनका कैसे निराकरण किया जा सके उसके लिये शायद हमारा विधान सभा का आज का उपवेशन जो है उसमें भी अगर हम विचार करें तो सब पहलुओं पर विचार नहीं कर सकेंगे। इसलिये जो संशोधन पांडेय जी ने इसमें रखा है उसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि उसके लिये एक प्रवर समिति बनायी जाय जिसमें आज के जो हमारे विचार है वे भी रख दिये जायं। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी बातें भी है जिन्हें हम उजागर करना चाहते है, उस समिति में उस पर भी विचार कर लिया जाय। उसमें हम अपनी कमियों को भी बता सकते है और उन्हे दूर कर सकते हैं।

इसके बारे में मैं दो बातें कहना चाहूंगा। जो प्रवर समिति बने उसमें दो बातें विचारणीय हैं। एक तो रेलवे कूपन के बारे में कहना चाहूंगा। जहां तक नियमों का प्रश्न है उसमें आज भी कोई कमी नहीं है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया कि बुकिंग क्लर्क वहां पर आपके हस्ताक्षर करा कर चेक भी करा सकते हैं। गाड़ी में भी आडेन्टिटी कार्ड मांग सकते हैं। यह नियम आलरेडी बना है। हम उसका दुरुपयोग करते है, ऐसी बात नहीं है। मात्र कूपनों का उपयोग बन्द करके जैसा रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा कि उसको हम लागू नहीं कर पायेंगे। वह नियम तो पहले से बना हुआ है। उसके लिये शास्ति न भी हो तो उसकी जानकारी आ जाय और सदन के पटल पर रख दी जाय।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कूपनों का दुरुपयोग केवल धन का ही दुरुपयोग नहीं है, समय का दुरुपयोग है। जैसा कि आप जानते है कि हम कई-कई दफे एक-एक दो-दो घन्टे तक कार्यालय में बैठे रहते है, लाइन में खड़े रहते है, स्टेशन में लाइन में खड़े रहते हैं, हमारे कुछ आवश्यक कार्य होते है हालाँकि अब यह हो गया है कि ट्रेन में भी टिकट मिल सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कूपनों का दुरुपयोग केवल धन का नहीं है। जो समय है, हम सदस्य विधान सभा है, हमारा समय भी जनता के लिये, उसके हित के लिये है उसका भी कूपनों के कारण दुरुपयोग है। जैसा माननीय फखरे आलम साहब ने कहा है उस पर भी विचार करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में पहले से सुझाव रखे भी गये हैं। कहा गया कि रेलवे मंत्रालय तैयार नहीं होता। आप सदन की इस भावना को रेलवे मंत्रालय से कहें, लोक सभा के अध्यक्ष से आप बता सकते है। कूपनों के दुरुपयोग की बात जनता में मात्र विधायकों की बदनामी नहीं, लोकतंत्र के लिए भी शुबहा पैदा करता है संसदीय प्रणाली के हित में यह आवश्यक है कि आप इसके

बारे में लोक सभा अध्यक्ष को लिखें तो मैं समझता हूं कि हमारी यह भावना है माननीय लोक सभा अध्यक्ष रेलवे मंत्रालय भारत सरकार से आग्रह कर सकते हैं कि हमें रेलवे कूपन देने के बजाय रेलवे पास दिये जाये। क्योंकि यह एक मात्र उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है बल्कि सब जगह यह समस्या है।

दूसरा सुझाव मैं जो देना चाहता हूं वह यह है कि यहाँ पर दूसरी सुविधाओं की बात आयी उस पर बहुत से विचार आये हैं और जितना समय हम इस पर देंगे उतने सुझाव आयेंगे। दो प्रकार की उपलब्धियाँ हैं, कुछ ऐसी हैं जिनका दुरुपयोग हो सकता है और कुछ ऐसी हैं जिनका दुरुपयोग संभव नहीं है। आप जानते है कि अगर कोई चीज हमें लिखनी है अपने पैड पर लिखना है उसके लिए हम टाइपिस्ट के पास जाते हैं वह पत्र हम जनहित में अपने पैड पर लिख रहे हैं तो उसके स्टनोग्राफ र की सुविधा होनी चाहिये। 10, 15 विधायकों के लिए दारुल-शफा में एक स्टेनोग्राफर हो जाय जिससे हम टाइप करा सकें, तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। कुछ सुविधायें ऐसी हैं चाहे वह दवा की हो या रेलवे कूपन्स की हो वह ऐसी है जिनका दुरुपयोग होना संभव है। तो मेरा निवेदन है कि जब यह प्रवर समिति को भेजा जाय तो उसमें माननी सदस्य इस बात का ध्यान रक्खें इस प्रकार की सुविधायें माननीय सदस्यों को दी जायं जिनका दुरुपयोग संभव ही नहीं है वह दी जायं और जिनका दुरुपयोग हो सकता है उनको परे रखा जाय। क्योंकि हम जनता के वोट के प्रेशर में रहते हैं और किसी समय हम भी गलती कर सकते हैं। इसलिए हम नियम बनाते समय ही इस बात को देख लें कि दुरुपयोग से कैसे बचा जा सकता है।

मैं एक ही बात कहूंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चले गये आज के विवाद में एक विशेष बात यह रही कि किसी भी सदस्य ने चाहे वह किसी भी पार्टी का रहा हो इस बात का समर्थन किया है कि यह जो संशोधन विधेयक है इसे प्रवर समिति में जाना चाहिये और एक निश्चित समय के अन्दर इस पर विचार करके इसी सत्र में इसे पास कर देना चाहिये ताकि आगे आने वाले जो लोग हैं उनको पुनः इन कठिनाईयों का सामना न करना पड़े और हम इसे इसी सत्र में पास कर जायं।

*श्री ऊदल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने जो संशोधन विधेयक पेश किया है मैं समझता हूं कि वह अपनी जगह पर सही है लेकिन उन्होंने जो जुर्म आयद किया है वह सब के ऊपर आयद हो गया है क्योंकि कूपन्स का दुरुपयोग जो है वह ऐसा नहीं है कि सभी माननीय सदस्यों ने किया हो, हो सकता है कुछ एक ने किया हो या किये होंगे। एक दुभाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हम इसको दूर करने का रास्ता दिखाने नहीं जा रहे हैं। इसे प्रवर समिति में जाने की बात है उसमें भी विधान सभा की प्रवर समिति की बात है तो कूपन्स तो विधान परिषद् में भी दिये जाते हैं। तो जो प्रवर समिति बननी चाहिये वह दोनों सदनों की होनी चाहिये लेकिन पता नहीं क्यों यह संशोधन रखा गया है कि अकेले इसी हाउस की प्रवर समिति बनायी जाय। मैं समझता हूं कि इसके लिये दोनों सदनों की ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी होनी चाहिये।

अब रही यह बात कि इस कमी को दूर कैसे किया जाय तो इसको दूर करने के लिए हमें ही अपने दिलों में हाथ रख कर सोचना चाहिये अन्यथा यह दूर नहीं हो सकती है। अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचें कि हमने दुरुपयोग किया है कि नहीं। यदि हम अपनी आत्मपरीक्षा कर लें, भविष्य में आज कर लें तो इसका, मैं समझता हूं कि दुरुपयोग रुक सकता है।

अब बहुत से मा0 सदस्य बात कर रहे हैं कि हर जिले में इंसपेक्शन हाउस विधायक के लिये बनायें जायं और उनमें हर कमरे, में अटैच लैट्रिन और बाथरूम हो तो यह तो इस गरीब प्रदेश का दिवाला निकालने की बात है और मैं इसका घोर विरोधी हूं। इसलिये न इंस्पेक्शन हाउस की जरूरत है और न उनमें अटैच लैट्रिन बाथरूम ही जरूरी है बल्कि लोग अपने घरों में रहें और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]
यदि कुछ प्रशासनिक सुधार 20–25 मील अपने घरों से जाकर, करने की राय जिले के कप्तान, डी0 एम0 और कमिश्नर को दे सकें तो दें अन्यथा राय देने के लिये अरबों रुपये खर्च किया जाय और 57 जिलों में 57 इंस्पेक्शन हाउस मा0 सदस्यों के लिये बनायें जायं तो यह मुनासिब बात नहीं है।

अब यह जो विधेयक है सदस्यों की उपलब्धियों का, उसमें और किसी चीज में कोई दुरुपयोग तो हमको नजर नहीं आ रहा है, न तो कोई गलत टी0 ए0 और डी0 ए0 बना रहा है चूंकि हाजिरी रजिस्टर है, जिस दिन हाजिरी नहीं होती है उस दिन का डी0 ए0 कट जाता है। इसलिये सिर्फ कूपनों के दुरुपयोग की बात है। उसको पकड़ने की बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। श्री वर्मा जी कैसे पकड़ेंगे मैं अभी तक यह समझने में असमर्थ हूं। कुछ मा0 सदस्य हमसे कह रहे थे कि जो पार्लियामेंट में जैसे रेल यात्रा करने पर कार्ड सांसद को दिखाना होता है तो उसी प्रकार यहाँ भी हो। तो भारत सरकार के अन्तर्गत रेल मंत्रालय है और उन्होंने सभी सांसदों को पास जारी कर दिया है जबकि हमसे रेलवे बोर्ड पहले ही रुपया यात्रा का ले लेता है और तब कूपन बुक जारी करता है चूंकि रेलवे प्रदेश से तो संबंधित है नहीं इसलिय रेलवे का पास कैसे मिल सकता है और बसें प्रदेश से संबंधित हैं इसलिये बसों का पास है। इसलिये पार्लियामेंट की तरह रेल में चलने के लिये पास सिस्टम तो होने वाला नहीं है। इसलिये अब एक ही बात है कि कहीं कोई दुरुपयोग नहीं है केवल कूपनों के दुरुपयोग को छोड़कर वह हो सकता है किन्तु सभी के ऊपर यह लांछन नहीं लगाया जा सकता है, मेरा ऐसा ख्याल है और यदि श्री वर्मा जी स्पष्ट बताते और बताना चाहिये चूंकि हम अपने बारे में विचार कर रहे हैं। मैं अपने को पेश कर रहा हूं, इस माननीय सदन के सामने मेरे ऊपर कोई दुरुपयोग की बात श्री वर्मा जी या और कोई बता दे तो मैं आज ही सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

इसी तरह से बहुत से माननीय सदस्य होंगे। इस माननीय सदन की सदस्यता और मा0 सदन का सदस्य होना मैं समझता हूं कि मामूली बात नहीं है, बहुत ही गरिमापूर्ण बात है इसको सोचना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि कूपन के दुरुपयोग की बात को हम दूर कर सकते हैं तो अपने ही नैतिक बल से दूर कर सकते है। यदि किसी ने ऐसा किया है तो वह अपने ही नैतिक बल से इसको दूर कर सकता है चूंकि जब दूसरों की आलोचना और भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं तो हम को स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये कि हमारे ऊपर बाहर से भी और इस माननीय सदन के भी कोई सदस्य ऊंगली न उठा सके, इस तरह से हमको सोचना चाहिये। इस तरह से हमको अपनी नैतिकता और ईमानदारी को जाहिर करना चाहिये जो सुविधा हमें माननीय सदस्य के नाते मिली है, उसका हम रत्ती मात्र दुरुपयोग न करें। तभी सुधार हो सकता है।

मैं समझता हूं प्रवर समिति इसमें कुछ सुधार न कर सकेगी। रिजवी साहब चाहते हैं कि यह प्रवर समिति में चला जाए, जिससे वर्मा जी की भावना फेल हो जाये। यदि ऐसी बात आप चाहते हैं तो ठीक है यह प्रवर समिति में चला जाए। इस संबंध में यदि वर्मा जी कुछ उदाहरण बताये होते तो अच्छा था, तब बात समझ में आती। हमें बड़ा आश्चर्य होता है आज तक कभी भी इस माननीय सदन के अन्दर अपने बारे में, सदन के माननीय सदस्यों के बारे में या हमारे विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों व अधिकारियों के बारे में कभी बहस नहीं हुई है, बल्कि माननीय अध्यक्ष और सभी दलों के नेता लोग मिलकर उनके मसलों को तय कर लिया करते हैं। इस दृष्टि से आज का दिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, अब जब हम अपने बारे में इस माननीय सदन में विचार कर रहे हैं। इससे यह साफ है कि कहीं न कहीं कोई कमी जरूर होगी। वर्मा जी बहुत पुराने सदस्य हैं, मैं समझता हूं कि उनको जब यह मालूम होगा कि इस तरह की बात हो रही है, तभी मजबूर होकर उन्होंने यह संशोधन विधेयक इस सदन में रखा है।

इसलिए मैं समझता हूं कि इससें सिर्फ बात एक है कि कूपनों का दुरुपयोग और उसको हम कैसे और किस तरह दूर कर सकते हैं। हम समझते हैं इसलिए आप एक संयुक्त समिति बनाएं, क्योंकि यह मसला दोनों सदनों के माननीय सदस्यों से सम्बन्ध रखता है। इसके अलावा इसमें और कोई कमी नहीं है, सभी सुविधाएं परिपूर्ण हैं, अब कुछ और मिलने वाला नहीं है। बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो तीन-तीन सौ वाले मकानों में रह रहे हैं और बहुत से ऐसे सबसे पुराने और हमसे पुराने भृगु नाथ चतुर्वेदी जी सरीखे, जो सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते हैं, वह एक दम ऊपर पड़े हुए है और कम कमरों वाले और पुरानें आवासों में पड़े हुए है (संसदीय कार्य मंत्री के कुछ कहने पर) अभी आपको और जिन्दा रहना है, हमारी भी आयु आपको मिल जाये, क्योंकि आपको राजपाठ चलाना है। अभी हम डेढ़ सौ वाले कमरे में रह रहे हैं, बाबा आदम के जमाने वाले में रह रहे हैं। क्या कभी आपकी सरकार ने उनके बारे में सोचा है? बहुत से माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जो स्वर्ग के नजदीक है और कहीं ऐसा न हो कि दादा भृगुनाथ वाली मुसीबत में फंस जायं। यह हम आपसे माँग नहीं सकते हैं लेकिन जो यह मामला है उसमें भवन भी शामिल हैं, इसलिये हमको यह कहना पड़ रहा है। जब यह माननीय रेवतीरमण सिंह जी सरकार में थे तो उन्होंने भी इस पर कभी विचार नहीं किया। यह विधेयक तो पहली बार यहाँ इस प्रकार का आया है जिसका मैं विरोध करता हूं, इसे आना ही नहीं चाहिये था।

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल एक ही विषय है कूपन के दुरुपयोग वाला। सभी ने दुरुपयोग किया होगा यह मैं नहीं मानता, हो सकता है कुछ ने किया हो। वर्मा जी की केवल इतनी मंशा है कि उसका दुरुपयोग न हो। अपनी सुख सुविधाओं के बारे में वैसे हम यहां सदन में विचार नहीं करते, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि हम उसपर विचार कर रहे हैं, पर हमारा नैतिक स्तर किस तरह से ऊपर उठे, कैसे यह दुरुपयोग रुके इसके लिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि आप एक ज्वाइन्ट सलेक्ट कमेटी बनायें, क्योंकि कूपनों का प्रयोग विधान परिषद के माननीय सदस्य भी करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम हम लोगों को अपने बारे में भी विचार करने का मौका दिया।

डा0 बृजकिशोर मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिये अवसर दिया। माननीय वर्मा जी ने जो विधेयक पेश किया है उससे निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने हम विधायकों के अन्दर एक नयी चेतना को जाग्रत किया है और उस के लिये वे बधाई के पात्र हैं। पर साथ ही मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं हो रहा है कि त्रुटि कोई करे और उसका खामियाजा सारे लोग भुगते। यह ठीक नही है। इस सदन के सभी माननीय सदस्य एक चेतना, विवेक और बुद्धि के लिये यहां पर आते हैं और जनता के कामों को करते हैं।

मान्यवर, जनतंत्र में हर आदमी को यह अधिकार है कि वह अपनी मांगों के लिये आन्दोलन करे और आज आए दिन चाहे छात्र हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे कर्मचारी हों, और चाहे मजदूर हों, आन्दोलन करते हैं और वे अपनी यह नैतिक जिम्मेदारी समझने लगे है कि उनको सत्याग्रह करना चाहिये।

मान्यवर, इसके साथ साथ कुछ हम लोगों के ऊपर भी विचार होना चाहिये। चूंकि हम आज अपने ऊपर विचार करने चले हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यह संभव नहीं है कि हम हर जिले में प्रत्येक विधायक के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध करा दिया जाय उनके लिये फ्लैट बना दिया जायं या उनके लिये इंस्पेक्शन हाउस रिजर्व कर दिया जाय, यह पासिबिल नहीं है। लेकिन एक बात पर आज विचार करना जरूरी है कि जब कभी भी विधायक की बात आती है तो निश्चित रूप से चाहे वह बड़े-बड़े अधिकारी हों या गांव का बसने वाला किसान हो, अगर कोई कमी विधायक के अन्दर नजर आयी तो उनके ऊपर उंगली उठाने लगता है। अभी एक

[डा0 बृज किशोर मिश्र]
पूर्व वक्ता कह रहे थे कि विधायकों का 7 हजार रुपया पड़ जायगा। तो मान्यवर, यह मेरी समझ में नहीं आता है कि 7 हजार रुपया कैसे हो जायगा। यह बात कैसे उन्होंने सोची। मान्यवर, हाउस चलते हम को रोज 40 रुपये मिलता है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। रोज 40 रुपया मिलता है लेकिन उस समय हर विधायक जानता है कि उसके क्षेत्र के तमाम ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जिनको खाना तो खाना है उनके लिये टिकट की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हरदोई से आने वाले या बाराबंकी स आने वाले या उन्नाव से आने वाले तो सोच सकते हैं कि उनका कूपन 5 रुपय का लगगा लकिन जो आदमी देवरिया का ह, उस छोर से आता है लखनऊ तो 106–110 रुपया लगता ह। जो आदमी देहरादून से या चमोली से यहां लखनऊ आता है तो निश्चित रूप से उसके एक्सपेंसेज ज्यादा होंगे।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर विधायकों के चरित्र को निश्चित रूप से उज्ज्वल रखना है, अगर दुनियां में लोकतंत्र, जनतंत्र की दुहाई देने वाले सारे लोगों को यह अधिकार है कि वह अपनी मांगों को मांगें तो विधायकों के लिये भी यह जरूरी है कि उनकी सुविधायें जो हैं उनमें वृद्धि होनी चाहिये। मान्यवर, आप जो एलाउन्स देते हैं तनख्वाह और क्षेत्र के लिये 15 सौ रुपया देते हैं। ईमानदारी की बात है कि 100 रुपये जीप वाला रोज लेता है। 10 लीटर रोज डीजल लगता है जिसके लिये 40–50 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरह से 1500 रुपये 10 दिन क्षेत्र में घूमने के लिये कम है, इनसे काम नहीं चल सकता है। तो या तो किसी सेठ साहूकार से चन्दा लेंगे या किसी बड़े आदमी की सिफारिश करके गलत काम कराते होंगे मेरे जैसा आदमी तो अपने क्षेत्र में इसमें घूम नहीं सकता। 1500 रुपये तो क्षेत्र भ्रमण के लिये निश्चित रूप से कम है इसमें वृद्धि होनी चाहिये। एमाउन्ट क्या होगा यह आपके विवेक पर बेस करता है।

मैं वर्मा जी से निवेदन करूंगा, कि आप इस सदन के पुराने सदस्य भी हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, आप रजिस्टर खुलवा कर देखें शायद उत्तर प्रदेश का कोई विधायक सबसे कम कूपन जिसने लिये होंगे तो वह मैं हूंगा। आप इन्क्वायरी करा लें। लेकिन जिसका जैसा खर्च होगा वैसा करेगा। अभी हमारे एक मा0 सदस्य कह रहे थे कि कूपन की व्यवस्था समाप्त कर दी जाय। तो इससे काम चलेगा नही। पार्लियामेंट में पास देते हैं, अटेंडेंट के लिये टिकट देते हैं यहां पर वह नहीं चलेगा। एक संशोधन कूपन में जरूर करना चाहिये मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि 5–5 रुपये के 10 दे देते हैं, और आठ आठ आने के 200, 300 भी देते हैं, जब स्टाफ के पास जाते हैं, बुकिंग बाबू के पास, तो पहले दिन ही अठन्नी वाला फाड़ लेते हैं। आप आठ आने वाला दीजिए, लेकिन उसकी संख्या 4 पन्ने में हो। 1 रुपया, 10 रु0, 25 रु0 का भी दीजिए आप एक कूपन बुक देते हैं 500 रु0 की, अगर गोरखपुर, देवरिया एक बार भी जाना पड़ा, तो पता चलता है कि कूपन घट गया और आरक्षण के लिये 50 पैसे वाला भी देना पड़ जाता है। तो मान्यवर, वर्मा जी को भी इस पर विचार करना चाहिये।

वर्मा जी का यह भी सुझाव सही है कि निश्चित रूप से कूपन का दुरुपयोग हुआ है और मेरी जानकारी में भी है कि कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग किया है। लेकिन मान्यवर किया होगा, एक–दो कर दिये होंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसलिये अगर परसेंटेज में देखिये, अगर आंकड़े में देखिये, तो 1,200 रु0 महीने का खर्च रहा है। आप विधान सभा और विधान परिषद् दोनों का मूल्यांकन करिये, तो 100 रु0 से अधिक नहीं आ रहा है। अन्त में मैं यह कह कर कि वैसे वर्मा जी के संशोधन विधेयक को जो प्रवर समिति में भेजने की बात है मैं तो इससे इत्तफाक नहीं करता कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय किन्तु अगर यह बड़ा विचारणीय प्रश्न हो, तो विधान परिषद् और विधान सभा दोनों सदनों के कुछ सदस्यों को रखकर एक कमेटी बना दी जाय और उसमें उनका सुझाव ले लिया जाय।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, वर्मा जी ने जो कूपन के संबंध में रखा है इसी से संबंधित मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। लेकिन मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री शायद किसी जरूरी काम से चले गये। मान्यवर, कूपन में अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो उसे रोकने के लिये एक ही तरीका है, नकदीकरण कर दिया जाय। जैसे अगर पैसा दिया जाता है दो टिकट का, तो दो टिकट का एब-रेज लगाकर हर महीने में चाहे फर्स्ट क्लास में चले या सेकेण्ड क्लास में चले, जिस क्लास का टिकट इस सचिवालय में प्रस्तुत करें, उसके हिसाब से रुपया दे दिया जाय। हर महीने में इसका हिसाब हो जाया करे और जिसको पैसे की दिक्कत हो उसको अग्रिम धनराशि के रूप में दिया जाय। जैसे पार्लियामेंट में दो पास का प्राविधान है उसी प्रकार से दो पास फर्स्ट क्लास का यहां पर प्राविधान हो जाय और यहां से सचिवालय से हर महीने में पैसा लेकर यात्रा करे और जैसे रेलवे बोर्ड को उत्तर प्रदेश सरकार नकदी पैसा जमा करती है, वही पैसा यहां एम0 एल0 एज0 दिया करें और जब एम0 एल0 एज0 अपना टिकट हर महीने में जमा करें, उसका पेमेंट कर दिया जाय।

मान्यवर, इसी के साथ साथ दवाओं के संबंध में मैं चाहता हूं कि यह हाउस एक ऐसा निर्णय ले कि आप मान्यवर, देखें कि आज अस्पतालों में हालत क्या है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स उन आदमियों को नहीं मिल पाती है, जो गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं या खोंचे लगाते हैं, उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिलती है, वह मर जाते है। उनके लिये ऐक्सरे प्लेट नहीं हैं। उनको एक्स-रे बाहर से कराना पड़ता है। वह सुविधा एम0 एल0 ए0, एम0 एल0 सी0 और गजटेड आफिसर और मिनिस्टर उठा रहा है। गरीब आदमी को इस वेलफेयर स्टेट में वह सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे विधायक हैं जिन्होंने भले ही दवा का प्रयोग न किया हो लेकिन 2-2 लाख रुपये की दवाओं का बिल है। मैं चाहूंगा कि इसको भी नकदी कर दिया जाय हर विधायक को एक निश्चित रकम दे दी जाय। जब उसके परिवार का या स्वयं विधायक गम्भीर रूप से किसी बीमारी से पीड़ित हो तो वह आवेदन देगा और सरकार उसे जितने पैसे की जरूरत होगी, उसका प्रबन्ध सरकार करेगी। लेकिन जब तक यह व्यवस्था रहेगी कि विधायक के लिखने से दवा मिलती रहेगी, तब तक इसको आप नही रोक पायेंगे। यह नित्य की बात है कि एम0 एल0 ए0 के नाम पर कई लोगों को दवा दी जाती है। एम0 एल0 ए0 मजबूर है। अगर आप इस पर रोक लगाना चाहते हैं तो लिखने वाली प्रक्रिया को बन्द करके एक निश्चित रकम एम0 एल0 ए0 को दे दी जाय। विधायक जब मेडिकल एलाउन्स का बिल दे उसको उसमें कम्पनसेट कर दिया जाय।

श्रीमन्, ऊदल जी ने जो बात कही है वह सही बात है। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां सीनियर एम0 एल0 ए0 जो तीन चार बार एम0 एल0 ए0 रह चुके हैं उनको शामिल करके एक वर्गीकरण बनाया जाय। लोक सभा में सीनियर एम0 पी0, उनके स्टेट्स के हिसाब से, हाऊस में लीडर होने की गरिमा के हिसाब से मकान का आवंटन किया जाता है। मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें। जो सीनियर एम0 एल0 ए0 हैं, जैसे ऊदल जी, भृगुनाथ चतुर्वेदी जी और आप स्वयं पुराने विधायक हैं। और आज भी दारुल शफा में रहते हैं। यह नियम होना चाहिये कि उनको बंगला दिया जाय। क्या कारण है कि गजटेड अफसर बंगले में रहते हैं और जो सीनियर एम0 एल0 ए0 चार-चार बार विधायक रह चुके हैं वह दारुलशफा में रह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो वर्गीकरण भारत सरकार में है, वही उत्तर प्रदेश में लागू किया जाय। इससे जो सीनियर एम0 एल0 ए0 की आवास की समस्या है, वह दूर हो जायगी। जहां मैं बहुत सी चीजों में कटौती की बात कर रहा हूं वहीं एम0 एल0 ए0 की सुविधा की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। एम0 एल0 ए0 पोस्ट और डाक की सुविधा पटल कार्यालय से खरीदते हैं, अगर किसी विधायक को कुछ टाइप कराकर देना है नियम 51, 56 या 301 में तो साढ़े सात बजे सुबह बिना खाये पिये पार्टी कार्यालय में आना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि यह सुविधा प्रत्येक एम0 एल0 ए0 पर नहीं तो कम से कम 5, 10 एम0 एल0 ए0 को

[श्री रेवती रमण सिंह]
टाइप की प्रदान की जाय। ताकि इस हाउस में सुविधापूर्वक काम करने का अवसर मिल सके। मैं चाहूंगा कि यह बातें केवल बातें होकर न रह जायं बल्कि इनको लागू किया जाय और सही निर्णय इस पर हो ताकि आम जनता को यह लगे कि यह हमारे सही माने में प्रतिनिधि हैं और सही मानें में हमारी दिशा निर्देशन का काम हो रहा है।

*श्री बिहारी लाल--

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर जो परिवहन निगम की बसें चलती हैं उसमें विधायकों को और विधायकों के सहवर्ती के लिये स्थान मिलता ह। लेकिन जो प्राइवेट बसें उत्तर प्रदेश में चलती हैं उनमें कोई सुविधा हम लोगों को नहीं दी गई है। प्राइवेट बसों में हम लोगों को पैसा देकर टिकट लेना पड़ता है और खड़े-खड़े ही आना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं वह मुखातिब हों और इसमें संशोधन करें तो बड़ी अच्छी बात होगी।

मान्यवर, मैं सुझाव दूंगा। दवाइयों पर चर्चा हुई तो मैंने देखा कि बहुत से विधायक झोला भरके दवा ले जाते हैं। जिन विधायकों को दवा की जरूरत हो उनको डाक्टर से मंगवाया जाए तब उन्हें दवाइयाँ दी जायं। क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें बहुत धन का दुरुपयोग हुआ है। मैं संसदीय कार्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह विचार करें। मेरा एक सुझाव यह है कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो विधायकों के आवास में टलीफोन की सुविधा दी है, मान्यवर, वह टेलीफोन की सुविधा ऐसी है कि चार चक्कर लगाकर आ जायेंगे लेकिन टेलीफोन में आवाज नहीं आयेगी। न कोई नाम देगा, न कोई हलो कहेगा। तो मैं कहूगा कि टेलीफोन की सुविधा को या तो समाप्त कर दिया जाय या उसकी व्यवस्था कायदे से की जाए। ताकि इसका इस्तेमाल सही ढग से हो सके।

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन यह है कि किसी भी विधायक को शैडो की जरूरत पड़ती है उसे खतरा होता है तो वह कहता है कि मुझे शैडो चाहिये, मुझे शैडो दिया जाय। तो उसका खर्चा कितना पड़ता है उसका हिसाब जोड़ लीजिये। मेरे हिसाब से पन्द्रह सोलह हजार का खर्चा शडो का एक साल में पड़ता है। इसके अलावा हमारे बहुत से विधायक काम करते हैं उनको मैं चाहूंगा कि उनको स्टेनोग्राफर दिया जाय। इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन यह है कि हमारे बहुत से विधायक देहात में रहते हैं, बहुत से शहरों में रहते हैं। उनके पास रहने की बड़ी असुविधा होती है। जैसे मेरा क्षेत्र है वहाँ बहुत से लोग जाते हैं वहाँ रहने की भी जगह नहीं है। अगर एक दो डाक बंगले हैं भी तो वहाँ हमारे अधिकारीगण कोई एक महीने से तो कोई पन्द्रह दिन से बुक करा देते हैं। हम छः दिन को दौरे पर जाते हैं तो रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती। हम किसी तरह से गुजर करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी सुविधा की जाय कि हमारे रहने को स्थान मिल सके। मैं चाहूंगा कि जो विधायकों को टेली-फोन मिले हुए हैं उनकी व्यवस्था सही हो। और डाक बंगले का भी रहने के लिए इन्तजाम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं।

*श्री सत्यपाल सिंह---

मान्यवर, जो वर्मा जी संशोधन का प्रस्ताव लाये हैं इस विषय में आपसे कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न जो है वह नैतिकता और वैधानिकता दोनों से जुड़ा है। जो हमारी कूपन बुक्स हैं वह हमारे परिवार के लिये दी जाती हैं। कहीं यह जिक्र नहीं किया गया है कि परिवार की परिभाषा क्या है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट को देखें तो परिभाषा दूसरी है, मुस्लिम ला में

(इस समय 3 बज कर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हुकुम सिंह पीठासीन हुए।)

दूसरी है और हिन्दू ला में दूसरी है। कहीं परिवार शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, जिसको साथ ले लें वही परिवार हो जाता है। इसमें यह भी नहीं दिया है कि विधायक अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथी ले जायगा। नैतिकता का मात्र हमारा ही अधिकार नहीं है । हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम चपरासी तक तो नियुक्त नहीं कर सकते । इस समय सारे समाज सुधारक, अध्यापक सभी को नैतिकता की जरूरत है। इसमें गिरावट हर जगह हुई है और विधायक भी इससे अछूता नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं जो लापरवाही से कूपनों का प्रयोग करते हों। अगर किसी के साथ कोई साथी चला जाता है, या परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है तो पाँच लाख से बढ़ोत्तरी होकर 62 लाख हो गया। पहले जब 5 लाख की व्यवस्था हुई थी उस समय विधायक को अधिकार और सुविधा ही क्या थी। उस समय तो केवल सेशन होने पर ही आ जा सकता था। आज हम जब चाहें प्रदेश भर का और देश का भ्रमण कर सकते हैं, अपना कम्पेनियन साथ ले जा सकते हैं। तो जब इतनी सुविधायें बढ़ गयी ह तो खर्च तो 5 से बढ़ कर 62 लाख हो ही जायगा। फिर भी 62 लाख में कितना विधायकों ने अपव्यय कर लिया होगा। फिर भी 40–50 लाख तो वास्तव में खर्च हुआ ही होगा। केवल 15–20 लाख के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। यहाँ के मंत्रियों पर कन्ट्रोल कर लिया जाय, अधिकारियों को कन्ट्रोल कर लिया जाय तो वैसे ही काफी खर्च में बचत हो सकती है ।

प्रवर समिति बननी चाहिये, मैं इस बात को मानता हूं। इस सम्बन्ध मे विधायकों को भी निर्देश दिये जाने चाहिये कि इन शिकायतों को दूर किया जाय। लेकिन मेरा यह भी कहना है कि विधायकों की कार्य क्षमता बढ़े, और कार्य में गति आए, इस पर भी ध्यान देना चाहिये। कुछ दिन पूर्व एक प्रोटोकाल सम्बन्धी किताब मेरे पास आयी उसमें सबसे ऊपर विधायकों को रखा गया है। लेकिन मंत्री जी तो बुला सकते हैं कप्तान को, डी0 एम0 को या अन्य अधिकारियों को लेकिन और सब विधायकों को तो खुद कचहरी चल कर जाना होगा, अगर जनता के कार्यो का निष्पादन करना है, तो हमारे जो विधायक वहाँ जाय। तो कोर्ट के अन्दर, किसी जिले में 15 विधायक हैं, कहीं 16 हैं, तो उनके लिये सत्ता पक्ष के विधायकों के लिये एक कक्ष और विपक्ष के विधायकों के लिये एक कक्ष हो जाय, तो अच्छा रहे। वहाँ बैठकर वह जनता का काम कर सकते हैं। विधायकों के लिये जिस प्रकार कलेक्टर के लिये स्थान सुरक्षित ह, उसी प्रकार स्थान सुनिश्चित हो जाय, दो कक्ष उन्हें कचहरी में मिल जाय, तो जनता के व्यक्ति वहाँ विधायकों से मिल सकते हैं। ऐसा अगर कर दिया जाय तो कार्य क्षमता बहुत बढ़ सकती है जिससे जनता लाभान्वित हो सकती है ।

आज इन्सपेक्शन हाउस बनाने की बात हो रही है। मैं दिल्ली की तरह दिवाला निकालने के पक्ष में नहीं हूं। इन्सपेक्शन हाउस बनाने में तो बहुत अधिक खर्च होगा। आप हमें यह सुविधा दीजिए। हमें ऐशो आराम नहीं चाहिये। आज होता क्या है। कचहरी में जब कोई माननीय विधायक जाता है, यदि उसका संबंध किसी वकील से है तो उसको एक कुर्सी बैठने को मिल जायेगी, वरना उसे किसी बेंच पर बैठकर अपने पत्र लिखने पड़ते है मैं चाहूंगा कि विधायक के लिए आप वहाँ पर एक स्थान नियत कर दें। ताकि उसके क्षेत्र के लोगों को यह मालूम हो सके कि उनके विधायक उनको कचहरी में फलाँ जगह पर मिलेंगे। हमें खाने पीने की व्यवस्था नहीं चाहिये। मुझे आशा है कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम विधायकों में से कई विधायक ऐसे भी है, जो बहुत कम पढ़े लिखें है। हमारे कुछ मंत्री भी ऐसे है जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है। आप तो स्वयं विधायक हैं ही। विधायक का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में यदि उसे दरख्वास्त लिखनी नहीं आती है तो फिर किस तरह से वह अपने कार्य का सम्पादन सुचारु रूप से कर पायेगा। मंत्रियों के पास तो उनका स्टाफ होता ही है इसलिये मैं चाहूंगा कि हर विधायक को या तो एक लिपिक और या फिर एक स्टोस्टेनोग्राफर दिया जाय। यदि उसे स्टेनोग्राफर दे दिया जाता है तब आप देखिये कि विधायक की कार्यक्षमता कितनी बढ़ जाती है और वह अपने कार्य को कितने प्रभावशाली ढंग से करता है। स्टेनोग्राफर का कर्तव्य होगा कि वह विधायक के कार्य में सहयोग करे।

[श्री सत्यपाल सिंह]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज एक ए0 डी0 ओ0, बी0 डी0 ओ0 के मातहत कितने कर्मचारी कार्य करते हैं, किन्तु विधायक, जिसका कार्य क्षेत्र इतना व्यापक होता है, उसके मातहत कोई भी नहीं होता है। मेरा कहना यह है कि वहाँ से आप एक चपरासी को कम कर दीजिये और विधायक को एक स्टेनोग्राफर दीजिये। यदि ऐसा किया गया तो विधायक अपने कार्य को और त्वरित ढंग से सम्पादित करने में सक्षम हो जायेगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहाँ तक कूपन्स की बात है, मैं शाहजहाँपुर से आता हूं। शाहजहाँपुर में बस में एम0 पी0 महोदय के साथ लाइन के लाइन लोग चढ़ते हैं, जब उनका कन्डक्टर आकर उनसे पूछता है, तो वे लोग कह देते हैं कि हम फलाँ ठाकुर साहब के साथ है, फलाँ पण्डित जी के साथ है। ऐसा हो एक बार मेरे साथ हुआ। कन्डक्टर मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि आप किसके साथ है, तो मैंने कहा कि मैं ठाकुर साहब के साथ हूं। वह मुझे नहीं जानता था कि मैं एम0 एल0 ए0 हूं। आगे जाकर ठाकुर साहब उतर गये, वह कन्डक्टर मेरे पास फिर आया पुछने लगा कि आप किसके साथ है। मैंने कहा कि मैं ठाकुर साहब के साथ हूं, इस पर उसने मुझसे कहा कि ठाकुर साहब तो उतर गये हैं। इस पर मैंने उससे कहा कि ठाकुर साहब के साथ यदि इतने आदमी जा सकते हैं तो मैं क्या उनके साथ नहीं जा सकता हूं।

यदि आपको नैतिकता देखनी है तो सबसे पहले हमें समाज के स्तर को उठाना होगा कूपन्स पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने से हम गलत तरह से ट्रेवलिंग करने वालों को नहीं रोक सकते हैं। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी विधायकों को एक इस प्रकार का पत्र जारी कर दें कि इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं और कूपनों का दुरुपयोग हो रहा है, आप इसे देखें। तो मेरा निश्चित मत है कि हम लोगों के अन्दर नैतिकता बढ़ेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस आप प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि इसमें जो कमियाँ रह गयी हैं, उनको सुधारा जा सके।

जहाँ तक कूपन्स में कटौती का प्रश्न है, इस संबंध में मेरा कहना है कि हमें कूपन्स कटौती से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमें समग्र रूप से देखना होगा। मैं चाहूंगा कि हम विधायकों के लिये आप जिला मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों पर एक स्थान नियुक्त कर दें ताकि जनता को हमें तलाश करने में काई तकलीफ न हो कि विधायक जी कहाँ हैं।

मान्यवर, दवाइयों के बारे में कहा गया, भाई मोहन सिंह जी ने भी उस पर कहा, मान्यवर, यह सही है कि अधिकांश में हम बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन उसकी भी मजबूरी आ जाती है। हमारे क्षेत्र का कोई गरीब व्यक्ति है, दवाई नहीं ले सकता है बाहर से, अगर हमें उसके लिए पर्ची देनी पड़ जाय, तो वह एक मजबूरी हो जाती है, । मान्यवर, आप देखें मन्त्रियों के लिए दवा फ्री है, विधायकों के लिए दवा फ्री है, बड़े-बड़े अफसरों के लिए दवाएं फ्री उपलब्ध हैं——लेकिन गरीब व्यक्ति को दवा के नाम पर रंगीन पानी दिया जाता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हम में से लोग बीमार ही नहीं पड़ते हैं, कुछ परिस्थितिवश मैं बीमार पड़ सकता हू, वहां पर सरकार मदद कर सकती है, लेकिन गरीब जनता को दवा के नाम पानी देकर लूटा जाता है, उस बेचारे को बहका दिया जाता है। अच्छी-अच्छी दवाएं ऐसे बड़े-बड़े अफसरों को मिलती हैं, जो दवाएं खरीद सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन उस गरीब का कोई पुरसाहाल नहीं है, जो बेचारा हर तरफ से गरीब है और हालात से मजबूर है। मान्यवर, उस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। विधायकों को जो यह सुविधा दी गयी है, उसके साथ-साथ गरीब वर्ग का भी ध्यान रखा जाय, जिसको कि वास्तव में नहीं मिल पा रही है। अगर यहां वह पैसे का दुरुपयोग है तो उसे वे वहां मिले। मैं मान्यवर, यह निश्चित रूप से कहता हूं कि कोई विधायक दवाएं बेचकर अपनी जेबें नहीं भरता होगा। अगर कोई क्षेत्र का गरीब या मजबूर आदमी या कोई आदमी अपनी मजबूरी बता कर विधायक से पर्ची लिखा लेता है, मान्यवर, विधायक को इतनी फुर्सत तो है नहीं कि वे उस व्यक्ति की पूरी जागरफी को देखें और अगर वह व्यक्ति उस पर्ची के आधार पर दवाइयां लेकर इसका दुरुपयोग करे तो यह हो सकता है।

इसके अलावा मान्यवर, समाज के अन्दर आज कोई ऐसा वर्ग है, जो सौ फीसदी ईमानदारी का दावा कर सके ? जुडिशयरी में देखें क्या मजिस्ट्रेट लोग रिश्वत नहीं लेते हैं, लेते हैं। लेकिन मान्यवर, जो 10–20 लाख रुपए के बजट को लेकर एक गम्भीर विषय चर्चा का बन गया है, उसको देखते हुए मान्यवर, इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए और उसमें विचार होना चाहिए। आवश्यक संशोधन होना चाहिए, ताकि चेक और बैलेंस हो सके। उसमें विधायकों को और सुविधाएं दिए जाने के बाबत भी विचार होना चाहिए। कचेहरी में, जहां हम लोगों को अफसरों से बातचीत करनी होती है, और भी तमाम बातें होती हैं, उसके बाबत कुछ स्थान हम लोगों के लिए होना चाहिए। ताकि हम लोग वहां बैठकर बात कर सकें। मैं पुनः एक बार प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि प्रवर समिति विधायकों की कई और सुविधाओं की तरफ भी विचार करे।

*श्री प्रभू नारायण सिंह––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो विधेयक माननीय रामस्वरूप वर्मा जी का है और उस पर जो माननीय राम प्यारे पाण्डेय जी का संशोधन का जो यह प्रस्ताव आया है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 30 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम यथा समय बाद में दिए जायेंगे), मैं इसका पूर्णतया समर्थन करता हूं। यह इसलिए कि निश्चय ही वह समिति विभिन्न स्थानों पर जायगी और विभिन्न मुद्दों पर विचार करेगी और उसके पश्चात एक निष्कर्ष निकलेगा और उससे यह तय हो जायगा, कि अगर कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है, वैसे मैं नहीं मानता हूं दुरुपयोग, लेकिन अगर कहीं दुरुपयोग है, तो उसमें संशोधन हो जाय। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि और मैं समझता हूं कि इस पर काफी विचार-विमर्श की आवश्यकता है। हमारे साथियों ने, दोनों तरफ से, कहा कि कुछ सुविधाएं और मिलनी चाहिए।

वैसे जो मैंने थोड़ा बहुत अनुभव किया है कि बहुत से प्रदेश ऐसे हैं, वहां के मुकाबले हमको यहां बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। चाहे वह आवास की सुविधा हो या मेडिकल एड की सुविधा हो। बहुत से स्टेट में मैंने देखा, मद्रास वगैरह मुझे जाने का अवसर मिला, वहां मैंने उनके आवास की सुविधा के बाबत देखी कि उनके पास एक कमरे का आवास है, चौका है और लेट्रीन बाथरूम है इसके अलावा उनको कमरे में दो कुर्सियां और टेबुल मिली हुई है। वहां भी एम0एल0ए0 हास्टल है। वहां जब सेशन चलता है, तो वहां के सदस्य लोग वहां आकर रहते हैं और उनकी अनुपस्थिति में अधिकारियों या अन्य कार्यकर्त्ताओं को भी मिल जाता है। आप यहां की हालत देखते ही हैं कि यहां कमरों में अकसर मेला लगा रहता है, लोग भरे रहते हैं। वहां भी इसी तरह से मेला लग सकता है, लेकिन नहीं, वहां हर आदमी जानता है कि विधान सभा चल रही है, विधायक जी अब मिलेंगे, वे यहां विधान सभा के कार्य से आए हुए हैं।

हम लोगों ने विधायकों से बात की तो हमने यह महसूस किया कि जितनी सुविधा हम लोगों को मिली हुई है, वह कम नहीं है, वह पर्याप्त है। यह मैं अपनी बात कर रहा हूं। जैसे पार्लियामेंट के मेम्बर्स हैं, उनको कार्ड्स मिले हुए हैं, वे एक एटेंडेंट या सहवर्ती साथ में ले जाते हैं, यह हमको भी मिलना चाहिए। हम लोग बड़े दबाव में आ जाते हैं और जब स्टेशन पर आकर कोई यह कहता है कि विधायक जी हमको भी साथ ले चलिए। यह जो दबाव पड़ता है यह कार्ड्स मिल जाने से समाप्त हो जायेगा। जब कार्ड होगा तो हम कह देंगे कि भाई हमारे पास तो यही कार्ड है। उन कर्मचारियों को भी, जो काम करते हैं, सतर्क होना पड़ेगा। हम विधायकों आदि के लिए जैसे सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, वैसे ही जब अपने क्षेत्र के दौरे पर हम लोग जायें तो चाहे वह प्लानिंग डिपार्टमेंट हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, उनको हमारा कार्यक्रम हमसे ले लेना चाहिए ताकि उनका एक प्रतिनिधि दौरे पर हमारे साथ रहे। हम अगर वहां गये और लोगों ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभू नारायण सिंह]

कहा कि ग्राम सेवक परेशान करता है या प्रधान जी ने पैसा लिया तब भूमि का आवंटन किया, तो हम सम्बन्धित अधिकारी को नोट करा सकें और कह सकें कि इतने दिनों के अंदर जनता की परेशानी को दूर करके हमको रिपोर्ट करें। जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो हमें हर प्रकार की कठिनाई सुननी पड़ती है। आज जो कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, वैसे ही विधायक को मान दिया गया है कि विधायक समाज का दर्पण है। अगर विधायक ने कुछ कर दिया तो समाज बहुत बड़ा रूप देकर उसे खड़ा करता है।

मैं एक शिक्षक भी हूं मैंने ऐसे-ऐसे अधिकारियों के बच्चे देखें हैं, उनकी लिखी हुई कविताएं देखी हैं, वे नेताओं और विधायकों को लेकर आक्षेपात्मक और व्यंग्यात्मक हैं। पूरा समाज यह समझता है कि अधिकारी तो दूध का धुला हुआ है और नेता पापाचार में लिप्त है। लेकिन यह समझते हैं कि किसी भी चीज को हम अपनी सुविधा के लायक बना सकते हैं। इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना है। ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे क्षेत्र में जो भी कार्य हो, हमारी मर्जी यानी वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों की मर्जी से हो, तभी जनता की इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी होंगी। तो निश्चित ही है जो बिल रखा गया है, जिसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात है, जहाँ पर इस सम्बन्ध में काफी विचार-विमर्श करने की बात है। मैं इसका पूर्णतया समर्थन करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि जब यह प्रवर समिति बने तो हर प्रकार के, हर वर्ग के लोगों से राय-मश्विरा ले और उनकी कठिनाइयों, सुख-सुविधाएं और उनके सुझावों को और उनको संकलित कर एक निष्कर्ष निकाल कर अपनी संस्तुति को प्रस्तुत करे, उससे निश्चित ही समाज का और देश का कल्याण होगा।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सदस्यों ने लगभग सभी समस्याओं पर प्रकाश डाला, मैं इससे कुछ भिन्न अपने विचार रखना चाहता हूं। मान्यवर, आपको मालूम ही है कि पर्वतीय क्षेत्र, विधान सभा बहुत लम्बा क्षेत्र है, ढाई-ढाई सौ और तीन-तीन सौ किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर न कोई रेलगाड़ी की सुविधा है और न परिवहन आदि की, वहाँ पर ज्यादातर विधायक को पैदल ही चलना पड़ता है। मैंने जो महसूस किया इस बीच कि शासन की ओर से यह आदेश थे कि परिवहन बसों पर विधायक सीट लिखा हुआ रहता था, परन्तु आज कल वह भी लिखा दिखाई नहीं देता है। जिसकी वजह से कई जगहों पर झगड़े होने लगे हैं। मैं एक जगह यात्रा कर रहा था, मैंने कहा कि मैं विधायक हूं, तो वह कंडक्टर मानने को तैयार नहीं था। जब मैंने अपना प्रवेश-पत्र दिखाया तो उसने बैठने दिया लेकिन उस पर भी वह सीट नहीं दी जो विधायक के लिए होती है। दूसरे टोल टैक्स पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पर जो विधायकों को पड़ता है, जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने अन्य समस्याएं बतायीं, उसी प्रकार से यह भी एक समस्या विधायक के लिए है क्योंकि उसको ज्यादातर अपने क्षेत्र के कार्य से नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत और मन्सूरी आदि जाना पड़ता है, और जहाँ पर उन्हें दो-दो ढाई-ढाई रु0 देना पड़ता है। तो विधायकगण यह चाहते हैं कि इस प्रकार के टोल टैक्स को कम से कम विधायकों के लिए समाप्त किया जाय और जैसाकि भाई रामप्यारे जी ने कहा कि आप जब किसी विधायक को जो चाहते हैं उन्हें शैडो देते हैं, तो उससे कम खर्चा टाइपिस्ट पर होगा। तो इस लाइन की भी मान्यवर, हमारे जैसे आदमी के लिए बड़ी समस्या रहती है?

मा0 रेवती रमण जी पुराने साथी हैं और मन्त्री भी रह चुके हैं, उन्होंने स्वयं इस बात को महसूस किया और मैं भी इसको देखता हूं यदि समय पर हमारे काम टाइप के निपट नहीं पाते हैं, जैसे नियम 51, 301 और 56 आदि की सूचनायें समय से टाइप नहीं हो पाती हैं तो बड़ी परेशानी महसूस होती है। इसलिए इन समस्याओं को देखते हुए विधायकों को एक टाइपिस्ट अवश्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया जाना चाहिए। चूंकि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इस बात को सभी जानते हैं कि यहाँ पर बड़ी समस्यायें हैं और यह समस्याएं दिन पर दिन और बढ़ती ही जा रही हैं, घटने का नाम नहीं लेतीं, बल्कि यह कहा जाय कि यह प्रदेश समस्याओं का ही प्रदेश है, तो गलत नहीं होगा। इसे सत्तारुढ़ दल के मा0 सदस्यगण भी महसूस कर रहे हैं, जिन कमरों या घरों में हम लोग (दारुलशफा) रहते हैं, उन्हें कमरे कहें या धर्मशाला ? सुबह नौ बजे तक टट्टी जाने की जगह नहीं मिलती है। इतने लोग आते हैं और कई दिन नहा ही नहीं पाते हैं। यह समस्या है। अगर टाइपिस्ट की सुविधा दे दी जाय तो बहुत से काम हो जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि काम तो इस सरकार में क्या होंगे, यह कामों को उलझा देते हैं। कामों को करने से टाल देते हैं जो दूर दराज से लोग आते हैं उनसे माननीय मन्त्री जी कह देते हैं कि तुम्हारा काम हो जायगा। काम होता नहीं और वह लोग 4–5 महीने बाद फिर आ जाते हैं। इस प्रकार से भीड़ लगी रहती है। आप एक टाइपिस्ट की व्यवस्था करें और इसको सभी लोग मानते हैं। हमारी कई अधिकारियों से भी बात हुई उन्होंने महसूस किया कि विधायकों को एक टाइपिस्ट मिलना चाहिए। इतने पत्र आते हैं, सरकार दिनों दिन डाक का खर्चा बढ़ा रही है, 55 पैसे का एक लिफाफा मिलता है, मैं अपनी बात कहता हूं। मुझसे ज्यादा अन्य विधायकों के पास पत्र आते होंगे। अगर 70–80 पत्र आ गये तो उनके जवाब में 40–45 रुपए खर्च हो गये। मैं कहना चाहता हूं कि डाक खर्च सरकार को वहन करना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन विधायकों के पास तहसील मुख्यालय पर रहने के लिए कोई मकान नहीं है उनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे जैसे लोग 46 किलो-मीटर दूर से तहसील हेडक्वाटर पर आते हैं और रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो किसी होटल में रहना पड़ता है या किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ रहना पड़ता है। तो मेरा कहना है कि विधायकों को तहसील हेडक्वाटर पर रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं जिसको आप लोगों ने माना है कि हम लोगों का चरित्र होना चाहिए। मैंने जब कभी रेल में बात की तो यह सुनने में आया कि विधायक अपने साथ दल के दल ले जाते हैं। वास्तव में यह शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो विधायक ऐसा काम करते हैं तो उनका नाम सामने आना चाहिए क्योंकि वह गलत काम करते हैं और वह चीज दूसरों को सुननी पड़ती है। हमारे जैसे लोगों को भी सुननी पड़ती है, जो अकेले जाते हैं। 70–80 हजार रुपए के कूपन खर्च कर डालते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार तो मुझे रेल से उतार दिया गया, मेरा सामान फेंक दिया गया, मैंने कहा कि मैं विधायक हूं लेकिन मुझे किसी ने नहीं सुना। पुलिस ने मुरादाबाद में अटेची फेंक दी, मैंने इसको माननीय अध्यक्ष को लिखकर दिया था कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। तो कोई करे कर्म बुरे और नतीजा किसी को भुगतना पड़े। रेलवे वालों को इसकी जाँच करनी चाहिए, जो बेईमानी करते हैं उनको दन्ड मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नगर पालिका में जो टोल टैक्स लिया जाता है वह नहीं लिया जाना चाहिए। जहाँ पर परिवहन की बसें नहीं चलती हैं प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं वह लोग विधायकों से टिकट लेने को मजबूर करते हैं। उनसे कोई सुविधा नहीं मिलती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे दो मिनट का मौका दिया कि इस संशोधन पर कुछ अपने विचार व्यक्त करूं। प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो संशोधन आया है उसका समर्थन करते हुए मैं केवल 2 मिनट आपका लेना चाहता हूं। इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने का ऐन मुद्दा है कि कूपन का दुरुपयोग इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मृगुनाथ चतुर्वेदी]

(इस समय 4 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

पर दोनों तरफ से माननीय सदस्यों ने अनेकों मुद्दे जोड़ दिया। उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुये आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐन मुद्दे पर ही विशेष रूप से विचार करें। किस तरह से कूपन का दुरुपयोग हुआ, इसके लिए माननीय संसदीय कार्य मन्त्री से और आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें मुख्य धारा यही है कि इन कूपनों के दुरुपयोग को दुरुस्त करने के लिए यदि आप कोई उपाय कर सकें और जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि पार्लियामेंट के मेम्बरों को जिस तरह से कूपन मिले हुए हैं, पास मिले हुए हैं उसी तरह से हम लोगों को भी मिल जायं। यही मेन धारा है। इसकी समीक्षा हो जाय वरना जितने मुद्दे उठाए गये हैं उन सभी पर निश्चय करना विधान सभा के इस अधिवेशन में बड़ा मुश्किल हो जायगा।

श्री हरदेव—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस प्रस्ताव के बारे में मुझे भी चर्चा करने का मौका दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। निश्चय ही यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रस्ताव है। मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता मिली है कि आप लोगों के बीच में माननीय सदस्य ने माननीय सदस्यों की आवश्यकताओं और उनकी दुर्दशा की ओर इस प्रस्ताव के जरिए ध्यान दिलाया है। यह महत्वपूर्ण विषय है। उदाहरणस्वरूप मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जन-प्रतिनिधि हैं, ऐसे क्षेत्र से आते हैं। प्रदेश में जो भी आज समस्याए हैं, जन प्रतिनिधि उनका ठेकेदार हैं। चाहे एक नाली बनानी हो, सड़क बनानी हो, झाड़ देना हो, विकास और उद्योग से बहुत से महत्वपूर्ण काम करने होते हैं, उन सब का ठेकेदार जन प्रतिनिधि है। जनता की भावनाएं हैं, उनका हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। जनता यह आशा करती है कि हमारा जन प्रतिनिधि हमारी हर आवश्यकता में सहयोग करेगा और हमें फायदा देगा।

मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात करना चाहता हूं, उदाहरण के लिए मैं जन प्रतिनिधि हरदेव, विधायक रसड़ा, बलिया, 168 ए ब्लाक में रहता हूं। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर विचार करना है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन वहां पर 30–40 आदमी आते होंगे और दिसम्बर के महीने में 40 रुपए पर एक पार्टिशन मिला था। वहां पर हमारे प्रदेश के और क्षेत्र के लोग आते थे। 40–50 आदमी उसमें रहते थे उसको बिना किसी नोटिस के बिना किसी सूचना के वहां के व्यवस्था अधिकारी श्री हरिभूषण सिंह ने तुड़वा डाला और इस तरह से लाखों रुपयों की लकड़ी का विनाश कर दिया। मैं यह उदाहरण के तौर पर आप लोगों से कहना चाहता हूं। हमारे पास क्षेत्र से आये हुए लोगों के रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर क्षेत्र से आये हुए लोगों के लिए पांच मिनट की भी देरी होती है तो वह माननीय सदस्यों को गाली देकर चले जाते हैं। अगर उनको जल्दी जलपान न दिया जाय उनका मोस्ट वेलकम न किया जाय तो वह गाली देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो पर्दे हमें दिये गये हैं उसको बिछा कर लोगों को रखता हूं। तो एक बहुत बड़ी समस्या से हम चल रहे हैं हर एक माननीय सदस्य के पास रोजाना 10, 20 और 50 आदमी आते हैं वह अपनी समस्या लेकर आते हैं उस पर विचार करना होता है उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी होती है। एक आदमी हमारे घर का चपरासी के अभाव में चपरासी की तरह खडा रहता है ताकि आने वाले लोगों का मोस्ट वेलकम हो सके। हर पांच मिनट में घंटी बजती है उसको सुनना पड़ता है। उनकी चिट्ठी लिखनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो चपरासी और स्टेनो की बात कर रहे हैं यहां तो कूपन्स का मामला है।

श्री हरदेव—

जी सर हां हमें चपरासी और स्टेनो चाहिए। हमारे पास क्षेत्र से लोग लाखों समस्या लेकर आते हैं हम उनको कैसे देखें क्योंकि जो पैसा आप देते हैं उसमें मोस्ट वेलकम कैसे कर सकते हैं। हमें जगह-जगह जाना होता है दस जगह जाने में हमारा 40 रु0 रोज रिक्शा में लग जाता है। बताइए इसमें कैसे परवरिश होगी, कैसे हम जनता की समस्या हल करेंगे, अगर ईमानदारी से काम करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं अगर कहीं आने में लेट हो गये तो रिक्शा वाला दस रु0 लेता है इसलिए आने जाने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी प्रकार अगर कोई विधायक अचानक मर जाता है तो उसके अनाथ बच्चे बिलखते हुए मिलते हैं। हमारे जनपद में स्व0 राम रतन जी मर गये उनके बच्चे बिलख-बिलख कर तड़प रहे हैं तो उनकी स्त्री या परिवार को पेंशन की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। एक विधायक पूरे प्रदेश की सेवा करता है। वह अचानक मस्तिष्क की नस फटने से मर गये तो उनके बच्चे आज अनाथ हो गये हैं तो उसके लिए अवश्य पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी तरह जब हम लोग बस में चलते हैं तो जो लोग वहां पर बैठ जाते हैं, विधायक की सीट पर। वह विधायकों की मजाक उड़ाते हैं, माननीय संसद सदस्यों का मजाक उड़ाते हैं तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो सज्जन इस तरह का दुर्व्यवहार करें उन पर जुर्माना होना चाहिए। हमारे परिवार का आदमी साथ में आता है तो उसका हमें टैक्स देना पड़ता है तो इस पर भी विचार होना चाहिए।

मान्यवर, यह चर्चा इसलिए की गयी है कि इस संशोधन विधेयक पर कुछ विचार प्रकट हो सकें।

मान्यवर, विधायकों की जो दुर्दशा है इस सदन की एक कमेटी बनाई जाय जो मौके पर जाय और विधायकों के निवासों पर उनकी समस्या को देखे ताकि प्रदेश की जनता का जो हम लोगों को सम्मान मिला है ? उसको हम लोग सेवा के रूप में बदल सकें। संसदीय कार्य मन्त्री, जो पी0 डब्लू0डी0 मिनिस्टर भी रह चुके हैं मैं उनसे अपने यहां की समस्या को कैसे कहूं कि हमारे दारुलशफा निवास 168–ए को देखा जाय तो पता चलेगा कि एक विधायक की क्या परेशानी और दुर्दशा है। जाड़े में क्षेत्र से आये लोगों को गर्म पानी की आवश्यकता होती है तो यहां गीजर से नहीं मिलता है, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय। इसलिए यह विचारणीय प्रस्ताव है जिस को महत्वपूर्ण समझकर विचार करना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री––

अध्यक्ष महोदय आपने श्री वर्मा द्वारा रखे प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष––

जेब में हाथ डालकर भाषण देना नियम विरुद्ध है, इसलिए आप जेब से हाथ निकाल लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, अभी तक इधर से आपको खतरा था लेकिन अब उधर से भी खतरा हो गया है कि कहीं जेब से रिवाल्वर निकाल कर चला न दें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई मा0 सदस्य बोलते समय जेब में हाथ डाल ले तो क्या यह सदन का अवमान है ?

श्री अध्यक्ष––

यह सदन का अवमान नहीं है लेकिन शिष्टाचार के विरुद्ध है।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री––

मान्यवर, श्री वर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा था तो मैं उस समय नहीं था लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि उन्होंने दो बातें जरूर कही होंगी। एक तो यह कि विधान मण्डल में सदस्यों को सुविधाएं बढ़ाई जायं और दूसरे जो सुविधायें दी जा रही हैं उनका दुरुपयोग न हो। तो जहां तक दुरुपयोग का सवाल है उसमें कूपन और दवा का मामला है। लेकिन कैसे कहा जाय कि मा0 सदस्य इसका दुरुपयोग करते हैं क्योंकि मैं तो ऐसा मानकर चलता हूं कि इस समय देश और प्रदेश के लोगों का नैतिक स्तर इतना गिरता जा रहा है कि किसी को कहना यह मुश्किल है कि तुम गलत और भ्रष्ट हो। यदि कोई ईमानदार है तो मैं महसूस करता हूं वह बहुत परेशानी में होगा।

[श्री संकठा प्रसाद शास्त्री]

अधिकारी कहें कि नेता भ्रष्ट हैं और नेता कहें कि अधिकारी भ्रष्ट हैं तथा जनता कहे कि नेता और अधिकारी दोनों भ्रष्ट हैं। तो वह भी इस दोष में आ जाते हैं चूंकि वह भी गलत काम कराना चाहते हैं। तो यह तो नस-नस में फैल गया है। यदि समाज इसको दूर करना चाहेगा तो दूर हो सकता है वरना कहने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन दुरुपयोग जो कूपनों का हो रहा है उसमें जैसा कहा गया कि एम0पीज की तरह कार्ड की व्यवस्था हो जाय तो शायद भ्रष्टाचार रुक जाय किन्तु मैं तो उसमें भी देखता हूं कि एम0पी0 किसी दूसरी जगह हैं और उनके नाम पर दूसरा व्यक्ति रिजर्वेशन कराकर सफर कर रहा है।

(4 बजकर 20 मिनट)

तो वहां भी यह रोका नहीं जा सकता है, इसलिए यहां रोकना तो बहुत मुश्किल है।

जहां तक सुविधाओं के सिलसिले की बात है उसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्लाक में एक बी0डी0ओ0 होता है, जिसको शासन ने गाड़ी दे रखी है। ब्लाक स्तर पर एक बाल विकास परियोजना अधिकारी होता है, उसको भी गाड़ी दे दी गयी है, लेकिन विधायक के जिम्मे दो--ढाई या तीन ब्लाक का काम होता है, इतने बड़े क्षेत्र को देखना पड़ता है, लेकिन उसको क्या दिया गया है? कुछ भी नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि यदि सभी विधायकों को एक-एक गाड़ी दे दी जाय, तो जो मन्त्री बनने के लिए लोग बड़े प्रयत्नशील रहते हैं और भागदौड़ किया करते हैं, वह बिल्कुल समाप्त हो जाय। यदि वह गाड़ी की मदद से भलीभांति अपने क्षेत्र के अन्दर दौरा करें और लोगों का काम करें, जिम्मेदारियों से बचा रहे, तो जनता की ज्यादा मदद हो सकती है। जनता यह समझती है कि मन्त्री हमारी सब मदद करेंगे। मन्त्री के सामने यह समस्या रहती है। लेकिन विधायक के पास आनेजाने का कोई अपना साधन नहीं है, जनता उससे असन्तुष्ट हो जाती है, क्योंकि वह उनके व्यक्तिगत कार्य और दूसरे सार्वजनिक कार्य नहीं कर पाते हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि विधायक किसी तरह पैदल या सायकिल पर अपने क्षेत्र में चला भी जाए तो उनको जो बंडल की बंडल दरख्वास्तें मिलती हैं, उन पर यदि वह अपनी सिफारिशें लिख कर मन्त्रियों और अधिकारियों के पास भेजे और फिर सम्बन्धित लोगों को क्षेत्र में बताने जाय कि इस विषय में यह हुआ है तो वह लिखा-पढ़ी में ही रह जायगा। तो यदि उसको पूरे समय के लिए आप स्टेनो टाइपिस्ट नहीं दे सकते हैं तो जब तक विधान सभा चलती है तब तक के लिए ही दे दें, ताकि जितनी भी वह दरख्वास्तें ले आवें उस पर वह विधायक बोलकर लिखवा दे तो उसको काम में बहुत मदद हो जायगी। यदि यह न हो सके तो विधायक को यह अधिकार दे दिया जाए या कुछ महीना नियत कर दिया जाए कि उसके साथ वह व्यक्ति रहे और उससे काम लेकर कुछ पैसे वह उसे दे दे। शासन इसके लिए 5 सौ या 7 सौ रुपया महीना निर्धारित कर दे। इससे वह ज्यादा काम कर सकता है। विधायक अपने चुनाव में जितना पैसा खर्च करके जीत कर आता है, मैं समझता हूं उतना और उससे भी कम पैसा यदि वह खर्च कर दे तो उसे घूस की नौकरी मिल जायगी और यदि वह अधिक से अधिक पैसा खर्च कर ले, एक-डेढ़ लाख रुपया खर्च कर ले और थोड़ा क्वालीफाइड और मेहनत वाला हो तो वह आई0ए0एस0 भी हो जाएगा। लेकिन विधायक की लड़ाई में उसके रिश्तेदार, मित्र आदि लाखों लाखों रुपया खर्च करते हैं लेकिन उसे क्या मिलता है। यही कि वह सफर करे, मन्त्री जी से सिफारिश करे और जनता के प्रार्थना-पत्रों को लेकर एक दम दौड़ता घूमता फिरे। बी0डी0ओ0 को स्टाफ दिया गया है और ब्लाक प्रमुख का अधिकार है कि बी0डी0ओ0 उसका सेक्रेटरी होगा और उसके पास भी स्टाफ और गाड़ी होगी जिसको चाहेगा रखेगा, जिसको चाहेगा ट्रांसफर कर देगा, लेकिन एक विधायक को कोई अधिकार नहीं है। क्षेत्र के विधायक की बात नहीं सुनी जाती है, उस बी0 डी0 ओ0 तथा जिले के अधिकारियों की बात सुनी जाती है। किसी मामले में भी विधायक की राय नहीं ली जाती है। अगर वह किसी कर्मचारी या अधिकारी के ट्रांसफर के लिये कहता है तो वह कभी नहीं होता। मेरा कहना यह है कि विधायक की राय मानना चाहिये। यदि विधायक देखता है कि किसी कर्मचारी का

काम उसके क्षेत्र में अच्छा नहीं है, वह अपने कर्त्तव्यों के प्रति उदासीन है, उसका ट्रांसफर होना चाहिये, तो क्षेत्र के विधायक की राय को मान कर उसका ट्रांसफर होना चाहिये। जब अधिकार विधायक को कुछ है नहीं तो वह काम क्या करेगा। जिसके पास पैसा है वह पैसा देकर टिकट भी पा जायेगा, काम भी करवा लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वह कुछ नहीं करवा सकता। अधिकांश विधायक ऐसे है जिनके पास पैसा नहीं हैं।

इसके अलावा शासन की तरफ से यद्यपि ऐसे आदेश हैं कि परगना अधिकारी जब अपने यहाँ दौरे पर जायगा साथ में वहाँ के विधायक को भी ले जायेगा। मेरे चन्दौली क्षेत्र में, वहाँ के डिप्टी कलेक्टर ने मुझसे कहा हमारे साथ चलिये। मैंने उनसे कहा कि चलने से पहले आप यह सूचना तैयार कर लीजिये और मुझे दे दीजिये कि कहाँ-कहाँ कितनी भूमि आवंटित हुई है, किस-किस को कब्जा मिल गया है, किसे किसे कब्जा नहीं मिला है पर भूमि आवंटित हो गयी है, इस तरह की कई सूचनायें एकत्र करके तब चलने के लिये मैंने उनसे कहा, पर उन्होंने आज तक कोई सूचना एकत्र करके मुझे नहीं दी। मैं कहते कहते थक गया, पर कुछ नहीं हुआ। आज साढ़े 3 साल हो गये है। इस तरह से आप देखें कि हमारे अधिकार तो कुछ हैं नहीं, फिर हम काम क्या करें।

मेरा निवेदन यह है कि आप नीति ऐसी बनाइये कि अगर किसी का ट्रांसफर किया जाता है तो वह विधायक की सिफारिश पर ही हो। इसके अलावा गैर क्षेत्र के विधायक को किसी दूसरे विधायक के क्षेत्र में किसी प्रकार का दखल देने का अधिकार न हो। हर मामले में क्षेत्र के विधायक की ही बात सुनी जानी चाहिये। उसको गाड़ी मिलना चाहिये। अगर आप उसे गाड़ी नहीं दे सकते हैं परन्तु बी0 डी0 ओ0, तहसीलदार तथा अन्य अधिकारियों को गाड़ी देने के लिये आपके पास पैसा है, और विधायक को गाड़ी देने के लिये पैसा नहीं है तो आप उसे इतनी राहत तो दे ही सकते हैं कि सरकारी टैक्स व सेल टैक्स माफ करके गाड़ी खरीदने की सुविधा दे सकते हैं। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से माँग करता हूं कि सारे टैक्सेज को माफ करके, कंपनी के दाम पर विधायकों को गाड़ी खरीदने की सुविधा दीजिये। वह कुछ चंदा करके, कहीं से माँग कर या बचत करके गाड़ी खरीद ले। आप गाड़ी खरीदने के लिये विधायक को कोई सुविधा नहीं देंगे लेकिन उनसे उम्मीद करेंगे कि वह पूरी तरीके से जनता को संतुष्ट रखे। तो विधायक के पास तो साधन नहीं है, तो फिर वह कैसे अपना कार्य करेगा। इसलिये आप विधायक को गाड़ी खरीदने की सुविधा दें।

मान्यवर, परिवहन विभाग से विधायकों को एक कार्ड मिला है। अगर वह कहीं जा रहे हैं कोई रोडवेज की गाड़ी आ रही है तो वह हाथ देंगे गाड़ी रोकने के लिये। मगर मान्यवर, कोई सुनने वाला नहीं है, हम हाथ देते रह जाते हैं लेकिन गाड़ी रुकती नहीं है। लेकिन अगर परिवहन विभाग का कोई कंडक्टर है, खलासी है या ड्राइवर है वह सड़क पर खड़ा है ऐसे करता है (माननीय सदस्य ने हाथ हिलाकर बताया) तो गाड़ी रुक जाती है और वह बैठ जाता है। मान्यवर, विधायकों के लिये भी कुछ संकेत निश्चित कर दें। वह एक उंगली दिखाये या दो उंगली दिखाये या पाँच उंगली दिखाये तब गाड़ी रुकेगी। वह मूड़ी हिलायें या मूड़ी लटकायें तब गाड़ी रुकेगी। कोई संकेत निश्चित कर दीजिये। मैं सरकार से सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर विधायकों को पास दे दिया है तो संकेत निर्धारित करा दीजिये। विधायक लोगों को गुप्त तरीके से बता दीजिये कि इस संकेत से गाड़ी रोक लें और चले जायं। नहीं तो घंटों खड़े रहते हैं साधन नहीं मिल पाता है। तो मान्यवर, मेरा यह कहना है कि उनको (विधायकों को) गाड़ी दे दीजिये, स्टेनो टाइपिस्ट दे दीजिये। अगर आप यह न कर सकें तो कुछ तनख्वाह कर दीजिये जिससे विधायक अपने किसी दोस्त या मित्र को रख सके या एक एक टाइपराइटर दे दीजिये जिससे काम कराया जा सके।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, रिजर्व बैंक के पूरे अधिकार विधायक को दे दीजिये।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, आप भी चाहते हैं यह मिले अभी कल दिया जायेगा तो इंकार नहीं करेंगे। जब मंत्री थे बहुत कमाया होगा, लेकिन आप इंकार नहीं करेंगे। यह फर्जी बात आप कह रहे हैं, चूंकि मैं सत्ता पक्ष में से कह रहा हूं इसलिये आप ऐसा कह रहे हैं। आज तक ऐसा प्रमाण नहीं है कि किसी को जो सुविधा मिली हो उससे उसने इंकार किया हो। लेकिन जनता में भाषण देते हैं केवल वोट के लिये। जो मैं कह रहा हूं वही आप चाहते हैं कि दे दिया जाय। तो मान्यवर, यहाँ पर पक्ष–विपक्ष का सवाल नहीं है। विधायक को अधिकार दीजिये और सुविधायें दीजिये अगर कोई उनका दुरुपयोग करता है तो कानूनी व्यवस्था भी करिये ताकि उसको पकड़ा जा सके। उसको छोड़ें नहीं। इन शब्दों के साथ मैं यह चाहूंगा कि प्रवर समिति को जो भेजने की बात वर्मा जी कह रहे हैं, मैं तो उनकी सारी बातें कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है इसको प्रवर समिति में भेजने की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान –

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। माननीय रामस्वरूप वर्मा जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं विधान सभा के, मुझे आश्चर्य है कि कूपन से इतना दुरुपयोग नहीं हो पाता होगा जितना इस विधेयक में सदन के समय का दुरुपयोग हुआ है। शायद सदन का 1 मिनट में 5 सौ या 700 रुपये का खर्च आता है। पूरे दिन की कार्यवाही इस कूपन के ऊपर ही हुयी है। मान्यवर, माननीय वर्मा जी को यह भी समझना चाहिये कि जिस तरह से वह अपने को बहुत ईमानदार इस मामले में मानते हैं कि वह कूपन का बहुत सदुपयोग करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सभी सदन के माननीय सदस्यों को वह उतना ही ईमानदार समझें इस कूपन के मामले में जितना ईमानदार वह अपने को समझते हैं। बहरहाल फिर भी इसमें मैं यह सुझाव रखना चाहूंगा कि बाहर का तो आपका कूपन सीमित है ही, अगर सम्मानित सदन की राय हो, तो जिस तरह से लोक सभा और राज्य सभा के मेम्बर को पास दिया जाता है . . .

श्री अध्यक्ष—

66–67 में 5 लाख रुपया और अब 62 लाख रुपया हो गया है, इसको पढ़ लिया आपने ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान —

यह तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि जिस तरह से पास पार्लियामेंट में है, उसी तरह से पास यहाँ पर भी एलाऊ कर दिया जाय और विदिन यू0पी0 के लिये, तो यू0 पी0 में जैसे माननीय वर्मा जी को एक दो परसेंट कहीं पर शंका होगी, तो वह दुरुपयोग नहीं होगा, अगर विधायक के लिये पास और साथ में एक सहवर्ती का प्राविधान होगा, तो वह बात सही होगी। कुछ माननीय सदस्य वर्मा जी की राय के मुताबिक 10–5–6 आदमी लेकर साथ में चलते होंगे, लेकिन ज्यादातर यह होता है, जैसे रिजर्वेशन आज का करा दिया और किसी कारणवश आज नहीं जा पाये, तो नुकसान करने की नीयत नहीं होती है, बल्कि लापरवाही होती है, कैंसिलेशन आफ रिजर्वेशन नहीं कराते हैं और इस तरह से कूपन का नुकसान का यह भी कारण है। हो सकता है कि दो-चार-छ लोग इस तरह की भूल करते हों, लेकिन आम तरीके से यह बात नहीं है कि जनरल आप सभी माननीय सदस्यों को यह कह दें कि सभी इस तरह से दुरुपयोग करते हों, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। कहीं कहीं पर माननीय सदस्यों को एक दिक्कत यह भी आती है कि रोडवेज में जहाँ पर प्राइवेट बस सर्विसेज है, उनके एमोशियेशन्स हैं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं बहस बन्दी का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं, क्योंकि इस पर काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर लिये और सभी की भावनाएं सदन के समक्ष आ गयीं।

श्री अध्यक्ष—

4-58 तक तो इसको चलाना ही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह---

उसी के अनुसार मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

प्राइवेट बसों के लिए हमारे माननीय सदस्यों को सुविधा होनी चाहिये। अगर इन्सपेक्शन हाउस, डाक बंगलों को सरकारी अधिकारी साल-साल तक घेरे रहते हैं, अगर माननीय सदस्यों को मकान के एलाटमेंट की सुविधा न हो सके तो इन्सपेक्शन हाउस में ही उनके लिए सुविधा कर दी जाय। मेरा यह भी सुझाव है कि दूसरे स्टेट्स में भी बसों में माननीय सदस्यों को यात्रा के लिए सुविधा होनी चाहिये, इस सम्बन्ध में अगल बगल के जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स है, उनसे आप विचार विमर्श करें। जो संशोधन हमारे राम प्यारे जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और प्रवर समिति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

अध्यक्ष जी, माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने एक बहुत ही ज्वलंत समस्या जो आजकल है, उसको सदन में रखा कि किस प्रकार से इस पर नियंत्रण लगाया जाय। कूपन वगैरह जो सारी चीजें हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ बहुत सी और समस्यायें जो थीं, जो हमारे माननीय सदस्यों को अपने कार्य संचालन में करना पड़ता है, वह भी सामने आई, जैसे माननीय मोहन सिंह जी ने टेलीफोन की बात बताई, मैं समझता हूं कि यह समस्या केवल उनकी नहीं है, बल्कि जितने माननीय विधायकगण ऐसे इलाकों में रहते हैं, जो जिले से, जनपद से दूर रहते हैं, उनको भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत सी चीजें सामने आयीं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। प्रवर समिति का गठन करने का प्रस्ताव है। जो हमारे विधायकगण हैं, उन की समस्याओं का समाधान किसी प्रकार से हो सके। जो जनता की सेवा करने में और जनता की समस्याओं के समाधान में स्वयं लगे हुए हैं, उनकी मदद किस तरह से की जा सकती है। इन समस्याओं के समाधान की बात आती है, विधायकगण की कठिनाईयों की बात आती है। लेकिन जो मिसयूज हो रहा है, हमारे यहां सब फर्स्ट क्लास कूपन है यह भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। दूसरे स्टेट्स में जैसा दयाल कृष्ण जी ने कहा मध्य प्रदेश में सेकेण्ड क्लास का प्राविधान है। लेकिन हमारे यहां केवल प्रथम श्रेणी का प्राविधान है। एक बात मोहन सिंह जी ने कही कि दवाईयों के नुस्खे गलत तरीके से पेश कर दिये जाते हैं और विधायकगण बेकार में बदनाम हो रहे हैं। यह बात भी सही है।

इस बिल की जो स्प्रिट है उससे हम सभी सहमत हैं। कोई तरीका ऐसा निकाला जाय जिससे इस पर नियंत्रण लगाया जा सके और हमारा जो कार्य संचालन का क्षेत्र है, उसमें जनता की सेवा करने की अवस्था और बेहतर बनाया जाय। जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव है, इससे और सही कोई चीज नहीं हो सकती है। जो लोग नामांकित किये जायेंगे, एक साथ बैठकर सारी समस्याओं पर विचार करके एक चीज सदन के समक्ष रखेंगे और सारी चीजों पर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ वर्मा जी को और पाण्डेय जी को जिन्होंने प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है बधाई देना चाहता हूं। वर्मा जी ने एक ऐसी बात की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जिसकी जरूरत हमें महसूस हो रही थी और जिसके बारे में एक निश्चित जानकारी की आवश्यकता है।

श्री राम प्यारे पाण्डेय---

मान्यवर, आज इस चर्चा के दौरान इस सदन के जिन सम्मानित सदस्यों ने इसमें भाग लिया उन सब का लगभग यह मत है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। इसलिये मैं माननीय वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें। जिससे इस समस्या की छानबीन करके सही तथ्यों और सही सुझावों के साथ इसको सदन के समक्ष रखा जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मान्यवर, मैं सदन के उन सभी सम्मानित सदस्यों का अनुग्रहीत हूं जिन्होंने इस छोटे से विधेयक को तहेदिल से समर्थन देकर समस्याओं को उजागर किया। वैसे तो सभी पक्ष से समर्थन हुआ है। एक कठिनाई मेरे सामने आयी हालांकि वह प्रवर समिति के संशोधन के पक्ष में नहीं है। उधर के माननीय सदस्यों ने ऐसी समस्याओं का जिक्र किया और ऐसी सुविधायें प्राप्त करने की बात सोची जो प्राप्त नहीं है। यह सरकार का काम है। मुझे कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन यह समस्या श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास पहुंच गयी तो एक तरफ वह कहती हैं खर्च कम करो, ऐसा आदेश आया है, भले ही दिखावटी हो। लेकिन जो सुविधायें इनके मन में है, वह सरकार से यह कहें इनको मिले तो खूब भोगें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुविधायें दिलाई जाएं। विधेयक मुख्य रूप से यह था कि सुविधायें जो उपलब्ध हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। विशेषकर कूपन का। इसमें ऐसा कहा गया कि दुरुपयोग कोई एक आदमी कर रहा है तो सब दोषी क्यों हो। तो चोरी कानून उसके लिये ही बना है जो चोरी करेगा। वही सजा पायेगा। यह तर्क हमारी समझ में नहीं आया अगर वह ईमानदार है तो उन्हें अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहिए। कानून बना यह भी सदन के ऊपर प्रकाश डाल रहा हूं। हम तो कहते हैं कि कूपन का दुरुपयोग माननीय सदस्य नहीं करते हैं। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी अपना बस्ता बदल दिखावे वह सेकिंड क्लास में चले और फर्स्ट क्लास का बना ले। उसपर नौकरी से बर्खास्तगी भी है सजा भी है उसी तरह से कोई नियम या कानून उसके लिये बनाया जाता है जो नियमों को तोड़ते है यह उनके लिये नहीं है जो ईमानदार है। उनके लिए तो नियम बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर यह कहते हैं कि कानून बनना ही नहीं चाहिये तो मुझे आश्चर्य होता है यह कहते हुए कि जब कोई ईमानदार है तो उसे इस पर क्यों आपत्ति हो रही है अभी एक माननीय सदस्य उधर से बोल रहे थे तो आपने ध्यान दिलाया कि पांच लाख से 62 लाख हो गया इसमें एक बात और जोड़ दूं तब विधायक 533 थे अब 415 विधायक कम है। इसमें विधान परिषद् की संख्या का हिसाब नहीं निकाला गया है। मोहन सिंह जी ने इस विधेयक में बहुत सहायता की है। हम जब दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं तो कानून बनाने में क्या हर्ज है कानून सरकारी कर्मचारियों के लिए बना हुआ है जबकि वह कहते हैं कि ईमानदार हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान ---

मान्यवर, मैंने सुझाव दिया था कि एम0 पी0 को जिस तरह से दिया जाता है उसी तरह से हो।

श्री रामस्वरूप वर्मा---

तो मान्यवर, सरकारी कर्मचारी कह दें कि सरकारी कानून न बनाये जायं। कानून तो इसलिये बनाये जाते हैं कि दुरुपयोग न हो। इसमें जो पहले एतराज था वह निरर्थक है। दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्यों ने कहा कि नगदीकरण किया जाए तो नगदीकरण से काम नहीं बन सकता है। फिर तो आएंगे जाएंगे बहुत कम।

श्री हरदेव---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो संशोधन रखा है कूपन के दुरुपयोग का, इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं अपनी बात रखता हूं कि पैड तो हम जनहित में खर्च करते हैं और हमने तो कई हजार रु0 के पैड भी खरीदा है अब मेरा सुझाव यह है कि अब ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि फ्री में पैड दिए जाएं। क्योंकि जनता से हम पैसा पैड का नहीं लेते हैं।

(हंसी)

श्री रामस्वरूप वर्मा---

मान्यवर, अभी ऐसा लगता है कि माननीय विधायक कुछ बातें भूल गये हैं। जिन सुविधाओं का जिक्र यहां किया गया, उतना खर्च जो केन्द्र और राज्य सरकार मिल कर भी करें तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नहीं उठा सकतीं। मान्यवर, हमारे एक साथी ने जिक्र किया कि अगर परिचय पत्र देकर, जैसे संसद सदस्यों को दिया जाता है, विधायकों को भी दिया जाय तो अच्छा होगा। इस संबंध में मैंने काफी लिखा पढ़ी की है। मैंने मा0 इंदिरा जी को भी चिट्ठी लिखी कि इससे चरित्र गिर रहा है और विधायकगण आलोचना के पात्र हो रहे हैं, इसलिये उनके लिये पास जारी कर दिये जायं और प्रदेश से बाहर के लिये कूपन व्यवस्था जारी रहे। इस पर इंदिरा जी को चिट्ठी आयी कि उन्होंने रेल मंत्री जी को वह पत्र भेज दिया है। उस समय रेल मंत्री प्रकाश चन्द्र सेठी जी थे। उनका जो पत्र मेरे पास आया उसको मैं पढ़ रहा हूं——

"प्रिय श्री रामस्वरूप वर्मा जी, कृपया अपना 26 मार्च, 1982 का पत्र सं0 100/82 देखें जिसमें आपने उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों को उन्हीं सिद्धान्तों पर रेल पास जारी करने के सम्बन्ध में लिखा है जिन सिद्धान्तों पर संसद सदस्यों को अब पास जारी किये जाते हैं। मैंने मामले की विस्तृत जांच करायी है लेकिन मुझे पता चला है कि विभिन्न प्रशासनिक जटिलताओं के साथ-साथ अंतर्ग्रस्त अत्यधिक वित्तीय बचनबद्धताओं के कारण रेल कार्ड पास जारी करने के लिये सहमत होना व्यावहारिक नहीं होगा। शुभकामनाओं सहित————आपका————— प्रकाश चन्द्र सेठी।"

मान्यवर, दिल्ली से जब नकारात्मक उत्तर आ गया तो हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय संशोधन प्रस्ताव लाकर दुरुपयोग रोकने के। रेल के इन कूपनों की वजह से हम लोगों को काफी परेशानी होती है। इससे ईमानदार आदमी दुखी है और बदनाम मौज कर रहा है। वह दस आदमियों का टिकट कटा देता है अपने क्षेत्र के और हम अकेले चलते हैं। हम कहते हैं कि यह सुविधा केवल हमको है, तो क्षेत्र के लोग कहते है, कि ये कैसे विधायक है, दो आदमियों को भी नहीं ले जा सकते। तो इस वजह से कानून को जहाँ सदाचार को प्रोत्साहन देना चाहिये, लेकिन दुराचार को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसलिये हमें संशोधन की आवश्यकता है। मान्यवर, इसमें दो एक बातें जो रह गयी हैं, तो प्रवर समिति के सामने वह भी आ जायेंगी, जैसे अगर कोई दुरुपयोग करते हुए पकड़ा जायगा। तो कैसे पकड़ा जायगा, इसमें प्रक्रिया का प्रश्न है जो छूट गया है। मान्यवर, इसके लिये मेरे विचार से इसके लिये 10 दिन का समय काफी था। अगर पाँडे जी सचमुच इसको चाहते हैं कि यह विधेयक पास हो जाय, तो दस दिन का समय काफी है। इसी सदन की समिति है, एक बैठक में सब हो जायगा। तीस दिन पता नहीं असेम्बली चले या नहीं, नहीं तो विधेयक पड़ा रह जायगा। इसलिये मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उसके लिये दस दिन का समय रख दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लगे।

श्री राम प्यारे पाण्डेय——

मान्यवर, 10 दिन में संभव नहीं हो पाएगा।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 30 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष——

मुझे नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने माननीय मोहन सिंह जी की सूचना जो प्रदेश के युवा छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है, को स्वीकार किया है और शेष को अस्वीकार। अब हम उठते हैं। चार बजकर अट्ठावन मिनट पर पुनः बैठेंगे।

(इस समय 4 बजकर 49 मिनट पर सदन की कार्यवाही 9 मिनट के लिये स्थगित हो गयी। 4 बजकर 58 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

बजट साहित्य के वितरण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं इस आदरणीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 1984–85 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य के वितरण के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है—महिला सदस्य तथा नीचे लिखे जिलों के माननीय सदस्यगण क्रमशः "हाँ" तथा "नहीं" सभा–कक्ष में अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें।

"हाँ" सभा कक्ष में

महिला सदस्य, उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, खीरी, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जिले।

"नहीं" सभा कक्ष मे

बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बाँदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, मैनपुरी, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून जिले तथा श्री ए0 सी0 ग्राइस

(श्री ब्रह्मदत्त द्वारा बजट भाषण पढ़ना शुरू करने पर)

(शोर)

(विपक्ष के सभी सदस्य खड़े होकर कहने लगे कि बजट की प्रतियाँ पहले बाँटी जानी चाहिये, उसके बाद भाषण पढ़ा जाना चाहिये।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आपने यह नहीं कहा कि मैं बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले आप इस की प्रतियाँ बंट जाने दीजिये उसके बाद आप इसे पढ़िये।

1984–85 का आय-व्ययक

(5 बजे)

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं 1984–85 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

(शोर)।

श्री मंजूर अहमद—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं। मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को बाद में सुन लूंगा।

(शोर)

(बजट भाषण की प्रतियाँ माननीय सदस्यों को बाँटना शुरू किया गया।)

श्री मंजूर अहमद—

मान्यवर, मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का सवाल इस तरह से नहीं लिया जायेगा। यदि आपको कोई नयी बात कहनी है, तो उसकी नोटिस आप मुझे पहले दें, उसे आप लिखकर दें, तब हम उस पर विचार करेंगे। बिना मेरी आज्ञा के अगर बोलेंगे तो कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा।

श्री मंजूर अहमद—

[* * *]

नोट—(* * *) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष :-

यह बजट के प्रस्तुतीकरण के लिये समय निर्धारित है, इस समय कोई मौका नहीं दिया जायेगा। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठें।

श्री मंजूर अहमद--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। मैंने वित्त मंत्री जी को बुला लिया है। आप बैठे।

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मुझे लगातार चौथे वर्ष यथा समय बजट प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष भी माननीय सदस्यों के सहयोग से बजट समय से पारित हो सकेगा जिसके फलस्वरूप पूर्व तीन वर्षों की भांति वित्तीय स्वीकृतियाँ भी समय से जारी हो सकेंगी। फिर भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के निवारणार्थ मैं तीन महीने का लेखा अनुदान भी प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं माननीय सदस्यों का समय विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों एवं उनकी उपलब्धियों का विवरण देने में नहीं लूंगा। विभागवार उपलब्धियों और कार्यक्रमों का विवरण व उन पर चर्चा का अवसर विभिन्न अनुदानों को प्रस्तुत करते के समय प्राप्त होगा ही और मेरे सहयोगी विभागीय कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालेंगे। मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर ही माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

दुर्भाग्यवश दैवी आपदाओं का जो क्रम 1979-80 से प्रारम्भ हुआ था वह इस वर्ष भी जारी रहा। इस वर्ष प्रदेश पर सूखा व बाढ़ दोनों का प्रहार हुआ। जहाँ सूखे से 14 जिले प्रभावित हुए वहाँ बाढ़ की चपेट में 56 जिले आये। भारत सरकार की सहायता से 67 करोड़ 36 लाख रुपये की व्यवस्था राहत कार्य तत्परता से करने के लिये की गई है।

जैसा कि आप जानते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बीत चुके हैं, चौथा वर्ष अब समाप्त हो रहा है तथा 1984-85 इस योजना का अन्तिम वर्ष होगा। योजना के विगत तीन वर्षों में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। किसी देश अथवा प्रदेश की आर्थिक प्रगति मुख्यतः उसकी विकास दर में परिलक्षित होती है। 1978-79 को आधार वर्ष मानते हुए प्रदेश की वार्षिक विकास दर 4.7 प्रतिशत आती है। किन्तु यदि 1979-80 को आधार वर्ष माना जाय, जब प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा था, तो विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश की वार्षिक विकास दर 10.5 प्रतिशत आती है जब कि इन्हीं तीन वर्षों में 1979-80 के आधार वर्ष पर देश की वार्षिक विकास दर लगभग 5 प्रतिशत ही रही। इस प्रकार हमारे प्रदेश की अब तक की वार्षिक विकास दर देश की तुलना में अच्छी ही उतरती है। यह स्मरण रखने योग्य है कि सबसे पहली बार पांचवी योजना में उत्तर प्रदेश देश की विकास दर (5.2 प्रतिशत) से आगे निकल गई थी। सम्भवतः छठी योजना में भी स्थिति ऐसी ही रहेगी। विकास की यह प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश के लिये एक शुभ चिन्ह है।

इसी सम्बन्ध में कुछ अन्य आँकड़ों की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 1970-71 के मूल्यों पर राज्य की आय 1978-79 में 5,361 करोड़ रुपये थी। 1979-80 में भीषण सूखे के कारण यह आय गिर कर 4,617 करोड़ रुपये रह गई। तदुपरान्त, छठी योजना के प्रथम वर्ष 1980-81 में यह आय बढ़कर 5,687 करोड़ रुपये तक पुनः पहुंच गई, अर्थात् सूखे से प्रदेश की हुई भारी क्षति के बावजूद एक वर्ष में ही प्रदेश की आय 1978-79 से काफी आगे निकल गई। 1981-82 में यह आय बढ़कर 5,838 करोड़ रुपये हो गई। त्वरित अनुमानों के अनुसार 1982-83 में राज्य की आय में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह आय 6,085 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

स्थायी भावों पर ही प्रति व्यक्ति आय जो 1978-79 में 514 रुपये थी, 1979-80 में गिर कर 432 रुपये रह गई। तत्पश्चात इसमें वृद्धि होती गई। 1980-81 में यह आय

(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

[श्री ब्रह्मदत्त]
518 रुपये, 1981–82 में 520 रुपये और 1982–83 में और अधिक बढ़कर 529 रुपये हो गई।

प्रचलित मूल्यों पर राज्य आय 1978–79 में 9,756 करोड़ रुपये थी जो 1981–82 में 14,755 करोड़ रुपये तथा 1982–83 में बढ़कर 16,538 करोड़ रुपये हो गई। इसी प्रकार प्रचलित मूल्यों पर 1978–79 में प्रति व्यक्ति आय 935 रुपये थी और 1982–83 में यह आय बढ़ कर 1,439 रुपये हो गई।

उत्तर प्रदेश की विकास दर अथवा आय मुख्यत: खाद्यान्न पर और तदोपरान्त औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर करती है। 1978–79 की तुलना में 1982–83 में खाद्यान्न उत्पादन 14.04 प्रतिशत व गन्ना उत्पादन 31.89 प्रतिशत अधिक हुआ। औद्योगिक उत्पादन (1970–71–100) में इसी अवधि में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 1979–80 के अभूतपूर्व सूखे के बावजूद, जिसका परिणाम प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर केवल उसी वर्ष सीमित नहीं रहा अपितु उसके बाद भी चलता रहा, योजना के प्रथम 3 वर्षों में ही प्रदेश ने उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और सभी क्षेत्रों में 78–79 कीर्तिमान से उत्पादन काफी आगे निकल गया है।

कृषि उत्पादन की वृद्धि मुख्यत: सिंचन सुविधाओं के प्रसार, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र में विस्तार एवं शुष्क कृषि विधियों के प्रसार आदि प्रयासों पर ही निर्भर करती है। 1980–81 में खाद्यान्न उत्पादन 249.48 लाख टन था। प्रतिकूल मौसम के प्रभाव के फलस्वरुप 1981–82 में खाद्यान्न उत्पादन में कुछ गिरावट (2.6 प्रतिशत) आ गई, किन्तु उसके उपरान्त 1982–83 में खाद्यान्न उत्पादन पुन: बढ़कर 263.53 लाख टन हो गया। यह उत्पादन गत वर्ष की तुलना में 8.5 प्रतिशत तथा 1982–83 के लिये निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा 1.4 प्रतिशत अधिक रहा। यह अपने में एक कीर्तिमान है। 1982–83 में देश में गेहूं के उत्पादन में 37 लाख टन की वृद्धि हुई थी जिस में इस प्रदेश का योगदान 25 लाख टन था। यह भी प्रदेश के लिये गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

इसी प्रकार गन्ना एवं आलू जैसी प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि बनी हुई है। 1980–81 में गन्ने का उत्पादन 642.05 लाख टन था, जो 1981–82 में बढ़कर 764.40 लाख टन तथा वर्ष 1982–83 में 822.00 लाख टन हो गया। इस प्रकार गन्ने के उत्पादन में 1980–81 तथा 1982–83 की तुलना में क्रमश, 28.0 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आलू का उत्पादन, जो 1980–81 में 41.65 लाख टन था। 1981–82 में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 43.76 लाख टन हो गया है। वर्ष 1982–83 में 2.5 प्रतिशत की पुन: वृद्धि के साथ आलू का उत्पादन 44.86 लाख टन तक पहुंच गया।

प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार 1983–84 में खरीफ का उत्पादन लगभग 98 लाख टन होने की आशा है जो 1982–83 के उत्पादन (79 लाख टन) की अपेक्षा कहीं अधिक है। रबी का उत्पादन 181.60 लाख टन होने की आशा है।

औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में चीनी, सीमेन्ट एवं वस्त्र उद्योग पर परम्परागत होते हुए भी प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग हैं। चीनी का उत्पादन वर्ष 1980–81 के 12.24 लाख टन से बढ़ कर 1981–82 में 20.80 लाख टन हो गया। 1982–83 में चीनी का उत्पादन स्तर 20.25 लाख टन रहा।

यहां पर मैं गन्ना मूल्य व गन्ना उत्पादकों को देय मूल्य के संबंध में भी दो शब्द कहना चाहूंगा। वर्तमान पेराई सत्र 1983–84 में भी सरकार ने चीनी मिलों को परामर्श दिया है कि किसानों को वही गन्ना मूल्य दिया जाय जो उन्हें पिछले सीजन 1982–83 में दिया गया था अर्थात् पश्चिमी व मध्य उत्तर प्रदेश में 21.50 रुपये प्रति कुन्तल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20.50 रु0

प्रति कुन्तल गन्ना कीमत दी जा रही है। 1982–83 में गन्ना उत्पादकों को देय लगभग 430.36 करोड़ रुपये गन्ने के मूल्य में से 31 जनवरी, 1984 तक लगभग 423 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था। उत्पादकों को देय मूल्य के भुगतान हेतु शासन ने चीनी उद्योग को 40 करोड़ रु0 के ऋण के अतिरिक्त 26 करोड़ रु0 की सहायता भी उपलब्ध कराई है।

सहकारी क्षेत्र की मिलों की आवश्यकतानुसार क्षमता विस्तार का कार्य व राज्य चीनी निगम की मिलों के पुनर्वासन एवं आधुनिकीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। सहकारी क्षेत्र की पूरनपुर व सम्पूर्णनगर की चीनी मिलों का निर्माण-कार्य 1984–85 के सीजन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

सीमेंट उत्पादन, जो 1980–81 में 5.25 लाख टन था, 1981–82 में बढ़कर 6·75 लाख टन तथा 1982–83 में 9.32 लाख टन हो गया। इस प्रकार 1982–83 में सीमेंट का उत्पादन 1980–81 तथा 1981–82 के उत्पादन की अपेक्षा क्रमश: 77.5 प्रतिशत तथा 38.1 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 1983–84 में स्थिति में पुन: सुधार की आशा है क्योंकि प्रथम छमाही में उत्पादित सीमेंट गत वर्ष की संवादी अवधि में उत्पादित सीमेन्ट की अपेक्षा 16.2 प्रतिशत अधिक है।

यद्यपि सूती वस्त्र का उत्पादन 1980–81 में 2,069 लाख मीटर से गिर कर 1982–83 में 1,915 लाख मीटर रह गया, किन्तु इसी अवधि में सूती धागे के उत्पादन में पर्याप्त (63.6 प्रतिशत) वृद्धि हुई। 1982–83 में सूती धागे का उत्पादन 1.08 लाख टन रहा।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में हुई सम्यक् प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सूचकांक (1970–71=100) 1980–81 में 175.4 था जो बढ़ कर 1981–82 में 201.6 हो गया। 1982–83 में यह सूचकांक पुन: बढ़कर 217.5 के स्तर पर पहुंच गया जो गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 7.9 प्रतिशत अधिक है।

इस समय औद्योगिक विकास के लिये अनुकूल वातावरण का सृजन हुआ है। उद्यमियों को अवस्थापना तथा अन्य उत्प्रेरक सुविधायें और रियायतें उपलब्ध कराई जा रही हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के तथा बाहर के बहुसंख्यक उद्यमी अपनी इकाइयां इस प्रदेश में स्थापित करने के लिये आकर्षित हो रहे हैं। केन्द्र द्वारा अभी तक केवल 7 जिलों में दी जाने वाली केन्द्रीय पूंजी उपादान की सुविधा का सविस्तार अप्रैल, 1983 से 41 जनपदों में कर दिया गया है। छोटे शहरों में स्वत: रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को अपना रोजगार करने के लिये 25,000 रु0 तक का ऋण बैंकों से उपलब्ध कराये जाने की भारत सरकार की योजना का भी कार्यान्वियन प्रारम्भ कर दिया गया है। इस वर्ष 37,000 शिक्षित बेरोजगारों को स्वत: रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

खाद्यान्न एवं औद्योगिक उत्पादन के अतिरिक्त प्रदेश के विकास में सिंचाई एवं विद्युत की उपलब्धियां भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

छठीं योजना के पूर्व तक सिंचाई के समस्त संसाधनों से 149.63 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई थी। गत तीन वर्षों में इसमें 20.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा 1982–83 के अन्त तक सिंचन क्षमता बढ़कर 180.05 लाख हेक्टेयर हो गई है। यह वृद्धि वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (6.94 लाख हेक्टेयर), राजकीय लघु सिंचाई (4.55 लाख हेक्टेयर) तथा निजी लघु सिंचाई (18.93 लाख हेक्टेयर) से हुई है।

विद्युत के क्षेत्र में छठी योजना के प्रथम तीन वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 1979–80 में प्रदेश में विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता 3,254 मेगावाट थी, जो 1982–83 में बढ़कर 3,770 मेगावाट हो गई। इस पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में प्रदेश में 38,577 विद्युतीकृत गांव थे, जो प्रदेश की आवासीय ग्रामों का केवल 34.3 प्रतिशत थे। 1982–83 के अन्त में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या बढ़कर 53,367 हो गई जो कुल ग्रामों का 47.4 प्रतिशत है।

[श्री ब्रह्मदत्त]

हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। छठी योजना के आरम्भ होने तक कुल 14.014 हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत हो पायी थीं, जबकि पिछले तीन वर्षों में 8,678 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया गया। इस प्रकार 1982–83 तक कुल संख्या बढ़कर 22,692 हो गई हैं। कृषि उत्पादन में निजी नलकूपों का विशेष योगदान होता है। 1979–80 तक 3,44,135 नलकूप ऊर्जीकृत किये गये थे जो 1982–83 के अन्त में बढ़ कर 4,38,866 हो गये हैं।

विद्युत उत्पादन में पिछले तीन वर्षों में 24·7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1979–80 में विद्युत उत्पादन 10,124 मिलियन यूनिट था, जो 1982–83 में बढ़ कर 12,584 मिलियन यूनिट हो गया है।

वर्तमान वर्ष में यमुना द्वितीय चरण (खोदरी विद्युत गृह 120 मेगावाट) एवं मनेरी भाली भाग–1 (90 मेगावाट) की दो जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करके अधिष्ठापित क्षमता में 210 मेगावाट की वृद्धि होने का अनुमान है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 3,500 ग्राम व 1,888 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण तथा 36,000 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण भी सम्भावित है।

1984–85 में परिच्छा तापीय विद्युतगृह की दोनों इकाइयों को चालू करके क्षमता में 220 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 3,500 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम है, जिससे 1984–85 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत बढ़कर 53.6 हो जायगा। 1984–85 में 1,942 हरिजन बस्तियों को भी विद्युत की सुविधा प्रदान की जायगी। इसी वर्ष 36,000 निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का भी कार्यक्रम है।

30 अक्तूबर, 1983 को ओबरा 'बी' तापीय विद्युत गृह की केबिल गैलरी में आग लग जाने की दुर्घटना हुई जिससे विद्युत उत्पादन में अप्रत्याशित अवरोध उत्पन्न हो गया। इस असामान्य स्थिति पर काबू पाने के लिये विशेष प्रयास किये गये जिसके फलस्वरूप ओबरा 'बी' की 200-200 मेगावाट की दो इकाइयां अनुमानित अवधि से पूर्व क्रमशः 2 व 9 दिसम्बर, 1984 को पुनः चालू कर दी गई जिससे विद्युत स्थिति में काफी सुधार आया। अन्य मशीनों पर कार्य चल रहा है और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र चालू किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

मुद्रा प्रसार के कारण अर्थ व्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव तो पड़ता ही है किन्तु इसी के साथ परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होने के फलस्वरूप विकास प्रक्रिया पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (1970–71 = 100) 1980–81 के 253.0 से बढ़कर 1981–82 में 270.4 तथा 1982–83 में 274.4 हो गया। इस प्रकार थोक भावों में 1981–82 तथा 1982–83 में उनके पूर्वगामी वर्षों की तुलना में क्रमशः 6.9 प्रतिशत तथा 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका अभिप्राय यह है कि 1982–83 में 1981–82 की अपेक्षा मूल्य वृद्धि की दर कम रही।

आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भावों में अप्रैल–नवम्बर, 1983 की अवधि में गत वर्ष की संवादी अवधि की अपेक्षा व्यापक रूप से उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति की गति को धीमा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों में प्रदेश भी आयोजनेतर व्यय पर अंकुश रखकर और प्रदेश में आम जरूरत की वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करके योगदान देने का प्रयास कर रहा है।

पिछले वर्ष मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि राजस्व में घाटे की पूर्ति हेतु अन्य उपायों के अलावा सरकार राज्य कर के ढांचे के अभिनवीकरण पर भी विचार करेगी। बिक्री कर के अन्तर्गत स्वतः कर निर्धारण प्रक्रिया को और अधिक सरल करके 2 लाख रुपये के करयोग्य विक्रय धन तथा 10 हजार रुपये वार्षिक कर देने वाले करदाताओं को बिना कार्यालय बुलाये ही कर निर्धारण का प्राविधान किया गया है। इन छोटे करदाताओं को अब विस्तृत

हिसाब-किताब रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है। विकास कार्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए सिंचाई दरों में भी 20 प्रतिशत की वृद्धि 1 जुलाई, 1983 से की गई है। तेल पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि तथा अन्य कार्य-संचालन व्यय में वृद्धि के कारण राज्य सड़क परिवहन निगम ने इस वर्ष बस के किराये की दरों में वृद्धि की है।

1982–83 में राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत धनराशि जमा करने का लक्ष्य 142.91 करोड़ रुपये था जिसके विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि 209.07 करोड़ रुपये की हुई। 1983–84 तथा 1984–85 में और अधिक धनराशि इस योजना के अन्तर्गत जमा करने की आशा है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिये संस्थागत वित्त स्रोतों से इस वर्ष के प्रथम 6 माह में 486 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है और आशा की जाती है कि सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में यह धनराशि बढ़कर 1,011 करोड़ रुपये हो जायेगी। कृषि एवं उससे संबंधित कार्यक्रमों में विस्तार हेतु सहकारी वर्ष जुलाई, 1982 से जून, 1983 तक की अवधि में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से 104 करोड़ रुपये पुनर्वित्त सहायता प्राप्त की गई।

प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार 30 सितम्बर, 1983 को राज्य के कर एवं करेतर राजस्व का अवशेष 395.54 करोड़ रुपये था। उसी तिथि को उन शासकीय ऋणों का ब्याज सहित अवशेष, जिनका लेखा विभागाध्यक्षों द्वारा रखा जाता है, 72.88 करोड़ रुपये था। अन्य लोगों का, जिनका लेखा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा रखा जाता है, एक अप्रैल, 1983 का ब्याज सहित अवशेष 1,024.48 करोड़ रुपये था। राज्य सरकार इस बात का सतत प्रयास कर रही है कि बकायों की अधिक से अधिक वसूली की जाय और उसके लिये प्रभावशाली कदम उठाने हेतु आवश्यक निदेश जारी किये गये हैं ताकि राज्य के संसाधनों में वृद्धि की जा सके।

राज्य सरकार प्रशासन में मितव्ययता तथा सादगी का वातावरण बनाये रखने की नीति अपना रही है ताकि प्रदेश के विकास हेतु अधिकाधिक संसाधन उपलब्ध हो सकें। इस उद्देश्य से प्रशासकीय व्यय में यथा संभव मितव्ययता करने, अनुत्पादक व्यय को घटाने तथा राजकीय कार्यों में सादगी बरतने के निर्देश दिये गये हैं। स्थानीय निकायों, निगमों तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को भी उपरोक्त नीति अपनाने के निर्देश हैं।

राजकीय व्यय तथा आय पर नियंत्रण रखने हेतु राज्य के मासिक लेखों का समय से उपलब्ध होना आवश्यक है। इस उद्देश्य से 1973 में वित्तीय व सांख्यकीय निदेशालय में यूनिट रिकार्ड मशीनें स्थापित की गई थीं। यह मशीनें समय के साथ जर्जर दशा में हो गई थीं। अतः अब इनके स्थान पर मिनी कम्प्यूटर स्थापित करके कार्य किया जा रहा है जिससे इन मासिक लेखों को और शीघ्र बनाया जाना सम्भव हो गया है।

राज्य के विकास की गति तीव्र करने के लिये आवश्यक है कि आयोजना परिव्यय में वृद्धि की जाय। यह वृद्धि दो प्रकार से सम्भव है। एक तो राज्य को स्वयं के संसाधनों में वृद्धि करनी होगी और दूसरे भारत सरकार से वित्त आयोग तथा योजना आयोग के माध्यम से अधिक धन प्राप्त करने के प्रयास करने होंगे। राज्य के संसाधनों से सम्बन्धित समस्त कार्य वित्त विभाग द्वारा किया जाता है। संसाधन सम्बन्धी कार्यों को अधिक सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु वित्त विभाग के अन्तर्गत एक इकाई के गठन का निर्णय लिया गया है। यह इकाई नियमित रूप से तथा निरंतरता के आधार पर संसाधन सम्बन्धी अध्ययन व विश्लेषण करेगी।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, इस समय अष्टम वित्त आयोग राज्यों के वित्तीय प्रबन्ध तथा उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की जाँच कर रहा है। वित्त आयोग की संस्तुतियाँ राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अपना पक्ष सबल रूप से वित्त आयोग के सम्मुख रखा है और आशा की जाती है कि उनकी संस्तुतियों से हमें अपेक्षित लाभ होगा।

प्रदेश सरकार का यह भी प्रयास है कि विश्व बैंक व अन्य बाह्य संस्थाओं और विकसित देशों से विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक सहायता प्राप्त की जाय। यह सहायता

[श्री ब्रह्मदत्त]

भारत सरकार को विदेशी मुद्रा के रुप में प्राप्त होने के कारण अधिक उपयोगी है। यह अनुमान है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रमुख 11 परियोजनाओं से सम्बन्धित लगभग 65 करोड़ रुपये की प्रतिभूति की माँग भारत सरकार को भेजी जायेगी और भारत सरकार उतनी ही धनराशि विदेशी मुद्रा के रुप में प्राप्त करेगी। यह भी अनुमान है कि विदेशी सहायता प्राप्त होने के कारण भारत सरकार द्वारा लगभग 38 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार को इस वर्ष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में आयोजनागत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त होंगे। राजकीय नलकूपों के प्रथम चरण की परियोजना के उत्साहवर्धक उपलब्धियों को देख कर विश्व बैंक ने द्वितीय चरण की परियोजना इस वर्ष आरम्भ करने की सहमति दी है जिसके अन्तर्गत 2,200 नये नलकूपों का निर्माण और 750 नलकूपों के आधुनिकीकरण आदि का कार्य किया जायेगा। सामाजिक वानिकी की परियोजना से भी विश्व बैंक पूर्णतया संतुष्ट है और इसी आधार पर 1984–85 में इस परियोजना के द्वितीय चरण पर विश्व बैंक की सहायता से कार्य आरम्भ होगा। 120 वर्ष पुरानी "अपर गंगानहर" प्रणाली के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश के प्रयासों के फलस्वरूप विश्व बैंक से इस कार्य के वित्तीय पोषण की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो गई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय एवं अन्य देशों की सहायता से पर्वतीय क्षेत्रों में लघु जल ग्राह्य क्षेत्रों में समन्वित विकास की परियोजनायें ली गई है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुछ अन्य परियोजनाओं को विदेशी संस्थाओं की सहायता से कार्यान्वित किये जाने पर विचार हो रहा है और फल उत्पादन की एक योजना पर इटली की सरकार से सहायता प्राप्त होने की आशा है।

जैसा आप जानते है, वर्ष 1983–84 की वार्षिक योजना का आकार 1,375 करोड़ रुपये है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने का पूरा प्रयास किया गया है और हमने 1,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 1,400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटा लिये हैं। 1984–85 की वार्षिक योजना के विषय में केन्द्रीय योजना आयोग से परामर्श जारी है, किन्तु इसको भी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। फिलहाल हमने आय व्ययक के प्रयोजनार्थ अनन्तिम तौर से 1,390 करोड़ रुपये के परिव्यय को आधार माना है। मुझे पूरी आशा है कि राज्य सरकार के प्रयासों से योजना के आकार में पर्याप्त वृद्धि होगी। योजना के आकार की वृद्धि के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता के साथ-साथ हमें अपने सरकारी उपक्रमों के कार्यों में पर्याप्त चुस्ती व बकाये की वसूली में तत्परता लानी होगी।

आपको विदित ही है कि वर्ष 1982–83 से प्रदेश में विकेन्द्रीकृत नियोजन की नई व्यवस्था लागू की गई है। 1984–85 के लिये विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला योजना हेतु पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्येक जिले को 7 प्रतिशत अधिक परिव्यय आवंटित किया गया है। जिलायोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अब वित्तीय स्वीकृतियाँ सीधे जिलों को प्रेषित की जा रही है। जिला योजनाओं में निर्माण के लिये प्रस्तावित अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के अधिकारों का प्रतिनिधायन जिला स्तर पर किया जा चुका है। इस प्रतिनिधायन का उपयोग ऐसे अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में किया जा सकता है जिनके डिजाइन, स्पेसिफिकेशन एवं आगणन शासन द्वारा मानकीकृत कर दिये गये हैं। शासन ने चिकित्सा विभाग के सब्सिडियरी हेल्थ सेन्टर तथा सब सेन्टर शिक्षा विभाग के जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल व पशुधन विभाग के पशु-चिकित्सालय तथा प्राकृतिक गर्भाधान केन्द्र व स्टाकमैन सेन्टर भवनों के डिजाइन इत्यादि मानकीकृत कर दिये हैं। इस प्रकार अब इन भवनों के निर्माण की स्वीकृति जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा दी जा सकेगी। अभियंत्रण विभागों में प्रमुख मुख्य अभियन्ताओं को मूल्यों में वृद्धि के कारण सेतु निर्माण कार्यों से सम्बन्धित 50 लाख रुपये तक के आगणनों एवं आवासीय भवनों को छोड़कर अन्य निर्माण कार्यों में 40 लाख रुपये तक के आगणनों में 10 प्रतिशत तक का व्ययाधिक्य स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है इससे अधिक के आगणनों में क्रमशः 5 एवं 4 लाख रुपये तक का व्ययाधिक्य स्वीकृत करने के अधिकार का भी प्रतिनिधायन किया गया है। निर्माण कार्यों के आगणनों की

प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने के अधिकारों में भी वृद्धि की गई है। यह महत्वपूर्ण प्रतिनिधायन है जिसके फलस्वरुप जिला योजना व अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में निर्माण सम्बन्धी विलम्ब दूर हो सकेंगे।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, 1984–85 का वर्ष छठी योजना का अन्तिम वर्ष होगा। 1985–86 से हम सातवीं योजना में प्रवेश करेंगे। हमने सातवीं योजना की संरचना के सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक अभ्यास करने शुरू कर दिये हैं। विभिन्न विषयों पर 20 कार्यकारी दलों का गठन किया गया है। ये कार्यकारी दल अपने-अपने विषयों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और शीघ्र ही अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। इन प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श करने के बाद योजना की संरचना का अग्रिम कार्य किया जायेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जैसे ही इस योजना की कोई मोटी रूप-रेखा तैयार हो जायेगी, उस पर यथा समय आपसे भी आवश्यक परामर्श किया जायेगा और आपके विचारों से लाभ उठाने का पूरा प्रयास किया जायेगा।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रदेश ने 32 करोड़ पौधे अक्टूबर माह तक लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सीलिंग भूमि के आवंटन, अनुसूचित जन-जातियों को आर्थिक सहायता, समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था, आवास स्थल आवंटन, ग्रामीण आवास तथा मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश की उपलब्धि अखिल भारतीय औसत से ऊपर रही है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य, जनपद तथा खंड स्तर पर जन प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की समितियाँ गठित की गई है। कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण मुख्य मंत्री जी द्वारा स्वयं किया जाता है। मुझे आशा है कि इन प्रबन्धकीय व्यवस्थाओं के फलस्वरूप 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रदेश उपलब्धियों का नया कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा।

पर्वतीय क्षेत्र के विकास हेतु 1984–85 के लिये 140 करोड़ रुपये का अनन्तिम परिव्यय निर्धारित किया गया है। इन क्षेत्रों में औद्योगीकरण हेतु इस वर्ष अतिरिक्त सुविधायें प्रदान की गई हैं। अभी तक औद्योगिक आस्थानों में आवंटित किये जाने वाले शेड एवं प्लाट के मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रूप में देने पर विशेष धनराशि 15 किस्तों में वसूल की जाती थी परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के लिये अब केवल 5 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रुप में देने के पश्चात शेष धनराशि 20 किस्तों में वसूल की जायगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों को जिनकी प्लान्ट एवं मशीनरी 1 लाख रुपये तक की है, ब्याज उपादान दिया जाता है। अब पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे उद्योगों को जो 20 लाख रुपये तक पूंजी विनियोजित करेंगे, कुछ शर्तों के साथ ब्याज उपादान प्राप्त हो सकेगा। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में, मिनिमम कंजम्पशन गारंटी' की सुविधा उद्योग स्थापित होने के दिनांक से एक वर्ष तक ही दी जाती थी। अब यह सुविधा दो वर्ष के लिये ऐसे उद्योगों को दी जायेगी जो पर्वतीय जिलों में 2,500 फीट से नीचे स्थापित हो रहे हैं और जिनका कान्ट्रक्टेड लोड 100 के0 वी0 ए0 से कम हो। 2,500 फीट से ऊपर लगने वाली ईकाइयों के लिए न्यूनतम चार्जेज से दी जाने वाली छूट दो वर्ष के लिए ऐसी इकाइयों को उपलब्ध होगी जिनका कांट्रेक्टेड लोड 250 के0 वी0 ए0 से अधिक नहीं है। इसी प्रकार बिजली के बीजकों पर डेवलपमेंट रिबेट की सुविधा का भी विस्तार किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिये परामर्श उपादान की दरों में भी वृद्धि की गई हैं और कच्चे माल को बाहर से लाने और बने हुए माल को बाहर भेजने के लिए परिवहन सहायता 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है।

लघु एवं सीमान्त कृषकों का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने इस वर्ष एक विशेष योजना परिचालित की है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में प्रति विकास खण्ड 5 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस योजना में लघु एवं सीमांत कृषकों को उन्नति शील दलहनों व तिलहनों के उत्पादन हेतु बीज तथा उर्वरक के मिनी किट का निःशुल्क वितरण किया जाता है और कूप व पम्पिग सेट तथा भूमि विकास व निजी जोत पर ईंधन व फलों के वृक्षों के रोपण पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 1984–85 के लिये 42 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

श्री ब्रह्म दत्त—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982–83 में 5 करोड़ 65 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। उक्त वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 72 करोड़ रुपये व्यय हुये। इस वर्ष दिसम्बर माह तक 2 करोड़ 31 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। अब इस योजना को सीधे जिला विकास अभिकरणों के माध्यम से ही कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके फलस्वरुप जहाँ एक ओर जिला योजना के लिये संसाधनों में वृद्धि हुई है, वहाँ दूसरी ओर स्थानीय आवश्यकताओं एवं आकाँक्षाओं की पूर्ति करने में भी सहायता मिली है।

प्रधान मंत्री जी द्वारा इस वर्ष 15 अगस्त को ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को प्रति परिवार एक सदस्य को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार अब तक 26 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर चुकी है। आशा है अगले वर्ष इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से लगभग 85 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करने में हम सफल हो सकेंगे। भारत सरकार के सहयोग से 1984–85 में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु एक नई योजना कार्यान्वित की जायेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना से लाभ उठाने हेतु प्रेरित करना, महिलाओं को संगठित रूप से आर्थिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना तथा महिलाओं के कार्यरत होने के समय उनके बच्चों के स्वास्थ्य की देख रेख करना है। यह योजना प्रदेश के 5 जनपदों के 22 विकास खण्डों में कार्यान्वित की जायेगी।

1984–85 में जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लघु सेतु निर्माण के अतिरिक्त जिन बड़े सेतुओं का निर्माण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है, उनमें इटावा जिले में औरैय्या–जालौन मार्ग पर शेरगढ़ घाट पर यमुना नदी का पुल, आजमगढ़ में कुर्ती जाफरपुर मार्ग पर तमसा नदी पर पुल व लखनऊ नगर मे निशातगंज के समीप गोमती नदी का पुल सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त झांसी जिले में बेतवा नदी पर एरिच घाट के पुल का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रदेश में विज्ञान का वातावरण सृजित करने व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु अल्प आयु के छात्रों में वैज्ञानिक विचारधारा विकसित कराना आवश्यक है। लखनऊ में एक प्लेनिटेरियम तथा साइन्स म्यूजियम की स्थापना का प्रस्ताव है। डिप्लोमा तथा डिग्री स्तर पर तकनीकी शिक्षा की सुविधा का प्रसार एवं विकास किया जा रहा है। डिग्री स्तर की संस्था के रूप में लखनऊ में एक अभियंत्रण एवं तकनीकी संस्थान की स्थापना की जा रही है। 13 जनपदों में डिप्लोमा स्तरीय बहुधंधी संस्थाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। महिलाओं के लिये केवल एक बहुधंधी संस्था लखनऊ में चल रही है। कानपुर, गोरखपुर तथा मथुरा में महिलाओं के लिये बहुधंधी संस्था की स्थापना की जा रही है। विश्वविद्यालयों में व्यवहारिक शोध के लिये पर्याप्त धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद, कृषि, उद्योग, प्रोद्योगिकी तथा अन्य व्यवहारिक शोध कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने का भरसक प्रयास कर रहा है। यह परिषद प्रयोगशालाओं तथा अन्य शोध संस्थाओं में किये जा रहे व्यवहारिक शोध कार्य को ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तान्तरित करने का भी प्रयत्न कर रहा है। राजकीय वेधशाला नैनीताल खगोलशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है तथा यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहा है। इस वेधशाला में चार मीटर के दूरबीन लगाने का कार्य भी प्रगति पर है। ऊर्जा संकट की ओर जनमानस का ध्यान आकर्षित करने हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान द्वारा प्रदर्शन कार्यक्रम तथा वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्रों के क्रय पर अनुदान दिया जा रहा है।

प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यों पर नियंत्रण रखने और प्रगति सुनिश्चित करने के लिये जनपदों एवं विभागीय इकाइयों से विस्तृत सूचना प्राप्त करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक होता है। इस कार्य में दक्षता लाने के लिये एक बड़े आधुनिक कम्प्यूटर की आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही थी। भारत सरकार के परामर्श से प्रदेश के नियोजन विभाग में

एक आधुनिकतम कम्प्यूटर लगाया जा रहा है जो 1984–85 के आरम्भ में कार्यरत हो जायेगा। प्रदेश के विभिन्न विभाग एवं संस्थायें जो कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्य भारत सरकार व अन्य संस्थाओं के कम्प्यूटरों पर कराते थे और जिसमें अधिक समय व धन लगता था, वह समस्त कार्य अब लखनऊ में ही शीघ्रता से हो सकेंगे। साथ ही जिन विभागों में अधिक मात्रा में आँकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण का कार्य किया जाता है, वह सभी विभाग अब इस कम्प्यूटर द्वारा आँकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण का कार्य त्वरित गति से कर सकेंगे।

निराश्रित विधवाओं को देय पेंशन का विस्तार किया जा रहा है और पूर्व स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त 10 हजार और विधवाओं को पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपने जिलों में राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गयी है। यह सुविधा जिले के बाहर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समारोहों में भाग लेने के लिये भी अनुमन्य होगी।

प्रदेश के पूर्णकालिक राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा जिला परिषदों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया है कि जिन कर्मचारियों की कुल मासिक परिलब्धियां 1,600 रुपए तक होंगी, उन्हें 1982–83 के लिए 15 दिन की परिलब्धियों के आधार पर तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाय, किन्तु यह 750 रुपए की अधिकतम परिलब्धि के आधार पर आगणित धनराशि तक सीमित रहेगा। इस निर्णय से लगभग 12 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

31 मार्च, 1979 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भी स्लैब सिस्टम व 10 माह के औसत वेतन के आधार पर पेंशन अनुमन्य करने का निर्णय लिया गया है।

अब मैं आगामी वित्तीय वर्ष 1984–85 के आय-व्ययक अनुमानों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार अगले वर्ष राजस्व व पूंजी लेखों को मिलाकर कुल प्राप्तियों का अनुमान 4,356.28 करोड़ रुपए हैं। राजस्व प्राप्तियों की 3,006.10 करोड़ रुपए की राशि में 966.52 करोड़ रुपए केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश, 580.06 करोड़ रुपए भारत सरकार से प्राप्य अनुदान, 1,071.38 करोड़ रुपए राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 388.14 करोड़ रुपए का करेतर राजस्व सम्मिलित है। पूंजी लेखे की 1,350.18 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियों में 1,309.75 करोड़ रुपए की ऋणों से प्राप्तियां तथा 40.43 करोड़ रुपए की राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिम की वसूलियां सम्मिलित हैं।

आगामी वर्ष में राजस्व व्यय 2,950.86 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें सम्मिलित करते हुए 703.19 करोड़ रुपए आयोजनागत मदों के लिए तथा 2,247.67 करोड़ रुपए आयोजनेत्तर मदों के लिए हैं। पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा लिए गये ऋणों की वापसी और ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण सम्मिलित करते हुए पूंजी लेखे का कुल व्यय 1,678.14 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें 828.62 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत मदों तथा 849.52 करोड़ रुपए आयोजनेत्तर मदों के लिए हैं। इस प्रकार राजस्व और पूंजीगत लेखे में कुल 4,629.00 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जिसके कारण संचित निधि के अन्तर्गत 272.72 करोड़ रुपए का घाटा सम्भावित है।

लोक लेखा के अन्तर्गत 213.40 करोड़ रुपए की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में लेकर आय-व्ययक वर्ष के समस्त लेन-देनों के परिणामस्वरूप 59.32 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, आयोजनेत्तर व्यय में अधिकाधिक मितव्ययिता एवं सरकारी देयों की वसूली प्रभावी तौर से करने का सरकार प्रयास कर रही है। साथ ही आगामी वर्ष में वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली सहायता भी प्राप्त होगी। अतएव मुझे आशा है कि 59.32 करोड़ रुपए के अनुमानित घाटे की पूर्ति हो जायगी। अतः मैं करों में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

[श्री ब्रह्म दत्त—]

मन्त्रि परिषद् के समस्त सहयोगियों का मैं बहुत अनुग्रहीत हूं कि उनके सहयोग और परामर्श से तथा उनके विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट समय से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी मुझे बजट बनाने के कार्य में जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से करने में मेरी सहायता की। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति भी उनके द्वारा इस कार्य में सहयोग देने के लिए आभार प्रकट करता हूं।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं वर्ष 1984–85 के बजट अनुमान सम्मानित सदन के विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

वित्तीय वर्ष 1984–85 के एक भाग के लिए लेखानुदान

वित्त एवं ऊर्जा मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1984–85 के एक भाग के लिए लेखानुदान को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब लेखानुदान की प्रतियां बंटवा दी जायं।

(लेखानुदान की प्रतियां माननीय सदस्यों में वितरित की गयीं।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, 20 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 40 मिनट पर सोमवार, 20 फरवरी, 1984 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
17 फरवरी, 1984

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 342 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1984 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री मु0 आजम खां के अतारांकित प्रश्न संख्या–18 के उत्तर का संलग्नक।

1—उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत

अन्य मण्डलों की भांति उप विकास आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल के कार्यालय में एक वरिष्ठ लिपिक का पद सृजित है। प्रदेश के किसी मण्डल में उपनिदेशक का पद नहीं है।

2—संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के विचाराधीन है।

3—संयुक्त निदेशक, आबकारी

उप आबकारी आयुक्त, मुरादाबाद के कार्यालय खोलने का प्रश्न आबकारी विभाग के विचाराधीन है। आबकारी विभाग में संयुक्त निदेशक का कार्यालय किसी भी मण्डल में नहीं है।

4—संयुक्त निदेशक, खेलकूद

मुरादाबाद में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी का कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही खेलकूद अनुभाग द्वारा की जा रही है।

5—संयुक्त निदेशक, मनोरंजन कर

मनोरंजन कर विभाग के क्षेत्र राजस्व मण्डलों के अनुरूप नहीं हैं। सम्प्रति मुरादाबाद मंडल के जनपद रामपुर और मुरादाबाद सहायक मनोरंजन कर आयुक्त, बरेली तथा जनपद बिजनौर, सहायक मनोरंजन कर आयुक्त, देहरादून के अन्तर्गत आते हैं।

6—संयुक्त निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवासन

प्रत्येक जिले में जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालयों की स्थापना की गयी है। मण्डलीय स्तर पर कार्यालय खोले जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

7—सहायक लेखाधिकारी राजस्व परिषद्

विचाराधीन है।

परिशिष्ट "ब"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या---74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 356 पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, विधायक, जनपद सीतापुर ने बयान किया कि, श्री बाबू राम अमीन के विरुद्ध मुझसे सामान्य रूप से उस क्षेत्र के अनेक व्यक्तियों एवं मुख्य रूप से गोंदलामऊ ब्लाक के प्रमुख श्री रामेश्वर प्रसाद ने शिकायतें की थीं। जहां तक मुझे स्मरण है कि उन्होंने श्री बाबू राम के विरुद्ध शिकायती आवेदन-पत्र भी दिये हैं। वह शिकायती-पत्र मैंने अग्रसारित किये थे। श्री रामेश्वर प्रसाद ब्लाक प्रमुख का बयान लेना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि ब्लाक प्रमुख व्यक्तिगत रूप से शिकायतों को बताने में सक्षम होंगे। बयान सुनकर तसदीक किया। जो तथ्य शिकायती पत्रों में उल्लिखित हैं उनके अतिरिक्त और मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह तथ्य स्वयं में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि जिस व्यक्ति की शिकायतों के आधार पर ट्रान्सफर हुआ है उसे फिर वहां नियुक्त कर दिया जाय। सुनकर तसदीक किया।

राजेन्द्र कुमार गुप्त,
सदस्य, विधान सभा
सीतापुर।

17-1-84

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–93 का उत्तर पीछे पृष्ठ 364 पर)

सूची

क्रम-सं	आवंटियों का नाम	पिता का नाम	जाति
1	पुद्दन	पुत्र कल्पू	हरिजन
2	मक्खन	पुत्र भगेलू	हरिजन
3	मिठाई लाल	पुत्र भीखन	वनमानुष
4	सीताराम	पुत्र भग्गन	हरिजन
5	जूठू	पुत्र भग्गन	हरिजन
6	अलगू	पुत्र बहादुर	हरिजन
7	सुन्दर	पुत्र बहादुर	हरिजन
8	राम मिलन	पुत्र भग्गन	हरिजन
9	गल्लन	पुत्र गोविन्द	हरिजन
10	राम लाल	पुत्र गोविन्द	हरिजन
11	सन्तराम	पुत्र दुखई	पासी
12	हरीराम	पुत्र रामबली	पासी
13	मुन्नी लाल	पुत्र रामबली	पासी
14	राम बरन	पुत्र झीनक	पासी
15	जोखन	पुत्र नगई	पासी
16	रामजीत	पुत्र बदरी	हरिजन
17	रामशबद	पुत्र सोमई	पासी
18	अशरफी	पुत्र बलिकरन	पासी
19	चन्द्र शेषर	पुत्र बलिकरन	पासी
20	भवानी फेर खुन्नी	पुत्र द्वारिका	पासी
21	राम चइतर	पुत्र राम लाल	हरिजन
22	रामपत	पुत्र लाला	हरिजन
23	लालमन	पुत्र गया	धोबी
24	रूदल	पुत्र महादेव	पासी
25	बालकिशुन	पुत्र रामअवध	लोहार

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–123 का उत्तर पीछे पृष्ठ 373 पर।)

ग्रामों की सूची

1––कस्बाखास
2––मदापुर समसपुर
3––जमालपुर गिर्जापुर
4––पिड़उत सिंहपुर
5––चकरा
6––काचोकला
7––धबरिया साक्ष
8––पदसा मानवपुर
9––मीरपुर रहीमाबाद
10––कोपागंज
11––पूंमाउस
12––अदरी
13––इन्दारा
14––लधुबाई
15––तिनहरी
16––बस्ती बशी निधयाव
17––कुरंगा
18––पिडसुई अहलासपुर
19––गोफा
20––बेलोली सोनबरसा
21––गुरम्मा
22––सरजपुर
23––खैरा मुहम्मदपुर
24––टीसूपुर
25––फतेहपुर मड़राव
26––चकउथ
27––कटघर शंकर
28––लेखनौल
29––सोडसर
30––हमीदपुर
31––टेघना
32––हथनी
33––बड़राव
34––कटियारी बुजुर्ग
35––लरी नेरुवार
36––मानिकपुर रतना
37––डंगौली
38––जोबरी
39––हादीपुर
40––लैरो दुनवार
41––चिरइया
42––जैसिंगपुर
43––अहमदपुर असना
44––केरमा महरूपुर
45––बाडा
46––बेला सुल्तानपुर
47––सौदी
48––रामपुर
49––तिधरा
50––कारीसाथ
51––नेवादा म0 अलीनगर
52––मिसरौली
53––दिघडा
54––कांठसरांव
55––देवपुर देवसीपुर
56––उफरौली
57––हृदय पट्टी
58––रसूलपुर अहमदपुर उर्फ रामपुर
59––केशोपुर सुल्तानीपुर
60––चक मानो उर्फ दरगाह
61––करौदी कसैला
62––बेला कसैला
63––कपरियाडीह
64––मुहम्मदपुर हसनपुर
65––शक्करपुर वारा
66––मेडकल सुल्तानपुर
67––दिलई फिरोजपुर
68––बेला गदाएन पट्टी
69––नगरपार
70––हैबतपुर ताल खदरा
71––गंगउर
72––हैबतपुर
73––मयादपुर
74––चेलौनी मोजीपुर
75––नत्थूपुर
76––लकुरा
77––हानपुर पु0 महारामपुर
78––हदिया कुंड
79––कुसण्डा
80––बहरामपुर

81—नेमडाड
82—ताजपुर
83—पहाड़ीपुर
84—मुहम्मदाबाद सिपाहा
85—भट्ट मिला
86—पिउवाताल
87—पकड़ी बुजुर्ग
88—सुल्तानपुर बारा गावां
89—दुबारी
90—सिकड़ी कौल
91—बहादुरपुर
92—फैजुल्लाहपुर
93—लखानी मुबारकपुर
94—भेलेउर चगेरी
95—कसारा
96—फूलपुर
97—सरावां
98—लडवां साथ
99—सराय गनेश
100—पिउउथ
101—लुदुही
102—नदवाखास
103—रमउपुर
104—बरूहा
105—महमूद सराय
106—सिवराजपुर
107—मझौवा
108—आदमपुर
109—जमीन सरहरा जमीन
110—बेलभद्रपुर
111—हिसामपुर
112—माऊर बोझ
113—इब्राहिमपुर
114—मरथैली
115—महुवार बसीगतया
116—सिपरही वर्जला
117—भरगुवा महदपार
118—अमडिया हपडा
119—रामपुर धनौली
120—हरथौली
121—बीजीपुर
122—माछिल जमीन माछिल
123—भरपुर मु0 दरियाबाद
124—अतरसावां
125—कुंडा शरीफपुर
126—मादी दुल्लाह
127—कुसमता
128—गोहा
129—अमिला
130—बशारतपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 124 का उत्तर पीछे पृष्ठ 373 पर)

ग्रामों की सूची

1—बिजरवा
2—खानपुर शुकुल
3—दलपतपुर
4—कन्जरा दिलसाजपुर
5—मसुरियापुर
6—सुन्दर सराय बल्लो
7—मलुआई
8—अशरफपुर
9—वर्जी
10—बस्ती उगरपट्टी
11—औसानपुर
12—गोपालपुर
13—नेवादा
14—जैराजपुर
15—दाऊदपुर
16—बरडीहा
17—रसूलपुर नन्दलाल
18—मकवन हाड़
19—काँख भार
20—मरोली
21—वरडीहा
22—लाठघाट
23—गड़ेरआ
24—सोनपुर बुजुर्ग
25—केशवपुर महमूद पट्टी
26—बनकट
27—मोतीपुर
28—हारीपुर
29—पटवध कौतुक
30—कादीपुर हरिकेश
31—चाँदपुर अखरचन्दा
32—खालिसपुर
33—पहलवानपुर
34—विलरियागंज
35—नत्थूपुर
36—ऊंचाडीह सलेमपुर
37—सहदौली गड़थौली बुढ़ानपुर
38—बरनापुर जगदीशपुर
39—सीवान
40—वनकटिया
41—पिहार
42—सेठाकोली
43—रामपुर
44—लंगरपुर
45—सियरहा
46—घोरहरा
47—मधनापार
48—जूड़ापुर खुर्द
49—जलालपुर
50—नसीरपुर फतेहपुर
51—मोहम्मदपुर जगीन मोहम्मदपुर
52—हरैया
53—डिगवनियाँ मझौवाँ
54—जमीन रसूलपुर
55—कटाई अलीमुद्दीनपुर
56—बछउरखाल
57—चिलबिली दान चिलविली
58—हरनई
59—पतिला गौसपुर
60—चान्दपुर
61—चेगईपुर
62—चांद पट्टी
63—मिसिरपुर
64—लुचुई
65—शाहपुर नेवादा
66—सैदपुर मु0 बर्जी
67—घरसन्ड
68—महेशपुर
69—चेवता
70—कन्वरापुर
71—जैगहा
72—इमिलीपुर
73—सेवरा कुण्ड
74—सपहा पाठक
75—मऊ कुतुबपुर
76—पाण्डर कुन्ड
77—महावत गढ़
78—महमदपुर
79—जीयनपुर
80—अन्जान शहीद

81—बछउर खुर्द
82—माराड़ कर्मनाथ पट्टी
83—वेरमा
84—जोलहापुर
85—मिरिया रेड़हा
86—चौकी खुर्द
87—कपसा
88—विन्दवल
89—रामपुर देवारा
90—मुअना बुजुर्ग
91—अमुवारी नरायनपुर
92—पलिया
93—रौनापार
94—बुढ़ावे हिसामुद्दीनपुर
95—मेघई खास
96—बरोही फतेहपुर
97—छपरा सुल्तानपुर
98—अजमतगढ़
99—महुला
100—बधावर
101—तरौदका
102—जोकहरा
103—जमीन हरखोरी
104—रामपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–150 का उत्तर पीछे पृष्ठ 379 पर)

अनुलग्नक

माह अगस्त से सितम्बर 1983 तक अतिवृष्टि से प्रभावित पर्वतीय अंचल	जन हानि	जनता को राहत देने के लिए धनराशि का आवंटन							
		धन हानि	अहेतुक सहायता	गृह निर्माण अनुदान	फ्री फूड	नावें	निकासी	अनुग्रह	तकावी
1—टिहरी गढ़वाल	—	4,23,000	1,35,000	1,00,000	10,000	5,000	30,000	10,000	1,50,000
2—चमोली	5	5,10,96,475	2,65,000	1,00,000	10,000	5,000	35,000	10,000	1,20,000
3—उत्तर काशी	—	12,08,405	2,35,000	1,00,000	10,000	5,000	30,000	10,000	3,00,000
4—पौड़ी गढ़वाल	—	38,000	1,35,000	1,00,000	10,000	5,000	30,000	10,000	1,00,000
5—देहरादून	—	1,49,100	1,35,000	1,00,000	10,000	5,000	30,000	10,000	50,000
6—पिथौरागढ़	13	2,96,935	3,85,000	1,25,000	10,000	5,000	62,000	20,000	3,00,000
7 अल्मोड़ा	8	16,79,000	4,85,000	1,30,000	10,000	5,000	30,000	40,000	3,50,000
8—नैनीताल	6	3,56,23,380	9,35,000	9,00,000	10,000	5,000	1,30,000	10,000	50,000
	32	9,05,14,295	27,10,000	16,55,000	80,000	40,000	3,77,000	1,20,000	14,20,000

पी0एस0यू0पी0—एल0 375 वि0सभा (664)—1984—813।